(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] दसवीं विधान सभा के सातवें सत्र का छठा दिवस [संख्या : 3

मंगलवार

02 जुलाई, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

लाडनूं (नागौर) की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के प्रकरण

57. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील लाडनूं जिला नागौर में गत वर्ष अभियान चलाकर सरकारी भूमियों, चरागाहों आदि पर किये गये अतिक्रमण हटाये गये थे ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांव की कितनी-कितनी भूमि पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिन लोगों के अतिक्रमण हटाये थे उन्होंने वापस अतिक्रमण कर लिया है और उसकी शिकायतें तत्काल ग्रामवासियों ने की ? यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्व मंडल, अजमेर के सदस्य द्वारा तहसील कार्यालय लाडनूं का निरीक्षण किया गया था ? क्या उस निरीक्षण रिपोर्ट में इस प्रकार के कब्जे हटवाने के मामले में गम्भीर टिप्पणियां की गई थीं ? यदि हां, तो क्या और उसकी अनुपालना क्यों नहीं की गयी ?

(4) क्या यह भी सही है कि एक-एक बिस्वा के अतिक्रमण को भी पुलिस के जरिये हटाया गया है ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो इसी तहसील के ग्राम मणु में कितनी भूमि पर अब तक नाजायज कब्जा है ? क्या सरकार इस नाजायज कब्जे को भी हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां, यह सही है।

निम्न ग्रामों की भूमि पर से अतिक्रमण हटाये गये हैं :—

ग्राम का नाम	खसरा नं	रकबा
1	2	3
लाडनूं	854	1-10
	1256	0-02
सुनारी	88	5-19
	178	1-11
	72	0-17
	296	0-07
हीरावती	150	0-03

(१२)

(श्री गंगाराम चौधरी)

1	2	3
	14	0-10
	70	1-01
विश्वनाथपुरा	304	6-14
	170	0-04
	87	0-05
जसवन्तगढ़	17	0-13
गुड़ास	611	0-16
	624	3-05

(2) जी, नहीं, यह सही नहीं है। ग्राम हीरावती ख. नं. 150 रकबा 0-03 बिस्वा भूमि पर पुनः अतिक्रमण की शिकायत ग्रामवासियों द्वारा की गयी मगर पूर्व निर्णय की अपील अपीलाधीन न्यायालय में होने से व दिनांक 29.12.95 तक स्थगन होने के कारण अतिक्रमणी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अब स्थगन आगे नहीं बढ़ने के कारण अतिक्रमी के विरुद्ध पत्रावली संख्या 354/96 कायम कर कार्यवाही जारी है।

(3) जी, हां। यह सही है कि राजस्व मण्डल, अजमेर के माननीय सदस्य श्री गणपतसिंह भण्डारी द्वारा निरीक्षण किया गया था एवं नाजायज अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा सरकारी हक में लेने के सम्बन्ध में 1995 के सभी निर्णित मामलों की इजराय पत्रावलियां खोलने के निर्देश दिये थे उसकी अनुपालना में कार्यवाही जारी है।

(4) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि अभियान के दौरान एक-एक बिस्वा अतिक्रमियों को भी पुलिस के जरिये हटाया गया हो। ग्राम मणु के ख. नं. 27 रकबा 40 बीघा गै. मु. आगोर पर श्री गुमान सिंह राजपूत का नाजायज कब्जा है। दिनांक 29.9.95 को अभियान के दौरान उत्पन्न व्यवधान एवं दिनांक 30.9.95 को कस्बा लाडनूं में एक अन्य घटना विशेष को लेकर उत्पन्न हुए तनाव को लेकर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गयी थी। अब पुनः नाजायज कब्जों को हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें भाग एक में आपने दो-दो बिस्वा, चार-चार बिस्वा के कब्जे हटाये हैं और मणु के मामलें में जो आपने 40 बीघा बताया है वह 48 बीघा है, इसको भी आपने अभी तक नहीं हटाया। आपने यह कह दिया कि कोई दूसरे मामले में व्यवधान हो गया, तो क्या वह व्यवधान आज तक जारी है ? इतने महीने बीतने के बाद भी आपने उस कब्जे को तो नहीं हटाया। इसके अलावा आपने यह भी कहा है कि इन गांवों में इतने-इतने कब्जे हटाये हैं। कब्जे हटाने के मामले में राजस्व मण्डल के सदस्य ने जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपको दी है, कलेक्टर को दी है उसमें गम्भीर आपत्तियां की हैं कि इन्होंने कभी भी कब्जा नहीं हटाया, किसी भी अतिक्रमण का कब्जा नहीं हटाया। कागजों में कब्जा हटा दिया और मौके पर कब्जा है। इतने दिन बीतने के बाद इसमें न तो कलक्टर ने कार्यवाही की और न रेवेन्यू बोर्ड ने कार्यवाही की और अब आप कह रहे हैं कि हम खोल रहे हैं।

इसके अलावा इसी सदन में आपने अभी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दिनांक 3.11.95 को यहां आश्वासन दिया था, मैंने यह कहा था कि यह जो आपने कब्जा हटाने के सम्बन्ध में जिन गांवों का उल्लेख भाग एक

(श्री हजारीराम बुरडक)

में किया है उन गांवों में उन्हीं लोगों के कब्जे हटाये गये जिन्होंने पटवारी को, राजस्व अधिकारी को पैसे नहीं दिये। यह बात भी हुई थी। मैंने यह कहा था कि पर्टिकुलर खसरा नम्बर जो आपने यहां दिये हैं उन खसरा नम्बर में आप जांच करवायें कि जो आपने कब्जा हटाया है वह नाजायज कब्जा था या और भी हैं। आपने यहां आश्वासन दिया था इसी हाउस में कि इनकी जांच कलक्टर आफिस से किसी पार्टी को भेजकर करवाएंगे। अगर इन्हीं खसरा नम्बर में दूसरे लोगों के कब्जे हैं जिनको नोटिस तक नहीं दिया, पटवारी ने रिपोर्ट तक नहीं की तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। उसका क्या हुआ ? आपने या तो निर्देश दिये नहीं या आपने कार्यवाही को पढ़ा नहीं या आपने जो निर्देश दिये उनकी आपके अधिकारियों ने पालना नहीं की। तो फिर हमारा यहां बार-बार पूछने का मतलब क्या हुआ। क्या आपको याद नहीं है कि इसी हाउस में आपने यह कहा था कि जिन खसरा नम्बर का आपने हवाला दिया उसमें आपने 5-5 बिस्वा, 17-17 बिस्वा कब्जे हटा दिये बाकी उसी खसरा नम्बर में और ज्यादा लोगों के कब्जे हैं जिनको आपने हटाया नहीं और यह 48 बीघा वाला कब्जा है उसको तो आपने यों ही टाल दिया कि जैसे वहां अभी कोई आन्दोलन चल रहा हो। यह कब की बात है और आज तक नहीं हटाया।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने उत्तर में निवेदन किया था, राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में कलक्टर, नागौर ने एक अभियान चलाया था। उस अभियान के दौरान अलग-अलग स्थानों पर, खास तौर से सार्वजनिक भूमियों से कब्जे हटाने हेतु राज्य सरकार ने, राजस्व अधिकारियों ने पुलिस की मदद लेकर कब्जे हटाने का पूरा प्रयास किया था।

यह जो मणु का मामला है, इसमें कब्जा हटाने के लिये हमारे राजस्व अधिकारी पुलिस लेकर मौके पर पहुंचे थे लेकिन उस वक्त अतिक्रमियों ने सामने से शस्त्र लेकर तहसीलदार और उनकी पार्टी पर हमला कर दिया और इस कारण उनको वापस लौटना पड़ा था, उसी दिन लाडनूं कस्बे में भी किसी और वाकये के कारण बाजार बन्द हो गया था और वातावरण खराब हो गया था इसलिये उस वक्त हम आगे नहीं बढ़ा सके। लेकिन अतिक्रमी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा दिया है। जो उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था, लाडनूं थाने के अन्दर मुकदमा दर्ज है। उनके खिलाफ पुराने मामले जो भी दर्ज थे उनको सिविल वारंट अरेस्ट के इश्यू कर दिये हैं। वह फसल चोरी करके ले गये उसकी भी एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी है और इस वक्त में जबकि दुबारा वह कब्जा कर रहा है, इस वक्त फिर धारा 91 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इस प्रकार राजस्व विभाग की ओर से इस मणु वाले मामले में मुस्तैदी से कार्यवाही की जा रही है।

आपने राजस्व मण्डल के सदस्य की इन्क्वायरी का भी जिक्र किया। मैं निवेदन कर दूं कि राजस्व मण्डल के सदस्य ने जो जांच की थी और उन्होंने जो हिदायत दी थी उसकी अनुपालना हो रही है। अध्यक्ष महोदय, पुराने समय में धारा 91 के फैसले के बाद तामील माकूल नहीं हो पाती थी और इस कारण अब यह निर्णय लिया है कि हर धारा 91 के फैसले की तामील हेतु इजराय की फाइल अलग से कायम की जाए और उसकी प्रगति दिन-ब-दिन फाइल के ऊपर नोट हो जाएगी और जब इजराय की पत्रावली चलेगी तो उसकी तामील का भी दिन-ब-दिन अधिकारी को पता होता रहेगा और वह तामील बराबर करवाएगा।

(श्री गंगाराम चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, एक पुराने किस्से का भी आपने बताया है 3.11.95 का। यह दूसरे गांव का था, मैंने जरूर निवेदन किया था कि इसमें हम जांच करवा लेंगे, अगर खसरा नम्बर हमारी सूचना के हिसाब से कुछ और है, कब्जा किसी और का है तो इसकी हम जांच करवा लेंगे, जांच करवाली और जांच से यह पता अवश्य लगा कि उस व्यक्ति का, मैं गांव का नाम भूल गया, उस व्यक्ति का जिस खसरा नम्बर का यह नियमन हुआ था उस पर कब्जा नहीं था। शायद दूसरे पर था। यह वैसे अलग से प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसमें जांच करवा ली है, मैं माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूंगा।

यह जो पुलिस के मामले मणु के सम्बन्ध में दर्ज किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में हमारे राजस्व प्रमुख सचिव ने आज एस. पी., नागौर से चर्चा की है और उन्हें कहा है कि यह चार मामले जो इन अतिक्रमियों के खिलाफ दर्ज हैं, उनमें अविलम्ब आप कोई कार्यवाही करें। सिविल वारंट की तामील में आप अरेस्ट करें, फसल की चोरी के मामले में भी कार्यवाही करें और जो राजस्व अधिकारी पर हमला किया उसकी भी कार्यवाही करें। इस प्रकार की हिदायत आज ही उन्होंने दी है और एस. पी., नागौर ने आश्वासन दिया है कि मैं इस सम्बन्ध में माकूल कार्यवाही करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर नाजायज कब्जे सार्वजनिक भूमियों पर होते हैं, उसके लिए मैंने पिछली बार भी सदन में निवेदन किया था और राजस्व विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है कि जन प्रतिनिधियों को कांफिडेंस में लेकर वे आगे कार्यवाही करें। साल में दो दफे हर फसल आये, खरीफ और रबी की फसल के वक्त जन प्रतिनिधियों को बुलायें, कांफिडेंस में लें उनसे बात करें, उनसे चर्चा करें और कहीं कमी हो तो उसकी पूर्ति करें। यह सर्कुलर हमने जारी कर दिया है। इसके अलावा –

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : कौनसा ? सर्कुलर कहां है, हमने तो देखा नहीं।

श्री गंगाराम चौधरी : उस सर्कुलर की तामील में अब जन प्रतिनिधियों को इस बार चूंकि उसके बाद में फसल का मौका अभी आया है तो इस बार वे जन प्रतिनिधियों को बुलाकर जिला कलक्टर समय-समय पर कार्यवाही करेंगे।

इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग सार्वजनिक भूमियों पर नाजायज कब्जों की मोनीटरिंग भी कर रहा है और सभी जिला कलक्टर्स से हम समय-समय पर सूचना प्राप्त करते हैं कि सार्वजनिक भूमियों पर नाजायज कब्जे कितने हैं और आपने कितनों में कार्यवाही की ? धारा 91 (6) जिसमें अतिक्रमी के विरुद्ध सजा का, जेल का प्रावधान है, उसके तहत इस सम्बन्ध में कितनी कार्यवाही की ? अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में भी हमने सर्कुलर जारी किये हैं, 11.3.1996 और 7.3.1996 को ये सर्कुलर राज्य सरकार की ओर से जारी किये हैं। राज्य सरकार सार्वजनिक भूमियों पर से विशेष तौर से नाजायज कब्जे हटाने के लिए पूर्णतः प्रयत्नशील है। मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मणु वाले मामले में अगर कहीं कमी रही है या चालान में कहीं कमी रही है तो उसकी पूर्ति हेतु राजस्व विभाग अपनी ओर से गृह विभाग को निवेदन करेगा और पूर्णतः कार्यवाही करेगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, मणु का मामला, यह पिछले साल का किस्सा है, जो आप बता रहे हैं और इतनी बड़ी जमीन पर कब्जा हो और उसका कब्जा हटाना तो दूर रहा, उसने अब और काश्त कर ली और आप कह रहे हैं कि हम तत्परता से कार्यवाही कर रहे हैं। तत्परता का कितने वर्षों का समय होता है, यह तो आप ही जाने और मेरी जानकारी यह है कि आपने कब्जा हटाने के लिए जिस अधिकारी ने रुचि दिखायी, उस तहसीलदार को तो हटा दिया लेकिन कब्जा अभी तक नहीं हटा।

दूसरा, यह है कि 3.11.1995 का जो मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, उस समय आपने कहा था कि वह अलग से मामला है और वह अलग जमीन है। वह अलग जमीन नहीं है। उसमें 2-3 गांव और जोड़े थे लेकिन आपने जो उत्तर दिया, ये गांव सारे थे, जो खसरा नम्बर आपने इसमें बताया है, वहीं उसी के थे। मेरा उस समय भी यही कहना था कि और आज भी मैंने यही कहा है कि जिस खसरा नम्बर में आपने कब्जा, मान लो पांच बिस्वा का हटाया है और उसी खसरा नम्बर पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है। उनको नोटिस तक नहीं दिया और साल भर से आप इसकी जांच नहीं करवा सके। पिछली बार भी आपने कहा था कि यह सर्कुलर जारी कर रहा हूँ कि जन प्रतिनिधियों से कलक्टर सम्पर्क करेंगे और उसमें आपकी राय लेंगे। वह कहां गया सर्कुलर। आपके सर्कुलर को कोई पूछता नहीं और जन-प्रतिनिधियों को आप सर्कुलर बताते नहीं या भेजते नहीं । आपको भेजना चाहिये था, अगर जन प्रतिनिधि से सम्बन्धित वह सर्कुलर था तो। अब आप वही बात कर रहे हैं जो पिछले साल खड़े होकर कही थी। आपने मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में यही दोनों बातें कही हैं। एक तो वह सर्कुलर जारी करने का और इन गांवों के अलावा 2-3 गांव और जोड़कर आठ गांवों की दुबारा जिला लेवल की किसी टीम को भेजकर इस खसरा नम्बर की जांच कराने की बात आपने कही थी लेकिन आपने अभी तक नहीं की और जिस मणु गांव का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें 48 बीघा पर दुबारा काश्त कर ली और आपने अभी बताया कि 1-1, 2-2 बिस्वा पर आपने पुलिस को साथ लेकर उनका तो कब्जा हटाया। किसी गरीब की झोपड़ी खड़ी थी उसको तो आपने तोड़ दिया और इतने बड़े भू-भाग पर जो कब्जे किये, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यह इतना सा किया है कि उस तहसीलदार को आपने हटा दिया।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह शायद गुड़ास गांव के खसरा नम्बर की बात है। कौनसे गांव में ?

श्री हरजीराम बुरड़क : मणु का। मणु में जो 48 बिस्वा का है ना।

श्री गंगाराम चौधरी : नहीं, मणु का तो मुझे ध्यान है। नहीं, वह आप पुरानी बात कर रहे थे।

श्री हरजीराम बुरड़क : ध्यान तो है लेकिन ध्यान से होगा क्या ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वह सर्कुलर राज्य सरकार ने जारी किया कि जन-प्रतिनिधियों को विश्वास में लेने के सम्बन्ध में, उस सर्कुलर की प्रतियां सब माननीय सदस्यों को जल्दी से जल्दी भेज दी जाएगी। मणु वाले मामले में अब धारा 91 के तहत फिर से मामल दर्ज कर दिया गया है और उसमें हम जिला कलक्टर को कहेंगे कि इसमें सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और भौतिक कब्जा हटाया जाए।

श्री हरजीराम बुरडक : तहसीलदार को हटाने का बता दीजिये, आपने इसी कारण से हटाया है।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जी जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में ...

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, तहसीलदार को उस वक्त नहीं हटाया था। तहसीलदार को अभी अप्रेल माह में ट्रांसफर किया है, वह तो प्रशासनिक कारणों से किया है, वह उस वजह से नहीं था।

श्री हरजीराम बुरडक : उसको हटाया था, प्रशासनिक कारण यही था।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि उसी खसरा नम्बर पर आपने कब्जा हटाया, दूसरों ने कब्जा कर रखा है, उसकी पटवारियों ने रिपोर्ट नहीं दी तो ऐसे पटवारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह तो दूसरे गांव वाली बात है या मणु की है ?

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं-नहीं, जो गांव आपने इस उत्तर में बताये हैं, जो आपने उत्तर आज दिया है, उन गांवों को ही ले लीजिये। उन्हीं गांवों के जिन खसरा नम्बर से आपने 1-1, 2-2 बिस्वा से पुलिस के जरिये हटाया है, उन्हीं गांव से दूसरे लोगों ने उसी भूमि पर उसी खसरा नम्बर पर कब्जा कर रखा है। उसकी पटवारियों ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी और यही बात आपने पिछली साल कही थी और आज भी आप यही कर रहे हैं हम जांच करवा लेंगे। जांच कब करवाएगे यह तो आप ही बतायें।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जी।

श्री गंगाराम चौधरी : विस्तार से तो इतनी जानकारी नहीं है और जिस खसरा नम्बर पर कब्जा होगा, माननीय सदस्य कहते हैं तो इसकी जानकारी और करा लेंगे। पहले खसरा नम्बर पर कब्जा है, उसको भी हटायेंगे।

श्री हरजीराम बुरडक : जानकारी के लिये आपने कहा कि नहीं है। दिनांक 3.11.1995 को मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में यह सारी बातें कहीं हैं, जो मैं कह रहा हूँ और आप कहते हैं कि ध्यान ही नहीं है। साल भर में भूल गये तो इसका तो मेरे पास में क्या इलाज है। आप कार्यवाही पढ़ते नहीं। आप जो देते हैं, उसे वह अधिकारी मानते नहीं, इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूँ कि राजस्थान में पशुधन की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में जबकि चरागाह भूमि अवैध कब्जों से बहुत ही कम पड़ती जा रही है, तो क्या राज्य सरकार चारागाह भूमि बढ़ाने और उसके क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए चरागाह भूमि को ज्यादा से ज्यादा पाश्चर लैन्ड में कन्वर्ट हो, पशुधन के हित में कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : अभी यह इससे सम्बन्धित नहीं है। दीपेन्द्र सिंह जी।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इतना निवेदन कर सकता हूँ कि जहां-जहां पंचायतों से मांग आती है चरागाह के लिये, एक पशु पर आधा बीघा का पहले से नोर्म्स फिक्स्ड है, उस हिसाब से चरागाह की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार घोषित करती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय दीपेन्द्र सिंह जी। एक मिनट बिराजिये भीमसेन जी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने आश्वासन दिया कि 91 के तहत कार्यवाही की जाएगी। आपके आश्वासन का तो हम स्वागत करते हैं लेकिन 91 में कार्यवाही आपका प्रशासन किस प्रकार से करेगा, उसके विषय में मेरा निवेदन यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ओम प्रकाश सैनी पुत्र श्री कजोड़ सैनी, ढाणी पाजावाली निवासी हांसपुर जिला सीकर (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : यह अलग से है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : यह इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, यह अलग है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मरे हुए व्यक्ति को सजा कर दी गयी है (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, हमारे गांवों की भी सुन लीजिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आठ वर्ष पहले जो व्यक्ति मर चुका है, 91 में उसको सजा कर दी गयी है। (व्यवधान) चार गांव ऐसे हैं जिसके अन्दर 91 में सजा की गयी। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, हमारे भी सारे गांवों की लिस्ट है, ले लीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये बिराजिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : दो-दो हजार रुपये लेकर सजा माफ की गयी। यह सबूत इसलिये पेश कर रहा हूँ, आप 91 का आश्वासन दे रहे हैं। क्या इसी प्रकार की कार्यवाही कराएगे जांच कराकर ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, सबकी ग्रिवेंसेज हैं, सबके गांवों में प्रोब्लम हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : लेकिन मरे हुए लोगों को सजा करवा रहे हैं जिनको मरे हुए 8-8 साल हो गये। क्या इसी प्रकार की कार्यवाही कराएंगे 91 में आप।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मरे हुए लोगों को सजा दी जा रही है, सरकार कितने अंधेरे में बैठी हुई है। मरे हुए लोगों को सजा दी जा रही है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच तो करवाइये कि मरे हुए लोगों को सजा हुई है। आठ वर्ष पहले जो लोग मर गये, उनको सजा हो गयी। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : सजा किसको मिलेगी (व्यवधान) सजा कौन भोगेगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : जो लोग मर गये और जिन लोगों ने सजा की, एक नोटशीट से सजा की है, पैसे लेकर नोटशीट फाड़ कर दूसरी नोटशीट से सजा माफ कर दी गयी है। दोनों नोटशीट की प्रतियां मैं आपको पेश करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्यमंत्री चिकित्सा) : हम दोषी को छोड़ते नहीं, स्वर्ग में भी पकड़ लिया। स्वर्ग में भी कार्यवाही होती है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अंधेर नगरी, अंधेर राजा। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इससे ज्यादा और क्या होगा, अध्यक्ष महोदय, मरे हुए लोगों को सजा कर रहे हैं। एक नोटशीट से सजा कर दी और पैसे लेकर सजा माफ कर दी और दूसरी नोटशीट से सजा माफ हो जाएं, यह कैसे होगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार के मामले हमारे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में अतिक्रमण किये जा रहे हैं (व्यवधान) चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अतिक्रमण हटाने के लिए (व्यवधान) ले देकर, लोगों से पैसे आये। आप 91 में कार्यवाही करवाइये। यह तो प्रमाण है, फोटो प्रति है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप ने कितनी बार उनको सजा देकर कितनी बार अतिक्रमण हटाया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इससे ज्यादा और क्या जघन्य अपराध होगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान) यह क्या मतलब है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्री जी, मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे यहां भी इसी प्रकार के चरागाह पर और आम रास्तों पर लगातार अतिक्रमण होते चले जा रहे हैं। उनकी शिकायतें भी की हैं, आज तक वहां के तहसीलदार ने हमारी शिकायतों को नहीं सुना। मेरे खुद के गांव में इसी प्रकार से रास्ते पर अतिक्रमण हुआ। मैं स्वयं जाकर अधिकारी से मिला, कलक्टर से मिला। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : लेकिन आज तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। खाली कागजों में ~~लिखकर भेज रहे हैं कि अतिक्रमण हटा रहे~~ हैं हम। माननीय मंत्री जी, इसके बारे में विश्वास दिलायें आप हमको कि चरागाह भूमि पर और रास्तों पर हुए अतिक्रमणों को आप कब तक हटा देंगे। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति को मरे 45 साल हो गये, हरजीराम जी के गांव में, उसके नाम से काश्त चल रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है। एक प्रश्न को विवाद का या वार्ता का विषय नहीं बनाइये। अगले प्रश्न को बुलाया जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप अतिक्रमण के मामले में इस प्रकार नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : कृपया आप इनको संभालिये। प्रश्न हो गया, उत्तर हो गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : ऐसी जांच करने जा रहे हैं (व्यवधान)

\+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री भंवरसिंह डांगावास : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, क्या इन घटनाओं की मंत्रीजी जांच कराने के आदेश देते हैं_(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का एक दूसरा पहलू यह है, एक तरफ तो लोग अतिक्रमण करते जा रहे हैं और माननीय मंत्री महोदय कोई भी _

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। रामस्वरूप जी, आप बिराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, चरागाह की समस्या गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये अब आप। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : राम और गाय कोर्ट में ही याद आती है क्या, बाद में याद नहीं आती।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें अब। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : ग्राम पंचायतें जो प्रस्ताव पास करके भेजती हैं कि उनके इलाके में अतिक्रमण बंद किए जाएं, रोका जाए और हटाया जाए लेकिन कोई भी राजस्व अधिकारी उन अतिक्रमणों को हटाने के लिए नहीं जाता है। नतीजा यह होता है कि वह अतिक्रमण कायम चलते आते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

एक माननीय सदस्य : शिक्षा मंत्रीजी, गाय की बात भूल गये क्या ?

श्री रामस्वरूप मीणा : अतिक्रमणों को कब तक हटायेंगे आप ?

श्रीमती कमला : इसलिए मेरा यह सुझाव है माननीय मंत्री महोदय को_

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती कमला : कि आप इसके लिए समय निर्धारित करें। एक समय निर्धारित करें कि पंचायत का प्रस्ताव आने के बाद।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय रामस्वरूपजी, बिराजिये आप।

श्रीमती कमला : एक महीने के अन्दर-अन्दर राजस्व अधिकारी उस अतिक्रमण को हटाएंगे अन्यथा कोई विशेष कारण होगा तो उनको सूचित करेंगे। यह बहुत आवश्यक है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। आप बिराजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है _

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या कहलवा रहे हैं, यह तो बताओ साहब। कुछ भी जवाब नहीं दिया आज तक। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। कृपया बिराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दूसरा निवेदन कर रही हूं कि चरागाह की भूमि पर एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि अतिक्रमण नहीं हटाये जा रहे हैं _

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, यह हाउस में मामला आया है, मामला बहुत गम्भीर है_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक मिनट। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जांच का आश्वासन दिलवाइये आप। ऐसे प्रकरणों में जांच का आश्वासन दिलवायें आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई बात सुनाई नहीं पड़ रही है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मंत्री जी जांच कराने को तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं पहले।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : ऐसे मामलों में, जिनमें भ्रष्टाचार के सबूत हैं, मरे हुए लोगों को सजा कर दी, सजा कर दी, पैसे लेकर सजा फाड़ दी, क्या जांच कराने को तैयार नहीं है ?

श्री रामनारायण मीणा : ऐसे हजारों मामले हैं राजस्थान में। हजारों मामले राजस्थान में हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें पहले।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : क्या मंत्रीजी जांच नहीं करवायेंगे इसकी ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी आप बैठिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नहीं, आप व्यवस्था दे दें। मंत्रीजी जांच नहीं करायेंगे?. — (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हर माननीय सदस्य आपनी बात कह सकता है लेकिन बिराजिये पहले।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : जांच नहीं कराएंगे क्या मंत्रीजी ऐसे कार्यक्रमों की- (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही है, आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप बैठिये पहले।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक आर्डर शीट में सजा दी है, दूसरी में माफ कर दी। तहसीलदार करता क्या है आखिर ? जांच का मामला है। आप रेवेन्यू मिनिस्टर से कहियेगा। यह मामला बहुत ही गम्भीर है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुनें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट सवाल। श्री भीमसेनजी चौधरी। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : यह प्रश्न काल है, शून्यकाल नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जहां चरागाह की भूमि है, वहां पर कच्ची बस्ती बनी हुई है, गरीब लोग रह रहे हैं उनको हटाया जा रहा है और एक तरफ जहां जरूरत है वहां तो अतिक्रमण हटाये नहीं जाते।.(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न रखिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : आगे भी प्रश्न आ रहे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मंत्री जी जांच कराने को तैयार नहीं है, यह कैसी व्यवस्था देना चाह रहे हैं आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय भीमसेन जी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरा निवेदन यह है कि जहां आवश्यकता है वहां तो अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं और जहां हमारे यहां दस-दस साल से कच्ची बस्ती बनी हुई है..

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, हम आसन से आग्रह करना चाहेंगे, इसकी जांच तो करा दीजिये इनसे।

श्री अध्यक्ष : एक साथ आप 15 माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात भी नहीं सुनना चाह रहे हैं आप।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जहां स्पष्ट भ्रष्टाचार झलक रहा है, आप जांच कराने को तैयार नहीं है, आप जांच करा दीजिये।

श्री रामनारायण मीणा : आप एक कमेटी बिठा दीजिये। आप माननीय सदस्यों की एक कमेटी बैठा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप पहले विराज जाएं।

श्री रामनारायण मीणा : और वह सारे सदस्य भा. ज. पा. के होंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सब माननीय सदस्य बोलेंगे तो फिर तो काम हो गया।

दुग्ध संकलन केन्द्र

58. **श्री भीमसेन चौधरी(लूणकरणसर)** : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1 अप्रेल, 1995 से अब तक कुल कितने दुग्ध संकलन केन्द्र खोले गये ? क्या उरमूल डेयरी के उपनियमों में बिना सम्बन्धित दुग्ध समिति की सहमति के दुग्ध संकलन केन्द्र खोलने का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो उक्त केन्द्र खोलने के लिए क्या प्रशासक की स्वीकृति ली गयी ?

राज्य मंत्री, दुग्ध विकास (श्री अर्जुनसिंह देवड़ा) : 1 अप्रेल, 1995 से 31 मई, 1996 तक कुल 172 प्रस्तावित दुग्ध समितियां खोली गयीं जिनसे दुग्ध संकलन किया जाता है। नवीन प्रस्तावित समितियां खोलने हेतु पंजीकृत दुग्ध समितियों की सहमति लेने का उरमूल डेयरी के उपनियमों में कोई प्रावधान नहीं है। नवीन प्रस्तावित दुग्ध समिति खोलने के लिए प्रशासक की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जहां स्पष्ट भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वहां मंत्रीजी से आप जांच कराने को तैयार नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है-

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आप जांच कराने को तैयार नहीं है, मंत्रीजी जांच करने को तैयार नहीं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्रीजी जांच क्यों नहीं करना चाहते, इसके पीछे कई प्रकार के संदेह पैदा होंगे, अध्यक्ष महोदय। फिर आप कहेंगे कि मंत्रीजी संदेह के घेरे में क्यों आते हैं। मैंने इतना ही निवेदन किया कि मरे हुए लोगों को सजा क्यों हो गयी। एक नोटशीट के ऊपर सजा कर दी, दूसरी नोटशीट फाड़कर के माफ कर दिया। इसकी जांच कराने को तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन जी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनें आप। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस तरह के भ्रष्टाचार के मामलों की यदि जांच नहीं होती है तो मेरा स्पष्ट आरोप है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को मंत्रीजी का प्रोटेक्शन है, वह जांच नहीं करना चाहते।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, न तो अतिक्रमण रुकते हैं और जहां चरागाह की भूमि पर हमारे कच्ची बस्तियां बनी हुई हैं

(२८)

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

उनको हटाया जा रहा है। जहां जरूरत है वहां तो नहीं हटा रहे हैं और मेरे यहां चरागाह की भूमि पर दस-दस साल से कच्ची बस्तियां बस रही हैं उनको हटाया जा रहा है। उनको बेघरबार किया जा रहा है उनको रोका जाए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, ऐसे भ्रष्ट कारनामे करने वाले अधिकारियों को मंत्रीजी का स्पष्ट प्रोटेक्शन है-

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : XXX

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : XXX

श्री अध्यक्ष : अब अंकित नहीं हो रहा है । अब अंकित नहीं होगा ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : XXX

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बोलते रहें, आपका अंकित ही नहीं हो रहा है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : अब अंकित नहीं होगा, बिराजें आप । रामस्वरूपजी, सदन के सभी माननीय सदस्यों का जिम्मा आपके जिम्मे नहीं है ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री अध्यक्ष : आप कौन से नियमों के तहत बोलना चाहते हैं रामस्वरूपजी, एक घंटे तक ।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय दीपेन्द्र सिंह जी को मैंने, इन्होंने अपनी बात रख दी है ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन जी ।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश जी ।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि उरमूल डेयरी में आम सभा द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया हुआ था कि कोई भी दुग्ध संकलन केन्द्र नहीं खोला जाए और सहकारी समितियों के माध्यम से ही दुग्ध संकलन का कार्य किया जाए, क्या इसकी अवहेलना की जा रही है ?

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रस्तावित समितियों का सवाल है वह कहीं पर भी खोली जा सकती है लेकिन उनको रजिस्टर्ड करने के लिए जब तक वह सोसायटी उनको एन. ओ. सी. नहीं देती उसके पूर्व उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। बीकानेर में दूर-दराज में काफी लम्बे क्षेत्र में बसे हुए गांव हैं और वहां पर नहरी क्षेत्र में चक बहुत दूर-दूर जगह हैं और कई जगह ऐसी हैं, अध्यक्ष महोदय, जहां पर एक ही सोसायटी में छह सोसयटीज चल रही हैं और वह छहों ही एक-एक करके आम सभा द्वारा अलग-अलग रजिस्टर्ड की गयीं और उनमें एक-एक सोसायटी में लगभग

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री अर्जुनसिंह देवड़ा)

पांच-पांच हजार लीटर दूध आ रहा है । अध्यक्ष महोदय जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि 172 ऐसी सोसायटीज चल रही हैं और जिनमें 131 सोसायटीज तो बिलकुल ही नयी हैं, सिर्फ 41 सोसायटीज ऐसी हैं जो किसी सोसायटी के कार्य क्षेत्र में आती हैं । वहां पर प्रस्तावित समिति तो खोली जा सकती हैं लेकिन उन समितियों का तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता जब तक वहां की सोसायटी उनको परमीशन न दें और वह परमीशन सभी मेम्बरों की स्वीकृति से ही होती हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : बहुत बढ़िया ।

श्री भीमसेन चौधरी : क्या यह सही है कि हमारा एम. डी. है वह जानबूझ करके सहकारी संगठन को कमजोर करना चाहता है और वह एन. डी. डी. बी. के इन्टरेस्ट को वाच करते हैं और यहां पर हमारे संघ का जो इन्टरेस्ट है उसको वाच नहीं करते हैं इसलिए हमारा संघ जो बीकानेर का संघ था, वह हमेशा नफे में चल रहा था, आज वह घाटे में चल रहा है।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने बताया कि जांगलू-ए करके एक सोसायटी थी जिसमें जांगलू-ए, जांगलू-बी, जांगलू-सी, खेजरोली, सियार्नोकाबास और देलियावास, इस प्रकार से छह सोसायटीज हैं, इसी प्रकार से भामलू में चार सोसायटीज आपके रजिस्टर्ड हुई हैं और जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बीकानेर डेयरी में कितना दूध आ रहा है, अध्यक्ष महोदय, यह जो 172 सोसायटीज हैं, इनमें लगभग 40 हजार लीटर दूध प्रति दिन आ रहा है और लगभग ढाई लाख का भुगतान किया जा रहा है तथा बीकानेर डेयरी से कितना दूध आ रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि –

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : इनको भी कहो कि ऐसी तैयारी करके आयें जवाब के लिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें ।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, अभी बीकानेर डेयरी में जो दूध आ रहा है, अभी एक लाख बाइस हजार लीटर दूध आ रहा है जबकि पिछले साल यह दूध सिर्फ 86 हजार लीटर ही था, तो काफी दूध बढ़ा है और अब जगह-जगह दूध बढ़ रहा है और प्रयत्न यह किया जा रहा है कि हर जो दूध देने वाला काश्तकार है उसके नजदीक में ऐसे प्रस्तावित सेन्टर खोले जाए ताकि वह आसानी से वहां जाकर दूध दे सके। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने भी, आपके पास भी जनता आती है और आपके क्षेत्र के लोग भी आये और उन्होंने भी मांग की कि हमारे क्षेत्र में दूध का जो कलेक्शन होता है, काफी दूर-दराज इलाके में होता है तो हमारे यहां पर सेन्टर खोले जाएं। आपके कहने से दो सेन्टर, जो प्रस्तावित समितियां थी, वह भी खोली गयी। तो आपके पास में भी आते हैं, हम भी यह चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो दूध देते हैं वह इन संघों से जुड़ें। इसी कारण से यह प्रस्तावित समितियां खोली जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनारामजी।

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि एम. डी. ने सेन्टर खोलकर अपने पिछलग्गू पैदा किये हैं और सहकारी संगठन वहां पर हैं उसको कमजोर करने का प्रयास किया है उसके पीछे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। किशनारामजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : असत्य है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह क्या पूछ रहे हैं आप ?

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, श्री डूंगरगढ़ में लाखों रुपये की लागत से डेयरी बनी हुई है और काफी वर्षों से कार्यरत है। उसकी सारी व्यवस्था पहले चूरू जिले के अधीन चलती थी और अब यह व्यवस्था पूरी की पूरी बीकानेर कर रहा है तो इसका क्या कारण है ? और कितने दिन से यह व्यवस्था बीकानेर के तहत है और कब तक यह चूरू के तहत चल रही थी जिसका हैड आफिस सरदारशहर है ?

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने जो बात बतायी है चूरू डीलिंग सेन्टर के बारे में, पहले चूरू में सिर्फ 500 लीटर दूध ही आ रहा था और जब से उरमूल ने वहां जाकर काम सम्भाला है अभी 17 हजार लीटर दूध वहां पर आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, कहां 500 लीटर और कहां 17 हजार लीटर। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिये ही यह काम किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि हमारे संघ के अन्तर्गत हम जब से यह एम.डी. आये हैं इन्होंने एन. डी. डी. बी. का इन्टरेस्ट वाच करके, बीकानेर के काश्तकारों का शोषण करके उनको कम कीमत देकर के और एन.डी.डी. बी. की मदर डेयरी को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं।...

श्री अध्यक्ष : श्री धारीवाल साहब। अब तो हो गया न आपका। श्री धारीवाल साहब।

श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डौली) : ये मेरे में आ जाएगा जवाब आपका। मंत्री महोदय कोटा डिवीजन में 186 करीब सहकारी समितियां हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह अलग क्षेत्र में है।

श्री अध्यक्ष : ये बीकानेर और उधर का है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कहां का प्रश्न है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अलग क्षेत्र का प्रश्न है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : अलग से प्रश्न है। जरा प्रश्न को पढ़िये, पढ़कर आया कीजिये श्रीमान्। यह स्पेसिफिक नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बोलिये।

श्री शांति कुमार धारीवाल : क्या बोलिये। आपके हुक्म से बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया आपस में नोक-झोंक नहीं करें। श्री धारीवाल साहब आप अपना प्रश्न बोलें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : साहब आप उनको रोका कीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप मित्रता निभा रहे हैं एक दूसरे की, आप फरमायें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मंत्री महोदय, 186 के करीब वहां पर सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हैं और आज वहां पर कुल मिलाकर 50 या 60 सहकारी समितियां ही दूध बेचने का काम कर रही है, बाकी बंद पड़ी हैं और यह बंद क्यों हुई ? वक्त पर उनका पेमेन्ट नहीं किया गया डेयरी के द्वारा। मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूँ ताकि आप इसकी जांच

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

करायें। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। वक्त पर उनका पेमेन्ट नहीं किया गया, वक्त पर उनसे दूध कलेक्ट नहीं किया गया और धीरे-धीरे आर्थिक नुकसान की वजह से बंद हो गयीं। उनको चालू करवाने के डेयरी के द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये। मेरा निवेदन है कि हालत यह है कि मैं पूरे कोटा डिवीजन की बात कर रहा हूं। बारां, झालावाड़, बूंदी, कोटा आदि में 140 रुपये प्रतिकिलो फैट के दाम प्रशासन ने तय कर रखा है मिलता है 140 रुपये में कई सहकारी समितियां आज भी देने को तैयार हैं लेकिन कोटा की आपकी डेयरी मध्यप्रदेश से जाकर के 5 हजार लीटर प्रतिदिन दूध इकट्ठा कर रही है। राजस्थान को छोड़कर के राजस्थान वाले बेचने को तैयार हैं, हमारे दूध उत्पादक तैयार हुए हैं लेकिन उनसे नहीं लिया जाता और उनकी सोसायटी जानबूझकर बंद करवा दी गयी और मध्य प्रदेश से 5 हजार लीटर उठाया जा रहा है और वो भी कैसे उठाया जा रहा है 20 रुपये प्रति किलो उनके हैड लोड के हिसाब से उनको ज्यादा पैसा दिया जा रहा है ताकि इसमें खूब गबन-घोटाले हो जाएं। एक तो मेरा निवेदन यह है –

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। एक प्रश्न ही, एक ही सप्लीमेंट्री। आप विराजें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : नहीं, इसको दिखवायें। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो आपने एक जून से घी के दाम बढ़ाये थे, 1500 रुपये कर दिये 1350 रुपये से–

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष जी, धारीवाल जी ये 20 रुपये प्रति किलो क्या कह रहे हैं ?

श्री शांति कुमार धारीवाल : 20 रुपये प्रति फैट से यह आपके समझ के बाहर की बात है। अलग से पूछ लिया करो ऐसी बातें। सबके सामने पूछोगे तो ख्वाहमख्वाह नीचा देखना पड़ेगा। 1350 रुपये प्रतिटिन 31 मई तक आपका घी का दाम था, 1जून को आपने 1500 रुपये प्रति टिन जिसमें 15 किलो घी आता है। अकाउण्ट्स आफिसर ने 29 तारीख को फाइल पर टिप्पणी कर दी कि साहब मुझे जानकारी मिली है कि जो 40 टन घी यहां पर मौजूद है उसको न बेचा जाए क्योंकि एक तारीख से डेयरी दाम बढ़ा रही है लेकिन एम. डी. ने 29 और 30 तारीख में ही कुल मिलाकर दो पार्टियों को 40 टन घी 1350 रुपये में बेच दिया और साढ़े चार लाख रुपये का घोटाला किया है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ मंत्री महोदय–

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं प्रशासन सुधारने की बात कर रहा हूं। मैं कोई सिनेमा के गाने तो गा नहीं रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वो हो गयी आपकी बात। अब दूसरे प्रश्न भी हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं वही सजेशन दे रहा हूं क्या मंत्री महोदय एम. डी. के कार्यकलापों की जांच करवाएगे ? ये श्रीमान् पहले बीकानेर में थे वहां सस्पेंड हुए, अजमेर में इनके खिलाफ इन्क्वायरी चली, साढ़े पांच साल पहले ये कोटा रह चुके और अब फिर डेढ़ साल से वहां पर आपने उनको लगा दिया। सुधारिये कोटा डेयरी को आप।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। मंत्री जी।

श्री भीमसेन चौधरी : मेरा एक प्रश्न और— है–

श्री अध्यक्ष : अब नहीं। आपके तीन हो गये। अब बिराजिये आप।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला संघ के द्वारा आम सभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि कोई भी दूध संकलन नहीं खोला जाए और सारा दूध सहकारी समितियों के माध्यम से संकलित किया जाएं।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं आप बिराजिये। आप बोल चुके हैं। आप बाद में मंत्री जी को दे देना।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा वो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं था और जहां तक दूध के मामले में बताया आज कोटा में भी दूध बढ़ा है। पहले 5 हजार लीटर आ रहा था, अब 10 हजार लीटर आ रहा है। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मध्यप्रदेश से दूध आता है, मैं तो सोचता हूं कि शायद ऐसा नहीं हो सकता लेकिन यदि माननीय सदस्य सही कह रहे हैं तो मुझे जांच कराने में, अध्यक्ष महोदय, सही चीज की जांच कराने में कहां एतराज है। इसलिये कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मंत्री महोदय, घी वाली भी जांच करवा लें और मध्यप्रदेश वाली भी जांच करवा लें।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : हां, मैं घी वाली भी जांच करवा लूंगा।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपकी जानकारी में नहीं हैं तो मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये आप। माननीय श्री ओमप्रकाश जी।

जिला बूंदी के विद्यालयों में निर्माण कार्य

59.**श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में कुछ हायर सैकण्डरी एवं सैकण्डरी स्कूल ऐसे हैं जहां पर मार्च, 1991 से 15 जून, 1996 के मध्य कुछ कमरे, हाल या लेबोरेट्री आदि बनाये गये हैं ? यदि हां, तो कहां और किसके द्वारा बनाये गये ? सूची, नाम एवं स्थान का विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ भवन बनाते समय सामग्री सही नहीं लग पाने के कारण गिर गये ? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से स्कूलों के भवन हैं और उन भवनों की मरम्मत का कार्य कब तक पूरा कर लिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या घटिया सामग्री के कारण जो भवन बने हैं उनकी जांच हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन दोषी पाये गये ?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) :

(1) बूंदी जिले में मार्च, 1991 से 15 जून, 1996 के मध्य निर्मित अतिरिक्त कमरों, हाल तथा लेबोरेट्री की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी हां, राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, बून्दी के निर्माणाधीन 2 कमरे दिनांक 19.12.93 को गिर गये थे। सम्बन्धित ठेकेदार श्री शकूर मोहम्मद के विरुद्ध पुलिस केस दर्ज कराया गया तथा उसे नोटिस दिया गया जिसके जवाब में उसने कुछ तकनीकी किस्म की शर्तों के साथ पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सहमति दिनांक 24.11.95 को दी। लेकिन वह पुनः कार्य प्रारम्भ करता उससे पूर्व ही उसका देहान्त हो गया।

अब कार्य के पुनर्निमाण हेतु श्री शकूर मोहम्मद के वारितान से संपर्क किया जा रहा है।

(3) कमरों के गिरने पर जिला कलक्टर, बून्दी के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से जांच करवायी गयी जिसके आधार पर मुख्य रूप से ठेकेदार तथा निर्माण कार्य के तकनीकी सलाहकार (कनिष्ठ अभियंता) नगर पालिका, बून्दी को घटिया काम करने वाले, कराने का दोषी पाया गया। इन दोनों के विरुद्ध पहले ही प्रधानाचार्य द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज करवाई जा चुकी थी, उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था तथा वर्तमान में पुलिस तफतीश जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें ।)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह सही है कि 19.12.1993 को जो कमरे गिर गये थे उनकी जांच की गयी। हायर सैकण्डरी स्कूल की एक कमेटी जो विभाग के निर्देशानुसार गठित की गयी थी, उसी के अन्तर्गत यह कार्य चल रहा था और उसकी देखभाल भी वो कमेटी कर रही थी, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

दूसरा, 19.12.93 से अब तक दोनों कमरों का निर्माण कार्य गिरने के बाद प्रारम्भ नहीं हुआ। इसी मध्य ठेकेदार जी का देहावसान हो गया। 1994 में भी अगर जांच हो जाती और ठेकेदार जी की मौत के पहले ही ये कमरे बन जाते फिर यह लापरवाही किसने की ? उनके विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की? क्या इमारतों के ढहने के बाद जांच चलती रहे और इमारतें पूरी नहीं हो ? अधूरी इस प्रकार की इमारतें जो ढह जाती हैं उनको पूरा करने के लिये सरकार क्या करने जा रही है? एक अन्तिम प्रश्न है क्या यह भी सही है कि जो छात्र-छात्राएं स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनके लिए आपने विभाग ने कोई ऐसी नीति बनायी है कि उनको बिना छत के बैठने दिया जाए ? इनका जवाब देने का कष्ट करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, 1991 से लेकर 1996 तक 32 काम 22 लाख रुपये के विभाग ने स्वीकृत किये। ये एक मात्र ऐसा काम था बूंदी का, दो कमरों का जिसमें इस प्रकार का हादसा हुआ। हादसा होते ही 19.12 के दिन यह घटना हुई। 19.12 को ही एफ. आई. आर. लिखाई। 20 तारीख को जो सम्बन्धित व्यक्ति थे और जेईएन. दोनों गिरफ्तार हुए। 22 को उनकी जमानत हुई। मैं सोचता हूँ कि इससे ज्यादा विभाग अधिक सतर्कता क्या रख सकता था और उसके साथ ही कलक्टर के द्वारा 21.4.94 को ही जांच दी गयी और उस जांच में उन्होंने दोनों ही व्यक्तियों को घटिया सामग्री देने का दोषी पाया गया। मैं सोचता हूँ कि अगर आप चाहे तो मैं एक-एक तारीख वाइज बता सकता हूँ कि विभाग ने कहीं भी, किसी भी प्रकार की कोई डिले नहीं की, एक दिन का भी और निरन्तर इसकी मानीटरिंग की। विभाग के उप निदेशक ने भी जांच की और उस जांच के आधार पर भी जो तथ्य हमारे सामने आये उनके आधार पर हमने कार्यवाही की। हमने दो लाख के अगेंस्ट में केवल 78 हजार का उसे पेमेंट किया था बाकी कोई पेमेंट हमारे यहां से नहीं हुआ। पेमेंट हमारे यहां भी रुका

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हुआ है और जब उसने यह सहमति दे दी कि मैं वापस इस काम को करने के लिए तैयार हूं तो इस सहमति के मिलने के समय बीच में चार-पांच महीने का, क्योंकि उसने कुछ शर्तें लगा दी कि ये-ये शर्तें दे, वह निदेशक से स्वीकृत होकर आने में तीन-चार महीने का समय लगा, उस अवधि में यह जरूर डिले हुआ बाकी मैं सोचता हूँ कि विभाग ने बिलकुल इस काम को लिया और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि अगले छह महीने में हम किसी भी प्रकार से कहीं से भी धन उपलब्ध करा के ये दोनों कमरे जो अधूरे रह गये हैं उनको हम पूरा करा देंगे। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। यह कोई जरूरी नहीं है कि आप हर मामले में गाइड ही करें, बिराजें आप।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह फरमा रहे हैं कि ढाई वर्ष की देरी कोई देरी नहीं है और ढाई वर्ष तक इनका विभाग कदम चाल चलता रहा। विद्यार्थी बिना छत के बाहर बैठते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको कह दिया न कि छह महीने में पूरा हो जाएगा। छह महीने में पूरा करने के लिये कह रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : ढाई वर्ष तक क्या किया ? जिलाधीश कार्यालय के पास हायर सैकण्डरी स्कूल है। लोग वहां आकर हमसे कहते हैं कि तुम्हारी लाडली बिल्डिंग पड़ी हुई है, अधूरी बिल्डिंग है। वो अधिकारी क्या करते हैं ? क्यों नहीं किया उन्होंने और उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्री अरूण सिंह जी। बिराजें आप, बात पूरी हो गयी। अब बिराजें आप।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी बतायें कि उनके विरुद्ध कार्यवाही कब करेंगे ? ताकि आगे इस प्रकार की कार्यवाही लंबित नहीं हो।

डीग (भरतपुर) का मिड-वे

60. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा कस्बा डीग में एक मिड-वे बनवाया गया है? यदि हां, तो इसका उद्घाटन कब तक कराकर इसे चालू करा दिया जाएगा ?

(2) इस मिड-वे को बनवाने में सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गयी है तथा इसको आगे सुव्यवस्थित चलाने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती नरेन्द्र कंवर):

(1) जी, हां। यह सही है कि कस्बा डीग में एक मार्गस्थ सुविधा का निर्माण कराया गया है, जो कि वर्तमान में चालू है।

(2) मार्गस्थ सुविधा के निर्माण पर कुल राशि रुपये 28.33 लाख व्यय किये गये हैं। इसके सुव्यवस्थित संचालन हेतु आवश्यक स्टाफ व सामान की व्यवस्था की जा चुकी है।

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो जवाब दिया सरे आम असत्य है। न ये मिड-वे चालू है, न ही इस मिड-वे का उद्घाटन हुआ और न ही स्टाफ है। एक फोर्थ क्लास चौकीदार जरूर है वहां। मैं माननीय मंत्री महोदया से यह प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि डीग और भरतपुर वर्ल्ड टूरिस्ट मेप में है। स्वर्गीया सुश्री पुष्पा जैन और सैक्रेटरी पर्यटन

(श्री अरूण सिंह)

श्री जे. पी. सिंह ने मेरे अनुरोध पर ये मिड-वे चालू किया था पर आज तक इस मिड-वे का न कोई उद्‌घाटन हुआ, न चाटन हुआ और न पाटन हुआ। जब से मंत्री महोदय राजस्थान टूरिज्म की मंत्री बनी हैं, Rajasthan Tourism Development Corporation has become Rajput. Tourism development Corporation. Bharatpur was the only Jat State. तो हमारे साथ एक सौतेला अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। आप तो खास बात तो यह पूछना चाह रहे हैं कि उद्‌घाटन कब होना है, यही बात है।

श्री अरूण सिंह : बस, और मैं निमन्त्रण दे रहा हूं माननीय मंत्री जी को कि वह शीघ्र ही यहां आये और उद्‌घाटन कर लें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, यह तो राजा-रानियों का आपसी मामला है इसमें किसी दूसरे को अलाउ नहीं करें।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : अध्यक्ष महोदय, यह मार्च, 1995 में चालू कर दिया। अब वो चाटन और पाटन की मुझे समझ में नहीं आती। भैरोंसिंह जी की सरकार में हम लोग, बीजे. पी. की सरकार में हैं, चाटन और पाटन पर कम ध्यान देते हैं, अपने कार्यों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और विकास के कार्यों पर ज्यादा देते हैं। अगर आपका कहना यह है वहां स्टाफ नहीं है, आप रेकार्ड आकर देख लीजिए । एक साल का विवरण है कि इसमें इक्कीस हजार रुपये की तो आय हुई है और खर्चा एक लाख चालीस हजार का हुआ है वहां चार का स्टाफ है और यह पहला साल होने के कारण क्योंकि कोई चीज नयी व्यवस्थित करते हैं तो उसमें पहले तीन साल में घाटे में जाता है उसके बाद में वह प्रोफिट में आता है और ये जो सड़क पर आते जाते लोग हैं उनकी सुविधा के लिये किया है, क्योंकि अपने यहां आबादी बढ़ गयी है और आबादी बढ़ गयी है तो जब रास्ते में किसी को वाश-अप करना होता है तो जगह चाहिये, उसके लिये यह सुविधा उपलब्ध करायी गयी है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अविवाहित विधायक बिलकुल इसके सामने डाक बंगले में रहते है और पीड़ा यह है कि उनको वहाँ कुछ मिलता नहीं है । क्या मंत्री महोदय यह भी व्यवस्था कराएगी कि टाइम टू टाइम अविवाहित विधायक को वहाँ खाना मिल सके ?

श्री अध्यक्ष : बाबूलाल जी ।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : वह तो मैं मेरे घर से भेज सकती हूँ, वहाँ से नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल जी ।

विधान सभा क्षेत्र डग के ग्रामों का विद्युतीकरण

61. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में कुल कितने ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) विद्युतीकृत ग्रामों में कितने-कितने कनेक्शन जारी किये गये हैं ? ग्रामवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) इन ग्रामों में कृषि कनेक्शन हेतु कितने आवेदन-पत्र कब से लंबित हैं ? लंबित

(श्री बाबूलाल वर्मा)

आवेदन-पत्रों की ग्रामवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

ऊर्जा मंत्री (श्री रघुवीर सिंह कौशल) :

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में कुल 206 ग्राम विद्युतीकृत किये गये हैं । सूची परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) विद्युतीकृत ग्रामों में विभिन्न श्रेणियों में जारी किये गये कनेक्शनों की संख्या सूची परिशिष्ट 'अ' में दर्शायी गयी है ।

(3) विद्युतीकृत ग्रामों में ग्रामवार लंबित कृषि आवेदन-पत्र की संख्या सूची भी परिशिष्ट 'अ' में दर्शायी गयी है । यह आवेदन पत्र कुछ वर्ष 1984 व शेष उसके बाद के वर्षों के लंबित हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युतीकृत ग्राम की एक तो मैं परिभाषा पूछना चाहूंगा कि विद्युतीकृत गांव किसे कहते हैं ? क्या फेस प्रोग्राम में उस गांव का नाम आने से ही वह गांव विद्युतीकृत हो जाता है या इसके भी कोई नियम हैं कि उसमें तार खींच करके ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा और उसके साथ कुछ कनेक्शन, कृषि कनेक्शन जारी किये जाएगे ? पहला सवाल तो मेरा एक यह है कि विद्युतीकृत गांव की पूरी परिभाषा माननीय मंत्री महोदय बतायें । दूसरा, क्या मण्डल द्वारा विद्युत कनेक्शन जारी करने में ऐसी कोई तिथि निर्धारित की गयी है कि इस दिनांक तक के प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कृषि कनेक्शन्स जारी कर दिए जाएं, सामान्य वर्ग के और अनुसूचित वर्ग के ? तीसरा सवाल, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या डग विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कोई गांव हैं कि जिनको विद्युतीकृत तो घोषित किया गया और उसमें कृषि आवेदन-पत्र भी प्राप्त हुए लेकिन उसमें नियमानुसार जितने कनेक्शन जारी किये जाने थे वो कनेक्शन जारी नहीं किये गये ? ये मेरे तीन सवाल हैं ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, विद्युतीकृत गांव की परिभाषा यही है कि वहां ट्रांसफार्मर लगाये जाएं और दो कनेक्शन दे दिये जाएं । कई बार यदि कोई प्रार्थना-पत्र नहीं होते हैं, तो ट्रांसफार्मर लगाने में विलंब हो जाता है, क्योंकि तार चोरी चले जाते हैं । लेकिन यदि कोई ऐसे गांव हैं जहां जिनको विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया, ट्रांसफार्मर नहीं लगे हैं ऐसे तो कोई गांव बचा नहीं है, यदि है, तो माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। डग की बात हो रही है, डग की । (व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डग की...

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह फर्जीवाड़ा है ।

श्री बाबूलाल वर्मा : यह सरासर गलत है (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : यह डग की बात हो रही है ।...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में विद्युतीकृत गांव होने के साथ में एक भी कनेक्शन नहीं देते हैं ।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं ।

एक माननीय सदस्य : नया गांव केशोराय-पाटन पंचायत समिति में 7-8 वर्ष से विद्युतीकृत है वहां एक भी कनेक्शन नहीं दिया ।

श्री रामस्वरूप मीणा : विद्युत मंत्रीजी पहले यह बतायें कि इनकी विद्युत की नीति क्या है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । यह जनरल प्रश्न नहीं हो रहा है । परसादीलालजी बिराजें। रामस्वरूपजी आप बिराजें, मंत्री जी बोल रहे हैं ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : विद्युत मंत्री बोल रहे हैं । ...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अजमेर शहर से मात्र 4 किलोमीटर...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : एक भी कनेक्शन नहीं दिया ।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारे विधान सभा क्षेत्र में आज तक एक भी कनेक्शन नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : कब तक की बात हुई है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सारा राजस्थान अंधकार में डूबा हुआ है । (व्यवधान) मेरे विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में ...(व्यवधान) राजस्थान अंधेरे में डूबा हुआ है । अध्यक्ष महोदय, कभी भी लाइट जा सकती है । कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । तार टूट हुए पड़े हैं । पूरा प्रदेश अंधेरे में डूबा हुआ है । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : एक भी कनेक्शन नहीं देते हैं । (व्यवधान) राजस्थान में अंधेरा है। ....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : विद्युत की चोरी हो रही है, लोग मर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कहीं भी कोई भी... (व्यवधान)... जन-जीवन सड़कों पर है और किसी भी तरह से कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है । पूरे राजस्थान में अंधकार छाया हुआ है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक भी कनेक्शन नहीं हुआ है । (व्यवधान) मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : तहसील मुख्यालय पर, पंचायत मुख्यालय पर, हैडक्वार्टर पर कहीं भी बिजली की व्यवस्था नहीं है । खम्भे उल्टे पड़े हैं और कोई सुनता ही नहीं है । (व्यवधान) सुधारने के लिये मेंटिनेंस के लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है । यह आपकी तत्परता है, यह आपकी संवेदनशीलता है... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नोट कर लीजिए, मेगावास एक गांव है । ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : कागजों में विद्युतीकृत कर रखा है । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : पूरे राजस्थान में इस समय अंधेरा है इस समय (व्यवधान) सबडिवीजनल हैड-क्वार्टर पर नहीं जा रही है, बड़े-बड़े कस्बों में नहीं जा रही है, पंचायत मुख्यालय पर नहीं जा रही है, पंचायत समितियों में नहीं जा रही है ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी तरफ देखिये ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारे दौसा जिले में बिजली बिलकुल ठप्प पड़ी है । पूरा जिला अंधकार में डूबा हुआ है ।(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : जिनको विद्युतीकृत घोषित कर दिया परन्तु एक भी कनेक्शन नहीं हुआ । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें आप । अंकित नहीं करें ।

श्री बाबूलाल वर्मा : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, डग विधान सभा की बात हो रही है। आपको भी पूरा मौका है, आप अपना प्रश्न उठायें । इस तरह अपने प्रश्न ही नहीं आने देंगे, आप ।

श्री रामनारायण मीणा : XXX

श्री बाबूलाल वर्मा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । रामनारायण जी, आप बिराजिये ।

श्री रामनारायण मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। रामनारायणजी आप बिराजिये। आपका प्रश्न आने वाला है। आप नहीं चाहते हैं कि आपका प्रश्न आये तो कोई बात नहीं है। अभी डग विधान सभा क्षेत्र के बारे में बात आ रही है। मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, आप उनकी पूरी बात तो सुनें।

श्री बाबूलाल वर्मा : XXX

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, 10-12-15 सालों से बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जिनको इलैक्ट्रिफाइड घोषित कर दिया गया है लेकिन वहां ट्रांसफार्मर नहीं लगे पुराने। हमने 2 साल से इंस्ट्रक्शंस दिये हैं कि कोई भी गांव ऐसा इलैक्ट्रिफाइड घोषित नहीं किया जाएगा जहां ट्रांसफार्मर नहीं लगाये गये हैं। (व्यवधान) एक सैकण्ड...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । श्री बुरडक साहब, आप बैठिये।

श्री बाबूलाल वर्मा : जवाब आने दीजिए साहब। जवाब तो आने दीजिए।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : एक मिनट, आप सुन तो लीजिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : पहले जवाब दिलवाइए, भाषण नहीं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, श्री रामनारायण जी, यह गलत बात है।

श्री रामनारायण मीणा : भाषण नहीं साहब, जवाब दिलवाइए। यह जवाब नहीं भाषण है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप, बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : आप जवाब दिलवाइये। यह जवाब नहीं भाषण है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। (व्यवधान) हंगामा खड़ा हो जाता है यहां 3-4 जनों ने ठेका ले लिया है क्या खड़े होने का।

श्री रामनारायण मीणा : क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। इनका जवाब आने दीजिए।

श्री रामनारायण मीणा : क्या बात है ? आसन को कभी गुस्से में नहीं होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : आसन गुस्से में नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। गड़बड़ी मत कीजिए आप। बैठ जाइये आप।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाइये।

श्री रामनारायण मीणा : सरकार के मंत्री कहां तक बचेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बात तो कहने दें आप। सात जने एक साथ खड़े हो जाते हैं। आपका यह कोई तरीका नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा : जवाब दिलवाइये आप, भाषण नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के माननीय मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने पक्ष के लोगों को रोकें। (व्यवधान) जवाब देने ही नहीं देते। आप हर मामले में खड़े हो जाते हैं जैसे कोई सिद्ध-पुरुष ये ही हैं सब के सब। (व्यवधान) बिराजिये आप श्री किशनारामजी, मंत्री जी को जवाब देने दें आप।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरानी परम्परा यह रही थी, उसको हमने स्थगित कर दिया। किसी गांव में भी यदि पिछले दो वर्षों में कोई गांव विद्युतीकृत हुआ है और ट्रांसफार्मर नहीं लगा तो मुझे सूचित करें, अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी।

श्री बनवारीलाल बैरवा : पुरानी परम्परा कौनसी हो गयी ?

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात करने दें। फिर वही-की-वही बात हो रही है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : नहीं, इसको डिलीट किया जाए।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे स्पेसेफिक सवाल का जवाब है। पूरा समय खराब हो रहा है साहब इसमें।

श्री अध्यक्ष : बात तो पूरी सुनने दें आप।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब आने दीजिए। मैंने सवाल लगाया है, इस बात पर।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के मार्च, 1994 तक के सारे कनेक्शन राजस्थान भर में रिलीज कर दिये गये हैं और जनरल कनेक्शंस 1983 तक के रिलीज कर दिये गये हैं। पहले प्रायोरिटी पंचायत समिति वाइज होती थी, उसमें गड़बड़ घोटाले होते थे। इसलिये सारे राजस्थान में एक नीति बना दी जो पुराने कनेक्शंस हैं वे पहले दिये जाएं। यदि इस नीति की पालना नहीं हो रही है, तो माननीय सदस्य बतायें। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही निश्चित रूप से की जाएगी।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : सारा पाप धो दिया।

श्री अध्यक्ष : पहले मूल प्रश्नकर्ता की बात पूरी आने दें। फिर आप अपनी बात उठाना, कौन मना कर रहा है आपको।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे झुंझुनूं जिले में (व्यवधान) दिसम्बर तक की सिक्योरिटी के जमा किये हुए पैसे की आज तक कुछ भी नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता की बात आने दें। प्रश्नकर्ता तो आजकल गौण हो जाता है।

श्री श्रवणकुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं जिले में दिसम्बर में पैसा जमा कराया, सिक्योरिटी जमा करा दी और किसानों को कनेक्शन नहीं दिया गया है। माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि मार्च तक के कर दिये।

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्ता की बात आने दें।

श्री बाबूलाल वर्मा : विद्युतीकृत करते समय 2 कनेक्शन जारी किये जाने आवश्यक हैं। सरकार का यह नियम है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है इसमें बताया गया है जारी किये गये कनेक्शन की संख्या एक, लम्बित कनेक्शन की संख्या एक। जब आलरेडी उस गांव में 2 कनेक्शन जारी करने के लिये आवेदन किये गये हैं तो रिकार्ड बतलाता है कि रिकार्ड के अनुसार ही उनको 2 कनेक्शन नहीं जारी किये गये हैं, पहली बात तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ।

दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय ने फरमाया कि ट्रांसफार्मर लगना जरूरी है। ट्रांसफार्मर के लिये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्ष 1994 में जो गांव फेज्ड प्रोग्राम में विद्युतीकृत हुए। मैं लिस्ट बताता हूँ, उस गांव में आज तक ट्रांसफार्मर नहीं चढ़ा है। यदि 1994 के विद्युतीकृत गांव में ट्रांसफार्मर नहीं लगे तो उन गांवों को विद्युतीकृत गांवों की लिस्ट में मंत्री महोदय ने जवाब दिया है।

तीसरी बात निवेदन करना चाहता हूं, टू द पाइंट सवाल पूछ रहा हूँ कि जो गांव विद्युतीकृत किये गये हैं उन गांवों में आज तक खम्भे ऐसे के ऐसे खड़े हैं। उनमें ट्रांसफार्मर की बात तो दूर है लेकिन उनमें तार भी नहीं खींचे गये हैं। ये तीन सवाल मेरे माननीय मंत्री महोदय से हैं।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, आप जवाब आने दें।

श्री बाबूलाल वर्मा : मेरा टू द पाइण्ट प्रश्न है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : डग के बारे में एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब आने दें। मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आ जाए। कृपया बिराज जाएं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मेरा डग का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दें। आप फरमाएं ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, पुराने गांव, पुराने समय में जिनको विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया और तार नहीं खींचे, ऐसे हजारों की संख्या में पुराने गांव हैं। वह आर. ई. सी. की स्कीम जहां समाप्त हो गयी, वे विद्युतीकृत नहीं हो सके। हमने यह निर्देश दे दिया है कि जहां ट्रांसफार्मर लगेगा केवल उसी को हम विद्युतीकृत घोषित किया हुआ मानेंगे। यदि नीति के विरुद्ध कोई भी काम हुआ है तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे यदि नीति के विरुद्ध बतायें तो मैं अधिकारियों के खिलाफ निश्चित रूप से एक्शन लूंगा।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कागज पर जवाब है।

श्री अध्यक्ष : हां, अब आप बोलें। (व्यवधान) क्या कह रहे हैं आप ?

श्री परसराम मोरदिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अभी कहा कि राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के

(श्री परसराम मोरदिया)

सारे कनेक्शंस कर दिये गये हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ष के अन्दर आपने 25 हजार कुओं के लिए प्रावधान रखा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये कितना प्रावधान रखा है ?

मेरा जहां तक मानना है और मुझे पता है। 25 हजार कनेक्शनों में से आपने सिर्फ 150 कनेक्शन राजस्थान के अन्दर दे रखें हैं। जबकि 16 और 12 के अन्तर्गत चार हजार कनेक्शन होते हैं। आपने बड़ी वाहवाही कर ली कि साहब, सारे कनेक्शन दे दिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। जवाब नहीं आ पाएगा।

श्री परसराम मोरदिया : 150 कनेक्शन तो दिये। 25 हजार कनेक्शन में से 150 कनेक्शन राजस्थान को दिये हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केवल डग विधान सभा क्षेत्र तक सीमित है। यदि जनरल बात आएगी तो कभी किसी प्रश्न में या आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखकर उस पर डिस्कस कर सकते हैं। यह केवल डग विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री परसराम मोरदिया : मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है कि 150 कनेक्शन दिये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : मेरे साथ अन्याय हो गया, साहब।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं बोलने देना चाह रहे थे।

श्री रामनारायण मीणा : मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं आसन से विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे साथ न्याय किया जाए और एक प्रश्न लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : फिलहाल तो नहीं।

श्री रामनारायण मीणा : ऊर्जा मंत्री चाहते नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट -2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य कर्मचारियों को देय भवन निर्माण अग्रिम

73. श्री रमाकान्त (थानागजी) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य कर्मचारियों को देय भवन निर्माण अग्रिम के नियम क्या है ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) अस्थायी कर्मचारी कितनी सेवा अवधि के पश्चात् भवन निर्माण अग्रिम के लिए आवेदन कर सकते हैं ?

(3) क्या स्थायी कर्मचारियों के लिए भी कोई सेवा अवधि निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) नियमों की प्रति अनुसूची "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(मुख्य (वित्त) मंत्री)

(2) नियमानुसार नियमित नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष की कम से कम सेवा पूर्ण करने पर अस्थायी कर्मचारी भवन निर्माण अग्रिम/ऋण हेतु आवेदन करने के पात्र है।

(3) स्थायी कर्मचारी के लिए कोई न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित नहीं है परन्तु अधिवार्षिकी आयु से कम से कम 5 वर्ष पूर्व तक ही अग्रिम स्वीकृत करने का नियमों में प्रावधान है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को राज्य सेवा

74. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :– क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को नियुक्ति दी जाती है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ? नियम/आदेश/नोटिफिकेशन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले व शहर में सेवा में रहते हुए मृत्यु होने के पश्चात् आश्रितों को नियुक्ति देने के कितने प्रार्थना-पत्र कितने समय से विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान सेवाकाल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1975 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट-क)

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट-ख)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

वित्तीय वर्ष 1995-96 के बजट से व्यय

75. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्त वर्ष 1995-96 में प्रस्तावित बजट का कितना प्रतिशत वास्तव में व्यय हो चुका है ? विवरण मदवार सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कौन-कौन से विभाग हैं जो कि प्रस्तावित राशि का 50 प्रतिशत भी व्यय 31 मार्च, 1996 तक नहीं कर पाये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत वर्ष में विभागवार कितनी-कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान रखा गया था और 31 मार्च, 1996 तक कितनी-कितनी राशि का व्यय किया जा चुका है ? सूची विभागवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1995-96 के वास्तविक व्यय के लेखे महालेखाकार, राजस्थान से तैयार होकर अभी तक शासन को प्राप्त नहीं हुए हैं। सामान्य व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय वर्ष 1995-96 के लेखे जब भी तैयार होकर महालेखाकार, राजस्थान से राज्य सरकार को प्राप्त होंगे, व्यय का ब्यौरा विभागवार न होकर मदवार ही होगा।

(2) संशोधित अनुमान 1995-96 के

(मुख्य (वित्त) मंत्री)

अनुसार राज्य सरकार का एक भी ऐसा विभाग नहीं है जिसने अनुमानित व्यय के 50% से भी कम खर्च किया हो।

(3) राज्य सरकार के आय-व्ययक अनुमान एवं लेखे मदवार ही बनाये एवं संधारित किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 1995-96 के संशोधित अनुमानों में मदवार अनुमानित व्यय का ब्यौरा आय-व्ययक अनुमान 1996-97 के साथ सदन के पटल पर रखा जा चुका है। चूंकि वित्तीय वर्ष 1995-96 के वास्तविक व्यय के लेखे अभी तक महालेखाकार, राजस्थान द्वारा संधारित नहीं किये गये हैं, अतः मदवार वास्तविक व्यय का ब्यौरा देना अभी संभव नहीं है।

देशी एवं भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानों के संबंध में नियमों में शिथिलता

76. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आबकारी नियमों के नियम 75 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके वर्ष 1993 से मई, 1996 तक की अवधि में आबकारी आयुक्त द्वारा देशी मदिरा और भारत निर्मित विदेशी मदिरा की कतिपय दुकानों की अवस्थिति के सम्बन्ध में नियमों में शिथिलता दी गयी है ? यदि हां, तो शिथिलता देने के कारण सहित इस प्रकार की दुकानों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा शिथिलता देने के कारणों बाबत वास्तविकता की जांच करवाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक जांच करवाली जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उचित कारण होने पर आबकारी आयुक्त ने देशी व भारत निर्मित विदेश मदिरा दुकानों की अवस्थिति में शिथिलता प्रदान की है। इस प्रकार की दुकानों की सूची मय कारण संलग्न है।

(2) जी, हां। आबकारी आयुक्त द्वारा जांच के पश्चात ही शिथिलता प्रदान की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्न संख्या77 (स्थगित)

जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठकें

78. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट): क्या मुख्य (जन अभियोग निराकरण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या दौसा जिले में वर्ष 1995-96 में जिला जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठक निर्धारित हर माह की 29 तारीख को की जाती रही है ? यदि हां, तो उक्त वर्ष में जन अभाव अभियोग की कब-कब बैठकें हुई एवम् किस-किस माह में नहीं हुई ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, दौसा द्वारा जन अभाव अभियोग की बैठकें नहीं करने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव एवम् सचिव जन अभाव अभियोग को पत्र लिखे हैं? यदि हां, तो जिला कलक्टर, दौसा द्वारा लिखे गये पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। परन्तु कुछ माह में अपरिहार्य कारणों से बैठकें आयोजित नहीं की जा सकी हैं तथा अन्य तारीखों को भी बैठकें आयोजित की गई हैं।

वर्ष 1995-96 में अभाव अभियोग की बैठकें क्रमशः दिनांक 25.2.95, 29.5.95, 29.7.95, 29.11.95, 19-12-95,15.2.96, 29.2.96 एवं 25.5.96 को आयोजित की गयी।

माह जनवरी, 1995 में पंचायत चुनावों के कारण, मार्च, 1995 एवं अप्रेल, 1995 में विधानसभा सत्र होने के कारण, जून, 1995 में चुनाव सम्बन्धी बैठक होने के कारण, अगस्त, 1995 में नगरपालिका चुनावों के कारण, सितम्बर, 1995 में महाविद्यालयों में छात्रसंघ के चुनाव के कारण, अक्टूबर, 1995 में विधान सभा सत्र होने के कारण, जनवरी, 1996 में नये कलेक्ट्रेट भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम तय होने के कारण, मार्च, 1996 एवं अप्रेल, 1996 में लोक सभा चुनाव के कारण बैठकों का आयोजन नहीं किया जा सका।

(2) जी, हां। जिला कलक्टर, दौसा के पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट "क")

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा में रखा गया)

राज्य अन्वेषण ब्यूरो में विचाराधीन प्रकरण

79. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या मुख्य (अन्वेषण ब्यूरो) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य अन्वेषण ब्यूरो के अन्तर्गत महानिदेशक, महानिरीक्षक, अधीक्षक आदि के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या उन पदों के समकक्ष कोई रिक्तियां हैं ? यदि हां, तो किन-किन पदों पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1991 के प्रारम्भ में ब्यूरो के पास कितने परिवाद विचाराधीन थे और वर्ष 1995 तक नये परिवाद कितने प्राप्त हुए ? उनमें से कितने परिवाद का निस्तारण किया जा चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1991 से 1995 तक ब्यूरो द्वारा कितनी प्राथमिक जांच की गयी और उसमें से राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध पंजीबद्ध कितनी जांच थी ? विभागवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 1991 से 1995 तक कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गये ? उनमें से राजपत्रित अधिकारी और अराजपत्रित कर्मचारी कितने थे ? विभागवार सूची मय नाम के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो में स्वीकृत एवं वर्तमान में रिक्त पदों की सूचना निम्न प्रकार है :—

पद	स्वीकृत पदों की सं.	व. में रिक्त पदों की सं.
1. महानिदेशक	1	-
2. उप महानिरीक्षक पुलिस	2	-
3. पुलिस अधीक्षक	4	2
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	13	2
5. उप पुलिस अधीक्षक	43	14

(मुख्य (अन्वेषण ब्यूरो) मंत्री)

6. उप निदेशक अभियोजन	1	-
7. पुलिस निरीक्षक	40	10
8. उप निरीक्षक पुलिस	13	5
9. स. उप निरीक्षक पुलिस	12	-
10. मुख्य आरक्षक	42	-
11. आरक्षक	338	33
12. कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	-
13. कार्यालय अधीक्षक	1	-
14. कार्यालय सहायक	8	1
15. वरिष्ठ लिपिक	19	-
16. कनिष्ठ लिपिक	58	6
17. वरिष्ठ निजी सहायक	1	-
18. शीघ्र लिपिक (नि.स.)	2	1
19. शीघ्र लिपिक	5	-
20. च.श्रे.क.	17	1
21. लेखाधिकारी	1	1
22. स. लेखाधिकारी	1	-
23. लेखाकार	1	-
24. कनिष्ठ लेखाकार	2	-

(2) वर्ष 1991 के प्रारम्भ में ब्यूरो में 1300 परिवाद विचाराधीन थे। वर्ष 1991 से 1995 तक 1886 परिवाद प्राप्त हुये। इनमें से 31.12.95 तक 3153 परिवादों का निस्तारण किया जा चुका है।

(3) वर्ष 1991 से 1995 तक ब्यूरो द्वारा 479 प्राथमिक जांच पंजीबद्ध की गयी। इन प्राथमिक जांचों में 383 प्राथमिक जांच राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध पंजीबद्ध की गयी। विभागवार सूची परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(4) वर्ष 1991 से 1995 तक 449 अधिकारियों/कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया। इनमें से 123 राजपत्रित अधिकारी व 326 अराजपत्रित अधिकारी थे। विभागवार सूची परिशिष्ट "ब" में अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

सतर्कता समितियों के क्षेत्राधिकार एवं कार्य प्रणाली के संबंध में दिशा निर्देश

80. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला स्तर पर गठित सतर्कता समितियों के क्षेत्राधिकार व कार्यप्रणाली के लिये सरकार द्वारा नीतिगत दिशा निर्देश बनाये गये हैं ? यदि हां, तो सभी निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त निर्देशों की पालना की समीक्षा की जाती है ? यदि हां, तो क्या राजसमंद जिले की सतर्कता समिति सरकार के निर्देशों के अनुरूप कार्य कर रही है ? इसकी सुनिश्चिता के लिये सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि जिला स्तर पर गठित सतर्कता समितियों के क्षेत्राधिकार व कार्यप्रणाली के लिये सरकार द्वारा दिशा निर्देश बनाये गये हैं जिनकी प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट "क")

(2) जी, हां। राजसमंद जिले की जिला अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति सरकार के निर्देशों के अनुरूप कार्य कर रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–3 देखें।)

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में महासंघ से हुआ समझौता

81. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

30

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(1) क्या फरवरी एवं मार्च, 1994 में राज्य कर्मचारियों के महासंघ ने हड़ताल का आव्हान किया था ? यदि हां, तो यह हड़ताल कितने दिन चली एवं क्या हड़ताल अवधि का कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये वेतन दिया गया ?

(2) हड़ताल समाप्ति पर कर्मचारी महासंघ को उनकी किन-किन मांगों के बारे में सरकार ने आश्वासन दिया था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने 13 अक्टूबर, 1993 को कर्मचारी महासंघ के साथ उनकी मांगों के सम्बन्ध में कोई समझौता किया था ? यदि हां, तो उनमें से किन-किन बिन्दुओं पर क्रियान्वित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (1) पारीक गुट की 11 सूत्री मांगों के संबंध में दिनांक 9.2.94 से 18.2.94 तक (10) दिवस कर्मचारियों ने हड़ताल की एवं (2) राठौड़ गुट की 11 सूत्री मांगों के सम्बन्ध में दिनांक 16.3.94 से 2.4.96 तक (18 दिवस) कर्मचारियों ने हड़ताल की।

पारीक गुट के सम्बन्ध में हड़ताल अवधि के लिए कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये वेतन दिया गया है और राठौड़ गुट के संबंध में हड़ताल अवधि के लिये अवैतनिक/असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया है।

(2) ऐसा कोई आवश्वासन नहीं दिया गया था।

(3) अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (राठौड़ गुट) की 11 सूत्री मांगों पर विचार करने हेतु दिनांक 13.10.93 को एक बैठक तत्कालीन विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में हुई जिसमें श्री अरूण कुमार, तत्कालीन विकास आयुक्त एवं वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव व आयुक्त, ग्रह विभाग की अध्यक्षता में उक्त मांगों पर विचार कर अपना प्रतिवेदन देने हेतु एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति का प्रतिवेदन अपेक्षित है।

डीडवाना (नागौर) में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय का सृजन

82. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना जिला नागौर में अतिरिक्त जिला कलक्टर का कार्यालय खोलने का आदेश सरकार ने जारी किया था ? यदि हां, तो कब ? जारी किये गये आदेश की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय अभी तक नहीं खोला गया है ? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक खोल दिया जायेगा ?

(3) इस कार्यालय के लिए कौन-कौन से पद सृजित किये गये हैं तथा इस कार्यालय पर वेतन व अन्य भत्तों पर सालाना कितना-कितना खर्चा होगा ?

उत्तर

(1) अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडवाना का पद सृजित कर आदेश दिनांक 26.6.96 को जारी किया है, प्रति संलग्न है।

(2) अतिरिक्त जिला कलेक्टर का पद तथा इनके कार्यालय हेतु कर्मचारियों के पदों का सृजन किया जा चुका है, वह कार्यालय शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कर देंगे।

(मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री)

(3) इस कार्यालय हेतु निम्न पद सृजित किये गये हैं :—

1. अतिरिक्त जिला कलेक्टर - 1 पद
2. शीघ्र लिपिक - 1 पद
3. कनिष्ठ लिपिक - 2 पद
4. वरिष्ठ लिपिक - 1 पद
5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - 2 पद

उक्त कार्यालय पर वर्ष 1996-97 वेतन एवं भत्तों पर निम्न खर्चा होगाः

आवर्तक व्यय	9.90 लाख
अनावर्तक व्यय	7.00 लाख

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट - 4 देखें

राज्य कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण-पत्र दिये जाने के नियम

83. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या मुख्य (मंत्रीमण्डल सचिवालय) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों को हर वर्ष 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को योग्यता प्रमाण पत्र दिये जाते हैं ? यदि हां, तो इनके चयन के क्या नियम हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1993-94 से वर्ष 1995-96 तक कितने राजपत्रित अधिकारियों को योग्यता प्रमाण-पत्र दिये गये हैं ? सूची मय योग्यताओं के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक पदोन्नति के लिये योग्यता के आधार अयोग्य सुपरसीडेड किसी राजपत्रित अधिकारी को योग्यता प्रमाण-पत्र दिया गया है, यदि हां, तो किसको ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक किसी राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्ट्रक्चर पारित होते हुए भी योग्यता प्रमाण-पत्र राजनीतिक दबाव की वजह से दिया गया ?

(5) क्या सम्बन्धित विभाग के मंत्री से इस बाबत में अनुशंसा प्राप्त की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान सिविल सेवा (इनाम, योग्यता पुरस्कार एवं योग्यता प्रमाण-पत्र दिया जाना) नियम, 1973 के अन्तर्गत योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है। सम्बन्धित नियम-7 के उद्धरण की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट "क")

(2) वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक 41 राजपत्रित अधिकारियों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किये गये हैं। जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट "ख")

(3) राजस्थान सिविल सेवा (इनाम, योग्यता पुरस्कार एवं योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाना) नियम, 1973 के नियम के अन्तर्गत प्रशासनिक विभाग अधिकतम 2 राजपत्रित अधिकारियों को योग्यता प्रमाण पत्र दिये जाने की सिफारिश उनके अन्तिम 3 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों सहित अधिकारी द्वारा किया गया विशिष्ट कार्य के लिए योग्यता प्रमाण पत्र दिलाने हेतु प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भेजता है और उक्त की गयी सिफारिश का निम्नलिखित समिति द्वारा परीक्षण किया जाता है :—

(मुख्य (मंत्रिमण्डल सचिवालय) मंत्री)

राजपत्रित अधिकारियों के लिये :

मुख्य सचिव	संयोजक
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल	सदस्य
आयुक्त एवं शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।	सदस्य
विशिष्ठ शासन सचिव मंत्रिमण्डल सचिवालय।	सचिव

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सम्बन्धित सेवा नियमों के अन्तर्गत उसके सात वर्षों का वार्षिक मूल्यांकन एवं आवश्यक अभिलेख देखने के बाद योग्यता के आधार पर चयन किया जाता है जबकि योग्यता प्रमाण पत्र के लिए सक्षम समिति द्वारा केवल अन्तिम 3 वर्ष का ही गोपनीय प्रतिवेदन एवं विशेष रूप से अधिकारी द्वारा किया विशिष्ट कार्य को देखकर प्रमाण पत्र दिया जाता है। अतः ये दोनों भिन्न-भिन्न प्रक्रिया है और इनका एक-दूसरे से कोई आपसी तालमेल नहीं है। अतः पदोन्नति समिति की बैठक द्वारा किसी अयोग्य अधिकारी को प्रमाण-पत्र दिये जाने की सूचना उपलब्ध नहीं है और उसका कोई औचित्य भी नहीं है।

(4) योग्यता प्रमाण पत्र गत 3 वर्षों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन व विशिष्ट कार्य के आधार पर उत्तर संख्या-3 पर अंकित समिति द्वारा की गयी सिफारिश के आधार पर प्रदान किया जाता है। यदि किसी प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने स्ट्रक्चर पारित किया है तो उसकी जानकारी मंत्रिमण्डल सचिवालय को नहीं है।

कोई योग्यता प्रमाण-पत्र राजनीतिक दबाव से नहीं दिया गया है।

(5) प्रशासनिक विभाग द्वारा सम्बन्धित मंत्री से सहमति के बाद ही योग्यता प्रमाण पत्र का प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय में विचारार्थ प्रेषित किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्न संख्या 84

(स्थगित)

ग्राम करमीसर (बीकानेर) के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

85. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या बीकानेर तहसील में स्थित गांव करमीसर के 189 काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में सरकार के उपनिवेशन विभाग के शासन उप सचिव के आदेश क्रमांक प. 3/29/उप/86 दिनांक 17.10.1994 की पालना में जिला कलक्टर, बीकानेर ने कोई अग्रिम कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, बीकानेर को उपनिवेशन विभाग के पत्र दिनांक 4-1-1989 के अनुसार खातेदारी अधिकार देने की कार्यवाही करनी थी ?

(3) क्या यह सही है कि तत्कालीन जिला कलक्टर, बीकानेर ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र क्रमांक एफ. 12-12 (राजस्व) 94/2889 दिनांक 24-8-1994 द्वारा यह सूचित किया था कि करमीसर गांव के इन

(श्री भीमसैन चौधरी)

189 काश्तकारों को अस्थायी आबंटन के अधीन निरन्तर दस वर्ष कब्जा रहा है और अब इन्होंने आबंटन की दिनांक से 10 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली है ? यदि इस स्थिति में जिला कलक्टर, बीकानेर इस मामले में इन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने में विलम्ब क्यों कर रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, बीकानेर अपरोक्ष रूप से इस आदेश को टालने के लिये नगर विकास न्यास, बीकानेर से सम्पर्क कर ऐसी जमीन को ट्रांसफर करने की योजना बना रहा है ?

(5) क्या सरकार इन काश्तकारों जिनमें से अधिकांश काश्तकार 15-10-1955 से पूर्व के हैं, को निश्चित समयावधि में खातेदारी हक दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) राजस्व तहसील बीकानेर के राजस्व गांव करमीसर स्थित 189 काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने बाबत. दिनांक 17.10.94 के आदेश के मामला में जिला कलेक्टर द्वारा पत्र क्रमांक एफ. 12-12 राजस्व/94/786-87 दिनांक 12.2.96 व क्रमांक 2023-29 दिनांक 29.6.96 से आदेश दिये गये हैं।

(2) जी, हां। यह सही है कि उपनिवेशन विभाग के आदेश दिनांक 4.1.89 के तहत इन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने की कार्यवाही करनी थी।

(3) जिला कलेक्टर, कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ. 12-12 0 राजस्व/94/2889 दिनांक 24.8.94 में उल्लेखित 189 काश्तकारों में से 152 अस्थाई आबंटी थे और शेष उपनिवेशन में आने से पूर्व गैर खातेदार काश्तकार थे। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 3.1.79, 4.1.89, 18.5.91, 29.9.95 के निर्देशों के सम्बन्ध में प्रत्येक काश्तकार का रिकार्ड से पात्रता की जांच की जा रही है।

(4) यह सही नहीं है कि राजस्व विभाग द्वारा अपरोक्ष रूप से इस आदेश को टालने के लिए नगर विकास न्यास से सम्पर्क कर ऐसी भूमि को न्यास को ट्रांसफर करने की योजना बनायी गयी है।

(5) इन सभी काश्तकारों को जिनकी भूमि नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि भिन्न अधिसूचित नहीं है, नियमानुसार शीघ्र खातेदारी अधिकार दे दिये जायेंगे।

पौंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित रकबे का स्थानान्तरण

86. श्री अमरचन्द मिड्डा (सूरतगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अनूपगढ़ व घड़साना तहसील के अन्दर पौंग बांध विस्थापितों के लिए रिजर्व रकबा को वन विभाग में स्थानान्तरण कर दिया गया एवं वन विभाग में स्थानान्तरण होने के बाद वापस पौंग बांध विस्थापितों को आबंटन कर दिया गया ?

(2) उक्त रकबा वन विभाग में किस अधिकारी के आदेश से स्थानान्तरित किया गया ?

(3) क्या यह सही कि यह रकबा वापस पौंग बांध विस्थापितों को आबंटित किया गया ? यदि हां, तो यह आदेश किस अधिकारी ने दिये ?

(4) यह रकबा कुल कितने बीघा का था ? चक का नाम, मुरब्बा नं., किला नं. एवं पुनः आबंटित काश्तकारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(34)

उत्तर

(1) **तहसील घड़साना :**— तहसील घड़साना के चक 3 एम.एल.के.सी. का मु. नं. 91/40 का बीघा 25 व चक 3 एम.एल.के.डी. के मु.नं. 91/57 का 24.10 बीघा रकबा सम्वत् 2043 तक अराजीराज था। उपनिवेशन विभाग द्वारा पर्चा खतौनी तैयार करते समय उक्त रकबा वन विभाग के नाम अंकन कर दिया, जिससे चक 3 एम.एल.के.डी. का मु. नं. 91/57 का किला नम्बर 1ता18 कुल 18 बीघा भूमि धनीराम पुत्र कृपाराम पौंग बांध विस्थापित को उपायुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा आदेश क्रमांक 4792, दिनांक2.9.73 को आबंटन किया गया। व चक 3 एम. एल.के. सी. का मु.नं. 91/40 का 25 बीघा मालीराम पुत्र घेन्दू पौंग बांध विस्थापित को उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के आदेश क्रमांक 1084, दिनांक 10.5.90 को पुख्ता आबंटन हुआ। वर्तमान में पौंग बांध रकबा खारिज है एवं रकबा वन विभाग के नाम से दर्ज है।

तहसील अनूपगढ़ :—तहसील अनूपगढ़ में पौंग बांध विस्थापित आरक्षित रकबा राज को वन विभाग को आबंटन नहीं किया गया है।

शुद्ध रकबा राज अनकमाण्ड को वन विभाग को आबंटन किया गया है। वन विभाग को आबंटित रकबा पौंग बांध विस्थापितों को आबंटन किया गया है।

(2) **तहसील घड़साना :**— उपरोक्त रकबा सम्वत् 2043 से पूर्व अराजीराज था। सहवन से वन विभाग के नाम दर्ज हुआ है।

तहसील अनूपगढ़ :— उपरोक्त रकबा आयुक्त, उपनिवेशन बीकानेर के आदेश क्रमांक एफ/5 (बी) आबादी/उप/76/बी/8/25231, दिनांक 16.12.71 द्वारा शुद्ध रकबा राज वन विभाग को आबंटित किया गया।

(3) **तहसील घड़साना :**— यह रकबा उपायुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा आदेश क्रमांक 4792, दिनांक 2.9.73 व उपखण्ड अधिकारी के आदेश क्रमांक 1084, दिनांक 10.5.90 द्वारा पौंग बांध विस्थापितों को पुख्ता आबंटन किया गया।

तहसील अनूपगढ़ :— यह रकबा वन विभाग से पौंग बांध आरक्षण में उप खण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश क्रमांक 1968, दिनांक 27.3.91 द्वारा किया गया। यह रकबा पौंग बांध आरक्षित करने के बाद उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 25.3.91 एवं 27.3.91 द्वारा पौंग बांध विस्थापितों को आबंटित किया गया।

(4) **तहसील घड़साना :**— यह रकबा 43 बीघा था।

चक	मु.नं.	कि. नं.	नाम आबंटी
3 एम एल के (सी)	91/40	1 ता 25	मालीराम। घेन्दू
3 एम एल के (डी)	91/57	1 ता 18	धनीराम। कृपाराम

उक्त रकबा वर्तमान में खारिज है।

तहसील अनूपगढ़ :— कुल रकबा 124 बीघा अनकमाण्ड चक 30 ए था, जिसमें पौंग बांध विस्थापितों हेतु आरक्षण किया जाकर 99.10 बीघा अनकमाण्ड पौंग बांध विस्थापितों को आबंटन किया जाकर 25 बीघा अनकमाण्ड वापस उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के द्वारा आदेश दिनांक 2.7.91 द्वारा खारिज किया गया।

वर्तमान में रिकार्ड निम्न है:–

(राजस्व मंत्री)

चक	मु. नं.	कि.नं.	आवंटी का नाम
30 ए	340/441	1 ता 25	बंशी लाल/झोगर 24.10 बीघा
30 ए	340/442	1 ता 25	प्रधान चन्द/हीरा 25 बीघा
30 ए	341/443	1 ता 25	सालीराम/रसीला 25 बीघा

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

(राजस्व तहसील सूरतगढ़ में स्माल पेच के रूप में आवंटित भूमि का प्रकरण)

87. **श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजस्व तहसील सूरतगढ़ के चक 226 आर. डी. (आर) का आबंटन स्माल पेच के रूप में सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह जाट को किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जो भूमि सुरेन्द्र सिंह को आबंटित की गयी है वह स्माल पेच की परिभाषा में ही नहीं आती थी ? यदि हां, तो क्या उक्त आबंटन नियम विरुद्ध है ?

(3) क्या यह भूमि अधिकारियों ने नियमों को ताक में रखकर आबंटी की पात्रता न होते हुए भी आबंटित की गयी।

(4) क्या सरकार इस गैर कानूनी आबंटन को रद्द कर, सरकार को धोखा देकर व स्माल पेच के रूप में भूमि अलाट करवाने वाले व गलत रिपोर्ट करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं तो , क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि सहायक उपनिवेशन आयुक्त, सूरतगढ़ के आदेश 6892 दिनांक 10.7.84 द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह को राजस्व तहसील सूरतगढ़ के 226 आर. डी. (आर) उ. 173/45 कि. नं. 15-17, 23 ता 26 कुल 5.00 बीघा कमाण्ड भूमि बतौर स्माल पेच आबंटन की गयी है।

(2) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में 5 बीघा कमाण्ड भूमि स्माल पेच की श्रेणी में आती है। अतः उक्त आवंटन प्रथम दृष्टया नियम विरुद्ध नहीं है।

(3) आबंटी आबंटन का पात्र था, आबंटन नियमानुसार किया गया है। न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त (उपनि.) सतर्कता एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 6.7.84 की पालना में आबंटन किया गया।

(4) आबंटन नियमानुसार सही है। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही वांछनीय नहीं है।

ग्राम पंचायत रायपुर पाटन (नीम का थाना) की भूमि पर कब्जा प्रकरण

88. **श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : —

—क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत रायपुर पाटन ने तहसीलदार नीम का थाना को खसरा नम्बर 705/2 पर अनधिकृत कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत पेश की है? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां। ग्राम रायपुर पाटन के खसरा नम्बर 705/2 रकबा 0.25 हैक्टेयर पर

(श्री मोहनलाल मोदी)

अनधिकृत कब्जा करने की शिकायत सरपंच, ग्राम पंचायत, रायपुर पाटन एवं ग्रामवासियों द्वारा तहसीलदार, नीम का थाना को की गयी। तहसीलदार, नीम का थाना ने नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाकर अतिक्रमी भंवरसिंह, पाबुदान सिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी रायपुर पाटन को बेदखल किया जाकर उनकी फसल जब्त की जाकर नीलामी की गयी है।

ग्राम गोपालपुरा (जयपुर) में कृषि भूमि का अधिग्रहण

89. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम गोपालपुरा, तहसील व जिला जयपुर की कृषि भूमि खसरा नं. 333 से 343, 348 एवं 331 को सीलिंग काननू के अन्तर्गत अधिग्रहण करने के आदेश किस तिथि को दिये गये ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस अधिग्रहण आदेश के अन्तर्गत कृषि भूमि के मालिक ने किस-किस तिथि को अपील जिलाधीश, जयपुर को प्रस्तुत की ? अपील की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) अपील में किन-किन तिथियों को अब तक पेशियां डाली गयीं और सरकार द्वारा क्या उत्तर दिया गया ? उत्तर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त भूमि में से कितनी भूमि को अधिग्रहण से छूट प्रदान की और उसके क्या आधार एवं कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) अधिग्रहणाधीन भूमि का कब्जा किस तिथि तक ले लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) ग्राम गोपालपुरा, तहसील-सांगानेर, जिला - जयपुर की कृषि भूमि ख. नं. 333 से 343, 348 व 331 को सीलिंग कानून के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर के प्रकरण सं. 29/73 में पारित निर्णय दि. 31.3.93 के द्वारा अधिग्रहण के आदेश दिये गये। आदेश की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) अपील संख्या 24/93, आदेश दिनांक 31.3.93 के विरुद्ध न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के यहां मैसर्स नेशनल इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर द्वारा दिनांक 10.5.93 को प्रस्तुत की गयी। अपील की प्रति परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(3) न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर के यहां अपील में अब तक 55 पेशियां पड़ चुकी हैं। आगामी तिथि वास्ते पूर्ण बहस हेतु 8.7.96 नियत है। जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। 55 तारीख पेशियों का विवरण परिशिष्ट "ग" संलग्न है।

(4) उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में से 40 बीघा 17 बिस्वा भूमि को सीलिंग अधिनियम, 1973 की धारा 22 (2) के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (अस्पताल हेतु) छूट अधिसूचना दिनांक 11.12.95 के द्वारा दी गयी है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट "घ" संलग्न है।

(5) अधिग्रहणाधीन भूमि का कब्जा न्यायालय के निर्णय होने के पश्चात् निर्णयानुसार लिया जायेगा, क्योंकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा में रखा गया)

कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय बूडसू (मकराना) की क्रमोन्नति

90. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम बूडसू में कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय चालू है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या उक्त विद्यालय क्रमोन्नति हेतु वांछित सभी लक्ष्य प्राप्त कर चुका है ? यदि हां, तो सरकार इसको कब तक माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बूडसू 1981 से संचालित है।

(2) जी, नहीं। विद्यालय निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति नहीं करता है।

जिला मुख्यालयों पर संस्कृत विद्यालय

91. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या प्रदेश के सभी जिलों में संस्कृत विद्यालय खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन-किन जिला मुख्यालयों पर संस्कृत विद्यालय खोले जा चुके हैं तथा कहां-कहां खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्रम में भीलवाड़ा जिले में भी संस्कृत विद्यालय खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं यदि हां, तो क्या ये इस सत्र में खोले दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या प्रदेश में नवीन संस्कृत विश्वविद्यालय संचालन हेतु संस्कृत महाविद्यालय तथा विद्यालय खोलने आवश्यक हैं ? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के सभी जिलों में संस्कृत विद्यालय खोलने का राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के द्वारा नीतिगत निर्णय लिया हुआ है। जिन जिला मुख्यालयों पर संस्कृत विद्यालय खोले हुए हैं, उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर तथा जनता एवं जन प्रतिनिधियों की मांग के अनुसार विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं उनका विवरण परिशिष्ट "ख" में सदन की मेज पर रखा है।

(2) भीलवाड़ा जिले में नवीन/क्रमोन्नत संस्कृत विद्यालय के प्रस्ताव संलग्न परिशिष्ट "ग" के अनुसार राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। जिन पर नीतिगत निर्णय अनुसार विचार किया जाकर विद्यालय खोले जाएंगे।

(3) राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने राज्य में स्थापित होने वाले संस्कृत विश्वविद्यालय के संदर्भ में पोषक संस्कृत विद्यालयों की स्थापना एवं क्रमोन्नत हेतु सिद्धान्त सहमति प्रदान की थी, जिसके संदर्भ में वित्तीय वर्ष 1996-97 में 50 लाख की राशि प्रस्तावित की गई है, जिससे 2 शास्त्री, 4 वरिष्ठ उपाध्याय एवं 10 प्रवेशिका विद्यालय क्रमोन्नत किये जा चुके हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर जिले में मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पद

92. **श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विभाग में जिला उदयपुर में मंत्रालयिक कर्मचारियों के किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद कब से किस कारण रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पदों में से वरिष्ठ लिपिक एवं कार्यालय सहायकों के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र आशार्थियों का चयन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब एवं किस-किस कर्मचारी, का यदि नहीं, तो क्यों ? कनिष्ठ लिपिक एवं वरिष्ठ लिपिक की वर्तमान वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वरिष्ठ लिपिक एवं कार्यालय सहायक के पदों पर वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में पदोन्नति की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या इसमें रोस्टर बिन्दु का पूर्ण पालन किया गया ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को इससे लाभान्वित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? पदोन्नति सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार कार्यालय सहायक के रिक्त पदों को भी भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में निम्नांकित मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद रिक्त हैं : —

पदनाम	संख्या	रिक्त का कारण	कब से रिक्त
कार्या. सहायक	3	स्थाना.	1-4-96
		सेनि.	1-6-96
		पदो. परि - त्याग	1-4-96
वलि.	3	स्थाना.	1-4-96
कलि.	6	नव नियु. के कार्य ग्रहण नहीं करने	2/95 4/95 6/95

(2) जी, हां कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक तथा वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय सहायक के पद पर वर्ष 95-96 तक विभागीय चयन समिति द्वारा चयन किया जा चुका है। कनिष्ठ लिपिक एवं वरिष्ठ लिपिक की वर्तमान की वरिष्ठता सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) जी, हां। मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति मण्डल स्तर पर की जाती है। राजस्थान अधिनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1957 के उप नियम 26 के तहत पांच गुणा अधिकतम सीमा तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पात्रता सूची में चयन विचारार्थ रखा जाता है। चूंकि पदोन्नति मण्डल स्तर पर की जाती है अतः मण्डल स्तर पर वर्ष 1994-95 तथा 95-96 में उदयपुर जिले में कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर निम्न कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है : —

(शिक्षा मंत्री)

कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सूची :

नाम कर्मचारी	चयन वर्ष	आदेश क्र. एवं दि.
1. श्री नारायण लाल	94-95	1087/95-96 दि. 18-7-95
2. श्री कुन्दनलाल सुखाड़िया	तदर्थ पदो.	1087/94-95 दि. 18-10-94
3. श्री रामेश्वरलाल	" "	" "
4. श्री कालूलाल खटीक	" "	" "
5. श्री देबीलाल मेघवाल	" "	1087/94-95 दि.21-12-94

(4) जी, हां। कार्यालय सहायकों के रिक्त पदों हेतु आदेश आगामी माह के मध्य तक प्रसारित कर दिये जाएंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

दरबार सीनियर सैकण्डरी स्कूल, जयपुर के परिसर में अनधिकृत निर्माण कार्य

93. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि न्यू कॉलोनी, जयपुर में वर्तमान में राजकीय दरबार सीनियर हायर सैकण्डारी स्कूल संचालित है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय परिसर में ही अन्य सरकारी संस्थाऐं भी चल रही है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी और कब-कब से ?

(3) क्या यह सही है कि विद्यालय परिसर में लड़ाई-झगड़े, तोड़-फोड़, शराबियों की चहल कदमी आदि की शिकायतें विभाग को प्राप्त होती रही हैं ? यदि हां, तो कब-कब और प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि विद्यालय परिसर की चार दीवारी (परकोटे) एवं, सरकारी भूमि पर कब्जे कर निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में भी विभाग को शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय परिसर में बने भवन पर पर्याप्त ध्यान न दिये जाने के कारण धीरे-धीरे खण्डहर का रूप लेते जा रहे हैं और उसमें से किवाड़, खिड़कियां, पत्थर आदि अवांछनीय लोग निकाल कर ले गये हैं ?

(6) क्या सरकार विद्यालय की चार दीवारी में बने अतिक्रमणों को हटाने तथा विद्यालय परिसर में बने मकानों की मरम्मत का कार्य करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। सन् 1956 से संचालित है।

(2) जी, हां। विद्यालय परिसर में निम्नलिखित कार्यालय एवं विद्यालय संचालित है :—

विद्यालय/कार्या. नाम	कब से संचालित
1. राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय, हरिजन बस्ती	वर्ष 1974
2. निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा	नवम्बर, 1988

(शिक्षा मंत्री)

3. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) वर्ष 1982
4. राजकीय बेसिक मॉडल उच्च प्राथमिक विद्यालय नवम्बर, 1926
5. डा. राधाकृष्ण शिक्षक सदन जनवरी, 1996

---

(3) जी, हां। समय-समय पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर थाना प्रभारी, जयपुर को 21.8.86, 10.1.87, 5.12.88, 28.12.89, 1.8.90, 11.11.91, 15.1.92, 14.10.93, 7.2.94, 16.6.95, 17.7.95, 6.12.95, 24.1.96, 25.4.96, 19.4.96 जिला कलक्टर, जयपुर को 16.6.95, 17.6.95, 6.12.95, 19.4.96, जिला पुलिस अधीक्षक - 21.8.86, 10.1.87, 28.7.93, 7.2.94, 16.6.95, 1.7.94, 6.12.95 तथा 19.4.96 को लिखा गया है। पुलिस में एफ. आई. आर. भी दर्ज करायी गयी है।

(4) विद्यायल भवन पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर का नियंत्रण है, अतिक्रमण के सम्बन्ध प्राप्त शिकायतों के आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग तथा जिला कलक्टर को सूचित किया जा चुका है।

(5) जी, हां। कुछ आवासीय भवन विगत कुछ वर्षों से खाली पड़े होने के कारण मरम्मत योग्य हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग को भवन की मरम्मत हेतु लिखा गया है।

(6) जी, हां। सम्बन्धित विभाग से पत्र व्यवहार किया जा रहा है। भवन मरम्मत का कार्य वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर किया जाता है।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति, ब्यावर

94. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ब्यावर क्रय-विक्रय सहकारी समिति कितने समय से अवसायन में है तथा वहां नियुक्त अवसायक कतने समय से है ?

(2) क्या समिति के किसी पूर्व कर्मचारी के बकाया वेतन के सम्बन्ध में श्रम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था ? यदि हां, तो कितनी राशि का और कितने समय से ?

(3) क्या श्रम न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में कुर्की आदेश किये गये ? यदि हां, तो कुर्की आदेश कब व कितनी राशि के लिये दिये गये ?

(4) समिति के अवसायक ने वाद प्रस्तुत करने से फैसले तक कितनी राशि प्रकरण पर व्यय की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि कुर्की आदेश की पालना में ब्यावर तहसीलदार द्वारा समिति के खाली भूखण्ड में से 100 वर्गगज जमीन की नीलामी की गयी ? यदि हां, तो अवसायक ने नीलामी दिवस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या उक्त प्रकरण में समिति के अवसायक की अनियमितताओं के संबंध में कोई जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ब्यावर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., ब्यावर दिनांक 23.9.85 से अवसायन में है तथा उक्त तिथि से ही अवसायक नियुक्त है। वर्तमान में सहायक रजिस्ट्रार, ब्यावर दिनांक 16.1.96 से अवसायक नियुक्त हैं।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी, हां। श्रम न्यायालय में प्रकरण दिनांक 29.10.86 को 28, 245/- रुपये की राशि के लिये पंजीकृत हुआ जिसका निर्णय दिनांक 13.5.87 को हुआ।

(3) जी, नहीं। श्रम न्यायालय के आवेदन पर सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर द्वारा 88, 295/- रुपये की राशि के लिये दिनांक 6.7.94 को कुर्की आदेश जारी किये हैं।

(4) श्रम न्यायालय में प्रकरण पंजीकृत दिनांक 29.10.86 से श्रम न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13.5.87 तक संस्था द्वारा कोई राशि व्यय नहीं की गयी।

(5) जी, नहीं। तहसीलदार द्वारा 100 वर्गगज भूखण्ड की नीलामी की गई। तहसीलदार, ब्यावर द्वारा अवसायक के अनुसार नीलामी इस्तेहार की प्रति अवसायक ब्यावर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. को तामील नहीं कराई गयी। अवसायक भूमि विकास बैंक की वसूली कार्य के कारण मुख्यालय से बाहर थे। अवसायक द्वारा दिये गये तथ्यों के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है।

(6) बिन्दु संख्या 5 के क्रम में दिये गये उत्तर के अनुसार वस्तुस्थिति की जांच कराई जा रही है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 95

(स्थगित)

कोटा तापघर की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के नाम पर हो रही अनियमितताएं

96. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फरवरी, 1989 में कोटा तापघर की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अतिरिक्त इकाई मार्च, 1992 तक स्थापित किया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो धन की उपलब्धता के उपरान्त भी उक्त इकाई जुलाई, 1995 में शुरू होने के मुख्य कारण क्या रहे तथा इससे अनुमानित लागत में कितनी वृद्धि हुई ?

(2) क्या यह सही है कि इकाई से संबंधित सामान्य सिविल कार्यों और इस्पात संरचनात्मक कार्यों के निष्पादन में विलम्ब को टालने की दृष्टि से ठेकेदारों को विभिन्न प्रकार की रियायतें दी गयी ? यदि हां, तो उन रियायतों के कारण ठेकेदारों को कितनी राशि का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा ?

(3) क्या यह सही है कि तापघर में अग्नि खोड़ा और बचाव कार्यों की स्थापना का कार्य करने वाले ठेकेदार को बिना सक्षम अधिकारी और अनुमोदन तथा समझौते में दिखाये कार्बन इस्पात पाइपों के स्थान पर कम कीमत के नरम पाइप के प्रयोग की अनुमति दी गयी तथा अन्तर की राशि का समायोजन किये बिना ही भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो कितनी राशि का समायोजन किया जाना था और इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

(4) क्या यह सही है कि तापघर के लिए निर्धारित समय पूर्व जनरेटर, बिना जरूरत के अग्निशमन वाहन आदि क्रय किये गये हैं ? यदि हां, तो इससे बोर्ड पर कितनी अतिरिक्त राशि का भार पड़ा और इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। योजना आयोग ने कोटा तापीय विद्युत परियोजना की पांचवीं इकाई की स्वीकृति फरवरी, 1989 में 217.62 करोड़ का अनुमानित लागत (जनवरी, 1988 के आधार पर) प्रदान की थी एवं इस इकाई का शुरू करने का लक्ष्य मार्च, 1992 रखा गया था। लेकिन इस परियोजना के लिये योजना आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष में अनुशंसा की गयी धनराशि मण्डल को प्राप्त नहीं हुई तथा राशि भी प्रत्येक वर्ष में माहवार लगातार निश्चित क्रम में प्राप्त न होकर अधिकतर वर्ष के अन्त में उपलब्ध हुयी जिससे कि कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। कोटा तापीय विद्युत गृह के मुख्य उपकरणों का क्रय आदेश जुलाई, 1990 में मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा पंजीकृत किया गया जब उन्हें मुख्य उपकरणों को लागत का 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान पूरा किया गया।

इसके अतिरिक्त कीमतों की वृद्धि व अन्य कारणों से कोटा तापीय परियोजना (पांचवी इकाई) की अनुमानित लागत 217.62 करोड़ रुपये से बढ़कर 400 करोड़ रुपये हो गयी।

योजना आयोग ने वर्ष 1991-92 में कोटा तापीय विद्युत परियोजना की पांचवीं इकाई का लक्ष्य मार्च, 1994 निर्धारित किया। मार्च, 1994 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मण्डल ने वर्ष 1993-94 में ऊर्जा वित्त निगम से 30 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करके उक्त परियोजना को 26 मार्च, 1994 को चालू कर दिया, किन्तु इस यूनिट के कोल मिल्स के सामान का भैल से समय पर उपलब्ध न होने के कारण यह इकाई अक्टूबर, 1994 में कोयला जलावन पर चालू की गयी, किन्तु नवम्बर, 1994 में अचानक अप्रत्याशित कारणों से जनरेटर में दोष आ जाने से इस इकाई को बन्द करना पड़ा। जनरेटर को भैल की हरिद्वार स्थित कार्यशाला में मरम्मत हेतु ले जाना पड़ा तथा मरम्मत के उपरान्त अप्रेल, 1995 में वापस प्राप्त हुआ तथा दिनांक 3.6.1995 को इकाई पुनः चालू कर दी गयी। दिनांक 17.7.1995 को व्यावसायिक उत्पादन पर इकाई को चालू किया गया।

इकाई के लागत मूल्यों में वृद्धि के कारण पुरानी दरों पर स्वीकृत अनुमानित राशि (रुपये 217.62 करोड़) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तत्सम्बन्धी समय की दरों पर अनुमान से संशोधित करने का निर्देश दिया। तद्नुसार संशोधित अनुमान का लागत मूल्य 480 करोड़ रुपये हुआ। यह वृद्धि निम्न बिन्दुओं पर आधारित थी :—

1. संशोधित अनुमान की तत्समयानुसार दरें।
2. नये तन्त्र जो मूल अनुमान पत्र में सम्मिलित नहीं थे उन्हें जोड़ा जाना जैसे कोयला उतराई, पिलाई एवं परिवहन तन्त्र।
3. रेलवे साइडिंग का विस्तार तथा विद्युतीकरण।
4. बियरिंग कूलिंग वाटर तंत्र।
5. फ्लाई एश यूटिलाइजेशन तन्त्र।
6. कार्यशाला उपकरण।
7. प्रयोगशाला उपकरणों का शामिल करना।
8. पर्यावरण नियंत्रण उपकरण आदि के नये अनुमान पत्र में शामिल करने से लागत में 50.56 प्रतिशत वृद्धि हुई।

बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुये इसी कार्यकाल में अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं

(ऊर्जा मंत्री)

जैसे कि सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना रामगढ़ गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना को भी साथ में शुरू किया गया।

(2) जी, हां। सम्बन्धित सामान्य सिविल कार्यों और इस्पात संरचनात्मक कार्यों के निष्पादन में विलम्ब को टालने की दृष्टि से ठेकेदारों को 92.10 लाख रुपये इस दौरान कीमतों में वृद्धि का वजह से दिये गये क्योंकि प्रोजेक्ट आथोरिटीज समय पर काम की चाल नहीं दे पायी थी। इस राशि में से ठेकेदारों को 82 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप पांचवीं इकाई को समय पर चालू करने के लिए भैल व अन्य एजेंसियों को समय पर काम की चाल उपलब्ध करायी गयी। यदि मण्डल द्वारा ठेकेदारों को यह छूट नहीं दी गयी होती तो पांचवीं इकाई समय पर चालू नहीं की जा सकती थी।

(3) जी, नहीं। अग्निशमन यंत्र की स्थापना करने वाली फर्म मैसर्स मेथर प्लेट कम्पनी ने टेण्डर स्पेसिफिकेशन के अनुसार कार्बन स्टील पाइप साइज 150 एन. बी. व नीचे के लिए आई. एस. 1235 पार्ट–I हैवी क्लास के मुताबिक व साइज 200 एन. बी. व ऊपर के लिए आई. एस. 3589 के मुताबिक पाइप सप्लाई किये हैं। इसमें कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी नहीं है।

(4) जी, नहीं। 210 मेगावाट क्षमता का जनरेटर मैसर्स भैल द्वारा तैयार किये जाने पर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया व टेस्ट में सफल होने के बाद साइट पर स्पेशल वेगन उपलब्ध होने पर साइट पर भेजा गया। विद्युत मण्डल द्वारा यदि इसे अस्वीकार कर दिया जाता तो मै. भैल द्वारा इसे अन्यत्र भेज दिया और जनरेटर दुबारा तैयार होकर सप्लाई करने में बहुत देर लगती व प्रोजेक्ट में देरी होने की संभावना रहती। अग्निशमन वाहन को कोटा तापीय विद्युत गृह की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही खरीदा गया था बाद में इसे रामगढ़ विद्युत परियोजना की आवश्यकता के कारण वहां स्थानान्तरित कर दिया गया। इसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के गाँवों का विद्युतीकरण

97. श्री दलजीतसिंह (बाड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की तहसील बाड़ी एवं उप तहसील सरमथुरा में वर्ष 1996-97 तक कितने गांव विद्युतीकृत घोषित हो जाएंगे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या घोषित गांवों में प्रकाश व्यवस्था अनवरत जारी है ? यदि हां, तो कितने गांवों में ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विद्युतीकृत गांवों में कनेक्शन हेतु कितनी फाइलें जमा हो चुकी है तथा कितने कनेक्शन जारी किये गये हैं एवं वर्ष 1996-97 तक विभाग द्वारा कितने डिमाण्ड नोटिस जारी किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में कितने उपभोक्ताओं की फाइल कब से विचाराधीन हैं, इनके डिमाण्ड नोटिस कब तक जारी कर दिये जाएंगे, कितने डिमाण्ड नोटिस जमा कराये जा चुके हैं तथा जमा हुए डिमाण्ड को कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की तहसील बाड़ी एवं उपतहसील सरमथुरा में 31 मार्च, 1996 तक क्रमशः 90 व 41 ग्रामों को

(S/S)

(ऊर्जा मंत्री)

विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है तथा वर्ष 1996-97 में विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 ग्राम विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित है। विद्युतीकृत गाँवों की सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) विद्युतीकृत घोषित ग्रामों में से 80 ग्रामों में विद्युत आपूर्ति जारी है। सूची प्रपत्र "अ" में दर्शायी गयी है।

(3) विद्युतीकृत घोषित गांवों में घरेलू प्रकाश हेतु उपखण्ड कार्यालय बाड़ी में कार्यरत होने के बाद 9266 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उनमें से 7091 डिमाण्ड नोटिस जारी कर 3260 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं तथा 2457 आवेदनकर्ताओं की फाइलें वांछित औपचारिकताएं पूरी न किये जाने के कारण रद्द की जा चुकी हैं। विद्युतीकृत ग्रामों में प्राप्त आवेदन पत्र तथा दिये गये कनेक्शनों की संख्या सूची का विवरण प्रपत्र "अ" में दर्शाया गया है।

(4) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में वर्तमान में घरेलू प्रकाश के 2549 आवेदन पत्र, जिसमें से कुछ वर्ष 1984 व शेष वर्षों के लम्बित हैं। लम्बित आवेदन पत्रों में से 1282 आवेदकों को मांग पत्र जारी किये हुए हैं, जिन्हें मांग पत्र की राशि जमा होने के बाद कनेक्शन देने की कार्यवाही की जायेगी। कुछ गांवों में 11 केवी लाइन चोरी हो जाने व प्राकृतिक प्रकोप बाढ़, आंधी-तूफान से लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कनेक्शन दिये जाने में विलम्ब हुआ है। इन लाइनों को उपलब्ध संसाधनों के अनुसार पुनः ठीक कर मांग-पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भीलवाड़ा जिले में दिये गये कृषि कनेक्शन

98. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1995-96 में कुल कितने कृषि कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिये गये ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) माण्डल तहसील जिला भीलवाड़ा में कितने कनेक्शन प्राथमिकता से और कितने कनेक्शन नर्सरी योजना में व कितने लाइट कनेक्शन कुटीर ज्योति योजना में किन-किन को कब दिये गये ? वर्ष 1994-95 व 1995-96 का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1995-96 में तहसीलवार, प्राथमिकता के आधार पर कुल 192 कृषि कनेक्शन दिये गये जिनका तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	नाम तहसील	दिये गये कनेक्शनों की संख्या
1	2	3
1.	भीलवाड़ा	13
2.	सहाड़ा	7
3.	रायपुर	10
4.	आसीन्द	25
5.	माण्डल	17
6.	कोटड़ी	34
7.	माण्डलगढ़	38
8.	शाहपुरा	4
9.	बनेड़ा	5

(ऊर्जा मंत्री)

1	2	3
10.	हुरडा	18
11.	जहाजपुरा	21
	योग	192

(2) भीलवाड़ा जिले की माण्डल तहसील में वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में प्राथमिकता, नर्सरी योजना एवं कुटीर ज्योति योजना में दिये गये कनेक्शनों की सूची प्रपत्र अ,ब व स संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील आमेर (जयपुर) के ग्रामों में वोल्टेज की कमी

99. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चतरपुरा, दतावता तहसील आमेर में वोल्टेज की आपूर्ति न होने पर मोटरें जल जाती हैं ? यदि हां, तो वोल्टेज सुधार के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामों को खोराबीसल से जोड़ने की मांग है ? यदि हां, तो इसे 33/11 सब ग्रिड स्टेशन से कब तक जोड़ दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार के पास आमेर तहसील के अन्तर्गत आने वाले ग्रामवासियों की विद्युत आपूर्ति समस्या के निदान के सम्बन्ध में कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो सरकार इन ग्रामवासियों की उक्त समस्या का निदान कर किस प्रकार लाभान्वित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम चतरपुरा, दतावता तहसील आमेर के ग्रामों को विद्युत आपूर्ति 33/11 के. वी. सब स्टेशन खन्नीपुरा के महेशवास 11 के. वी. फीडर द्वारा की जा रही है। इन ग्रामों के 11 के. वी. वोल्टेज रेगुलेशन निर्धारित सीमा में है। अतः कम वोल्टेज के कारण मोटरें खराब होने/जल जाने की शिकायत सही नहीं है और न ही वोल्टेज सुधार करने की उपरोक्त ग्रामों में कोई आवश्यकता है।

(2) उक्त गांवों को 33/11 के. वी. जी. एस. एस. खन्नीपुरा से विद्युत आपूर्ति की जा रही है व वोल्टेज रेगुलेशन निर्धारित सीमा के अन्दर है। अतः इन गांवों को 33/11 के. वी. जी. एस. एस. खोराबीसल से ज़ोड़ने की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है।

(3) आमेर तहसील के अन्तर्गत आने वाले ग्रामवासियों की विद्युत आपूर्ति समस्या के निदान हेतु विद्युत मण्डल ने निम्न कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की है तथा इन कार्यों को वर्ष 1996-97 के फेज्ड प्रोग्राम में सम्मिलित किया जा रहा है :—

1. ग्राम चौथवाड़ी में 3.15 एम. वी. ए. के 33 के. वी. सब-स्टेशन की स्थापना।
2. कालाडेरा से धिनाई तक 10 किलोमीटर को 33 के. पी. लाइन का निर्माण एवं धिनाई में 3.15 एम. वी. ए. 33 के. वी. सब-स्टेशन की स्थापना।
3. 33 के. वी. सब-स्टेशन खेजरोली की क्षमता 3.15 एम. वी. ए. के अतिरिक्त 2.5 एम. वी. ए. से 5 एम. वी. ए. बढ़ाना।

विधान सभा पिंडवाड़ा में आदिवासियों द्वारा भू-अतिक्रमण

100. श्री प्रभूराम गरासिया (पिंडवाड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा के आबूरोड एवं पिंडवाड़ा तहसील के ऐसे कितने गांव है जहां के आदिवासियों पर आरोप है कि उनके द्वारा राजकीय जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो कितने परिवारों के पास कितनी-कितनी भूमि कितने वर्षों से हैं ? कितनी जमीन खेती योग्य है ? इन परिवारों के पास इन जमीन के अलावा और कितनी भूमि राजस्व खाते में हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों से वन विभाग ने फेंसिंग दीवाल बनायी है तथा क्रेशर मालिकों या ट्रेक्टर मालिकों द्वारा उक्त दीवार का पत्थर चुरा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या वन विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने इस पत्थर चोरी को रोकने की कोशिश की ? यदि नहीं, तो इसमें कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं ?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र पिंडवाड़ा के आबूरोड एवं पिंडवाड़ा तहसील के क्रमशः 9 तथा 7 गांवों के आदिवासियों पर राजकीय वन भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप है। आदिवासी परिवारों के 187 अतिक्रमियों के पास लगभग 693 बीघा 8 बिस्वा वन भूमि कब्जे में हैं। इस भूमि में 8 बिस्वा भूमि वर्ष 1970 से, 600 बीघा भूमि वर्ष 1981 के बाद से, 59 बीघा भूमि वर्ष 1992 के बाद से तथा 34 बीघा भूमि वर्ष 1995 के बाद से अतिक्रमित है। इस कुल भूमि में लगभग 679 बीघा 7 बिस्वा भूमि खेती योग्य है। अतिक्रमयों के पास इस जमीन के अलावा लगभग 195 बीघा 8 बिस्वा भूमि राजस्व खाते में हैं।

(2) पिछले पांच वर्षों के दौरान वन विभाग द्वारा फेंसिंग दीवार बनायी गयी है लेकिन निर्मित फेंसिंग से क्रेशर एवं ट्रेक्टर मालिकों द्वारा पत्थर की चोरी के प्रकरण दर्ज नहीं हुए हैं यथा किसी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

हिन्दुस्तान कोपर काम्पलैक्स, खेतड़ी (झुन्झुनूं) द्वारा प्रदूषण

101. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झुंझुनूं जिले के खेतड़ी में हिन्दुस्तान कोपर कोम्पलैक्स की स्थापित इकाई में ऐसी कौन-कौनसी यूनिट है जो प्रदूषण फैलाती है ?

(2) किस-किस यूनिट की कौन-कौन सी मशीनों से कितनी मात्रा में प्रदूषित गैस हवा में छोड़ी जाती है ?

(3) इस संयंत्र का कब-कब निरीक्षण किया गया तथा प्रदूषण सम्बन्धी क्या-क्या खामियां सामने आई हैं ?

(4) क्या यह सही है कि जून, 1995 तक इस संयंत्र को पूर्ण रूप से प्रदूषण रहित किया जाना था ? यदि हां, तो मई, 1996 के अन्त तक क्या स्थिति रही ?

(5) इस कारखाने से निकलने वाले प्रदूषित जल से कितना कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है तथा कितने क्षेत्र का पीने का जल प्रभावित हुआ है ?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले की खेतड़ी के निम्न यूनिट हैं, जिनसे प्रदूषण फैलने की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है :—

1. स्मेल्टर संयंत्र
2. फर्टीलाइजर संयंत्र
3. कोलिहान माइंस
4. पावर प्लांट
5. चांदमारी माइंस

(2) उद्योग के मुख्यत : फर्टीलाइजर एवं स्मेल्टर से उत्पन्न गैसों को वातावरण में विसर्जित किया जाता है। इस प्लांटस (संयंत्रों) से हवा में छोड़े जाने वाली गैसों की मात्रा उत्पादन की दर पर निर्भर करती है एवं उसके अनुसार ही घटती बढ़ती रहती है। तथापि उद्योग के स्मेल्टर संयंत्र से सामान्य परिस्थितियों में लगभग 160000 सामान्य घन मीटर प्रति घंटा की दर से एवं फर्टीलाइजर संयंत्र से अधिकतम लगभग 20000 सामान्य घन मीटर प्रति घंटा की दर से प्रदूषित गैस हवा में छोड़ी जाती है।

(3) राज्य मण्डल द्वारा दिसम्बर, 94, जुलाई, 95 एवं अप्रेल, 96 में संयंत्र का निरीक्षण किया गया। दिसम्बर, 1994 एवं जुलाई 1995 तक संयंत्र में वायु प्रदूषण उपकरणों की स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। अप्रेल, 1996 में किये गये नवीनतम निरीक्षण के अनुसार इस संयंत्र द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की तकनीकी एवं ब्रेक डाउन के कारण निरन्तर कार्यरत रखना सम्भव नहीं हो पाया है। इस तकनीकी कारणों का समाधान संयंत्र द्वारा वार्षिक ब्रेक डाउन के दौरान किया जाता है।

(4) जून, 95 तक उद्योग के स्मेल्टर प्लांट में गैस क्लिनिंग नया सल्फूरिक एसिड तथा अवकरी स्क्रीनिंग संयंत्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण करना प्रस्तावित था। उद्योग ने वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपरोक्त उपकरणों को पूर्ण रूप से दिसम्बर, 1995 में प्रारम्भ कर दिया है। परन्तु तकनीकी कारणों को निरन्तर रूप से चालू रखना संभव नहीं हो पाया है।

(5) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा कुछ कुओं व फसल को खराब होना बताया लेकिन इस संबंध में ठोस तकनीकी विश्लेषण अथवा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके अभाव में यह कहना तकनीकी दृष्टि से प्रमाणित नहीं होता है कि इन उद्योग से ही होने वाले जल प्रदूषण से पीने का जल प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अथक प्रयासों के फलस्वरूप उद्योग द्वारा उत्पन्न प्रदूषित जल को उपचारित कर पुनः चक्रण किया जा रहा है। लेकिन कभी-कभी उपचारित जल खरखरा नदी में वाहित होता है। मण्डल द्वारा उद्योग के उपचारित जल के नमूने समय-समय पर एकत्रित किये जाते हैं जो मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों के सामान्यतया अनुरूप पाये गये हैं। इस क्षेत्र के जल के सम्भावित प्रदूषण के संदर्भ में तकनीकी अध्ययन करवाया जाएगा।

विधान सभा क्षेत्र डग में भू-संरक्षण के तहत किये गये कार्य

102. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डग के अन्तर्गत भू-संरक्षण विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में कौन-कौन से कार्य करवाये गये है ? कार्य

(श्री बाबूलाल वर्मा)

का प्रकार, स्वीकृत राशि, खर्च की गयी राशि का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में इस विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य निर्माणाधीन हैं ? कार्य का प्रकार, स्वीकृत राशि, खर्च की गयी राशि का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में करवाये गये कार्य, स्वीकृत राशि एवं खर्च की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों का विवरण, स्वीकृत राशि एवं खर्च की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

कृषि अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम में प्रवेश के मापदण्ड

103. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम राज्य में कहां-कहां संचालित किये जा रहे हैं एवं उनमें प्रवेश के क्या मानदण्ड हैं तथा उक्त पाठ्यक्रम की अवधि कितनी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पाठ्यक्रम करने वाले आशार्थियों को राज्य सेवा में आने के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) क्या यह सही है कि इसी के समकक्ष अन्य पाठ्यक्रम करने वाले जैसे सिविल इलैक्ट्रोनिक्स, मैकेनिकल आदि आशार्थियों को राज्य सेवा में आने के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है ? यदि हां, तो कृषि पाठ्यक्रम करने वाले आशार्थियों के साथ किये जा रहे भेदभावपूर्ण रवैये को क्या सरकार उचित मानती है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? यदि नहीं, तो क्या इस पाठ्यक्रम में भी राज्य सेवा में आने की अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष से 35 वर्ष करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम उदयपुर स्थित प्रोद्यौगिक एवं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय में चलाया जा रहा है, जहां बी.ई. (कृषि) में प्रवेश प्री-इन्जीनियरिंग टेस्ट के माध्यम से किये जाते हैं। इस पाठ्यक्रम की अवधि चार वर्ष की है।

(2) जी, हां। राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960 में सहायक कृषि अभियंता पद हेतु ऊपरी आयु सीमा 33 वर्ष निर्धारित है तथा राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के अधीन के कनिष्ठ अभियंता पद हेतु भी ऊपरी आयु सीमा 33 वर्ष ही निर्धारित है।

(3) जी, हां। जनस्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग जैसी अभियंता सेवाओं में अभियंताओं को राज्य सेवा में आने हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष ही निर्धारित है और आयु के सम्बन्ध में सभी अभियांत्रिकी सेवा के पदों के लिये विद्यमान भिन्न-भिन्न प्रावधानों में समानता लाने

(राज्य मंत्री कृषि)

के उद्देश्य से अब कृषि सेवा तथा अन्य ऐसी ही समान सेवाएं जहां ऊपरी आयु के भिन्न-भिन्न प्रावधान हैं, को अब 35 वर्ष करने बाबत प्रस्ताव विचाराधीन है।

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को नियुक्तियों में आरक्षण

104. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नियुक्तियों में राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है तथा यह आरक्षण किन-किन पदों के लिये है ?

(2) विभाग में वर्ष 1990-91 से मई, 1996 तक किन-किन पदों को भरा गया तथा कितने-कितने प्रतिशत रिजर्वेशन का लाभ दिया गया ?

उत्तर

(1) नियुक्तियों में राजस्थान में अनुसूचित जन जाति के लिए 12 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है तथा यह आरक्षण सभी पद्रों के लिये है, परन्तु यदि किसी सेवा के संवर्ग में एक ही पद सृजित हो तो वहां आरक्षण लागू नहीं होगा तथा वन विभाग के वन संरक्षकों, पुलिस विभाग के कांस्टेबलों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, ड्राइवरों, कनिष्ठ लिपिकों तथा सहायक अध्यापकों की रिक्तियों की क्रमशः 45 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्रों में केवल अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जाति के स्थानीय सदस्यों के अभ्यार्थियों से भरने का प्रावधान है।

(2) विभाग में वर्ष 1990-91 से मई, 1996 तक कुल 60 पद भरे गये हैं जिनमें अनुसूचित जाति के आशार्थियों से 15 पद तथा अनुसूचित जनजाति के 8 आशार्थियों को नियुक्ति मिली। इस प्रकार कुल नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के आशार्थियों को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के आशार्थियों को 13.3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया। नियुक्तियों का पदवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं. पद नाम	कुल नियु.	अ.जा.	अ.ज.जा
1. जिला रोजगार अधिकारी	9	3	1
2. कनिष्ठ रोजगार अधिकारी	12	-	1
3. कनिष्ठ लिपिक	26	8	5
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	13	4	1
	60	15	8

नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार

105. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या श्रम व नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्तमान में कितने बेरोजगार विभिन्न नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत हैं ? इनमें प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित एवं अर्द्ध प्रशिक्षित श्रेणी के पृथक-पृथक किदने-कितने बेरोजगार है ?

(2) दिसम्बर, 1993 से अब तक उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से कितने को रोजगार दिया गया ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(3) बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिये सरकार की भावी नीति क्या है ?

उत्तर

(1) राज्य में 31 मई, 1996 को विभिन्न नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर 835264 बेरोजगार पंजीकृत है। इनमें 112158 प्रशिक्षित, 721670 अप्रशिक्षित एवं 1436 अर्द्ध प्रशिक्षित श्रेणी के बेरोजगार है।

(2) दिसम्बर, 1993 से मई, 1996 तक 22976 बेरोजगार आशार्थियों को नियोजन कार्यालयों के माध्यम से रोजगार दिलवाया गया।

(3) राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जो उद्यमी राज्य सरकार से उद्योग लगाने के लिये विभिन्न सुविधा लेते हैं उनके लिये यह आवश्यक होगा कि वे अकुशल श्रमिकों में 70 प्रतिशत व कुशल श्रमिकों में कम से कम 50 प्रतिशत तक नियोजन स्थानीय लोगों का करें। राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य के लोगों को नियोजन के विशेष अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

सरकार द्वारा घोषित नई उद्योग नीति, खनिज व परिवहन नीति से निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं, इससे भी रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

विशिष्ट योजना संगठन के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी रोजगार योजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिये नई नियुक्तियों पर दिनांक 11 जनवरी, 1996 से प्रतिबन्ध हटा दिया गया है।

तहसील पिंडवाड़ा को जनजाति क्षेत्रीय विकास की सुविधाएं

106. श्री प्रभूराम गरसिया (पिंडवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा में आबूरोड एवं पिंडवाड़ा दो तहसीले हैं और दोनों ही तहसीलों में समान संख्या में ही आदिवासी है ? यदि हां, तो क्या उक्त समानता के बाद भी जनजाति क्षेत्रीय विकास की सुविधाएं मात्र आबूरोड को ही मिलती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पिंडवाड़ा को भी ये सुविधाएं देने का विचार रखती है ?

(2) उक्त क्षेत्र के आदिवासी छात्र/छात्रा आश्रम स्कूल तहसीलवार कितने हैं ? इन आश्रम स्कूलों में छात्र व छात्राओं के अधिक संख्या में प्रवेश नहीं चाहने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि इनमें रहने वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट निम्न स्तर का रहता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या आश्रम विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं की सांस्कृतिक एवं खेलकूद की क्षमता भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। लेकिन दोनों तहसीलों में आदिवासी समान संख्या में नहीं हैं। आबूरोड तहसील जनजाति उपयोजना क्षेत्र में होने तथा पिंडवाड़ा तहसील माडा क्षेत्र में होने के कारण सुविधाओं में असमानता है। पिंडवाड़ा तहसील

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

की उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित करने के प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है।

(2) आबूरोड तहसील में 6 छात्र आश्रम छात्रावास तथा एक छात्रा आश्रम छात्रावास एवं पिंडवाड़ा तहसील में 2 छात्र आश्रम छात्रावास एवं एक छात्रा आश्रम छात्रावास हैं। इस शैक्षणिक सत्र में आबूरोड तहसील के आश्रम छात्रावासों में कुल 610 स्थानों के विरुद्ध 493 छात्र/छात्राओं को तथा पिंडवाड़ा तहसील में 290 स्थानों के विरुद्ध 203 छात्र/छात्राओं को 15-5-96 तक प्रवेश दिया जा चुका है। शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने पर जुलाई माह में शेष स्थानों पर भी प्रवेश हो जाने की संभावना है। जी, नहीं। यह सही नहीं है कि आश्रम छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं का रिजल्ट निम्न स्तर का रहता है।

(3) जी, नहीं।

कुम्हेर के महलों का रख-रखाव

107. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कुम्हेर स्थित पुराने महल संरक्षित इमारत सरकार ने घोषित कर रखे है ? यदि हां, तो उनके रखरखाव व मरम्मत पर गत पांच वर्षों में कितना व्यय किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त महलों तक पहुंचने की सड़क की मरम्मत गत 20 वर्षों से नहीं हुई है ? यदि हुई है तो कब और क्या अब सरकार उसकी मरम्मत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हाँ। भरतपुर जिले के कुम्हेर कस्बे में स्थित प्राचीन प्रासाद एवं जलमहल राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किये हुये हैं।

विगत पांच वर्षों में इनकी मरम्मत पर धन राशि व्यय नहीं की गयी है। इनके रख-रखाव, देख-रेख एवं साफ सफाई के लिये दो स्मारक परिचारक नियुक्त हैं। चालू वित्तीय वर्ष 1996-97 में इनके मरम्मत हेतु 3.00 लाख रुपये आयोजना मद अन्तर्गत स्वीकृत किये गये हैं। यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जाएगा।

(2) अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त महलों तक पहुंचने की सड़क की मरम्मत नहीं की गयी है। सड़क बनाने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित है न कि पुरातत्व विभाग से।

जयपुर के पुरातत्व महत्व के स्थलों को देखने का समय

108. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : क्या कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में जयपुर स्थित पुरातत्व महत्व के स्मारक/स्थलों को सर्दी एवं गर्मी के मौसम में पर्यटकों को देखने हेतु क्या-क्या समय निर्धारित किया हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर आने वाले सैलानियों ने इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के कारण पुरातत्व महत्व के स्मारकों/स्थलों को देखने हेतु वाराणसी एवं आगरा के स्मारकों को देखने के लिये निर्धारित समयानुसार सूर्योदय

(श्री विष्णु मोदी)

के समय से सूर्यास्त तक खोले जाने की मांग का कोई प्रकरण ध्यान में आया है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या सरकार पर्यटकों (सैलानियों) को गर्मी के कारण हो रही असुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए समय में परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में जयपुर स्थित ज्योतिष यंत्रालय, हवामहल एवं आमेर महल को दर्शकों के लिए देखने का समय सर्दी एवं गर्मी के मौसम में समान रूप से प्रातः 9 बजे से सायंकाल 5 बजे तक निर्धारित है। नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर को देखने का समय प्रातः 10 बजे से सायंकाल 6 बजे तक निर्धारित किया हुआ है। जयपुर स्थित शेष राज्य सरकार के संरक्षित स्मारकों/स्थलों को देखने के लिये जिन पर वर्तमान में कोई प्रवेश शुल्क लागू नहीं है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय निर्धारित है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। वर्तमान में स्मारकों/स्थलों पर उपलब्ध स्टाफ से स्मारकों/स्थलों के समय में परिवर्तन करना प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है।

राज्य में महिला आयोग का गठन

109. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग की तर्ज (पेटर्न) पर "राज्य महिला आयोग" गठित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं। सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग की तर्ज (पेटर्न) पर वर्तमान में राज्य महिला आयोग गठित करने का विचार नहीं रखती है। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत है। इस कारण राज्य में अलग से राज्य महिला आयोग गठन का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

मृत अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को राज्य सेवा में नियुक्ति

110. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान के अधीन मृतक अधिकारियों/कर्मचारियों के कितने आश्रितों को वर्ष 1978 से 1988 तक किस-किस पद पर कितनी नियुक्तियां दी गयी ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी अधिकारी/कर्मचारी नियुक्ति के समय सम्बन्धित पद की आवश्यक एवं वांछित योग्यताएं पूर्ण करते हैं/करते थे ? यदि हां, तो इनकी योग्यता का विवरण वांछित आवश्यक योग्यता दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय के अधीन वर्ष 1978 से 1988 तक मृतक अधिकारियों/कर्मचारियों के 17 आश्रितों को

(राज्य मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क)
नियुक्तियां दी गयीं, इनका पूर्ण विवरण संलग्न है।

(2) जी, हां। योग्यता सम्बन्धी विवरण संलग्न परिशिष्ट के कॉलम सं. 6 में तथा पद के लिए वांछित योग्यता का विवरण कॉलम नं. 7 में अंकित है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ठ-7 देखें)

विधान सभा क्षेत्र डग में "अपना गांव अपना काम" योजनान्तर्गत निर्माण कार्य

111. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या विशिष्ट योजना एवं संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) पिछले तीन वर्षों में डग विधान सभा क्षेत्र में "अपना गांव अपना काम" योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य के कौन-कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? कितने प्रस्तावों की स्वीकृति जारी करके निर्माण कार्य किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कौन-कौन से प्रस्ताव लम्बित हैं ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस योजना को क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या निर्देश जारी किये गये हैं ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) डग विधान सभा क्षेत्र में अपना गांव अपना काम योजनान्तर्गत वर्ष 1993-94 में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था तथा वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में प्राप्त प्रस्तावों का विवरण निम्नानुसार है: —

1994-95 (1) इमली चौक से लुहार मोहल्ला तक डामरीकरण कार्य, उन्हेल

1995-96 (1) उन्हेल नागेश्वर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण

(2) उन्हेल नागेश्वर में पुलिस चौकी भवन का निर्माण

(3) नवीन प्राथमिक शाला भवन ग्राम कोलवी

(4) खरंजा निर्माण, भीमनी

(5) सामुदायिक कमरा निर्माण ग्राम उदयपुर

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृतियां पूर्व में जारी की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य भी कराये जा चुके हैं।

(2) वर्तमान में इस विधान सभा क्षेत्र का कोई भी प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(3) इस योजना की क्रियान्विति हेतु जारी किये गये दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर

112. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर का रजिस्ट्रेशन कब हुआ ? रजिस्टर्ड व विधान व नियमावली की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान में कब-कब क्या-क्या संशोधन किये गये तथा संशोधनों का रजिस्ट्रेशन

(श्री हरजीराम बुरडक)

कब-कब कराया गया ? संशोधनों की प्रतियां सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर का रजिस्ट्रेशन दिनांक 10.10.1974 को क्रमांक 148 से जिला विकास अभिकरण, नागौर के नाम से हुआ था, रजिस्टर्ड विधान एवं नियमावली की प्रति संलग्न है।

(2) बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध में नागौर जिले में बाढ़ के कारण अधूरी सूचना जिला ग्रामीण अभिकरण, नागौर से प्राप्त हुई है। पूर्व सूचना संकलित की जा रही है। पूर्व सूचना प्राप्त होते ही भिजवा दी जाएगी।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला विकास अभिकरण, पाली में कर्मचारियों के रिक्त पद

113. श्री सुखलाल सैणचा (रायपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला विकास अभिकरण, पाली में कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत है ? उक्त में से किस-किस पद पर कौन अधिकारी एवं कर्मचारी कितने समय से कार्यरत है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला विकास अभिकरण पाली द्वारा वर्ष 1993 से मई, 1996 तक कौन-कौनसे कार्य किस-किस एजेन्सी के प्रस्तावों पर स्वीकृत किये गये ? उनमें से कितने कार्य पूर्ण कर दिये गये, कितने अधूरे हैं तथा कितने चालू नहीं हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली में कुल 43 पद स्वीकृत हैं। कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची मय कार्यग्रहण दिनांक के संलग्न परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(2) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली द्वारा वर्ष 1993 से मई, 1996 तक विभिन्न 30 कार्यकारी संस्थाओं के प्रस्तावों पर 3204 कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से 1772 कार्य पूर्ण हो चुके हैं 1292 कार्य अधूरे/प्रगतिरत हैं एवं 139 कार्य चालू नहीं हुए। कार्यकारी संस्थाओंवार एवं कार्यवार सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, छोटी सरवन (बांसवाड़ा) के मृत कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति/पेंशन में विलम्ब

114. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) एवं **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री चन्द्रशेखर जोशी, कम्पाउण्डर, राजकीय आयुर्वेद औषधालय छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा के दिनांक 13.6.1972 से लापता होने के कारण, न्यायालय में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) न्यायिक मजिस्ट्रेट शहर (उठार) उदयपुर (राज.) ने वाद संख्या 127/92 के सम्बन्ध में अपने निर्णय दिनांक 22 दिसम्बर, 1994 द्वारा मृत घोषित किया गया है ?

(श्री दयाराम परमार)

(2) क्या यह भी सही है कि श्री जोशी की विधवा पत्नी ने अपने पुत्र के पागल होने के कारण अपने दत्तक पुत्र को इनके स्थान पर नियुक्ति देने हेतु सरकार को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो प्राप्त आवेदन-पत्र संलग्न पत्रों की प्रतियों सहित व उस पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि नियमों में दत्तक पुत्र को नियुक्ति देने का प्रावधान है ? क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-4) आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक पं. 11 (5) आयुर्वेद/94, दिनांक 16.4.1996 द्वारा निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर को मृत कर्मचारी के दत्तक पुत्र को नियुक्ति देने हेतु लिखा ? यदि हां, तो क्या विभाग ने मृत कर्मचारी के दत्तक पुत्र को नियुक्ति प्रदान कर दी ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि मृतक कर्मचारी के दत्तक पुत्र एवं पत्नी ने नियुक्ति सम्बन्धी सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर दी है ? यदि हां, तो उसको अभी तक भी नियुक्ति नहीं देने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? प्राप्त आवेदन-पत्र की प्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त मृत कर्मचारी का पेंशन प्रकरण अभी तक भी लम्बित है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार मृत कर्मचारी के दत्तक पुत्र को नियुक्ति देने तथा उसकी विधवा के पेन्शन प्रकरण का अविलम्ब निपटारा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) इस भाग के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(3) जी, हां। नियमों में दत्तक पुत्र को मृतक कर्मचारी के आश्रित के रूप में नियुक्ति देने का प्रावधान है, किन्तु राज्य सरकार ने संदर्भित पत्र दिनांक 16.4.95 द्वारा मृतक कर्मचारी के दत्तक पुत्र को नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति नहीं देकर मृतक की विधवा को नौकरी के योग्य पाया है एवं विधवा से नियमित आवेदन प्राप्त कर नियुक्ति की कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। इस कारण मृतक के दत्तक पुत्र को नियुक्ति नहीं दी गयी है।

(4) उत्तर एवं सामग्री प्राप्त की जा रही है। प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(5) मृतक कर्मचारी की विधवा को पारिवारिक पेन्शन देने हेतु प्रकरण तैयार कर पेन्शन विभाग को स्वीकृति हेतु भेजा हुआ है।

(6) पारिवारिक पेन्शन प्रकरण को नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। दत्तक पुत्र की नियुक्ति का वाद राज्य सरकार अस्वीकृत कर चुकी है।

राज्य के जिला आयुर्वेद अधिकारी

115. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में विभाग में कितने जिला

(श्री अर्जुनदास मदान)

आयुर्वेद अधिकारी कहां-कहां कितनी अवधि से कार्यरत है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक जिला आयुर्वेद अधिकारी के अधीन ऐसे कौन-कौन से वैद्य वर्तमान में कार्यरत हैं, जो उस जिला आयुर्वेद अधिकारी से वरिष्ठ हैं ? ऐसे वैद्यों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। साथ ही उनके नाम के आगे यह भी दर्शाएं कि वह वैद्य अपने वर्तमान जिला आयुर्वेद अधिकारी से कितने वर्ष वरिष्ठ है ?

(3) वरिष्ठ वैद्यों के होते हुए कनिष्ठ वैद्यों को कार्यवाहक जिला आयुर्वेद अधिकारी के पदों पर क्यों लगाया गया है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में विभागान्तर्गत 20 जिला आयुर्वेद अधिकारी 22 जिला कार्यालयों में तथा 10 वैद्य/आयुर्वेद चिकित्सक 10 जिला कार्यालयों में जिला आयुर्वेद अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। कार्यरत अधिकारियों की अवधि सहित सूची (परिशिष्ट "क") सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) ऐसे वरिष्ठ वैद्यों/आयुर्वेद चिकित्सकों की जिलेवार सूची (परिशिष्ट "ख") सदन की मेज पर रख दी गयी है, जो कि अपने जिला अधिकारी से वरिष्ठ है।

(3) आयुर्वेद चिकित्सकों की वरिष्ठता सूची जारी होने तक प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अस्थाई व्यवस्था के लिये कनिष्ठ वैद्यों को कार्यवाहक जिला आयुर्वेद अधिकारी का कार्यभार दिलाया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

चरागाह विकास हेतु आवंटित भू-खण्ड

116. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भेड़ व ऊन विभाग से चरागाह विकास के लिये सरकार ने 132 भू-खण्ड प्रत्येक सौ - सौ हैक्टेयर क्षेत्रफल के आबंटित किये थे ? यदि हां, तो कब व कहां पर ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भू-खण्डों पर क्या-क्या कार्य किस के द्वारा कब-कब कराया गया और उस पर कितना-कितना खर्च किस-किस मद में किया गया ?

(3) अब यह भू-खण्ड किस विभाग के पास है तथा इनमें चरागाह विकास का कार्य किस विभाग ने कराया तथा इनका अब क्या उपयोग हो रहा है ?

उत्तर

(1) जी, हां। भेड़ व ऊन विभाग को चरागाह विकास के लिए कुल 158 भू-खण्ड प्रत्येक सौ-सौ हैक्टेयर क्षेत्रफल के आबंटित किये थे। इन भूखण्डों पर वर्ष 1974-75 से जिला जोधपुर, नागौर, चूरू एवं जालौर तथा वर्ष 1981-82 में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में विकास कार्यक्रम चलाये गये थे। सूची अनेक्सर-1 संलग्न है।

(2) उक्त भूखण्डों पर तारबन्दी, कुण्ड, झौपड़ी, सहकारी समिति का गठन एवं चरागाह विकास एवं बीजारोपण विभाग द्वारा कराया गया था। यह कार्य वर्ष 1974-75 से प्रारम्भ

(राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन)

किया गया भूखण्डवार खर्चे का विवरण अनेक्सर - 2 संलग्न है।

(3) उक्त भूखण्डों में से 102 भूखण्ड वन विभाग को स्थानान्तरित कर दिये गये हैं। जिसमें से 10 भूखण्डों पर कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश होने के कारण वन विभाग को स्थानान्तरण नहीं किया गया। 56 भूखण्ड शेष हैं, जो विभिन्न सहकारी समितियों को चलाने हेतु दिये हुए हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

उरमूल डेयरी, बीकानेर द्वारा दुग्ध परिवहन पर व्यय

117. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

उरमूल डेयरी बीकानेर द्वारा 1 अप्रेल, 1995 से अब तक दुग्ध परिवहन पेटे कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया ? उक्त राशि में से कितनी ट्रक ठेकेदारों एवं कितनी राशि स्थानीय दुग्ध परिवहन हेतु गाड़ी वालों को दी गयी ? दोनों की पृथक-पृथक सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उरमूल डेयरी, बीकानेर द्वारा वर्ष, 1995-96 में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां प्रस्तावित दुग्ध समितियों से डेयरी संयंत्र तक दुग्ध परिवहन पेटे 1 करोड़ 30 लाख 63 हजार 140 रुपये का भुगतान अनुबंधित ट्रक ठेकेदारों को किया गया।

वर्ष 1995-96 में ही उरमूल डेयरी से शहर में दुग्ध वितरण हेतु 9 लाख 5 हजार 792 रुपये का भुगतान अनुबन्धित ठेकेदारों को किया गया। इस तरह वर्ष 1995-96 में अनुबन्धित ठेकेदारों को उरमूल डेयरी द्वारा कुल 1 करोड़ 39 लाख 68 हजार 932 रुपये का परिवहन पेटे भुगतान किया गया।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री भीमसेन चौधरी एवं श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधानसभा की ओर से एस. पी. मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध अस्पताल पी.बी.एम. के रेजीडेंट डाक्टर्स के साथ मारपीट एवं नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं करने से डाक्टर्स में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

(2) श्री परसादीलाल मीणा एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला परिषद, दौसा के कार्यकारी अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों के सरपंच व सचिवों को गैर-कानूनी तरीके से परेशान किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री शैलेन्द्र जोशी एवं श्री मोहनलाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि उपज मंडी समिति, बूंदी के टैक्स चोरी सम्बन्धी प्रकरण में सचिव द्वारा मात्र चार फर्जी बिलों को जप्त किये जाने व शेष बिल बुकों को जप्त नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत एवं 15 अन्य सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में मच्छर मारने हेतु नगर निगम द्वारा की गयी फोगिंग से अनेक व्यक्तियों के रोगग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री शांतिकुमार धारीवाल, आप सही-सही सुनना, सदस्य विधान सभा की ओर से नगरपालिका, फुलेरा, जिला जयपुर के अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर लाखों रुपये का कथित गबन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री बनवारीलाल बैरवा एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला-टोंक की तहसील देवली के ग्राम उथरणा में दिनांक 15.6.1996 की रात को एक अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री विष्णु मोदी एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में चोरी-डकैती, हत्या, बलात्कार, लूटपाट, अपहरण, पुलिस हिरासत में लोगों की मृत्यु, अपराधियों की जेल से फरारी आदि बढ़ती वारदातों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी चाही जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, हमारा जो प्रस्ताव है—— (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष : वह आप बाद में पूछ लेना, बिराजिये आप। मैं कर लूंगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्य जुलाई माह में जारी रखने के सम्बन्ध में।

(2) श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के कस्बा नौगावां में सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर शहर के थाना गंगाशहर के एक एस.आई. को कथित अनुचित तरीके से निलम्बित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर में बढ़ती हुई आबादी व घनत्व की तुलना में चिकित्सीय सुविधाओं की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री खेतसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील में वन विभाग की योजनाओं में कार्यरत 290 बेलदारों को बारां एवं झालावाड़ जिलों में लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री भवानी जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला-बांसवाड़ा की तहसील गढ़ी के ग्राम आसोडा के एक खनन पट्टा एम. आर. एन. 5/93 को निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से मकरान क्षेत्र में स्थित बोरावड़ कुमारी में खान संख्या 49/ए का पट्टा बहाल नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य विधान सभा की ओर से माध्यमिक विद्यालय, पुनाली

(श्री अध्यक्ष)

को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में ।

(9) श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर की विश्व प्रसिद्ध झीलों में प्रदूषण फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री बनवारीलाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई कस्बे में माह जून में लगातार तीन दिन तक जल प्रदाय नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री रामस्वरूप , सदस्य विधान सभा की ओर से जिला-सवाईमाधोपुर के हिण्डौन डिवीजन में भू-प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही से सैंकड़ों काश्तकारों के भूमि से बेदखल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र, बस्सी, जयपुर में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा निर्मित सड़कों की दुर्दशा के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

यह शून्यकाल है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, आप बिराजिये। हरिसिंह जी और हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था। आप उसमें राज्य सरकार से जानकारी मंगवा रहे हैं। हमको राज्य सरकार से जानकारी नहीं चाहिए। राज्य सरकार यहां पर बैठी है। जिला-परिषद के सी.ई.ओ. ने जिले में घोर भ्रष्टाचार, तानाशाही, निरंकुशशाही और सरपंचों को काम नहीं करने देने की नीति अपना रखी है। और आप कह रहे हैं, जानकारी मंगवा रहे हैं। राज्य सरकार यहां पर बैठी हुई है। आप स्टेटमेंट के लिए टाइम तय करिये। यह सारे जिले का मामला है। सौ ग्राम पंचायतों के रिकार्ड...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : सी.ई.ओ. जिला परिषद, दौसा ने मंगवा कर अपने कार्यालय में रखे हैं और सरपंचों को ताड़ना दी है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनैतिक दृष्टि से भेदभाव किया जा रहा है...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : उन्होंने सरपंचों को ताड़ना दी है। या तो पैसे पहुंचाओ। इन जिला परिषदों में ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अभी जो चुनाव हुए हैं, उनका बदला लिया जा रहा है। हमारे कार्याकर्ताओं से बदला लिया जा रहा है। चुन-चुन कर उनकी रिपोर्ट मंगवायी जा रही है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। यह पूरे दौसा जिले के सरपंचों ...(व्यवधान)...

श्री शैलेन्द्र जोशी : जानबूझकर जिला प्रमुख द्वारा राजनैतिक भेदभाव का बर्ताव किया जा रहा है।

श्री परसादीलाल मीणा : पूरे दौसा जिले के सरपंच इससे आतंकित है। प्रजातंत्र के नियमों को नष्ट कर दिया गया। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : लोगों के ट्रान्सफर कर दिये गये हैं। लोगों को सस्पैंड कर दिया गया है। उनके रिकार्ड मंगवा लिये गये हैं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : रिकार्ड को तलब किया जा रहा है। (व्यवधान)...

श्री परसादीलाल मीणा :अध्यक्ष महोदय, सीई. ओ. जिला परिषद ने सौ ग्राम पंचायतों का रिकार्ड मंगवा कर इन ग्राम पंचायतों के सरपंचों को (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बिराजिये। बिना जानकारी के एटेंडम क्या कहा जा सकता है? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : उनका रिकार्ड मंगवा कर वहां रखा है। सरपंचों के खिलाफ सी. ई. ओ. जिला परिषद ने बिना राज्य सरकार की जानकारी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा :आप पहले मेरी बात तो सुनिये ।

श्री अध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं। मैंने पूरा पढ़ा भी है।

श्री परसादीलाल मीणा :अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये। मैं आपको विनती करता हूं, आप मेरी बात सुन लीजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पूरे जिले का मामला है। पूरे जिले के प्रशासन को रोंद कर रख दिया है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : राज्य सरकार से स्टेटमेंट दिलवाइये। सरपंचों के खिलाफ सी. ई. ओ. ने नाजायज रूप से (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : क्या कांग्रेस के सरपंचों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है ? क्या कांग्रेस के पंचायत समिति के जो प्रतिनिधि हैं, उनको जिन्दा रहने का अधिकार नहीं है ? क्या कांग्रेस वाले पाकिस्तान चले जायें ? क्या कांग्रेस वाले हिन्दुस्तान में रहने के अधिकारी नहीं है ? इस तरीके से विक्टीमाइजेशन हो रहा है। जानबूझकर विक्टीमाइजेशन हो रहा है पार्टी लेवल पर..(व्यवधान)..

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसलिए उसके द्वारा (व्यवधान)..

श्री शैलेन्द्र जोशी : 112 लोगों की रिपोर्ट मंगवा ली। सारा रिकार्ड मंगवा लिया, जिसका कोई लिखित में रिकार्ड नहीं है।

श्री अध्यक्ष : परसादीलाल, आपकी बात आ गयी, आप बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, में आपको एक पत्र पढ़कर सुना रहा हूँ। मेहरबानी करके आप ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : कृपा करके अभी इसको न ही पढ़ें तो ठीक है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, हमारा बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका बहुत गम्भीर मामला है इसलिये मैंने सरकार से जवाब मांगा है।

श्री परसादीलाल मीणा : ऐसे नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, आम जनप्रतिनिधियों की सीईओ. द्वारा हत्या.(व्यवधान)..

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : दौसा जिले की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों के खिलाफ जो..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब अंकित नहीं करें।

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(61)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें। अंकित नहीं हो अब।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप जाकर मंत्रीजी से बात करें। आप बिराजिये अब।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : परसादी लाल जी..(व्यवधान)..बिराजें आप।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप अब बिराजें। ..(व्यवधान).. जिसमें व्यवस्था दे दी है उसके बाद, आज आपका आया वैसे ही मैंने जानकारी मंगाने के लिए भेज दिया। अब जब तक जानकारी नहीं आएगी क्या बात करेंगे वो। ..(व्यवधान)..

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री विष्णु मोदी : XXX

श्री बनवारी लाल बैरवा : XXX

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं अब।

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री बनवारीलाल बैरवा : XXX

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : आपने स्थगन प्रस्ताव रखा, मैंने उस पर व्यवस्था दे दी कि राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज ही आपने दिया और आज ही मैंने व्यवस्था सुना दी उसके बाद क्या चाहते हैं ?..(व्यवधान)..

श्री परसादी लाल मीणा : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX

श्री विष्णु मोदी : XXX

श्री बनवारी लाल बैरवा : XXX

श्री रतन लाल ताम्बी : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराज जाएं आप।..(व्यवधान)..

श्री विष्णु मोदी : XXX

श्री रतन लाल ताम्बी : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराज जाएं आप अब।..(व्यवधान)..कृपया आप बिराज जाएं। आपने काफी ध्यान आकर्षण कर दिया वैसे ही, आप बिराजें अब।..(व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री बरवारीलाल बैरवा : XXX

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बिराज जाएं। ..(व्यवधान)..हरिसिंह जी, बिराजें अब आप।

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजें आप।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : महेन्द्र जी, बिराजें अब आप।..(व्यवधान)..

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं आज का आज किसी को यह निर्देश देने की स्थिति में नहीं हूं और न मैं कम्पैल करने की स्थिति में हूं।..(व्यवधान)..

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री विष्णु मोदी : XXX

श्री अध्यक्ष : अभी आपने रखा है, कल दिया है आज मैंने इस पर व्यवस्था दे दी कि सरकार से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन अण्डर रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट आफ बिजनेस इन दी रूल 50, 27 तारीख को दिया गया। 27, 28, 29, 30, 1 और आज तारीख है 2। पांच दिन तक यह सरकार ऐसे...

एक माननीय सदस्य : बाढ़ में बह गयी।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मैं आपके कहने से नहीं बोलूंगा।

सरकार अगर पांच दिन में स्टेटमेंट नहीं दे सकती that Government is not the worth of salt. No Government worth the name.

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, जैसा कि अभी पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उस दिन एडजोर्नमेंट मोशन पर, इस सदन के नेता जब प्रति पक्ष के नेता थे, उनके आग्रह पर एक बजे स्टेटमेंट गवर्नमेंट से दिलवाया। यह सरकार लायतलाली करेगी, आपके निर्देशों की अवहेलना करेगी, This Government is throwing your directions in jettison.

इसलिये मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस सदन के अन्दर आपके पास बहुत पावर्स है, अनफेटेड पावर्स। एक्जिकूटिव इनके पास है, खजाना इनके पास है लेकिन आपकी पावर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सुप्रीम है। और इसलिये आप आज इनको डायरेक्शन दीजिये, ऐसा इम्पोर्टेड मामला, जिसमें जनता के प्रतिनिधियों को हरेश ही नहीं किया जा रहा उनके साथ, यह सरकार सैण्टर-स्टेट्स रिलेशन की बात करती है, मीठा-मीठा गप्प और दूसरा थूंक दो, इधर इनको पंगु बना दिया है।

Democratic de-centralization must be after the Amendment in the Constitution. It must be an Article of faith, Mr. Rural Development Minister; and he knows the provisions of the Constitution of India. We, the people of India have given the Constitution up to ourselves and in this Republic, we have certain fundamental rights. Am I correct Mr. Home Minister ?

प्रिएम्बली तो रटी हुई थी, आप इधर थे जब हमेशा प्रिएम्बल पूरी आप बोला करते थे उसके बाद मैंने भी रट रखी है। और इंडियन रिपब्लिक में सत्ता का सुप्रीम पार्लियामेंट में है जिसमें सोवरेंटी वेस्ट है, उसमें सत्ता का डि-सैंट्रेलाइजेशन किया है। और पंचायती राज को स्वायत्ताशासी संस्थाएं बनायी हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार? यदि अब इनकी गवर्नमेंट नहीं है और अपोजिशन जब इस तरह बैठा है तो उसका यह जिम्मेदारी और दायित्व बन जाता है, और हमारा कर्तव्य है इस तरह से आप अगर डिस्किमिनेटरी ट्रीटमेंट के साथ में उनको तंग करेंगे, उन पर अत्याचार करेंगे तो, अध्यक्ष महोदय, यह हमारा राइट नहीं है कि हम उस बात को यहां सदन के सम्मुख रखें। He cannot stangulate and gag our expression and people's desire here in this House.

इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सरकार को डायरेक्शन दें कि

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री परसराम मदेरणा)

आज सदन के अन्दर स्टेटमेंट दे। पांच दिन पहले दिया हुआ एडजोर्नमेंट मोशन और उस पर सरकार कुम्भकरणी नींद में सो रही है और बहाना ले रही है। आप जब तक इनको इस प्रकार का डायरेक्शन नहीं देंगे, मुझे अच्छी तरह जानकारी है इस सदन के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, डायरेक्शन यह हैं कि स्टेटमेंट तीन बजे होना चाहिये गवर्नमेंट कहीं से इत्तला करे। हाट लाइंस लगा रखी है, इलैक्ट्रोनिक्स एक्सचेंज काम कर रहे हैं और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का एक-एक मिनिस्टर का महीने का बिल आ रहा है और उसके बाद में इन्फोर्मेशन दौसा से नहीं मंगायी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, जिस सहजता और सरलता से आप बात को सुन रहे हैं उसी तरह से आप सरकार को डायरेक्शन देंगे ताकि सरकार आज इस सदन में अपना वक्तव्य दे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो प्रतिपक्ष को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि आगे क्या स्टेप लेना चाहिए।

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री पंचायती राज) : अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है हम बहुत गम्भीर है इस मामले में और आप जब भी डायरेक्शन देंगे कल या परसों, आज तो अगर आप (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आज-आज। 12 जुलाई, 1989 को क्वेश्चन आवर नहीं चलने दिया। 12 जुलाई, 1989 को श्री घनश्याम जी तिवाड़ी और श्री भैरोंसिंह जी शेखावत थे, उसके ऊपर एक बजे स्टेटमेंट हुआ। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : एक मिनट सुनो आप (व्यवधान) माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये कह रहा हूं कि वह तैयारी कर लें और सरकार भी तैयारी कर लेगी। आप कल या परसों जब भी चाहें आप तय कर दें। सरकार स्टेटमेंट दे देगी। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : सरकार स्टेटमेंट देने में असमर्थ है तो इस बात को डिनाई नहीं करता। कल हाउस में हम दौसा जिले के एम. एल. ए. नहीं रहेंगे। आप परसों एक बजे स्टेटमेंट दिला दें।

श्री नाथूसिंह : हां, ठीक है। परसों दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, परसों रख लेंगे।

श्री भीमसेन चौधरी : (व्यवधान) और इस स्ट्राइक के कारण वहां पर जनता को बहुत तकलीफ बरदाश्त करनी पड़ रहीं है और मारपीट के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : परसों एक बजे स्टेटमेंट दे देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : Government commitment, you should rise on your legs. बैठे-बैठे ऐसे ही कह रहे हो, यह क्या बात है। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मैंने पहले बोल दिया है माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, कि जब भी स्पीकर साहब डायरेक्शन देंगे, माननीय सदस्य ने भी कहा है कि परसों एक बजे सरकार इसका वक्तव्य दे दे।

श्री परसराम मदेरणा : किसलिये सदन के नेता को घसीट रहे हो। किसलिये घसीट रहे हो ? You are the Minister-in-charge.

श्री नाथूसिंह : परसों एक बजे वक्तव्य दे देंगे।

श्रीमती कमला (बैराठ) : आज चार बजे क्यों नहीं दे सकते ?...... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मैंने यह निवेदन किया था तो आपने कहा था कि बीच में क्यों उठाते हो ऐसे प्रश्न। यह समस्या रोजाना आ रही है हमारे सामने। उसमें भी आप परसों हमारा दिला दें। होम मिनिस्टर साहब से मेरा भी दिला देना उसी मामले में, जो हत्या का मामला है। आपने परसों का ही नाम लिया है उस मामले में भी। यह रोजाना की समस्या है, आज की समस्या नहीं है। रोजाना हमारे सामने समस्या आती है। कल भी हम आधे घंटे तक पुकार रहे थे तब जाकर उन्होंने हां की है।

श्री तैयब हुसैन (कामां) : अध्यक्ष महोदय, कल बाढ़ के मामले में सबकी तरफ से यह मांग की थी कि जो लेप्सेज रह गये हैं उसकी इन्क्वायरी करवायी जाये। लेप्सेज कैसे रह गये इसका कोई जवाब कल सरकार ने नहीं दिया। इसका आप जवाब दिलवाइये। चाहे वह इन्क्वायरी रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर से करायी जाए या जुडिशियल करायें क्योंकि भरतपुर सारा डूब गया। हमने सबने मांग की। आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने भी यह मांग की। सिचांई मंत्री ने भी यह बात कही थी। जांच कराने में क्या कठिनाई है। (व्यवधान)

श्री अरूण सिंह : सिचांई मंत्री जवाब दें तो पूरा मेवात डूब गया। कल रात 30 गाँव और डूब गये मेवों के। कम से कम सरकार को एक कमिश्नर इन्क्वायरी करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, 1995 में भरतपुर में जो लेप्सेज रह गये थे उन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। (व्यवधान) भरतपुर में पिछली बाढ़ में जो थे लेप्सेज रह गये थे। उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एक मीशन बनाया जाए, एक जांच कमीशन बैठाया जाए, जो भरतपुर में लेप्सेज रह गये हैं उसके बारे में जांच पेश करे। दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाए। 1995 के अंदर बाढ़ के अन्तर्गत लेप्सेज रह गये हैं उनकी जांच के लिए एक कमीशन बनाया जाए और इससे जांच करायी जाए और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाए हमारी यह मांग है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक-एक माननीय सदस्य कहें तो कुछ सुनने में भी आये। पता नहीं लग रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अरूण सिंह : पूरा मेवात डूब गया।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाह रहे हैं। वह क्या कहना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : हम सब एक ही बात कहना चाहते हैं। हमारी तरफ से यह मांग की गयी भरतपुर जिले के बारे में जो फ्लड आयी है और उसमें जो इंसानी कमजोरी रही है, मैन-मैड हुआ है, कुछ लेप्सेज हुए हैं उसकी इन्क्वायरी करवायी जाए। इसके बारे में सरकार की तरफ से कल एक अर्फ भी बिलकुल इसके ऊपर पर्दापोशी कर दी गयी। यह जरूरी है कि जो 1995 के बाद फ्लड में जो लेप्सेज हुए हैं उसकी जांचपड़ताल की जाए। चाहे रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर से जांच करायें, चाहे जुडिशियल करायें। जब हम कह रहे थे जवाब हो चुका तो, जनाब ने हाउस एडजोर्न कर

(श्री तैयब हुसैन)

दिया। किस तरह से लेप्सेज हुए 1995 में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री अरूण सिंह : विराजने से काम नहीं चलेगा।

श्री तैयब हुसैन : आप बिराजने की बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : यह रीजनेबल डिमांड है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह जांच तो बैठानी ही पड़ेगी। यह जांच तो निश्चित तौर पर सरकार को बैठानी ही पड़ेगी। 1995 बाढ़ के अन्दर के जो लेप्सेज रह गये हैं (व्यवधान) यह छोटा मामला नहीं है।

श्री जुबेर खान : लोग पानी में डूबे हुए हैं। लोग मर गये। मवेशी मर गये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जांच नहीं हुई तो दोषी व्यक्तियों को दण्डित नहीं किया जा सकेगा। (व्यवधान)

श्री अरूण सिंह : पूरा मेवात डूबा हुआ है। (व्यवधान) वाक आउट करिये। पूरा मेवात डूब गया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसके लिए आयोग का गठन होना चाहिए। आयोग से इसकी जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आयोग के गठन की आज ही घोषणा की जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। माननीय विश्नोई साहब को बोलने दें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : कल मैंने निवेदन किया था कि सरकारी अधिकारी जिला स्तर पर किस तरह से लापरवाह रहते हैं। मैंने 500 लोगों के मरने की बात कही थी। वह तो एक इंजीनियर का भला हो नहीं तो डेढ़ लाख लोग मरते लापरवाही के कारण। इसलिये यह लापरवाही जो प्रशासन बरतता है इसमें फ्लड्स वगैरह में, इसकी जांच अवश्य होनी चाहिये। वह अनभिज्ञ हैं, लापरवाह हैं और समय पर ठीक है बरसात के लिये तो कोई छतरी तानी नहीं जा सकती। बरसात हो जाती है। घंटे-आधे घंटे में मौत हो जाए तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सरकार और उनके जो स्थानीय अधिकारी हैं, उनकी सरासर लापरवाही से सैंकड़ों मौतें हों और अरबों का नुकसान हो वह गंभीर बात है। इसलिये इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। मैंने उस वक्त घरबीती बात कह कर (व्यवधान) सब बात कही थी और श्री मदेरणा साहब का (व्यवधान)।

श्री तैयब हुसैन : आदमी मर गये और आपको हंसी आ रही है हाउस में बैठकर। इतने आदमी मर गये। एक आदमी के ऊपर इन्क्वायरी होती है। यहां इतने आदमी मर गये और आप बैठे-बैठे हंस रहे हैं - (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कामां से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप किसी चीज को गंभीर लेते ही नहीं हैं। मजाक में उड़ाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हंसने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आप कितने गंभीर हैं, बाढ़ के मामले में आप कितने गंभीर हैं, कल आपने भाषण दिया और आप अपने क्षेत्र

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

में काफी लोगों से मिलकर आये हैं। आपको उसका काफी ज्ञान भी है। मैं तो इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व में जो इस आसन पर बिराजमान रहते थे, श्री पूनमचन्द जी, जब आपने कहा कि यह जांच होनी चाहिये, मैं कोई इसके लिये इंकार नहीं करता। मुझे हंसी इसलिये आयी कि प्रक्रिया और नियमों के लिये पूनमचन्द जी विश्नोई जब इस आसन पर बैठा करते थे और हम उधर बैठा करते थे, तब हमको बार-बार यह कहा करते थे कि प्रक्रिया में आइये, नियमों में आइये। माननीय सदस्य नियमों में बहुत प्रावधान हैं आप उसके अन्तर्गत आइये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कहीं लेप्सेज रहे हैं तो जब तक कोई प्रस्ताव आप इस प्रकार का नहीं लाएंगे, आसन के सामने नहीं लाएंगे तो कैसे जांच होगी ? अभी कौनसे नियमों के तहत यह जांच आप करवाना चाहते हैं, कौनसा मसला उठाने चाहते हैं, किन अधिकारियों के लेप्सेज रहे गये हैं, किस के खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिये, आपका क्या प्रस्ताव है। आपने किसी भी प्रकार से कल जब चर्चा हुई, उसमें अच्छा तो यह होता कि आप जहां-जहां पर कमियां रही हैं, उस पर आप अपनी बात कहते और मैं तो कहता हूँ कि आप आरोप लगाते। लेकिन जिस समय चर्चा हुई, मुझे खेद तो यह है कि कामां से आने वाले माननीय सदस्य कामां में आज तक भी नहीं गये। मुझे खेद है कि वहां पर...(व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : मैं नहीं गया तो क्या आप गये ? बिलकुल गलत बात है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : और वहां पर बिना कुछ देखे इस प्रकार की बात कही। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री अरूण सिंह : कामां के सदस्य कामां गये हैं। ऐसे आरोप मत लगाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सरकार का काम किसी को बचाने का नहीं है यदि आप वाकई गंभीर हैं तो आप गंभीरता से उस विषय को लेकर यहां पर आइये। अगर कोई लेप्सेज हैं तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी। लेकिन मुझे यह लगता है कि आप उसमें गंभीर नहीं हैं और केवल सदन का माहौल खराब कर रहे हैं। सदन का समय बहुमूल्य है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे हंसी इसलिये आयी कि इस आसन पर बैठकर पूनमचन्द जी ... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जनता मरेगी तो आपको हंसी आएगी। आप किस प्रावधान के अन्तर्गत बोल रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिस प्रकार की परम्पराएं कायम कीं, माननीय सदस्य मुझे खेद है कि माननीय सदस्य बिना किसी प्रक्रिया और नियमों के बोले हैं... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक जी कौन से प्रावधान के अन्तर्गत बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किस आधार पर माननीय सदस्य पर आरोप लगा रहे हैं कि कामां में नहीं गये। यह उनकी जांच करते हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप अपने सदस्यों को नियत कर सकते हैं, प्रक्रिया और नियमों के बारे में उनको समझाते कि वह नियम और प्रक्रिया के तहत आयें। इस प्रकार का प्रस्ताव लायें। और आपने कल कहा था कि यह 119 का प्रस्ताव है, 50 का स्थगन प्रस्ताव है, 127 , 131 में आप ध्यानाकर्षण

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कर प्रस्ताव में आ चुके हो, लगा सकते हो, उसका जवाब आएगा और निश्चित रूप से सार्थक चर्चा होगी।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्षजी, इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये, लेप्सेज हुए हैं (व्यवधान) कामां के सदस्य कामां गये हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो चर्चा हो वह सार्थक होनी चाहिये। इसलिये मुझे हंसी आयी है।

श्री जुबेर खान : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आप कौनसे रूल के तहत भाषण दे रहे हैं, जरा आप पहले बता दीजिये, इतना लम्बा भाषण दे गये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को और मुख्य सचेतक महोदय को अगर इन नियमों की परवाह है तो इस सदन को इन नियमों से तो चला दें आप। इसमें साफ लिखा है कि एक साल में तीन सत्र होंगे, उसकी साठ बैठकें होंगी तो आप किन नियमों की दुहाई देते हैं। लोग मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : और मैंने आरोप लगाया है कि सिंचाई मंत्री, सार्वजनिक निर्माण मंत्री और रिलीफ मिनिस्टर के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करायी जाए, यह मैनमेड फ्लड हुआ है, बरसा आयी है तो ठीक है_ (व्यवधान) लेकिन अवरोध पैदा कर दिया गया जिसमें कई लोगों को जानमाल का नुकसान हुआ है। आप अपने आपको संवेदनशील कहते हैं लेकिन आपको लोगों के मरने की परवाह नहीं और आप जांच कराना चाहते हैं, आप नियमों का हवाला देते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिस मीटिंग में यह तय होता है कि कितने दिन सदन चलता है, उसके आप सदस्य हैं और आपको बुलाया गया तो आप उसमें आते नहीं हैं, क्यों नहीं आते हैं आप ? (व्यवधान)

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, कम से कम 200 आदमी मेवात में मरे हैं और मुझे उम्मीद है आप सुनेंगे। अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं इस हाउस से वाक आउट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाओ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, चीफ व्हिप महोदय ने जो प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों का हवाला दिया है वह सदन की कार्यवाही के संचालन के सम्बन्ध में है। मैंने निवेदन इसलिए किया था कि कल जब डिबेट खतम हुई उसके बाद जब माननीय सदस्य मांग कर रहे थे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए उस वक्त आपने सदन की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी थी। उन्होंने उस समय यह बात उठायी तब मैंने अपनी बीती बात का हवाला देकर कहा था कि प्रशासन किस तरह से लापरवाह रहता है तो इसमें कार्य संचालन के नियमों की बात नहीं है, यह तो कार्य संचालन जो है वह इस प्रांगण तक सीमित है। प्रशासन का दायरा तो बहुत बड़ा है। उससे सम्बन्धित सभी प्रश्न यहां आते हैं, कल आया था तो उसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि मैंने उदाहरण देकर के और उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं हमारे चीफ व्हिप महोदय और हमारे नेता मदेरणा साहब जो मैंने बात कही थी, वह आप बीती कही थी और लापरवाही नहीं होती तो 500 लोगों की जान नहीं जाती।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कल विस्तार से बाढ़ पर बहस हुई और मुख्य मंत्री जी ने भी अपना उत्तर आप सबके सामने रखा। सवाल यह है कि यदि प्रशासनिक लेप्सेज हुए हैं तो उनकी जांच होनी चाहिये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है लेकिन अभी, जब तक भरतपुर की स्थिति सामान्य नहीं होती, यह निश्चय करना कठिन होगा कि प्रशासनिक लेप्सेज क्या हुए हैं। एक बार वहां सामान्य स्थिति हो जाए और सामान्य होने के बाद जहां-जहां भी पता चलेगा कि यहां प्रशासनिक लेप्सेज हुए हैं, निश्चित रूप से उनकी जांच होगी। किस स्तर पर होगी, कितने उसमें लेप्सेज रहे हैं उस सारे क्वेन्टम को देखने के बाद किस स्तर पर जांच होगी यह तय कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्रशासनिक लेप्सेज हुए हैं उनको बिना जांच के ही छोड़ दिया जाए। यह ठीक नहीं है और सरकार का भी इस सम्बन्ध में आपसे कोई मतभेद नहीं है लेकिन यह स्थिति के लेप्सेज क्या हुए हैं, यह पूरा तभी मालूम पड़ेगा जब स्थिति सामान्य होगी। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो, आप उसमें लगे, उसके बाद सरकार को जो अपनी जिम्मेदारी निभानी है, निश्चित रूप से सरकार उसको निभाएगी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्री जी के साथ 27 तारीख को, जिसमें चीफ सैकेट्री भी साथ थे, मैं आपके साथ भरतपुर गया था। भरतपुर में जब आपने डी. आर. डी. ए. के हाल में आफिसर्स की मीटिंग ली, तो आपके सम्मुख पेपर शीट्स रखी हुई थीं। मैंने एक शीट मांगी चीफ सैक्रेटरी से कि एक मुझे दीजिये। आपको और मुझे यह इन्फार्म किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एवं कमिश्नर जो वहां पर डेपुटेशन में लगे हुए थे, कि 157 गांव प्रभावित हुए हैं। लेकिन अब जाकर जो मेरूण्ड गांव हैं वह केवल कुम्हेर तहसील के अन्दर 40 गांव हैं।

दूसरी बात चीफ इंजीनियर, इर्रिगेशन वहां मौजूद थे भाभड़ाजी और उन्होंने यह कहा था कि मोती झील में कुल पानी तेरह - साढ़े तेरह फीट आया था लेकिन ढाई फ़ीट कम हो गया, अभी ग्यारह फीट पानी है, भीतरी रिसीड हो रहा है। आपने ब्लॉक प्लग करने की बात कही तो उन्होंने कहा कि थोड़ा नीचे आ जाए और पानी उतर रहा है, और कल तक यह पानी उतर जाएगा तो नीचे दो या तीन फीट के बेस से जो होल बन गये हैं, उनको हम प्लग करने की स्थिति में होंगे। हमने कोशिश भी की वहां लगाने की लेकिन पानी का बहाव है इसलिए अभी हम होल को प्लग नहीं कर सकते। यह बात भी चली थी कि ऊपर से जो झील टूटी है या नहीं टूटी है, कहा कि नहीं, ऊपर से नहीं टूटी है। मुझे जानकर बहुत आश्चर्य हुआ और भरतपुर वाले कई लोग बोल रहे थे कि 13 फीट में उसका फुल टैंक लेवल है। मोती झील का फुल टैंक लेवल नौ फीट है केवल। फुल टैंक लेवल के बाद में वेस्ट वेयर का जो पानी होता है उसको अगर काउण्ट करते हैं जिसको मैक्जिमम वाटर लेवल कहते हैं, वह मैक्जिमम वाटर लेवल उसमें करीबन एक फुट के आस पास होता है। उसके ऊपर फ्री बोर्ड होता है वाटर लेवल से, और मैक्जिमम वाटर लेवल और फ्री बोर्ड दोनों को मिलाकर के जब काउण्ट करते हो तो योग 13 पर पहुंचता है। तेरह पर टाप से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। उप मुख्य मंत्रीजी अपने को यह नहीं बताया गया था कि ऊपर से अर्थ

(श्री परसराम मदेरणा)

वाल तीन जगह से ब्रीच हुई है। आज मोती झील ऊपर से तीन जगह से ब्रीच है। हम बहुत तसल्ली के साथ यहां पर आये। मैं किसी पर्टिक्युलर अधिकारी के बारे में सदन में व्यक्तिगत तौर पर नहीं कहता लेकिन कल मैंने कहा था कि We have been misled हम बहुत संतोष के साथ आये थे कि पानी उतर गया है। और इसलिये हमने कहा कि कुम्हेर सबसे ज्यादा अफेक्टेड है पैट्रोल कम था हैलीकाप्टर में तो कुम्हेर के गांवों को देखते हुए हम आगे निकल सकते हैं मैंने कहा डीग भी चलना चाहिये, आपने भी कहा डीग जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा डीग को देखकर हम जयपुर पहुंच नहीं सकते। हमने कोशिश भी की थी एक टैंकर था वहां पर एयर फोर्स का, पैट्रोल का। वे बोले कि आप्शन स्टेट हेलीकॉप्टर आने में वह फंस गया। तो हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं था कि हम कुम्हेर से होकर आते। आपके और मेरे आने के बाद आप 28 तारीख को नागौर पधार गये। वहां से मेरे और आपके रवाना होने के बाद चीफ इंजीनियर एक घंटे बाद वहां से रवाना हो गया। मैंने उनसे पूछा आप आये क्यों जब स्थिति इस तरह से बिगड़ रही है और आप कुछ और बात कह रहे थे। मैंने बात की है चीफ इंजीनियर से पर सिचुएशन जो आप स्टेट कर रहे थे उससे डायमेट्रीकली अपोजिट असर हुआ है। उस दिन जिस वक्त हम गये थे, हम यहां अफीम के डोडे नहीं पीते हैं, उप मुख्य मंत्रीजी और मैं, हम जरूर शहर में जाते। लेकिन हमें यह कहा कि लो लाइंग एरिया में आया है यह पानी, परसों ही तो मैंने देखा है it is water sheet. बड़े और छोटे लो लाइंग कुछ नहीं है दि होल भरतपुर सिटी। हमारे आने के बाद वहां पर इंजीनियर बह गया सिमको में से। कई लोगों की मृत्यु हो गयी। चार दिन तक लोग हाउस टाप पर बैठे रहे और इस प्रकार जो कुछ हुआ है और एक बात और कहूं कि सीकरी का पानी कामां क्षेत्र में जाता ही नहीं। कामां क्षेत्र में जो पानी है वह पानी कामां ड्रेन से जाकर के यू. पी. के बार्डर पर गोवर्धन ड्रेन में जाता है और फिर यमुना में मिलता है। मुझे ऐसा शक है कि परसों जब मुख्य मंत्रीजी और हम जब प्रधानमंत्री आये थे 30 तारीख को, उस वक्त कामां के बहुत से गांव, मेखण्ड थे, बहुत ज्यादा थे। पहाड़ी क्षेत्र के गांवों में भी पानी था। पूरी पहाड़ी समुद्र की तरह हो गयी थी बिलकुल शीट थी, वाटर अप टू भरतपुर। इसका मतलब है कि पानी ऊपर राइज हुआ है उस पानी के लिए मेरी समझ में नहीं आया कि टेक्नोक्रेट्स क्या कहते होंगे लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कामां रेगुलेटर जो यू. पी. के बार्डर पर भरा हुआ है जो यू. पी. के अन्दर है, शायद उन्होंने उसका गेट थोड़ा खोला होगा। ताकि उनके वहां पर फ्लड नहीं हो, इससे बेकलेश कर सकता है। लेकिन यहां तो हालत ही दूसरी हुई है। डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पानी में डूब गया और उसमें जो लैप्स हुआ है, यह एक प्रशासनिक जनरलिस्ट है उनका नहीं है, टेक्नोक्रेट्स और जनरलिस्ट का मिला जुला लैप्स है। और ऐसी सूरत में आज जब तीन जगह से टूटी हुई है, 27 को टूटी हुई नहीं थी, आज भरतपुर तक आप जा सकते हो बाई रोड। सेवर में पानी होगा बहुत थोड़ा। सेवर का पानी नीचे आया कि नहीं, कल तक सेवर तक ही पहुंचती थी गाड़ियां। सेवर बिलकुल एडज्वाइनिंग है।

जांच सबसे पहली जो करनी है, वह तो मोती झील तीन जगह से ब्रीच कैसे हुई और

(श्री परसराम मदेरणा)

यह क्यों एश्योरेंस दिया गया गवर्नमेंट को कि कुछ नहीं होने वाला है ? यहां पर जाकर के बहुत बड़ा लैप्स प्रशासन का हुआ है, टेक्नोक्रेट्स का हुआ है। अगर यह मैटर जांच का नहीं है अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी कल दिन भर जो डिबेट हुई, 26 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया –

श्री अध्यक्ष : 44 ने।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको तो कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : रिकार्ड है 42-43 का।

श्री परसराम मदेरणा : कहां से, ऊपर से टपक गये ? मुख्य मंत्रीजी सहित 28 से ज्यादा नही होंगे मेरे इंक्लूडिंग।

श्री अध्यक्ष : यह भी हो जाएगा अभी।

श्री परसराम मदेरणा : अभी हो जाएगा। नाई-नाई वाल कितने कि अभी सामने आ रहे हैं। क्या सुबह जीरो आवर वाले ? डिबेट में ? नहीं, जीरो आवर वाले नहीं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मान चुका हूं, आपने जो कल कहा था कि हमको मिसलेड किया है, इसकी भी जांच होगी। आप व्यवहारिकता समझिये कि इस समय वहां रिलीफ का काम चल रहा है। किसी भी अधिकारी के खिलाफ अभी जांच करने का मतलब यह होगा कि रिलीफ के काम में आब्स्ट्रेक्शन होगा। इसलिये अभी फिलहाल जितनी भी बातें आ रही हैं, एक बात आपके सामने ध्यान में आ गयी कि उस दिन मिसलेड किया, यह भी वन आफ दी रीजन है, इसकी भी जांच होनी चाहिये। और भी अनेक बातें उसके सामने आ सकती हैं। सरकार ने जितने बांधों को रिपेयर करने के लिये पैसा दिया वह उसमें लगा या नहीं लगा, यह सारी बातें उसमें आएंगी लेकिन सामान्य स्थिति होने के बाद ही होगी।

इसलिये मैंने सिद्धान्ततः उस बात को स्वीकार कर लिया है। सरकार उसमें कहीं भी इसका विरोध नहीं करती है न इसमें हम किसी भी ऐसे अधिकारी का पक्ष लेना चाहते हैं कि जिसने जान-बूझकर यह क्रिमिनल नेग्लीजेंस की है। यदि इस तरह की किसी ने नेग्लीजेंस की है तो यह क्रिमिनल नेग्लीजेंस है। इसमें कोई अन्तर नहीं है, विवाद नहीं है। लेकिन यह सामान्य स्थिति के बाद होगी। इसलिये निश्चित रूप से सामान्य स्थिति के बाद सारे प्रकरण की जांच होगी। भविष्य की भी होगी कि आगे दुबारा नहीं आये। यह सारी बातें मुख्य मंत्री जी ने बतायी थी कि आगे के लिये भी हमको तैयारी करनी पड़ेगी। जो हुआ है उसके रीजंस ढूंढने पड़ेंगे। उसमें एनॉमलीज भी है, प्राकृतिक रीजंस भी है। अनेक प्रकार की बातें हैं जिनके बारे में देखकर के ही हम आगे कदम उठाएंगे। इसलिये इसमें बहस की, मैं समझता हूं आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कल सी.एम. साहब सहित 42 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। मैंने नोट किया था। अभी मेरे पास चिट्ठी भी है।

श्री परसराम मदेरणा : कहां पर, डिबेट में 42 कैसे हो गये, मुझे मालूम नहीं था। श्री हरिसिंह जी के बाद में कितने हैं Hari Singh was the first who opened the debate. मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप किस एजेंसी से जांच करवाने जा रहे हैं ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : क्वान्टम क्या होंगे ? किस-किस तरह के लेप्सेज होने की

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

संभावना है या सूचनाएं मिलेंगी उसी प्रकार की एजेंसी से जांच करानी पड़ेगी।

श्री परसराम मदेरणा : जांच तो आप चीफ इंजीनियर को, उसी को वापस कह देंगे कि आप जांच कर लो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं, नहीं। जब आप चीफ इंजीनियर के खिलाफ ही बता रहे हैं कि लैप्सेज उन्हीं का हुआ है, तो वह कैसे करा सकते हैं। It depends upon the quantum of the lapses.

श्री परसराम मदेरणा : Those who are never concerned, those who are not concerned.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप इस सम्बन्ध में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। जांच निश्चित रूप से ऐसी एजेंसी से होगी जो निष्पक्ष रूप से जांच कर सके।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसी एजेंसी से जांच करवाइये जिसका इस वक्त के प्रशासन से बिलकुल डिविजनल या रीजनल या डिस्ट्रिक्ट, जितने भी अधिकारी हैं, मैं नहीं कहता कि जुडिशियल जांच की बात हो, क्योंकि आपके खुद के हैण्ड्स स्ट्रेंथन हो गये। आप यह जो कह रहे हैं_

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं मान रहा हूं कि इसमें सिद्धान्ततः कहीं विरोध है ही नहीं। आपके सुझाव का कोई विरोध नहीं है। कोई भी सरकार इस तरह की नेग्लीजेंस को टालरेट नहीं कर सकती, न करना चाहिये। यह भविष्य के लिये भी ठीक है और जो हुआ है उसके लिये भी ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : बार-बार उप मुख्य मंत्रीजी ने यह बात कही है। यह तो वही बात है - "रोता है क्या और आगे आगे देखिये होता है क्या।" अभी मानसून शुरू हुआ है, आगे आने वाली है, गवर्नमेंट के हैण्ड स्ट्रेंथन होंगे, गवर्नमेंट चाहे कुछ भी करे। लोगों को एक वार्निंग जानी चाहिये कि अगर कोई लैप्स होगा तो He will be brought to the task. यह भी जरूरी है ताकि आगे आने वाले में कोई भी केटास्ट्रोफ नहीं हो, इसलिये इसकी जांच की जानी चाहिये। जांच की एजेंसी भी आपको बतानी चाहिये कि हम किससे करवाएंगे। उसके बाद सोचेंगे। यह जांच की एजेंसी तो आप बता ही नहीं रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हाउस की कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : जांच एजेंसी और कौन से पाइंट उसमें जांच के हों, माननीय प्रतिपक्ष के नेता की मौजूदगी में हो। सरकार को आपके अधिकारियों ने मिसगाइड और मिस्लेड किया है तो कौन से पाइंट जांच के हों, टर्म्स आफ रेफरेंस क्या हो, एजेंसी क्या हो। यह मुख्य मुद्दा हमारी तरफ से है। यह प्रतिपक्ष के नेता और माननीय श्री पूनम चन्द जी विश्नोई ने उठाया है। सरकार से हम यह चाहेंगे कि जब आप इस पाइंट पर जांच का निर्णय करें तो टर्म्स आफ रेफरेंस क्या हो वह प्रतिपक्ष के नेता से सलाह करके_

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, बिलकुल सलाह करके करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात को मान ही रही है कि इसके बाद में जो लैप्सेज रह गये हैं उनकी जांच होगी जैसा माननीय रामनारायण जी ने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कहा है कि जांच की विषय वस्तु क्या होगी। तो जांच की विषय वस्तु कल की जो चर्चा हुई है उसके बाहर तो जा नहीं सकती। इसलिये कल सदन में जो सारी चर्चा हुई है और जो लैप्सेज अलग-अलग जिलों में अलग-अलग बताये गये हैं, मुख्य मंत्रीजी ने कहा भी है कि अलग-अलग तहसील के हिसाब से करेंगे, तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जांच की एजेंसी और जांच की विषय वस्तु। विषय वस्तु तो मैं समझता हूं कि कल माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की जो बातें उठायी हैं, जो कमियां बतायी हैं, वह विषय वस्तु हो सकती है। रहा सवाल जांच की एजेंसी का तो सरकार यह तय करे कि एक एजेंसी इसमें काम नहीं कर पाएगी। कुछ भरतपुर में हुई है, कुछ जोधपुर में हुई है और कुछ नागौर में हुई है। अलग अलग जिले की अलग अलग प्रकार की रेमेडियल भी उसमें आ सकती है। इसलिये वह सारी स्थिति समाप्त होने पर सारा सरकार पर छोड़ देना चाहिये और विषय वस्तु जो कल यहां पर डिस्कस हुई है उसी को विषय वस्तु के रूप में माना जाना चाहिये तो उसका सार आ सकता है।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है माननीय तिवाड़ी जी ने एक बात रखी, कल डिबेट में कौन-कौनसे विषय आये उन्हीं तक यदि जांच को हम सीमित करें तो मेरे ख्याल से यह सही जांच नहीं होगी। आपने कहा कि सरकार के ऊपर छोड़ दिया और सरकार ने यह कह दिया कि प्रतिपक्ष ने नेता महोदय से राय लेकर हम इस मामले को हल करेंगे, वह ठीक है लेकिन कल जो डिबेट में हुआ यदि उसी तक हम इस जांच को सीमित करेंगे तो मेरे ख्याल से यह जस्टिफाई नहीं होगा।

कल कई माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने समय नहीं मिलने के कारण यहां इस सम्बन्ध में जानकारी दे सकते थे। लेकिन जिन जिलों में बाढ़ का प्रकोप ज्यादा हुआ है उन जिलों के माननीय सदस्यों को समय न देने से वह चुप रह गये। लेकिन वह अपने सुझाव दे सकते हैं। उनकी नजर में और भी हैं। इसलिये इसको कल की डिबेट तक सीमित नहीं किया जाए। माननीय प्रतिपक्ष के नेता को साथ में कांफिडेंस में लेकर सरकार इस मामले में कौन-कौन से बिन्दु हो, उसको बाद में तय किया जाए और कल की डिबेट तक ही उसको सीमित नहीं रखा जाए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल की डिबेट की बात नहीं की। टोटल लैप्सेज की बात की है। वह उनका सुझाव था, सुझाव देने के लिये हर माननीय सदस्य यहां अधिकृत है लेकिन मैंने इसमें कोई लिमिट नहीं की है। जो लैप्सेज हमारे ध्यान में आएंगी, सदन में हो सकता है वह ध्यान में नहीं आयी हो लेकिन बाद में ध्यान में आयी कि यह लैप्सेज तो हुई हैं तो उसकी भी जांच होगी इसमें कोई लिमिट नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका सोच ठीक है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से समय मांगा था। देह शोषण काण्ड में कई बड़े नाम जांच के लिये भेजे। अलवर में जो शालिनी का काण्ड हुआ उसके बारे में भी मैंने आपको पर्ची दी थी। मैं आपके एक एक बात (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : मैं भी इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि यह बिलकुल खुला ही रखना चाहिये। हम भी

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

इसलिये नहीं बोले, क्योंकि हमारे वहां तो अकाल की स्थिति है। एक बात बीच में मैंने कही थी, प्रतिपक्ष के नेता ने बहुत अच्छी बात कही थी_

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह बीच में कहां से आ गये। मैं अपनी बात बोल रही हूं _(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : फिर आप बीच में बोलने लग गये। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है_(व्यवधान) यह बीच में कहां से बोल रहे हैं ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अलवर में जो काण्ड हुआ_(व्यवधान) जयपुर में बलात्कार के मामले दुगुने हो गये हैं। आप बीच में कहां से आ गये। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : एक महिला सदस्या बोल रही है, महिला के बीच में आप बोल रहे हैं_(व्यवधान)_

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उस मामले को आप सुनना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान) सुनिये।

श्री परसराम मदेरणा : क्या ज्यादा खुला रखना चाहते हैं ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैंने इन्टरनेशनल बात कह दी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इन्टरनेशनल नहीं, हमारी महिलाओं के साथ राजस्थान में_(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : विराजिये। वह जो बात चल रही थी कि जांच यूं की जाए, वह की जाए उसी पर बोल रहे थे आप। आपने बीच में ही बोलना चालू कर दिया।_ (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपसे मैंने समय चाहा था, क्योंकि मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि कल इस विषय पर_(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : वह चर्चा चालू नहीं हुई। आप विराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : चर्चा चालू नहीं हुई है। शून्यकाल में मैंने समय मांगा था।

श्री परसराम मदेरणा : इन्क्वायरी चल रही है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बाढ़ के ऊपर मैं तो कल ज्यादा बोल नहीं सका, क्योंकि हमारे तो अकाल की स्थिति है। वह कहेंगे कि साहब भीलवाड़ा के अन्दर आपकी ऐसी स्थिति नहीं है पर 1940 या 1941 में जो हुआ था, 50 साल के बाद फिर रिपीट हो रहा है। शुरूआत में हिरोशिमा, नागासाकी के अन्दर जो न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुआ था उसके कारण हुई और वह रिपीट हो रहा है। अब चायना और फ्रांस ने किया उसके कारण हो रहा है और जो पोकरण में बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद पहली बार बाढ़ आयी, तो इस बात को भी रखना चाहिये। मैं सुझाव दूंगा कि क्या होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्रीजी ने एन्टायर गेमेट को खुला रख दिया है और माननीय सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिये। उनके स्टेटमेंट के बाद में उन्होंने इतना इसको खुला रख दिया है कि फतेहपुर सीकरी के बुलन्द दरवाजे से भी ज्यादा उसको खुला रख दिया है। फिर आप क्या चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : अब आगे चलें। अब आज 295 तो रहने दें ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं अपना पहले दे चुकी हूं। देह शोषण कांड में कई बड़े नाम.. (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने मुझसे कहा था कि आपका नम्बर वन है जीरो आवर में।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। एक घंटा उसमें निकल जाएगा। (व्यवधान)..

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जयपुर में बलात्कार के मामले दुगुने हों, तीसरा है...

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाइये, पहले।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : डिस्को मौलाना ने 15 महिलाओं के साथ (व्यवधान) बलाई के साथ बलात्कार, बलात्कार के इतने मामले हैं। मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहती हूं कि ..

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाइये। आप तो दो सौ हैं, मैं अकेला हूं। मेरी भी सीमा है बोलने की। आप बिराजें। मैं आपसे कह रहा हूं पर आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। आपका नम्बर पहला नहीं है। पहला नम्बर श्री शांतिकुमार धारीवाल का है। श्री शांतिकुमारजी, आप भी थोड़ा मैल निकलवाया करो कान से दूसरों को टोकने के बजाय। चलिये श्री धारीवाल साहब।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी समय मांगा था आपसे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें तो सही। मैंने पहले श्री धारीवाल साहब को बुलाया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का, श्री भंवरलालजी शर्मा साहब का, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कोटा नगर निगम की गौशाला में, निगम की जो गौशाला होती है उसके स्टोर में कुछ पार्षदों ने जाकर ताला लगा दिया। ताला क्यों लगाया ? उनको जब यह पता लगा कि इस स्टोर में सैंकड़ों बोरियां खल-चूरी की गायों के लिए रखी हुई हैं। जब उन्होंने स्टाक रजिस्टर देखा तो स्टाक रजिस्टर में निल लिखा हुआ था। उधर अकाउण्ट्स में जाकर देखा तो डेढ़ से दो लाख के बीच में नये खल की चूरी खरीदने के चैक कट चुके थे। शिकायत हुई, बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में सत्यनारायण नाम का एक आदमी, जो पद से तो है उप वैद्य और उसको बना रखा है स्टोर कीपर। उसको सस्पैंड किया गया, उसके साथ में दो और आदमी सस्पैंड किये गये, क्योंकि पैमेंट में एक किलो भी खल चूरी नहीं आयी। अब इन्क्वायरी हो गयी, सत्यनारायण दोषी पाया गया लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से श्री चतुर्वेदी साहब से निवेदन करता हूं कि एक्शन लेने दो। चोरों को बचाओ मत।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : मैं किसी सत्यनारायण वैद्य को नहीं जानता हूं। चोरी होगी तो निश्चित रूप से इन्क्वायरी होनी चाहिये और इन्क्वायरी होगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इन्क्वायरी तो हो चुकी पर कार्यवाही नहीं हुई, उसको जेल करवाइये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, कल दौसा जिले की तरफ से यह निवेदन किया गया था कि दौसा जिले में अकाल राहत के जो कार्य हैं, जिनकी संख्या 380 हैं, स्वीकृत

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कार्य हैं, उनको जारी रखा जाए। लेकिन राजनैतिक दृष्टि से दौसा जिले के साथ भेद-भाव करते हुये राजस्थान सरकार ने दौसा जिले में, कार्य बन्द कर दिये। राजस्थान सरकार ने एक तरीके से राजनैतिक भेदभाव अपनाया है। इससे हमारे यहां सारे कार्य ठप्प हो गये हैं, 3 करोड़ की जनहानि हुई है और 3 करोड़ के कार्य जो अधूरे पड़े हैं, वह पानी आने से बह जाएंगे, निर्माण कार्य नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिये। राज्य सरकार को चाहिये कि समानता का निर्णय ले। जिन जिलों में मूसलाधार वर्षा हुई है उन जिलों में अकाल के काम चालू रखें।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कल भी जिक्र किया था कि अलवर जिले की तहसील रामगढ़ और किशनगढ़ में अनेक बांध टूटने से खेती की स्थिति यह हो गयी कि 3 से लेकर 5 फुट तक बालू रेत जम गयी। 15 हजार बीघा जमीन का यह पता नहीं लगा सकते कि किसका मेडा कहां है और किसका डोला कहां है। कुछ जगह 10 से लेकर 30 फुट तक खाइयां हो गयीं, एक-एक किलो मीटर लम्बी खाइयां रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ तहसील में हो गयी। इसलिये मेरा सरकार से नम्र निवेदन है क्योंकि बुआई वहां नहीं हो सकती जब तक कि डिमार्केशन नहीं होगा और कई साल तक कुछ पैदा नहीं हो सकता अत्यधिक बालू रेत हो गयी है। इसलिये अलवर जिले की किशनगढ़, रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ तहसीलों में अकाल राहत कार्य चालू रखे जाएं। अगर वहां अकाल राहत कार्य बन्द किये जाते हैं, तो वहां के किसानों के साथ अन्याय होगा। सरकार अगर यह सही नहीं मानती है तो मैं निवेदन करूंगा जांच करवा लें। अगर कलेक्टर वहां का यह रिपोर्ट दे कि यहां की जमीन पर अभी काश्त नहीं हो सकती, तो अकाल राहत कार्य चालू रखे जाएं।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि राहत मंत्रीजी ने कल राज्य सरकार की तरफ से जो स्टेटमैंट दिया था कि दौसा जिले में और फलां-फलां जिले में 30 जून से राहत कार्य बन्द कर दिये जाएं। मंत्री महोदय, मेहरबानी करके, दौसा जिले में अभी बुआई नहीं हुई है, न वारिश हुई है। आप दिखवा लीजिये और राहत कार्य भी आप बन्द कर देंगे, आप अधूरे कामों की बात करते हैं, सारे काम अधूरे हैं। कैसे बन्द कर देंगे आप। सारा पैसा आपका बेकार चला जाएगा। आपने कह दिया है कि राहत कार्य बन्द कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप दौसा जिले में भेदभाव मत करिये, आप उधर के जिलों में तो काम चालू करेंगे और इधर के जिलों में बन्द करेंगे। सारे राजस्थान की जनता आपके लिये बराबर है। दौसा जिले से 5 में से 4 एम. एल. ए. हैं और आप राहत कार्य बन्द कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ? इसलिये कि हम कांग्रेस के हैं। आपको मंत्रीजी ध्यान देना चाहिये। मजदूरों का सवाल है। (व्यवधान) दौसा जिले में सबसे ज्यादा अतिवृष्टि हुई है और ओलावृष्टि हुई है। जिसके कारण से एक दाना पैदा नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, एक दाना पैदा नहीं हुआ ओलावृष्टि हुई इन्होंने कोई काम शुरू नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : हम दौसा जिले के जन-प्रतिनिधि यहां मजदूर हैं ।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सरकार से कहिये कि दौसा जिले की तरफ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, दौसा जिले के अन्दर अकाल राहत कार्य बन्द किये जा रहे हैं..(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल नहीं चलेगा..(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : विकास के कार्य किये जाएं दौसा जिले के अन्दर भी ..(व्यवधान) अकाल राहत के कार्य..

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सरासर अन्याय है। हम आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं..(व्यवधान) आप न्याय नहीं दिलायेंगे तो कौन दिलायेगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा।

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : शैलेन्द्रजी, कितनी बार बोलेंगे इसी विषय पर आप ? आप बोल चुके और इसके बाद इनका नाम था, परन्तु आप चार-चार माननीय सदस्य बोल रहे हैं एक साथ।

श्री परसादीलाल मीणा : सरकार विकास नहीं करना चाहती। पूर्वी राजस्थान के साथ भेदभाव करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। मीणा साहब बिराजिये आप। अब हो गयी आपकी बात।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : आप सरपंचों को अरेस्ट कराओ..(व्यवधान) अकाल राहत के कार्य बन्द कराओ। हमारा दुर्भाग्य यह है कि पांच में से चार एम. एल. ए. कांग्रेस के जीतकर के आये हैं। इसलिये अकाल राहत कार्यों के साथ पंचों को, सरपंचों को सबको अरेस्ट कराओ दौसा जिले के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : हो गया, बिराजिये आप। श्री रिछपाल सिंह जी।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के गृह मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नागौर जिले में थावला कस्बे में एक गुण्डा पूरणमल सन आफ नाथूलाल जिसके खिलाफ कम से कम आठ मुकदमें दर्ज हैं, आज तक किसी मुकदमें में उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के गृहमंत्री जी से यह मांग करूंगा कि उसकी सभी, जितने भी उसके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, पत्रावलियों को मंगाकर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रिछपाल सिंह : एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

वह चोर भी है। 1980 में उसके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ। 1992 में उसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ और अभी 6 जून को उसके खिलाफ एक और बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके खिलाफ जितने भी मुकदमें दर्ज हुए हैं उन सब

X X X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री रिछपाल सिंह)

पत्रावलियों को मंगाकर ऐसे गुण्डे के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उसकी हिस्ट्री-शीट खोली जाए और उसको जिले से बाहर किया जाए। मैं यह नहीं कहता कि माननीय गृह मंत्रीजी अभी इस वक्त कुछ कहें, पूरी उसकी जांच करवा लें और वहां की जनता को न्याय दिलवायें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय विधायक, आपके पास जो जानकारी है–

श्री रिछपाल सिंह : हां, साहब।

श्री कैलाश मेघवाल : वह आप उपलब्ध करवा दें और इसके अलावा भी जितनी भी जानकारी होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पुख्ता कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

श्री रिछपाल सिंह : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी। आप कम बोला करें, सब हो जाएगा जल्दी-जल्दी।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी मौजूद हैं, मैं आपके माध्यम से उनका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले झुंझुनूं जिले में अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया हुई। यह पहले होनी थी। राज्य सरकार ने उसको रोक दिया और रोकने के बाद अब पिछले महीने उसकी प्रक्रिया हुई। जहां तक मेरी जानकारी है 29 जून तक किसी भी अध्यापक को अभी तक अपाइंटमेंट नहीं दिया गया है। इस प्रक्रिया में गड़बड़ी क्या हुई है कि 1992 तक के नाम मांग लिये नियोजन कार्यालय से और यह एक ऐसा नियम है, जो वाजिब भी है कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और ओ. बी. सी. के लिये नियोजन कार्यालय के अलावा भी नाम दिये जा सकते थे। इसमें गड़बड़ी यह हुई कि जो जनरल कैटेगरी थी उसके नाम तो 1992 तक के आये और इंटरव्यू की डेट तक जो ओ. बी. सी. थे या जिनका रिजर्वेशन होना था, उन सबके नाम ले लिये गये। यदि दूसरी कैटेगरी के भी जिस रोज तक इंटरव्यू हुआ उस तक के नाम मंगा लिये जाते तो दूसरी कैटेगरी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उसके साथ अन्याय नहीं होता। अन्याय इस हद तक पहुंच गया कि 120 में से 104 व्यक्ति रिजर्व कोटे में से आये।

अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि 50 पर्सेंट से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता। उस निर्णय की भी उस इंस्पेक्टर ने अवहेलना की है। इस प्रकार से शिक्षकों के साथ अन्याय किया गया है। माननीय मंत्री महोदय से मैं चाहूंगा कि इसमें इंटरफियर करें और इस प्रकार का अन्याय उनके साथ नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था करने की चेष्टा करें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती बीना काक जी।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अखबार में "श्रमिकों व प्रबन्धकों में मारपीट के बाद महाराजा श्री उम्मेद मिल पाली में बन्द" यह खबर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों मंत्रीजी यहां नहीं हैं, न तो श्रम मंत्रीजी हैं, और न ही उद्योग मंत्रीजी हैं लेकिन आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह मारपीट की घटना हुई है। इस घटना से पूर्व तीन महीने पहले भी महाराजा श्री उम्मेद मिल, पाली बन्द रही थी, हड़ताल रही थी और गवर्नर के निर्देश के आधार पर विशिष्ट शासन सचिव ने श्रम शक्ति धारा 10 (K) के आधार पर मिल को री-ओपन करने

(श्रीमती वीना काक)

के निर्देश दे दिये थे और दोनों ही पक्षों को शांति बनाये रखने को कहा गया था। लेवरर्स को कहा गया था कि 6 महीने तक किसी प्रकार का आंदोलन का स्टेप नहीं उठाएंगे और मिल को कहा था कि दो महीने में वर्क लोड, बाइंडिंग खाता, टैक्निकल अप्रोच व साइंटिफिक क्राइटेरिया पर री-कंसीडर करके मिल को चालू कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् दो दिन मिल चली और मैनेजमेंट ने वर्क लोड बढ़ाकर तीन श्रमिकों को जो वर्क लोड देना चाहिये था वह दो को दिया। इस प्रकार वर्क लोड बढ़ा दिया गया। इस पर श्रमिकों ने अपनी आवाज उठायी। विवाद होने पर मैनेजमेंट ने कुछ श्रमिकों को अपने यहां बुलाया, अपने दफ्तर में और उनके साथ मारपीट की। दो के बिना किसी नोटिस के प्रेमिसेज से बाहर जाने के लिए कहा और तीसरे के साथ मारपीट की। वह घायल हो गया। उसके बाद मिल के अंदर यह बात फैली और वर्कर्स में बहुत ही आक्रोश पैदा हो गया और फैक्ट्री टूल-डाउन कर दी गयी।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्रीमती बीना काक : एक मिनट साहब, आपने बोलने को कहा। जल्दी-जल्दी बोल रही हूं फिर भी आप बैठ जाइए। ऐसा तो मत कहो।

श्री अध्यक्ष: मेरी भी मजबूरी है।

श्रीमती बीना काक : तो मैं बैठ जाऊं?

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात पूरी कहें, जल्दी करें।

श्रीमती बीना काक : कल सुबह सात बजे पुनः मीटिंग हुई जिसमें जनरल मैनेजर ने विवाद होने पर पुनः एक श्रमिक को चांटा मार दिया एवं श्रमिकों पर और भी घातक हमले हुए। एक श्रमिक अस्पताल में एडमिट है। अतः मेरी यह गुजारिश है कि यह मिल जो वापस बन्द हो गयी है, गवर्नर के निर्देश के बाद मैनेजमेंट ने कानून का उल्लंघन किया, मंत्रीजी जो भी है यहां पर, कृपा करके इसकी पूरी जानकारी करें और उचित कार्यवाही कर, श्रमिकों को न्याय दिलवायें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम जी, आप बोलें। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने मेरा नाम पुकारा है।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : यही सब्जैक्ट है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं बोल लूं। मेरा नाम आ गया न।

श्री भीमराज भाटी : आप बोल लीजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल मुख्य मंत्रीजी के सामने कहा था कि जो शालिनी काण्ड अलवर में हुआ है, उसी तरह के करीब 100 काण्ड और हैं, जिनकी मैं यहां चर्चा करूं तो शायद शाम हो जाए। इसलिये मैं दो-चार नाम ही बताऊंगी। ऐसे काण्ड पिछले साल में महिलाओं के साथ हुए हैं। मैं यह अखबार भी लायी हूं जिसमें यह उल्लेख है कि "जयपुर शहर में बलात्कार के मामले इस वर्ष दुगुने हुए"। यह जो सारी घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं उसके बारे में कल मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम चर्चा करने को तैयार हैं और आज के लिये कहा था। आज मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं इसलिये मैं गृह मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं कि वह आज इस मामले को लेंगे या कल मुख्य मंत्रीजी के सामने आप इस बारे में चर्चा

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

कराना चाहेंगे ? एक मौलाना का मामला है, जिसने 15 लेडिज के साथ दवाइयों के नाम पर शोषण किया है। इसी तरह से टोंक का मामला है एक मीणा महिला की जिसमें पुलिसकर्मी भी मिले हुए हैं और शराब के ठेकदार भी हैं। वे आज तक पकड़े नहीं गये हैं। आज तक भी वे आराम से घूम रहे हैं और पुलिस और गृह मंत्री जी उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही शालिनी काण्ड में उनको तीन दिन तक नहीं पकड़ा गया और उनको वहां से जाने का मौका दिया गया। इस तरह के यह जो मामले हैं उन पर आज चर्चा करूं या कल कराएंगे आप इस पर ? क्योंकि मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : गृह मंत्रीजी पहले जवाब दें कि वह कल चर्चा के लिये टाइम देंगे तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं। गृह मंत्रीजी इस बारे में बतायें।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मुझे स्मरण है कि कल जब चर्चा हुई तो एक प्रकरण पर कल विशद चर्चा होने के लिये स्टेटमैंट आएगा। बाकी प्रकरणों के बारे में यह कहा गया है कि जल्दी से जल्दी कोई दिन तय कर लिया जाए। उस दिन सारी बहस हो जाएगी। चाहे पुलिस विभाग की मांगों के रूप में कर लिया जाए या...

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नहीं, मांग पर नहीं। महिलाओं के लिये कहा था, अलग से किया जाए।

श्री कैलाश मेघवाल : सारे सदन की यह राय बनी थी कि एक प्रकरण पर कल यहां चर्चा होगी उसके लिये राज्य सरकार तैयार होकर आएगी। मैं माननीय विधायकगण को एक निवेदन करना चाहता हूं कि तथ्य यहां सही रखें। जो आपने यह उधरणा वाला केस बताया है टोंक का मीणा महिला के साथ होने का, उसमें गिरफ्तारियां पूरी-पूरी हो चुकी हैं। दो-एक बाकी हैं। मेरी निगाह में है वह सारा। आप इसको नोट कर लें, पुख्ता कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप स्वयं ही कह रहे हैं, बाकी हैं। मैं यही कह रही हूं कि गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। मैं यहां...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी, क्या हो जाता है आपको यह ?

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : मंत्री जी गलत स्टेटमैंट दे रहे हैं...(व्यवधान) जो व्यवहार किया गया है। उसको आप कमजोर समझ रहे हैं। इसमें कोई गिरफ्तारियां नहीं की गयीं।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक मामला और है। गृह मंत्रीजी, जालौर में एक महिला, जिसके पति की हत्या कर दी गयी ...

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : वह सात दिन से भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : जालौर जिले का मसला जो माननीय सदस्या उठा रही है। जालौर जिले में एक महिला के पति की हत्या हुई।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। विराजें आप...(व्यवधान) मैं जिसका नाम बोलूं, वही बोलें।

80

श्री हीरालाल विश्नोई : 17 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठी हुई है।

श्री अध्यक्ष : आप बोलें।

श्री हीरालाल विश्नोई : लैटर लिखा। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी को लैटर लिखा 20 तारीख को, परन्तु आज दिन तक उस मसले के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आफ-हैण्ड यहां पर किसी घटना के बारे में किसी तरह से मेरे से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि मैं उसके बारे में चर्चा करूं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : गृह मंत्रीजी जवाब दें, उससे पहले एक मिनट निवेदन कर दूं ताकि गृह मंत्रीजी पूरा जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं एक मिनट निवेदन कर दूं ताकि गृह मंत्रीजी पूरा जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : आप कोई जवाब नहीं देंगे अभी। बिराजें आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं जवाब नहीं, मैं तो सवाल कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, हो गया। बहुत हो गया, अब बिराजें आप।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं यह चाहता हूं कि आप ये मसले जिस वक्त बहस हो उस रोज उठायें और उन मसलों पर चर्चा के दौरान राज्य सरकार अपना पक्ष भी, जो कार्यवाही हुई है उसको भी और जो अनुसंधान हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करा देगी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार के केसेज हुए हैं उनके बारे में अलग से चर्चा चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हम गृह मंत्रालय के साथ नहीं, अलग से चर्चा करना चाहते हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, 20 तारीख को हमने लैटर लिखा था। 17 तारीख से एक महिला अपने पति के हत्यारे को पकड़वाने के लिए कलेक्टर से...

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : महिलाओं के साथ जो अत्याचार और बलात्कार के मामले हैं उसके बारे में अलग से बहस चाहते हैं। इतना सा हमारा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी से बात कर लें। अब आप बिराजें तो अच्छा है।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, 15 दिन से महिला भूख हड़ताल पर बैठी हुई है और सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें तो अच्छा है। इस तरह से हाउस नहीं चलेगा फिर। फिर यह जीरो आवर मुझे मजबूरी में बन्द करना पड़ेगा। आप बात भी नहीं करना चाहते और आपकी कोई स्लिप भी नहीं है।

श्री हीरालाल विश्नोई : कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, आप जवाब दिलवायें गृहमंत्री जी से।

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई साहब, आपकी कोई स्लिप नहीं है। (व्यवधान) आप मर्जी आये तब खड़े हो जाते हैं, रामस्वरूपजी खड़े हो रहे हैं।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि जब होम डिपार्टमेंट की मांग आये उस वक्त में आप यह सारे मुद्दे उठाये। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जब होम डिपार्टमेंट की मांग आये उस वक्त पिछले साल भर में या पिछले सैशन और इस सैशन के बीच में महिलाओं के साथ जितने-जितने अत्याचार के या जो जो शोषण हुए हैं, जो हादसे हो रहे हैं और जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में आप पूरी तैयारी के साथ में आयें। यह नहीं कि इस बारे में अब देखेंगे। क्योंकि जितनी अखबारों में खबरें आयी हैं उसके अलावा भी आपके पास बहुत सी खबरें होंगी। इसलिये हम चाहते हैं कि महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार, शोषण के बाबत में तमाम घटनाओं के लिये सरकार तैयार होकर आये।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं कमला जी के सुझाव को मानकर पूरी तैयारी से आऊंगा।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं बिलकुल सहमत हूं। (व्यवधान) यह जो मामले हुए हैं। वे मामले इतने गम्भीर है कि उन पर गृह मंत्रालय की मांग के साथ चर्चा, नहीं करेंगे, एक घंटे की अलग से बहस होगी।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : और यह मुख्य मंत्रीजी ने कल कहा था कि अलग से बहस करने के लिये तैयार है।

श्री अध्यक्ष : I would never like to tolerate all these things. Now, please, Stop your topic.

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या, श्रीमती बीनाजी ने महाराजा श्री उम्मेद मिल की हड़ताल के सम्बन्ध में जो बात कही है उसके बारे में मैं माननीय श्रम मंत्री महोदय और माननीय गृह मंत्रीजी का आपके मार्फत यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि महाराजा श्री उम्मेद मिल में जो रामनाथ जी और दूसरी भिण्ड, मुरैना और आगरा के कई ऐसे अवांछनीय तत्व हैं जो न तो मिल के मजदूर हैं और न ही मिल के एम्प्लाई हैं। आपकी पार्टी में जबरदस्ती में ऐसे अवांछनीय तत्व हैं, वे अगारा से, भिण्ड से, मुरैना से आये हुए अपराधी लोग हैं एवं उन पर 7-7, 8-8, 10-10 मुकदमें चल रहे हैं। वे न तो मिल में एम्प्लाई हैं, परन्तु आपकी यूनियन का झण्डा पकड़ कर महज 100-110 आदमियों को अपने कब्जे में करके उन लोगों के मार्फत वहां दादागिरी करवा रहे हैं और 4 हजार मजदूरों की जिन्दगी और 4 हजार मजदूरों के जो परिवार हैं, उनको उन लोगों ने रेन्सम में–

श्री अध्यक्ष : अव आप बिराजें।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मसला है।

श्री अध्यक्ष : हां, हो गयी महत्वपूर्ण बात। आप बाद में सरकार से बात कर लेना। जीरो आवर में इतना ही होता है। This is not a question of debate, now, please, sit doen.

श्री भीमराज भाटी : मैंने मेरी बात ही नहीं कही, आप क्या बात कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री भीमराज भाटी : मैं बैठ रहा हूं, मैं बिलकुल अनुशासन प्रिय आदमी हूं। लेकिन मेरी बात तो सुनिये मेहरबानी करके। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप किसी

(श्री भीमराज भाटी)

सदस्य की भावनाओं को वहां सदन में पेश नहीं करने दें।

श्री अध्यक्ष :आप विराजें। यह शांतिलाल चपलोत, स्पीकर की एक लिमिटेशन है आप बिराजें । आपकी बात हो गयी। आप बिराजें।

श्री भीमराज भाटी :माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे अनुशासन के साथ, हमेशा मैं अनुशासन में रहता हूं। मैंने मेरी बात ही खतम नहीं की और आप मेरे को कह रहे हैं कि बिराजें आप।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी है, अब आप बिराजे।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि 4 हजार मजदूरों के परिवार का मामला है। उन 4 हजार...

श्री अध्यक्ष : आपने सारी बात कह दी।

श्री भीमराज भाटी : नहीं कही है मैंने पूरी बात। पूरी बात सुनी नहीं, श्रम मंत्री महोदय बाहर जाते-जाते रुके हैं। मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं, सदस्य का जो मौलिक अधिकार है उसका भी...

श्री अध्यक्ष :आप पूरी बात बता दें। अभी जीरो आवर में केवल इतनी सी बात है कि वहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। बीना काकजी ने यह बात उठा ली है और आपने भी उसी के अनुरूप बोलने की चेष्टा की है। यह सारी बात उन्होंने बोल दी, अब खतम करिये बात को।

श्री भीमराज भाटी : जो दूसरा पहलू है वह निगाह में लाना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। आप बाद में बात कर लें उनसे। बिराजें।

श्री भीमराज भाटी : किससे बात कर लें, माननीय अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : आप मिनिस्टर साहब से बात कर लें।

श्री भीमराज भाटी : मिनिस्टर साहब से बात कर लें तो फिर यह जीरो आवर में बात करने का क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष : हो गयी बात। आपकी बात आ गयी कि वहां झगड़े हो रहे हैं। आप बिराजें।

श्री भीमराज भाटी : फिर आपको स्लिप देने का क्या तुक है ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। फिर तो चार घंटे तक इस तरह से नहीं होगी।

श्री भीमराज भाटी : चार घंटे कौन ले रहा है ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री भीमराज भाटी : मेरी बात के लिये आधा मिनट मेरे को नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : आपका नम्बर नहीं है, 17वां नम्बर है आपका। आप बिराजें।

श्री भीमराज भाटी : 4 हजार मजदूरों की जिन्दगी का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। आप ज्यादा लाउडली नहीं बोले। माननीय सदस्य, ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। बिराजें आप।

श्री भीमराज भाटी :आधा मिनट भी नहीं देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे अनुशासन के साथ रहने वाला सदस्य हूं

(श्री भीमराज भाटी)

और आप आधा मिनट भी नहीं बोलने देना चाहते।

श्री अध्यक्ष : आप बोल गये न।

श्री भीमराज भाटी : 4 हजार मजदूरों की जिन्दगी का सवाल है और आप बात भी सुनना नहीं चाहते हैं। हम यहां बात नहीं करेंगे, तो कहां करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप पूरा बोल चुके हैं।

श्री भीमराज भाटी : आपने मेरे को रोकने में जितना समय लगा दिया उतने समय में तो मैं पूरी बात कह देता और सदन का समय वेस्ट नहीं होता।

इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, विनम्रता से मैं निवेदन करता हूं कि उन 4 हजार मजदूरों का और 4 हजार मजदूरों के परिवार का सवाल है। कुछ अवांछनीय तत्व वहां मील गेट पर बदमाशी करते हैं। मेहरबानी करके, गृहमंत्रीजी आपकी जो पुलिस है उसका पूरा बन्दोबस्त करवा दीजिये। वहां पुलिस के और मिल मैनेजमेंट के आपसी झगड़े हैं। उन मिल मैनेजमेंट और पुलिस के झगड़े में मजदूरों को प्रोटेक्शन मिलता नहीं है। इसलिये ये जो तत्व आपकी यूनियन में घुस गये हैं सरकार के मार्फत कुछ गलत आपको जानकारी दिला रहे हैं, कुछ गलत रास्ते पर आपको ले जा रहे हैं। उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। 4 हजार मजदूरों के परिवारों का सवाल है इसलिये वह मिल किसी भी हालत में चालू होनी चाहिये। आपने 10 (के) का आर्डर का पास किया, उसका मैं स्वागत करता हूं। उस आर्डर को इम्प्लीमेंट करवा कर उस मिल को चालू करवाने की व्यवस्था करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय धनखड़ साहब।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जीवन बीमा निगम देश की सम्भवतः सबसे बड़ी कम्पनी है और राज्य सरकार को भी अरबों रुपये भारतीय जीवन बीमा निगम ने दे रखे हैं। इस बीमा निगम के कर्मचारियों ने अजमेर में एक सहकारी समिति का गठन किया, दीप दर्शन गृह निर्माण सहकारी समिति, और 1983 में आज से करीब 13 साल पहले, इन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि हमें आवास के लिये जमीन उपलब्ध कराई जाय। मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि 1992 में आपने आदेश पारित किया, उसके तहत कहा कि इनको जमीन उपलब्ध करा दी जाय। उन्होंने 69 लाख रुपये वहां की यू. आई. टी. को दे दिये और अब करीब 1 करोड़ 19 लाख रुपये हो गये हैं। दुबारा इन्होंने कहा कि हमें जमीन तो उपलब्ध कराओ। यू. आई. टी. ने जब उनको जमीन नहीं दी तो वे जगह-जगह घूमते रहे फिर वे मंत्री महोदय के पास आये। मैं फिर मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने 2 फरवरी, 1996 को स्पष्ट निर्देश यू. आई. टी. को दिये कि उनको जमीन उपलब्ध करायी जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 करोड़ से ज्यादा पैसा यू. आई. टी. डकार गयी, उनको जमीन तक उपलब्ध नहीं करायी गयी। हमारा राज्य सरकार का और इसके तहत जो इंस्टीट्यूशंस का कार्य कर रही है। उनका उन्होंने देश में हमारा नाम इतना बदनाम किया और आज की "दैनिक नवज्योति" के 6 कालम के न्यूज आइटम में लिखा है कि भारतीय

(श्री जगदीप धनखड़)

जीवन बीमा निगम के कर्मचारी जिन्होंने यू.आईटी. को 1 करोड़ रुपये दे दिये और राज्य सरकार का आदेश हो गया, वहां गये तो आवास की बात तो अलग रही, उनको हवालात की हवा खानी पड़ी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि यह बहुत ही विस्तृत जानकारी वाला न्यूज आइटम है और इसमें खास तौर से यह लिखा है कि राज्य सरकार से आदेश तक की अवहेलना की गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय सदन को अवगत करावें और इनको राहत दिलाने का प्रयास करें।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हुआ, इसमें उनको पहले गिरफ्तार कराया, जेल में बन्द कराया और आधे घंटे के अन्दर चालान पेश कर दिया। ऐसी ज्यादती तो कहीं नहीं हो सकती थी। आज यू.आईटी. के चेयरमैन ओंकारसिंह लखावत हैं, वे अपने आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर से कम नहीं समझते।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री विष्णु मोदी : उन्होंने तुरत-फुरत में पुलिस को, कलक्टर को, एस.पी. को फोन करके बन्द कराया और बन्द करके चालान पेश कर दिया।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो दीप दर्शन सोसायटी का पदाधिकारी है, उसके साथ बी.जे.पी. के अधिकारियों का क्या सलूक रहेगा इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है, यह उनका आपसी झगड़ा है वे ही निपटें लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि एल. आई. सी. के सदस्यों ने अपनी गाढ़ी कमाई के 69 लाख रुपये डायरेक्ट यू. आई. टी. में जमा कराये और उनसे एक हजार रुपये प्रतिमाह एल.आई.सी. ब्याज के रिकवर कर रही है। अब उनका क्या दोष है ? वे तो आपसे मांगने गये थे कि हमने 69 लाख रुपये आपको जमा करा दिये, उनके पेटे हमको जमीन चाहिये। जमीन मांगी तो जेल भेज दिया और पुलिस ने उनके खिलाफ चालान पेश कर दिया।

अब दो बातें हैं। एक तो श्री भंवरलालजी को कार्य करना है और एक श्री मेघवालजी को कार्य करना है। श्री भंवरलालजी को यह देखना है कि उन कर्मचारियों को जमीन मिले और श्री मेघवालजी को यह देखना है कि उनके खिलाफ जो असत्य मुकदमा दर्ज कराया गया है वह तुरन्त प्रभाव से वापस लिया जाय। यह मेरी आपसे विनती है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी।

श्री जगदीप धनखड़ : बड़े अच्छे आदेश हुए हैं, उनकी जरा अनुपालना कराइये और यू.आईटी. को इतना लम्बा रोप मत दीजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान हाल ही में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मुख्यालय महुआ में घटित घटना के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाह रहा हूं। महुआ नेशनल हाई-वे नम्बर 11 पर बसा हुआ है और जब महुआ छोटा-सा गांव था, नेशनल हाई-वे कायम भी नहीं हुआ था, इसकी अधिघोषणा भी नहीं हुई थी, उस समय स्टेट हाई-वे और डिस्ट्रिक्ट रोड में जितनी दूरी हो सकती है उतनी दूरी पर पंचायत ने 40-50 वर्ष पहले पट्टे देकर वहां मकानों का निर्माण कर दिया। अध्यक्ष महोदय, वह पंचायत का छोटा-सा एरिया था,

(श्री हरिसिंह)

वहां कुछ दुकानें, थड़ियां बनाकर रास्ते में अवरोध पैदा करने की कोशिश की। इस सम्बन्ध में मैंने स्वयं राज्य सरकार को लिखा था कि इस प्रकार के जो सरकारी अतिक्रमण हुए हैं उनको हटवाया जाय। इस मामले में तीन महीने पहले नोटिस निकाले गये और उसके बाद एक डेपुटेशन मुख्य मंत्रीजी से मिला। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं पूरे प्रकरण को दिखवा लूंगा। उसके बाद महुआ बम विस्फोट के मरीजों से मुलाकात करने मुख्य मंत्रीजी मौके पर पहुंचे। बम विस्फोट के स्थान से लेकर चिकित्सालय तक, जहां मरीज थे, मुख्य मंत्रीजी के साथ मैं और दौसा के जिला प्रमुख डाक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा भी थे। डाक्टर किरोड़ीलाल जी ने इन ट्रेसपासों को हटाने के लिये मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया और मुख्य मंत्रीजी ने उसी समय कहा कि आप दोनों मिल करके कह दो तो मैं इनको हटवा दूं। मैंने उसी समय अपना एतराज दायर करवा दिया कि मुख्य मंत्रीजी, यहां पर जो मकान 70 फीट के दायरे में आ रहे हैं, उनमें कुछ मकान पांच फीट आगे हैं, कुछ चार फीट आगे हैं, तीन-तीन मंजिले मकान बने हुए हैं, बहुत से गरीब लोगों के मकान हैं जिसमें अधिकांश अल्पसंख्यक भी हैं, आपकी पार्टी वैसे ही साम्प्रदायिक पार्टी कही जाती है, अगर इस प्रकार का कोई एक्शन करेंगे तो यह पक्की मुहर और आप पर लग जाएंगी। इस समय इस प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हैं, अवरोध नहीं है। चूंकि महुआ में बाइपास बन गया है, उसका काम चालू है तो जितना ट्रैफिक जाने वाला है वह बाइपास से जा सकता है पैसेंजर गाड़ियों को, वहां से दूर-दूर तक अतिक्रमण से निकलने में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो रहा था। इसके बावजूद भी बिना कानूनी प्रक्रिया, बिना किसी प्रकार की एक्वीजिशन की कार्यवाही किये, बिना मकान मालिकों को नोटिस दिये सरकार ने बुलडोजर चला दिया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : बुलडोजर पर लिखा हुआ था 'मैं आंखों से अंधा हूं, कानों से बहरा हूं।' यह सरकार गयी थी सरकार आंखों से अंधी है, कानों से बहरी...

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। आपकी बात पूरी हो गयी, श्री हरिसिंह जी साहब। श्री भगराज जी चौधरी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : बन करके, न किसी की सुनी, न देखी, गरीब लोगों के हजारों मकान, तिमंजिले मकान, इसकी प्रक्रिया अभी चालू है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार तुरन्त इस ओर ध्यान दे और अपनी गैर कानूनी हरकतों को तुरन्त रुकवाये, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज जी चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : जालौर जिले में अभी तक अपर्याप्त वर्षा हुई है। उस वर्षा से काश्तकारों ने केवल मात्र दो दिन ही फसल की बुआई की है, उसके पश्चात् हवा चालू हो गयी और इससे जमीन में जो नमी आयी थी वह खतम हो गयी। इस कारण से अधिकतर इलाकों में काश्तकारों ने न तो बुआई की है और न बुआई में वे जुट पाये हैं। ऐसी स्थिति में लोग खाली बैठे हैं और इसलिये अकाल राहत के कार्य 15 जुलाई तक चालू रखने चाहिये। अकाल राहत कार्य चालू रखने में यदि किसी प्रकार की दिक्कत आती हो, तो कम से कम जो स्थायी प्रकृति के पक्के कार्य हैं, जिनके लिये सामग्री जोड़ दी गयी है, चाहे

(श्री भगराज चौधरी)

साइट पर सामग्री का इंतजाम कर दिया गया हो या कार्य स्थल पर सामग्री का ट्रांसपोर्टेशन कर दिया गया हो उन कार्यों को चालू रखा जायगा तो मेरे ख्याल से रोजगार भी मिल जायगा क्योंकि लोग अभी तक रोजगार प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं और सामग्री जो इकट्ठी की गयी है उसका भी उपयोग हो जायगा। यदि कार्य चालू नहीं रखे जाते हैं, तो जो सामग्री कार्य स्थल पर अथवा साइट पर, जहां कहीं भी इकट्ठी की गयी है वह भी खुर्द-बुर्द हो जाएगी, इससे सरकार को लाखों रुपये की हानि तो होगी ही और साथ-ही-साथ जो खाली बैठे हैं, अपर्याप्त वर्षा के कारण से फसल नहीं बो पाये हैं उन्हें भी रोजगार नहीं मिलेगा।

मेरा निवेदन है कि सरकार ने 15 जुलाई तक जैसे अन्य जिलों में अकाल राहत कार्य चालू करने के बारे में निर्णय किया है उसी प्रकार से जालौर जिले में भी 15 जुलाई तक अकाल राहत कार्य चालू करने के बारे में आदेश जारी करें जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और जो सामग्री पड़ी है। उसका भी उपयोग हो सके। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के कई माननीय सदस्यों ने जो चर्चा की है उसमें मैं भी शरीक होकर आपके माध्यम से सरकार को यह आगाह करना चाहूंगा कि आपने जो 21 जिले निर्धारित किये हैं उसमें बूंदी जिला भी है। माननीय राहत मंत्रीजी यहां नहीं है, गायब हो गये, उनको पता है कि बूंदी जिले में जो राहत कार्य प्रारम्भ किये गये हैं वे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। सरकार ने जान-बूझकर राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किये और उन सबको बंद करने के आदेश दे दिये गये जबकि सामान्य से बहुत कम वर्षा हुई है। इनका कल एक परिपत्र जारी हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है। मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें पक्षपात नहीं बरतें, सरकार के खिलाफ पहले ही बहुत से पक्षपात के आरोप हैं और सरकार जानबूझकर पक्षपात की हामी होती जा रही है।

श्री अध्यक्ष : हो गया, रूपारामजी।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस इलाके में भूमिगत जल नहीं है, जहां आप बिजली की लाइनें नहीं दे रहे हैं। ऐसा सौतेला व्यवहार नहीं बरतें और बूंदी जिले की नैनवां तहसील पर इलाकों में आप कृपा करें। शिड्यूल्ड कास्ट के लोग तो गांव छोड़ करके दूर चले गये हैं। आप तो पक्षधर हो, मुख्य मंत्रीजी ने आपको शिड्यूल्ड कास्ट का न होते हुए भी शिड्यूल्ड कास्ट का मान करके मंत्री बना रखा है। कृपा करके थोड़ा ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : रामनारायणजी बिराजिये। रूपारामजी।

श्री रूपाराम (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मकराना की सड़कों के बारे में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी की जिम्मेदारी है लेकिन इससे चार मंत्रालय प्रभावित हो रहे हैं, स्वास्थ्य, उद्योग, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा पर्यावरण मंत्रालय। इसका दुष्प्रभाव निकट भविष्य में मकराना के 50-60 हजार लोगों पर पड़ेगा।

अभी मकराना में नाजायज कब्जे हटे इसके लिये धन्यवाद देता हूं वहां की जनता को और

(श्री रूपाराम)

प्रशासन को। सड़कें 50 से 70 फीट कर दी गयीं लेकिन अब भी लोग असमंजस में हैं कि 70 फीट रखी जाय या 100 फीट रखी जाय, क्योंकि आज भी जिला कलक्टर या जिला प्रशासन इस तह पर या इस स्थिति में नहीं पहुंच पाया है कि सड़कों को 70 फीट रखना है या 100 फीट। एक तो यह स्थिति साफ हो।

दूसरा, मकराना में डेढ़ से दो फुट के खड्डे, मैन सड़कों पर पड़े हैं जिससे आवागमन के साधन बिलकुल ठप्प हैं। पैदल चलने वाले आम नागरिक, भैंसा छकड़ी तथा कारें बिलकुल आ जा नहीं सकती। बरसात के कुछ दिनों को छोड़कर बारहों महीने गर्द उड़ती रहती है जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। इससे आम आदमी के फेफड़े खाने की नली में खराबी और पथरी जैसी 3-4 बीमारियां हो रही है। मेरा अंदेशा है कि आने वाले 4-5 सालों में इसका समाधान नहीं निकाला गया तो मकराना के 50-60 हजार लोग भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल जी बैरवा।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विद्युत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र जो कि पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत है यहां पर जो पावर लाखेरी से हमें मिलती है। वह इस एरिया के हिसाब से बहुत कम मिलती है जिससे साल के 365 दिन ही हमें विद्युत की परेशानी रहती है। दिनांक 12-6-96 से 15-6-96 तक 5 दिन के बाद एक दो घंटे ही बिजली हमें मिल पायी जिस का परिणाम यह हुआ कि इस क्षेत्र में 4 तो नल योजनाएं इटावा, गैता, खातोली और पीपल्दा चालू थीं वह नल योजनाएं फेल हो गयी और वहां की जनता को एक-एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जो लाइट की विशेष परेशानी है उसके स्थायी समाधान के लिये 132 के.वी. का सब ग्रिड स्टेशन लगाने का कष्ट करें।

जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री गहलोत

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खान मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में बिदूसर माइंस एरिया में शिवटकरी नामक जगह पर 1982 में खान विभाग द्वारा खाने आबंटित की गयी थीं। उसके पश्चात् कुछ अतिक्रमणकारियों ने पूरे भूखण्ड पर अतिक्रमण कर लिया था और विभिन्न न्यायालयों में जिनको खान आबंटन हुई हैं उनके पक्ष में फैसले हुए हैं। उसके पश्चात् भी आज तक उनको कब्जा नहीं मिल रहा है। मैं खान मंत्रीजी से यही निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति वर्ग के जो लोग हैं उनको खान का कब्जा मिले। इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट तक का निर्णय उनके पक्ष में हुआ है। गृह मंत्रीजी, आपके माध्यम से भी मैंने तीन-चार सालों से लगातार यह सवाल आपके सामने रखा है और आपके प्रयास से आज खान विभाग उन खान आबंटियों को कब्जा दे सकता है, प्रशासन का सहयोग दिलाकर आप कब्जा दिलायें और कोई बाधा उनके बीच में नहीं पड़ जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन जी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

(श्री भीमसेन चौधरी)

राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित लोगों को छतरगढ़ में भूमि आबंटित हुई थी एवं उसका उनको कब्जा मिल गया था लेकिन उपनिवेशन विभाग द्वारा जमाबंदी तैयार करते समय उन लोगों का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं करने से भूदान के लोगों ने, वहां की स्थानीय कमेटी ने दूसरे लोगों को जमीन आबंटित कर दी और इससे बड़ी समस्या पैदा हो गयी। जिन लोगों को रक्षा मंत्रालय द्वारा फील्ड फायरिंग रेंज स्थापित करने के लिये देशहित में विस्थापित किया ऐसे लोगों की यह समस्या है। अतः सरकार को इन विस्थापितों की समस्याओं के बारे में बराबर ध्यान देना चाहिये और आज जो उनके सामने समस्या है, प्रशासन की गलती के कारण से उनका नाम जमाबंदी में दर्ज होने से रह गया, कुछ लोगों का दर्ज कर दिया और बाकियों का रह गया, तो जिनका रह गया उनका नाम दर्ज करवायें। मौके पर काबिज हैं, दूसरे आबंटियों द्वारा उनको बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है उसको रोका जाए और इन लोगों को जो कि शांतिप्रिय लोग हैं और जिनको आपने जमीन आबंटित की है उनको बदस्तूर खेती करने दी जाय। यह मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : 295 श्री रतनलाल ताम्बी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्य

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले में वर्षा का अभाव होने से अभी तक जिले में फसलों की बुआई नहीं हो पायी और प्रशासन के आदेशों की विसंगतियों से अनेक कार्य कच्चे बंद कर दिये गये हैं और पक्के कार्य भी 30 जून, 1996 तक बंद हो जाएंगे। अकाल की गम्भीर स्थिति है। अनेक गांवों के लोग श्रमिक नहीं बढ़ाने तथा अकाल कार्य समय पर स्वीकृत नहीं होने से पलायन कर गये हैं। पक्के कार्यों के निर्माण की सामग्री कम राशि पर्याप्त तथा समय पर नहीं देने, पंचायतों के साथ भेदभाव, पक्षपात से राशि समय पर नहीं देने से यह पंचायत समिति की टालमटोल करने की स्थिति से 75 प्रतिशत कार्य अधूरे रह जाएंगे।

जिले में वर्षा अभी तक नहीं होने, बुआई फसलों की नहीं होने से कच्चे कार्य 12 जुलाई तक एवं पक्के कार्य 31 जुलाई तक बढ़ाये जाएं तथा पंचायतों को तत्काल बिना भेदभाव, पक्षपात के वरिष्ठ अधिकारी पंचायत समितियों में लगाकर भुगतान करवाया जाए, अन्यथा लाखों की लागत की राहत कार्य सरकार की अदूरदर्शिता नीति एवं कार्यपद्धति से अधूरे रह जाएंगे। अतः अकाल की गम्भीर स्थिति में वर्षा न होने पर भी अकाल राहत कार्य बन्द न कर 31 जुलाई, 1996 तक बढ़ाये जाए ताकि इस स्थिति में जनता को कठिनाई नहीं हो।

राज्य सरकार भीलवाड़ा जिले की गम्भीर अकाल की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अकाल राहत कार्य 31 जुलाई तक बढ़ाये और अग्रिम निर्माण सामग्री की राशि एवं श्रमिकों का भुगतान 15 जून तक के कराने के आवश्यक आदेश तत्काल जारी कराये जाए।

धन्यवाद

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

नौगांवा (अलवर) में सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, रामगढ़ में कस्बा नौगांवा जिला अलवर का एक मशहूर कस्बा है। परन्तु बड़े खेद और दुःख की बात है कि बार-बार आश्वासनों के उपरान्त भी नौगांवा में अभी तक सीनियर हायर सैकण्डरी स्तर का विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

राज्य सरकार के सभी मापदण्ड यहां पर पूर्ण हो रहे हैं। सिर्फ एक अड़चन आ रही है कि 6 किलोमीटर की दूरी पर कस्बा मुबारिकपुर में पहले से ही सीनियर हायर सैकण्डरी स्तर का विद्यालय उपलब्ध है।

महोदय, इस सम्बन्ध में बार-बार इस सदन के माध्यम से भी एवं मंत्री महोदय एवं अधिकारियों के स्तर पर निवेदन कर चुका हूं कि मुबारिकपुर कस्बे में इस प्रकार का वातावरण रहता है कि लोग अपने बच्चों को, खास तौर से छात्रावासों को वहां अध्ययन करने के लिये भेजना उचित नहीं समझते हैं और वहां पर पहले से ही छात्रों की संख्या अधिक है। नौगांवा कस्बा एवं आसपास के ग्रामों के बच्चे बच्चियां रामगढ़ के विद्यालय में आते हैं और रामगढ़ में छात्र-छात्राओं का इतना अधिक दबाव हो जाता है कि बहुत से छात्रों को कक्षा 10 व 11 में प्रवेश नहीं मिल पाता है।

नौगांवा कस्बे के आसपास कई विद्यालय जैसे अलावड़ा, मालपुर, कन्या माध्यमिक विद्यालय नौगांवा हैं, जहां छात्रों को पर्याप्त संख्या हो जाती है एवं कस्बे की आबादी भी लगभग 10,000 हो चुकी है। विद्यालय के पास पर्याप्त भवन एवं खेल का मैदान उपलब्ध है।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि आप आवश्यकता एवं छात्र-छात्राओं की संख्या को देखते हुए कस्बा नौगांवा के माध्यमिक विद्यालय को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करें क्योंकि रामगढ़ तहसील के ऊपर रामगढ़ कस्बे को छोड़कर अन्य कहीं पर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल मौके की नहीं है जहां पर कि छात्र-छात्राएं अध्ययन कर सकें। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि इस वर्ष 1996-97 सत्र में माननीय शिक्षा मंत्रीजी कस्बा नौगांवा में आवश्यक रूप से सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलेंगे। धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम नाई।

(13.40)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

थाना गंगाशहर (बीकानेर) के एस. आई. का निलम्बन

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान थाना गंगाशहर (बीकानेर) में शराब काण्ड के तहत अनुचित तरीके से निलम्बित किये गये एस. आई. की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके तथ्य निम्न प्रकार से हैं :—

(1) श्री नन्दलाल का स्थानान्तरण दिनांक 13.2.96 को आदेश संख्या 1546-50 के तहत पी. टी. एस. जोधपुर से बीकानेर में पुलिस थाना गंगाशहर में हुआ था।

(2) दिनांक 31.5.96 को बिना किसी नोटिस अथवा कारण एवं जानकारी के इस तिथि के अनुसार मात्र 4 माह बाद लाइन हाजिर कर दिया गया जबकि श्री नन्दलाल पूर्ण लगन एवं ईमानदारी से कार्य कर रहा था तथा न ही जनता से कोई शिकायत थी।

(श्री किशनाराम नाई)

(3) श्री नन्दलाल, थानाधिकारी द्वारा एस. पी. को बार-बार स्मरण दिलाया गया कि उसके अधीन कुछ पुलिस कर्मचारियों को शराब पीने की आदत है।

(4) दिनांक 28.5.96 को रोजनामचा रपट संख्या 1261 के तहत थानाधिकारी, श्री नन्दलाल इलाके में गश्त हेतु गया था। पीछे से अतिरिक्त एस. पी. निरीक्षण हेतु थाना पधारे तथा उसी वक्त कुछ कर्मचारीगण शराब पीते हुए मिले जैसा कि रोजनामचा आम की रिपोर्ट प्रमाणित होता है। इससे पूर्व स्वयं थानाधिकारी, श्री नन्दलाल ने दूरभाष पर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दे दी थी। इस बात की सत्यता के बारे में स्वयं एस. पी. से पूछा जा सकता है। (नकल संलग्न है-रोजनामचा)

(5) दिनांक 14.6.96 को बिना किसी आधार के लाइन हाजिर करने 15 दिन बाद श्री नन्दलाल को निलम्बित कर दिया जबकि निरीक्षण के पूर्व चार्ज श्री नन्दलाल द्वारा श्री अमरसिंह ए. एस. आई. को दिया गया तथा तत्पश्चात् रात्रि 2.00 बजे निरीक्षण के दौरान शराब पीते हुए पकड़े गये। उक्त घटित निरीक्षण में श्री नन्दलाल सम्मिलित नहीं थे।

(6) उपरोक्त बातों से श्री नन्दलाल का कोई सरोकार नहीं है। उसने आज तक के जीवन में शराब अथवा धूम्रपान को कभी छुआ तक नहीं, पीना तो उसके लिये बहुत बड़ी बात है और जिस समय यह काण्ड हुआ उस समय श्री नन्दलाल थाने से बाहर गश्त पर ड्यूटी पर ही था।

(7) ऐसा आभास होता है कि श्री नन्दलाल के पीछे कोई श्री स्वरूप गहलोत, जो कि श्री नन्दलाल की तथाकथित पत्नी का रिश्ते में मामा है, उसके पीछे हाथ धोकर लगा हुआ है जो कि येन-केन-प्रकारेण गलत शिकायतें पुलिस के उच्चधिकारियों से कर नुकसान पहुंचाने के प्रयास में लगा रहता है।

(8) श्री गहलोत की सगी भानजी ने श्री नन्दलाल के खिलाफ झूठा मुकदमा संख्या 297/94 दिनांक 11.8.94 को थाना नया शहर में धारा 498 व 406 के तहत दर्ज करवाया था तथा इससे पहले श्री नन्दलाल ने दिनांक 25.10.93 को मुकदमा संख्या 197/93 धारा 420/120 बी तथा 419 के तहत उपरोक्त लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया था। उपरोक्त दोनों प्रकरणों की जांच सी. आई. डी(सी. बी) के तहत विचाराधीन है। फिर उन्हीं के द्वारा श्री नन्दलाल के विरुद्ध 10 माह बाद उसकी प्राथमिकी दर्ज करवाने के बाद दहेज का मिथ्या प्रकरण दर्ज करवाया गया। उपरोक्त तथ्यों से यह साफ जाहिर होता है कि श्री नन्दलाल, उप निरीक्षक से रंजिश निकालने के लिये ही मिथ्या मुकदमा दर्ज करवाना पाया जाता है तथा इसके पश्चात् भी उनके खिलाफ गलत शिकायतें करके उच्चाधिकारियों को गुमराह करने में लगे रहते हैं।

मान्यवर, उक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से आग्रह है कि यदि श्री नन्दलाल, थानाधिकारी जो कि एक पिछड़ी जाति के हैं और एक ईमानदार, कर्मठ एवं मेहनती हैं, के साथ अन्याय होता है, उन्हें बिना वजह की यातनाएं दी जाती हैं, बेगुनाह होते हुए भी उन्हें डराया धमकाया जाता है तथा मिथ्या रपट तैयार कर निलम्बित किया जाता है जबकि बीकानेर शहर में कई अधिकारीगण जो कि पिछड़ी जाति के नहीं हैं एवं कई वर्षों से उन्होंने वहां एकाधिकार कर रखा हैं, उन्हें हटाया नहीं जा रहा है । पिछड़ी

(श्री किशनाराम नाई)

जाति के व्यक्ति को उच्च जाति के अधिकारियों द्वारा तंग किया जा कर अपनी मोनोपाली चलायी जा रही है। इन्हें सरकार अगर संरक्षण नहीं दे पाती है तो मैं इसे एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति के प्रति घोर अन्याय मानता हूं। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा 20.6.96 को गृह मंत्रीजी को इस प्रकरण की सारी वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया गया है।

श्री रामनारायण मीणा : पाइंट आफ आर्डर। मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है...

श्री उपाध्यक्ष : पहले उनको पूरा कर लेने दीजिये।

श्री रामनारायण मीणा : मैं निवेदन यह कर रहा था कि गृह मंत्रीजी बात कर रहे हैं। वे पढ़ रहे हैं और गृह मंत्रीजी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पिछड़े वर्ग का मामला है, गृह मंत्रीजी, यह मैं आपको कह रहा था।

श्री किशनाराम नाई : अतः मेरा आग्रह है कि श्री नन्दलाल, उप निरीक्षक के निलंबन आदेश को तुरन्त प्रभाव से निरस्त फरमायें तथा वापस उसे बिना विलम्ब के थाना गंगाशहर में पदस्थापित किया जाए ताकि गंगाशहर थाने के इलाके के लोगों को एक अच्छे एवं ईमानदार पुलिस प्रशासन का फायदा मिल सके। साथ ही इस प्रकरण की किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच करवाकर तथ्यों को सदन के सामने रखें ताकि दोषी व्यक्तियों को उचित दण्ड दिया जा सके। कृपया मेरे इस प्रकरण पर तुरन्त कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री किशनाराम नाई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा सा निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। आपने नियमों के अनुसार इसको पढ़ दिया अब इसके अन्तर्गत आप कुछ नहीं कह पाएंगे। कृपाया बिराजें। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास आप शुरू करिये।

श्री किशनाराम नाई : कुछ बात ही नहीं बताऊंगा तो फिर क्या फायदा है ? 295 हम पढ़ देते हैं, उसके बारे में हमें कोई आश्वासन तो दें। ओ. बी. सी. के छोटे से अधिकारी का सवाल है।

जोधपुर में चिकित्सा सेवाओं में सुधार एवं विस्तार

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर राज्य का दूसरा प्रमुख शहर होने के कारण यहां के अस्पतालों में सम्भाग के अन्य जिलों के गम्भीर रोगियों को भी चिकित्सा सेवाएं सुलभ करवायी जाती हैं। बढ़ती हुई आबादी के घनत्व और जोधपुर के अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, पाली एवं जालौर जिले से यहां चिकित्सा हेतु आने वाले गम्भीर रोगियों को ध्यान में रखते हुए यहां के चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाओं की कारगर सुविधाओं का अत्यन्त अभाव है।

जोधपुर शहर में महात्मा गांधी अस्पताल, मथुरादास माथुर अस्पताल , क्षय रोग चिकित्सालय, उम्मेद महिला एवं शिशु अस्पताल प्रमुख रूप से हैं। इन चिकित्सा संस्थानों में हालांकि समय के साथ विकास हुआ है, परन्तु बढ़ती आबादी के घनत्व के दृष्टिगत आज भी चिकित्सा सुविधाओं की कमी महसूस की जा रही है। जोधपुर में हृदय रोग से सम्बन्धित निरन्तर बढ़ती जा रही बीमारियों के निदान में आवश्यक सुविधाओं की कमी प्रमुख रूप से महसूस की जा रही है। कार्डियोवस्कुलर बीमारी, गत वर्षों में तेजी से बढ़ रही है और बड़ी संख्या में लोग इस हृदय रोग से ग्रसित हुए

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

हैं। इस बढ़ती हुई हृदय रोग चिकित्सा के लिये जोधपुर में हालांकि हृदय सघन चिकित्सा इकाई कार्यरत हैं, परन्तु कार्डियोलोजी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाये जाने की मुख्य आवश्यकता है।

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के बाद जोधपुर के चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सेवा इकाइयों में अत्याधुनिक उपकरण एवं प्रभावी सुविधाएं उपलब्ध करवाना वर्तमान में अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गया है। जोधपुर में कार्डियोलोजी की विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ आधार देने के लिये यहां करीब ढाई करोड़ रुपये से अधिक लागत के उपकरण उपलब्ध करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। कार्डियक केथेराइजेशन लेब के साथ हृदय रोग चिकित्सा इकाई के लिए सेंट्रल मानीटरिंग कसोल, कलर डोपलर, इकोकार्डियोग्राफी मय ट्रांजेसोपेजियल, सी आर्म के साथ पोर्टबल इमेज इटनसिफायर एम्बुलेटरी रक्त चाप मानीटरिंग, होल्टर मानिटरिंग तथा सिग्नल एवरेज ई.सी.जी. की सुविधाएं उपलब्ध होना नितान्त आवश्यक है। इसके साथ ही हृदय रोग विभागों में शय्याओं की क्षमता बढ़ाने तथा रोग अनुसंधान विभागों की वृद्धि के अलावा प्रोफेसर, रेजिडेंट नर्सिंग स्टाफ और टैक्निशयनों के पदों का नवसृजन भी अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

जोधपुर राज्य का दूसरा बड़ा शहर होने के बावजूद भी अभी यहां हृदय शल्य चिकित्सा इकाई स्थापित नहीं है। इससे कमजोर वर्ग एवं अन्य जरूरतमन्द लोगों को कार्डियक सर्जरी हेतु अन्यत्र स्थानों पर जाना पड़ता है जिससे उन पर अत्यधिक आर्थिक भार पड़ता है। ऐसी स्थिति में जोधपुर में एक कार्डियक सर्जन की नियुक्ति की जानी चाहिए। हृदय के वॉल्व सम्बन्धी रोगियों के लिए पेरीकार्डइटिस एवं पेसमेकर लगाने की कारगर व्यवस्था की जानी चाहिये। अति गंभीर रोगियों के लिये तथा हृदय रोगियों के लिये इंटरमिडिएट केयर यूनिट की स्थापना महात्मा गांधी में की जाए। इस तरह की इकाई से सी.सी.यू. और आई.सी. यू. से स्थानान्तरित मरीजों की देखभाल सुचारू रूप से की जा सकती है तथा इन इकाइयों पर पड़ने वाले कार्यभार को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रत्येक मेडिकल वार्ड में एक–एक ई.सी.जी. मशीन उपलब्ध करवायी जानी चाहिये।

जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल एवं मथुरादास माथुर अस्पताल, दोनों में मेडिसिन और सर्जरी विभाग की इकाइयां कार्यरत हैं। इन इकाइयों को अलग-अलग स्थापित तो कर दिया गया, परन्तु स्टाफ की संख्या नहीं बढ़ायी गयी। महात्मा गांधी अस्पताल में पूर्व में कार्य करने वाली चार यूनिटों की संख्या घटकर तीन रह गयी है। बढ़ते हुए कार्यभार के दृष्टिगत इस अस्पताल में चार यूनिट रहना तो अत्यन्त आवश्यक है तथा दो यूनिट मथुरादास माथुर अस्पताल में भी होनी चाहिये। इसके लिये आवश्यक मेडिकल तथा पेरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति भी किया जाना आवश्यक है।

राज्य सरकार की चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के योजनाबद्ध प्रयासों के तहत जोधपुर में गेस्ट्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी की सुविधा मुहैया करवाना अत्यन्त ही आवश्यक है। इसके अभाव में जरूरतमंद मरीजों को बाहर जाना पड़ता है। यह जांच मरीजों के इलाज के लिए बहुत ही

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

आवश्यक है। रेडियो डाइग्नोसिस विभाग में एक सोनोग्राफी मशीन की और अत्यन्त आवश्यकता है ताकि मरीजों के रोग अनुसंधान में कोई विलम्ब नहीं हो और उन पर निजी संस्थानों में परीक्षण करवाने का आर्थिक भार न पड़े।

जोधपुर में न्यूरोलोजी विभाग तो अवश्य स्थापित किया गया है, परन्तु वहां पद रिक्त पड़े हैं। इस महत्वपूर्ण चिकित्सा इकाई को अधिक प्रभावी बनाने के लिये वहां रिक्त पड़े पदों को तुरन्त भरा जाए। इसके साथ ही मथुरादास माथुर अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पर्याप्त नहीं होने की स्थिति में चिकित्सा एवं रोगी सेवाएं प्रभावित होती है। वहां इन कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में लगाया जाना चाहिये।

उम्मेद महिला एवं शिशु चिकित्सालय में चिकित्सा सेवाएं अत्यन्त प्रभावित हो रही हैं। अस्पताल में करोड़ों रुपये की राशि के खरीदे गये उपकरणों को काम में नहीं लिया जाने के लिये सम्बन्धित अधीक्षक को जवाब तलब किया जाना चाहिये तथा अनेक उपकरण खराब होने की स्थिति में उनका उपयोग नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में बरती गयी लापरवाही के लिये भी दोषी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। महात्मा गांधी अस्पताल में भी खराब पड़े उपकरणों को ठीक नहीं करवाने, विशेष रूप से अस्थि रोग विभाग में पड़े उपकरणों की समय पर मरम्मत नहीं होने और आर.आर.सी. सैंटर के खराब उपकरणों को ठीक नहीं करवाने के कारणों की जांच की जाए, कार्यवाही की जाए और जनहित तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के लिये इन उपकरणों को कार्यशील बनाने की दिशा में त्वरित कार्यवाही की व्यवस्था की जाए। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खेतसिंह जी राठौड़।

जोधपुर जिले में लगे अस्थायी बेलदारों का सुदूर स्थानान्तरण

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत एक अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले में सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए वन मंत्रीजी से वक्तव्य दिये जाने की अपेक्षा करता हूं।

शेरगढ़ तहसील व जोधपुर जिले में लगे हुए अस्थायी कर्मचारियों, जिनका पद बेलदार हैं, को अस्थायी होने से दैनिक वेतन पर रखा हुआ है। उन 410 बेलदारों को जोधपुर जिले से हटाकर बारां एवं झालावाड़ जिलों में लगाया गया है। इससे अमानवीय कार्य और क्या होगा कि राजस्थान के सुदूर पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र से हटाकर एक हजार किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी के क्षेत्र में इन बेलदारों को लगाया गया है। कारण यह बतलाया गया है कि जिस योजना के तहत इन लोगों को लगाया गया था, वे योजनाएं बन्द कर दी गयी हैं और इन योजनाओं के स्थान पर नयी जल ग्रहण क्षेत्र योजना शुरू की गयी हैं।

मेरा निवेदन है कि जो कार्य इन पश्चिमी क्षेत्रों में इन बेलदारों द्वारा किया जा रहा था, उन कार्यों की अब देखभाल कौन करेगा ? क्या इन बेलदारों के द्वारा जो प्लांटेशन किया गया था, जो आज काफी मात्रा में जिन्दा हैं, जिन पौधों को लू की वक्त जला दिया जाता था, जिन पर विभाग ने करोड़ों रुपये खर्च किये

(श्री खेतसिंह राठौड़)

हैं, जो योजना रेगिस्तान को हरा-भरा कर रही थी, जिसके नतीजे ठीक निकल रहे थे, एकदम बिना समझे, बिना हकीकत मालूम किये एक शाही फरमान जारी कर दिया कि पौधों को सूखने दो और बेलदारों की ऐसी दुर्गति कर दो कि वे कहीं के न रहें।

मान्यवर, मैं इस पर माननीय वन मंत्रीजी महोदय का वक्तव्य चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भवानी जी जोशी।

ग्राम आसोड़ा (बांसवाड़ा) में निरस्त खनन पट्टे का पुनः आबंटन

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत खनन पट्टा एम.आर. एन. नम्बर 5/93 ग्राम आसोड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा को बिना उचित कारण के निरस्त किये जाने के मामले की जांच करने हेतु खनन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरा निवेदन है कि श्रीमती केसर देवी पाठक पत्नी श्री जयशंकर पाठक निवासी सरेड़ी बड़ी ने खनन एवं भू-विज्ञान, बांसवाड़ा को एक खनन पट्टा खनिज मार्बल हेतु एम.आर.एल. नम्बर 5/93 दिनांक 19.1.93 को आबंटित किया था जिसकी खनिज अभियन्ता, उदयपुर के आदेश क्रमांक एम.आर.एम.एल.5/93 दिनांक 21.10.94 के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है जिसका मूल कारण राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 6.10.94 के द्वारा नई मार्बल नीति के अनुसार नहीं होना बताया गया है। अभियन्ता द्वारा उक्त आदेश दिनांक 21.10.94 को जारी किया गया था। राज्य सरकार द्वारा नयी मार्बल नीति दिनांक 6.10.94 को प्रभावी हुई जबकि इनका आवेदन दिनांक 5.9.94 को डाक रजिस्टर संख्या 19 (3) बांसवाड़ा एम.आर. एम. एल. नम्बर 5/93 के द्वारा पत्रावली खनिज अभियंता, उदयपुर की स्वीकृति हेतु सहायक अभियंता (खनिज), बांसवाड़ा के द्वारा पहुंचा दी गयी थी जिसकी दिनांक 5.9.94 को ही उदयपुर खनिज अभियन्ता के कार्यालय में पत्रावली प्राप्त किये जाने की प्राप्ति रसीद भी प्राप्त हुई है। इस प्रकार तीन खनन पट्टे हेतु किये गये आवेदन पत्रों को अस्वीकृत किये जाने का विभाग द्वारा कोई औचित्य एवं प्रमाणित कारण नहीं बताया गया अपितु प्रार्थियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाकर खनन पट्टा आबंटित नहीं किया जाना न्यायसंगत नहीं है। ऐसी स्थिति में निरस्त आदेश पर पुनः विचार कर खनन पट्टे को आबंटित किया जाकर प्रार्थी को न्याय दिलवायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राकेश मेघवाल (अनुपस्थित) । माननीय नाथूराम जी अहारी।

पुनाली (डूंगरपुर) माध्यमिक विद्यालय का उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नयन

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत पुनाली माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पुनाली माध्यमिक विद्यालय को लम्बे समय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया

(श्री नाथूरूम अहारी)

गया है। इस विद्यालय के आसपास बड़ी-बड़ी पालें एवं गांव हैं। इन गांवों के बच्चों को 15 किलोमीटर के आसपास कोई उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होने से भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई बच्चे उच्च माध्यमिक विद्यालय पास नहीं होने से बीच में ही पढ़ना छोड़ देते हैं।

श्रीमान् जी, इस प्रजातांत्रिक युग में भी गरीब आदिवासी एवं अन्य पिछड़ी जाति के बच्चों को पढ़ाई का मौका नहीं मिला तो उनके लिये और कौनसा समय आएगा ? पास में उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होने से जहां भी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जो दूर भी है, उन स्कूलों में बच्चों का लोड पड़ता है जिससे परेशान होकर बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है। अगर स्कूल पास में होता है तो रूखा-सूखा खाकर भी पढ़ाई कर सकता है।

अतः निवेदन है कि माध्यमिक विद्यालय पुनाली को इसी वर्ष उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने के आदेश करावें। धन्यवाद।

(14.00)

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह जी।

उदयपुर की विश्व प्रसिद्ध झीलों में प्रदूषण

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख निम्न प्रकार है : —

उदयपुर की विश्व प्रसिद्ध झीलों में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछोला तथा फतेहसागर के निकट अवैध निर्माण कार्य भ्रष्ट प्रशासन की देखरेख में पनप रहे हैं। 1994 में बनाई गई सीवरेज योजना का पायलट प्रोजेक्ट मात्र कागजों तक ही सीमित है। इस बारे में हुडको से ऋण प्राप्ति का मामला भी ठण्डे बस्ते में पड़ा हुआ है। आवास विकास संस्थान को जमा कराये 40 लाख रुपये से भी नगण्य कार्य हुआ है। जल कुम्भी का भी स्थायी समाधान नहीं ढूंढा गया है। इस मद पर 95-96 की आबंटित राशि दो लाख रुपयों का भी समुचित और सार्थक उपयोग नहीं हो पाया है। राज्य सरकार ने फतेहसागर झील के निकट अपने आदेश नगरीय विकास विभाग पत्रांक एफ/10/70 यूडी. एच/89 दिनांक 27.5.92 से कांची होटल बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। उक्त स्वीकृति का जनता द्वारा भारी विरोध हुआ था क्योंकि इससे फतेहसागर में प्रदूषण बढ़ता। भ्रष्ट अधिकारियों और स्थानीय सत्तारूढ़ राजनेताओं की मिलीभगत से यह कदम उठाया गया जिसे वापस लेना ही जनहित व उदयपुर हित में होगा।

राज्य सरकार इन विश्व प्रसिद्ध झीलों में प्रदूषण रोके और उदयपुर के पर्यटन के प्रमुख आकर्षण को नष्ट होने से बचाये और इस हेतु सार्थक प्रयास करे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारी लाल बैरवा।

निवाई (टोंक) कस्बे में पानी सप्लाई में व्यवधान

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवाई कस्बे में, माह जून में लगातार तीन दिन तक जल प्रदाय विभाग द्वारा पानी सप्लाई नहीं करने से उत्पन्न स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि माह जून, जिसमें भयंकर गर्मी पड़ती है और पानी की सबसे अधिक

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

आवश्यकता होती है, मनुष्य एवं जानवर-पशु-पक्षी सभी पानी की तलाश में रहते हैं, ऐसी स्थिति में पानी सप्लाई वक्त पर नहीं होने से चारों ओर त्राहि-त्राहि मच जाती है। निवाई कस्बे में 17,18 व 19 जून को जल प्रदाय विभाग द्वारा जल वितरित नहीं किया जा सका जिससे निवाई कस्बे में बड़ी परेशानी उत्पन्न हो गयी। उस गड़बड़ी के क्या कारण थे, उसके लिये कौन जिम्मेदार है, भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो उसके लिए क्या सरकार की योजना है ?

मैं जल प्रदाय मंत्रीजी का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि अकाल पीड़ित जनता को इस प्रकार के घोर संकट से मुक्ति दिलाने के लिये पेयजल की बड़ी योजना प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी।

श्री कैलाश मेघवाल : बहुत ज्यादा बोलते हैं साहब यह।

हिण्डौन तहसील के काश्तकारों की भूमि से बेदखली

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से इस विशेष उल्लेख के जरिये बताना चाहूंगा कि हिण्डौन सब डिवीजन में अभी जो अमानात हुई थी। भू-प्रबन्ध विभाग के द्वसरा, उसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया गया जिसके कारण काश्तकारों के सामने क्या दिक्कतें आयी, यह वर्णन कर रहा हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि भू-प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही के कारण सैंकड़ों काश्तकारों को डिवीजन हिण्डौन जिला सवाई माधोपुर में अपनी भूमि से बेदखल होना पड़ा। विभाग द्वारा काश्तकारों के साथ जो अन्याय किया गया, माननीय मंत्रीजी उसकी जांच करायें। कुछ साल पहले हिण्डौन तहसील में भू-प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही चली जिसमें अमीनों ने सैंकड़ों काश्तकारों की खातेदारी की जमीनों को सिवाय चक व चरागाह में निकाल दिया। किसी खातेदार की जमीन को किसी अन्य काश्तकार की जमीन में लगा दिया, किसी की जमीन की स्थिति को बदल दिया। किसी के खेत को दक्षिण में कर दिया तो किसी के दक्षिण वाले खेत को उत्तर में कर दिया। किसी के खेत को पूर्वी किनारे पर पहुंचा दिया तो पूर्वी किनारे वाले के खेत को पश्चिम की ओर पहुंचा दिया किसी खातेदार के खातेदारी की चाह को चरागाह में निकाल दिया जिसके सम्बन्ध में काश्तकारों ने न्यायालय उप जिला कलक्टर, हिण्डौन के यहां दावे दायर कर दिये जिनमें तहसील हिण्डौन को भी पार्टी बनाया गया है लेकिन तहसील वाले इन मुकदमों में दो साल तक जवाब पेश नहीं करते। उधर भू-प्रबन्ध विभाग वालों द्वारा खातेदारी की भूमि, जो सिवाय चक की चरागाह में निकाल दी, उन भूमियों के सम्बन्ध में धारा 21 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही करके उन्हें बेदखल किया जा रहा है। मनमानी पैनल्टी वसूल की जा रही है। मौके की रिपोर्ट न्यायालय एस.डी.ओ., हिण्डौन द्वारा तलब करने पर भी कई तारीखों तक पेश नहीं करते। डी.ओ. पत्रों की परवाह नहीं करते जिससे करीब पांच सौ मुकदमों में काश्तकारों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय काश्तकारों में भारी असंतोष व्याप्त है। सस्ता और शीघ्र न्याय मिलने के अधिकारी को तहसील द्वारा कुचला जा रहा है। इस सम्बन्ध में जिलाधीश को भी निवेदन किया गया था कि इस प्रकार के मुकदमों का एक अभियान चलाकर फैसला किया जाए लेकिन उन्होंने भी इस ओर कतई

(श्री रामस्वरूप मीणा)

ध्यान नहीं दिया। गरीब काश्तकार बुरी तरह से अपने खाते की जमीन से महरूम हो गये हैं, पटवारी लोग पैनल्टी वसूल कर उन्हें परेशान करने पर तुले हुए हैं।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा, वह यहां विराजमान हैं, कि तहसीलदार जो आपके हैं वह उनमें जवाब पेश नहीं कर रहे हैं, काश्तकारों को असत्य फंसा रहे हैं, पैनल्टीज लागू कर रहे हैं, विभाग ने जो गलती की है, उन्होंने भ्रष्टाचार के जरिये जो काश्तकार के साथ अन्याय किया है, उसका जो खामियाजा काश्तकार भोग रहा है, आप उसकी जांच करायेंगे और निश्चित रूप से काश्तकार का हक देंगे। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा।

बस्सी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के तहत नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय का ध्यान बस्सी विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहूंगा।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कृषि उपज मंडी द्वारा पिछले दस वर्षों से अब तक जिन सड़कों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया है उनमें घटिया मैटीरियल लगाने के कारण मात्र दो या तीन वर्ष में जगह-जगह से सड़कें टूट गयी हैं। जिन सड़कों का निर्माण पांच वर्ष, दस वर्ष पूर्व करवाया गया_

श्री परसादीलाल मीणा : यह चतुर्वेदी जी बैठे हैं, इनको कह दो। यह चतुर्वेदी जी के विभाग के कारनामे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कृषि उपज मण्डी।

श्री कन्हैयालाल मीणा : उन सड़कों में से किसी-किसी सड़क का तो खण्डहर ही मात्र नजर आता है। इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। अनेक सड़कों पर प्राइवेट बसें, सरकारी रोडवेज बसों का आवागमन रास्ते की विकटता के कारण बंद करने से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

श्री परसादीलाल मीणा : यह निर्दलीय होते तो यह भी मंत्री होते।

श्री रतनलाल ताम्बी : जो निर्दलीय मंत्री बने वह आराम पा रहे हैं।

श्री कन्हैयालाल मीणा : उन सड़कों की सूची निम्न प्रकार से है :—

1. बस्सी से सामरिया वाया कचोलिया, पाला वाला जाटान, मनोहरपुरा।

मेरे को तो अभी भी बना रहे थे, मैं बनना ही नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप जारी रखें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : 2. नायला रोड से बैनाडा श्रीजी महाराज का मन्दिर तक वाया कुथाडा खुर्द, कुथाडा कला, हरडी घाट्य।

3. तूंगा कोटखावदा रोड से दणाऊ कला, वाया नगराज पुरा।

4. देवगांव से काशीपुरा वाया विमलपुरा सड़क निर्माण।

5. रोजवाड़ी (भूडला रोड) से गुमानपुरा वाया माधोगढ़, तेली का तिबारा।

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

6. गोठड़ा से भूडला वाया पाटन तिलपट्टी।

7. नेशनल हाईवे 11 से रामसर पालावाला वाया दूदावाला।

8. बांसखो भूडला रोड से राजपुरा सड़क।

9. तूंगा बस्सी सड़क से नई का नाथ, बांसखों वाया चारणवास, रामपुरा।

10. कृषि उपज मंडी, बस्सी से दूथली वाया रोहितासपुरा तक।

11. तूंगा रोड तक कर्णगढ़ वाया गढ़ सड़क निर्माण।

उपरोक्त सड़कों की जांच करवायी जावे तथा उन पर शीघ्रातिशीघ्र पुनः डामरीकरण के आदेश देवें तथा जहां-जहां सड़कें टूट गयी हैं उनकी मरम्मत करवायी जावे तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरह सड़क बनाने के बाद में उनकी देखरेख की व्यवस्था की जावे जिससे बसों का आवागमन, कृषकों की बैल गाड़ियां, ऊंट गाड़ियां चलने लगे एवं आम जनता को जो परेशानी आ रही है उसे दूर किया जा सके। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अनेक बार सर्वे कराने का कार्य करने के उपरान्त भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। सड़कें बनाते वक्त काजवे का ध्यान नहीं रखने से सड़कें अनेक जगहों से टूट गयी हैं। अतः जहां काजवे की आवश्यकता हो, काजवे तथा जहां पाइप लगाने की आवश्यकता हो, पाइप लगाया जावे जिससे आम जनता को राहत मिल सके।

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि
अधिसूचनाएं
उपनिवेशन एवं राजस्व विभाग

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी, राजस्व मंत्री, उपनिवेशन एवं राजस्व विभाग की सात अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कहा था कि आपका 295 में नाम है। क्या हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका बजट पर वाद-विवाद में तो नाम है, इसमें नहीं है।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन एवं राजस्व विभाग की निम्नांकित सात अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना क्रमांक पं. (3) रेव/कोल/85 दिनांक 17 मई, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर) उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ;

(2) अधिसूचना क्रमांक प.4 (3) उप/85, दिनांक 17.5.1996 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थायी खेती पट्टा) शर्त, 1955 में संशोधन किया गया है ;

(3) अधिसूचना क्रमांक प. 3 (54) उप/87, दिनांक 6.6.1996 जिसके द्वारा आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर को उपनिवेशन क्षेत्र में केन्द्र सरकार के कार्यालयों/निगमों व केन्द्र सरकार के अन्य प्रतिष्ठानों हेतु भूमि आबंटन के लिये शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं ;

(4) अधिसूचना क्रमांक प. 13 (20) उप/95, दिनांक 7.6.1996 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा और इन्दिरा गांधी नहर उपवेशन क्षेत्र की मण्डियों में सरकारी भूमि का विक्रय व आबंटन) (शर्त 1973 की

(श्री गंगाराम चौधरी)

शर्त 2) (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत कतिपय क्षेत्रों को मण्डी बज्जू की अधिकारिता में सम्मिलित किया गया है,

(5) अधिसूचना क्रमांक प. 13 (21) उप/95, दिनांक 7.6.1996 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा) और इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र की मण्डियों में सरकारी भूमि का विक्रय व आबंटन शर्त, 1973 की शर्त 7(9) के अन्तर्गत अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों की मण्डी आर. डी. 465 की अधिकारिता में सम्मिलित किया गया है ;

(6) अधिसूचना क्रमांक एफ. 6 (18) रेव/ग्रुप-6/94/2, दिनांक 14.3.1996 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि आधारित निर्यातोन्मुखी उपज के प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1996 विरचित किये गये हैं; एवं

(7) अधिसूचना क्रमांक 10 (1) राज/6/95/8 दिनांक 17 मई, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री, राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का छठा, सातवां व आठवां प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रतिवेदनों का सदन पटल पर विलम्ब से उपस्थापन

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : पाइंट आफ आर्डर, प्लीज।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी आश्वासन दिये, आपकी तरफ से भी कहा गया कि यह देर से) वार्षिक प्रतिवेदन पेश किये जाते हैं, वे नहीं होंगे। मुख्य मंत्रीजी ने खुद यहां खड़े होकर आश्वासन दिया कि यह देर से नहीं बिलकुल समयानुसार रखे जाएंगे। मैं इस मामले में कौल और शकधर का पेज संख्या 887 को कोट कर रहा हूं : —

"Committee on Papers laid on the table : During the session, a large number of papers are laid every day on the Table of the House. In view of the volume and the variety of these papers, the House, by itself, is not in a position to give a closer scrutiny to all these papers and to become aware of their importance and siginificance. As there is no prior circulation of these papers, the members also are not in a position to raise objections, if any, as and when these are laid. Only in cases of inordinate delay in laying the papers some objection were raised now and then on the floor of the House and the Minister concerned asked to explain the delay."

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय भाभड़ा साहब, उप मुख्य मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का छठा, सातवां व आठवां प्रतिवेदन वर्ष 1989-90, 1990-91 व 1991-92 आज सदन की मेज पर ले डाउन करने वाले हैं, इसके साथ में कोई एक्सप्लेनेटरी नोट नहीं है। इसमें यह कोई बात नहीं है कि

(श्री विष्णु मोदी)

किस कारण से यह इनआर्डिनेंट डिले हुई है। मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन देने के बावजूद भी मैं नहीं समझ पाता कि यह किस तरह की सरकार है, अपने आपको संवेदनशील कहने वाली सरकार ? उन्होंने साफ तौर पर एक दिन यहां घोषणा की थी जब मैंने पिछली बार पिछले सदन में आब्जेक्शन किया था कि कोई कितने ही बड़े से बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, इस हाउस को उससे अवगत कराया जाएगा, उसके बाद में ही हम इस तरह के पेपर अगर इनआर्डिनेट डिले होंगे तो रखे जाएंगे।

मैं इस पाइंट आफ़ आर्डर के माध्यम से आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं कि सदन में इस तरह का जो आश्वासन दिया गया था कि इनआर्डिनेट डिले नहीं होगी एक तो उस पर व्यवस्था दें, आप सरकार को ताड़ना दें और उसके बाद में पेपर ले डाउन करने से पहले उप मुख्य मंत्रीजी इस बात को बतायें कि क्या कारण रहे हैं जिसके कारण से इतनी देरी हुई ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उपमुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार प्रतिवेदन पेश करने की प्रथा मैंने शुरू की_

श्री विष्णु मोदी : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था_

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य हाथकरघा, विकास निगम लिमिटेड का छठा, सातवां एवं आठवां प्रतिवेदन

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जो मैं कह रहा हूं, सुन तो लीजिये। आज तक कोई प्रतिवेदन हैण्डलूम कारपोरेशन का पेश नहीं हुआ मैंने शुरूआत की। यह मेरा इस समय लिखित में नहीं है इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। यह पहली बार पेश कर रहा हूं। इसके पहले कभी वह प्रतिवेदन पेश हुआ ही नहीं। उसके लिए आप जो भी प्रताड़ना मुझे देना चाहें दीजिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का छठा, सातवां व आठवां प्रतिवेदन वर्ष 1989-90, 1990-91 व 1991-92 सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा, तीन याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, निम्नलिखित तीन याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :—

जयपुर नगर निगम के वार्ड नं. 48 की कालोनी बसंत बिहार प्रथम, अयोध्या नगर, आगरा रोड में डामर रोड बनाया जाना

(1) जयपुर नगर निगम के वार्ड नं. 48 की कालोनी बसंत बिहार प्रथम, अयोध्या नगर, आगरा रोड में डामर रोड बनाने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

जामडोली क्षेत्र की कालोनियों को जयपुर शहर की बिजली लाइन से जोड़ना

(2) जयपुर शहर के जामडोली क्षेत्र की कालोनियों को जयपुर शहर की बिजली लाइन से जोड़ने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

आगरा रोड पर खानियों से पालड़ी तक सोडियम लाइट लगाना।

(3) जयपुर में आगरा रोड पर खानियों से पालड़ी तक सोडियम लाइट लगाने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारी लाल बैरवा, सदस्य, विधानसभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

ग्राम अलियाबाद, पंचायत समिति निवाई, जिला टोंक की अपूर्ण सड़क को पूर्ण कराया जाना

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम अलियाबाद, पंचायत समिति, निवाई जिला टोंक की अपूर्ण सड़क को पूर्ण कराने बाबत एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री टीकम चन्द कान्त, सदस्य, विधानसभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

तहसील सिवाना में बसे गांवों के उपयोगार्थ जल संग्रहण योजना

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तहसील सिवाना में बसे गांवों के उपयोगार्थ जल संग्रहण योजना बनाने बाबत एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयकों का पुरः स्थापन

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 1996

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री, राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 1996 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 1996 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 1996 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी। प्रभारी-मंत्री विधेयक को पुरः स्थापित भी करेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 1996 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान अभिधृति विधेयक, 1996

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री, राजस्थान अभिधृति विधेयक, 1996 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति विधेयक, 1996 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति विधेयक, 1996 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

102

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति विधेयक, 1996 को पुरःस्थापित करता हूं।

आय-व्ययक-1996-97 सामान्य वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, पहले प्रतिपक्ष की ओर से। यह प्रतिपक्ष का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अपनी व्यवस्था में संशोधन कर रहा हूं श्री चन्दनमल जी बैद।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं आपका कि आपने परम्परा का पालने करने की कृपा की। बजट पर सामान्य वाद-विवाद शुरू किया जा रहा है। बजट तो...

घोषणा
अनुदान की मांगों पर वाद-विवाद के लिये समय का बंटवारा

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, चन्दनमल जी। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि वार्षिक वित्तीय विवरण आय-व्ययक वर्ष 1996-97 पर सामान्य वाद-विवाद के लिये लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिये समय का बंटवारा इस प्रकार करता हूं :—

भारतीय जनता पार्टी	- 8 घंटे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	- 6 घंटे
जनता दल	- 15 मिनट
सीपी. एम.	- 5 मिनट
निर्दलीय	- एक घंटा 40 मिनट

शुरू करें।

आय-व्ययक 1996-97 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि बजट पर सामान्य वाद-विवाद शुरू हो रहा है। बजट तो 15 मार्च को ही पेश कर दिया गया था लेकिन चूंकि वोट आन अकाउंट लिया गया और बीच में लोक सभा के चुनाव आ गये इस वास्ते बजट पर सामान्य वाद-विवाद नहीं हो सका। हम लोगों को इससे एक फायदा जरूर हुआ कि हम लोग बजट के आंकड़ों का अच्छी तरह से अध्ययन कर सके और हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने बहुत सी शेखी भरी बातें अपने बजट भाषण में कही थीं, उसकी जांच करने का भी हमें समय मिल सका। मैं निःसंकोच यह कह सकता हूं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति आज बड़ी नाजुक और गंभीर स्थिति में है बल्कि मैं यह कहूं कि दिवालियेपन की कगार पर है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज वित्त विभाग में कोई ताल-मेल नहीं है। हमारे वित्त मंत्रीजी जोर-जोर की शेखी बघारते हैं, हवा में उड़ते हैं और हमारे वित्त सचिव जो जमीन पर रगड़ते हुए किसी तरीके से दो वक्त की रोटी जुटाने में लगे हुए हैं। अब पता नहीं वित्त विभाग के दूसरे जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनको पता नहीं है कि वित्त मंत्री जी के साथ जाएं या वित्त सचिव के साथ जाएं। इस वास्ते वित्त विभाग में पूर्ण अराजकता है। किसी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वित्त मंत्री कुछ कह रहे हैं, वित्त सचिव कुछ कह रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो मेरे पास इस बात के उदाहरण हैं कि वित्त मंत्रीजी और वित्त सचिव के अलग-अलग

(श्री चन्दनमल बैद)

निष्कर्ष है। जिस तरह की अराजकता है, आज हमारे वित्त विभाग में जो अराजकता फैली हुई है, उस अराजकता के कारण से आज राजस्थान की जो वित्तीय स्थिति है, बिलकुल दिवालियेपन की कगार पर पहुंच चुकी है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं, इसी तरह की कुछ स्थिति आन्ध्र प्रदेश में हुई थी लेकिन आन्ध्र प्रदेश ने बड़ी समझदारी के साथ एक श्वेत-पत्र जारी किया और उन्होंने समझदार लोगों से, इकानोमिस्ट से, इन्टेलिजेंसिया से, एम.एल.एज. से, प्रेस से और दूसरे लोगों से बैठ करके सलाह मशविरा किया कि किस तरीके से हम अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। इसके विपरीत उनकी जैसी, उनसे भी खराब हमारी वित्तीय स्थिति है, लेकिन हम तो केवल शेखी बघारने में लगे हुए हैं कि हमारा बहुत अच्छा है, हमारा जो वित्तीय प्रबन्धन है बड़ा कुशल है। मैं आपके सामने पूरे आंकड़ों के द्वारा और इन्हीं के आंकड़ों के द्वारा साबित करना चाहता हूं कि इनका वित्तीय प्रबन्ध कितना कुशल है।

वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा कि 309 करोड़ का हमारा जो घाटा था, उस घाटे को हमने अपनी मितव्ययता से और राजस्व खर्चे में कमी करके 56 करोड़ 85 लाख पर हम ले आये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कौनसे खर्चे में कमी की, कौनसी मितव्ययता की, यह जरा देखिये। राजस्व खर्चा बजट एस्टीमेट के अनुसार 1995-96 का 7988.19 करोड़ था और रिवाइब्ड एस्टीमेट में वह राजस्व खर्च 8997 करोड़ 55 लाख हो गया। यह मितव्ययता हुई ? राजस्व खर्च में कमी हुई ? 300 करोड़ से ज्यादा रुपये आपने अधिक खर्च किये और आप अपने भाषण में कहते हैं कि राजस्व व्यय में कटौती हुई है। यह राजस्व व्यय में कटौती हुई ? यही मैं कह रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी क्या कहते हैं और हमारे आंकड़े क्या कहते हैं। इसकी तरफ आप जरा देखिए।

अब दूसरी बात, देखिए सामान्य सेवा, मतलब यह हुआ कि कर्मचारियों के वेतन आदि। सामान्य सेवा में बजट में 1995-96 में 3058.43 करोड़ रुपये का प्रावधान था और आज रिवाइब्ड एस्टीमेट में वह बढ़ करके 3460.96 करोड़ रुपये हो गया। यानि सामान्य सेवा में खर्चा हमारा 400 करोड़ बढ़ गया। यह मितव्ययता है ? यह मितव्ययता है ? राजस्व व्यय में कटौती है ? सामान्य सेवा में पहले जो खर्चा बजट एस्टीमेट में 38.29 पर्सेंट था वह बढ़कर अब 41.71 पर्सेंट हो गया। मतलब पैसे में भी बढ़ोतरी हो गयी, पर्सेंटेज में भी बढ़ोतरी हो गयी। जबकि होना यह चाहिये था कि सामान्य सेवा में हमारा खर्चा कम होता और इकोनोमिक सर्विसेज में और सोशल सर्विसेज में, सामाजिक सेवा में और आर्थिक सेवा में हमारा खर्चा बढ़ता लेकिन इसके स्थान पर हुआ क्या कि सामाजिक सेवा में और आर्थिक सेवा में तो हमारा खर्चा कम हो गया। केवल सामाजिक सेवा में खर्चा उतना बराबर रहा और आर्थिक सेवा में जहां 2200.5 करोड़ रुपये का खर्चा बजट एस्टीमेट में हमने सोचा था उसके बजाय रिवाइब्ड एस्टीमेट में 1819.9 करोड़ रुपये का खर्चा हमने किया। 25.06 पर्सेंट जो हम खर्चा करना चाहते थे उसके बजाय हमने रिवाइब्ड एस्टीमेट में 21.92 पर्सेंट खर्च किया।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट एस्टीमेट में विकास व्यय में 62.91 पर्सेंट का खर्चा करने

(श्री चन्दनमल बैद)

का हमारा विचार था लेकिन रिवाइज्ड एस्टीमेट में वह हो गया 58.29 पर्सेंट। 3 पर्सेंट खर्चा हमने, 4 पर्सेंट खर्चा, हमने विकास व्यय में कम कर दिया और सामान्य सेवा यानि गैर विकास व्यय में 37.09 हमारा बजट एस्टीमेट में था बढ़कर के 41.71 पर्सेंट हो गया। मतलब 4 पर्सेंट खर्चा हमारा गैर विकास व्यय में बढ़ गया। अब हमारे मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि हमने राजस्व व्यय कम किया, हमने मितव्ययता की। हमने मितव्ययता जरूर की लेकिन विकास व्यय में की। यह किधर से आ गये आप ? विकास व्यय हम कम कर रहे हैं, गैर-विकास व्यय बढ़ा रहे हैं और हम पीठ ठोक रहे हैं कि हमारा वित्तीय प्रबन्धन बड़ा कुशल है। अगर यही वित्तीय प्रबन्ध कुशलता है तो भगवान इस कुशलता से हमारा जल्दी पिंड छुड़ाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विकास व्यय और गैर विकास व्यय की केवल इसी साल की बात नहीं है। अब विकास व्यय 1992-93 में 66.95 पर्सेंट था, 1993-94 में वह कम होकर के 66.30 पर्सेंट हो गया, 1994-95 में वह कम होकर के 62.91 पर्सेंट हो गया और फिर यह 1995-96 के रिवाइज्ड एस्टीमेट में कम होकर के 58.29 पर्सेंट हो गया। मतलब पिछले 4 साल से विकास व्यय 66 पर्सेंट से घटकर के 58 पर्सेंट पर आ गया। हर साल कम हो रहा है गैर विकास व्यय 1992-93 में 33.05 पर्सेंट था, 1993-94 में 33.70 पर्सेंट था, 1994-95 में वह 37.09 पर्सेंट हो गया और 1995-96 के रिवाइज्ड एस्टीमेट में 41.71 हो गया। मतलब गैर विकास व्यय तो 33 से 41 हो गया और विकास व्यय हमारा 66 से 58 हो गया। यह हमारी है दिशा जिस दिशा पर चले जा रहे हैं।

अब उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कह रहे हैं कि 309 करोड़ के घाटे को हम 56 करोड़ पर ले आये हैं, इसका मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 309 करोड़ के घाटे को 56 करोड़ पर लाने का मतलब हुआ, ढाई सौ करोड़ का घाटा कम हुआ। ढाई सौ करोड़ का घाटा कम करने के लिये आपने 546 करोड़ का कर्जा लेकर के उसमें डाल दिया। यह आप ही के आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं मेरे आंकड़े लेकर कहीं कह रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि आपने घाटा तो कम किया ढाई सौ करोड़ का और आपने कर्जा ले लिया साढ़े पांच सौ करोड़ का एक्स्ट्रा। कर्जा आपने ज्यादा लिया। साढ़े पांच सौ करोड़ का आपने कर्जा लिया और घाटा कम किया ढाई सौ करोड़ का। इसका मतलब यह हुआ कि आपने कोई मितव्ययता नहीं कि, राजस्व व्यय में कोई कटौती नहीं की, आपने कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं किया बल्कि आप तो कर्जा लेकर घाटा कम करने की प्रवृत्ति में लगे हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी वित्तीय स्थिति का जो असल सूचक है, वह न तो राजस्व घाटा है और न बजट घाटा है। वह असली सूचक है फिस्कल डेफिसिट, अर्थात राजकोषीय घाटा, जिसको हम बताते नहीं हैं, छिपाते हैं, लेकिन जो इसके जानकार लोग हैं, वे अच्छी तरह से इसका पता लगा लेते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजकोषीय घाटा हमारे सकल घरेलू उत्पाद, करण्ट प्राइजेज पर, कितना पर्सेंटेज है। यह इस बात का सूचक है कि हमारी

(श्री चन्दनमल बैद)

वित्तीय स्थिति अच्छी है या खराब। आम तौर पर यह माना जाता है कि राजकोषीय घाटा 2 या 3 प्रतिशत होना चाहिये। अभी संयुक्त पार्टी की जो सरकार दिल्ली में बनी है उसने यह कहा कि हम अपना राजकोषीय घाटा 4 प्रतिशत पर रखेंगे। श्री मनमोहनसिंहजी जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने अपना राजकोषीय घाटा 5 प्रतिशत रखा था लेकिन वह 5 प्रतिशत से बढ़कर साढ़े पांच प्रतिशत पर चला गया और अब हमारे नये वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हम 4 प्रतिशत पर रखेंगे। अब हमारी हालत क्या है ? 1995-96 बीई. में राजकोषीय घाटा 3171 करोड़ का है जो आरई. में बढ़कर 4790.43 करोड़ हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा 37656 है 1995-96 में, उसके हिसाब से बीई. में हमारा राजकोषीय घाटा करीब 8 प्रतिशत था और अब वह बढ़कर के आर. ई. में 12.7 प्रतिशत हो गया। कहां तो हम 2-3 प्रतिशत रखने की बात करते हैं, कहां हमारी केन्द्रीय सरकार उसको 4 प्रतिशत पर रखने की बात कर रही हैं, कहां और कहां हम 8 प्रतिशत रखकर भी संतोष नहीं करते और 12.7 प्रतिशत पर चले गये। अब यही बात आप 1996-97 में देखिये। 1996-97 में हमारा राजकोषीय घाटा 3829.85 करोड़ है जो हमारे जी.डी.पी. का सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत है लेकिन जो अनुभव हमारा है उससे यह मालूम पड़ता है कि यह 15 प्रतिशत से कम नहीं होगा। 8 प्रतिशत से 12.7 प्रतिशत हो गया तो यह 10 प्रतिशत का 15 प्रतिशत पहुंचना है। इसमें कोई दो राय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हमारी वित्तीय स्थिति की हालत रही। अब मैं कुछ उन इंडिकेशंस की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिससे पता लगेगा कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है। राजस्थान की विकास दर 1994-95 में 16.51 प्रतिशत थी वह 1995-96 में घटकर के 3.9 प्रतिशत हो गयी। देश की विकास दर 1995-96 में 6.3 प्रतिशत है और हमारी विकास दर 3.9 प्रतिशत। स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1994-95 में 2074 रुपये थी और 1995-96 में वह 2111 है। यानि कुल वृद्धि हुई है 1.78 प्रतिशत जबकि देश की प्रति व्यक्ति आय 2291.5 रुपये है और वह बढ़कर के 2400.9 रुपये हो गयी। यानि 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारी वृद्धि हुई है 1.78 प्रतिशत और देश के प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई है 4.8 प्रतिशत की।

तो प्रति व्यक्ति आय, विकास दर के बाद तीसरी बात है हमारे खाद्यान्नों का उत्पादन। 1994-95 में 170 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था, इसके अगेंस्ट में 1995-96 में 106.35 लाख टन रह गया। प्रति व्यक्ति आय हमारी कम हुई, विकास दर हमारी कम हुई, खाद्यान्नों का उत्पादन हमारा कम हुआ और औद्योगिक उत्पादन में 26 चुनी हुई वस्तुओं में से 14 वस्तुओं में हमारा उत्पादन गिर गया। खाद्यान्न का उत्पादन गिर गया, औद्योगिक उत्पादन गिर गया, प्रति व्यक्ति आय कम हो गयी, विकास की दर हमारी कम हो गयी और पब्लिक सैक्टर में 1215.47 करोड़ रुपये लगे हुए हैं, उसका हमें रिटर्न मिला 0.45 प्रतिशत। मतलब आधा प्रतिशत से भी कम। यह हमारी वित्तीय स्थिति का लेखा-जोखा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब हमारे मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि-

106

(श्री चन्दनमल बैद)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रिटर्न आने तो लगा।

श्री चन्दनमल बैद : रिटर्न आने तो लगा? अब हमारी आमदनी भी घट रही है। हमारी राजस्व आमदनी 1995-96 के रिवाइज्ड एस्टीमेट में 7750.95 करोड़ है आर. ई. में और 1996-97 के बजट एस्टीमेट में घटकर वह 7514.58 करोड़ रह गयी। मतलब हमारी राजस्व आमदनी भी ढाई सौ करोड़ कम हो रही है। पता नहीं क्या हो गया ? इधर बजट भाषण में हमारे मुख्य मंत्रीजी कुशल वित्त प्रबंधन की, प्रदेश की खुशहाली के गीत-गाते थक नहीं रहे हैं। इतना बड़ा पोथा लिख दिया। सात भाषण मैंने भी दिये हैं, इसके आधा बड़ा पोथा भी मैंनें कभी काम में नहीं लिया है। लेकिन इतना बड़ा पोथा, इतने पैसे खर्च किये, इतना कागज बर्बाद किया, किस वास्ते बर्बाद किया ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दफे मैंने राज्य पर बढ़ते हुए कर्जे की चर्चा की थी। बड़ी आलोचना हुई मेरी। उधर से बैठे हुए लोग कहने लगे चन्दनमलजी तो विकास के विरोधी हैं। हम कर्जा लेकर विकास कर रहे हैं, आपको क्या बुराई लग रही है और एक माननीय सदस्य ने कह दिया कि हमारे मुख्य मंत्रीजी की साख बड़ी अच्छी है, इस वास्ते हमको कर्जा मिलता है और हम कर्ज ले रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम कर्जा लेकर के एसेट्स बना रहे हैं, परि-सम्पत्तियों का निर्माण कर रहे हैं। मैं भूल गया, हिन्दी का बड़ा भारी शब्द उन्होंने काम में लिया था, परि-सम्पत्तियों का निर्माण कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन तीनों बातों पर आगे जाकर के चर्चा करूंगा लेकिन इससे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि आज हमारे स्टेट पर कितना कर्जा है। 1989-90 में जब इस तरफ बैठे हुए लोगों की पार्टी ने राज इनको सौंपा था तो कुल कर्जा था 6027.22 करोड़ रुपया। मतलब हमने 35 साल राज करके इस स्टेट पर, इस राज्य पर 6022 करोड़ का कर्जा दिया था और आप 1989-90 के बाद 1996-97 के 31 मार्च को कर्जा बढ़ाकर के ले जाएंगे 16315.09 करोड़। मतलब हमने 35 साल में 6 हजार का कर्जा किया, आपने 6-7 साल में 10 हजार रुपये से ज्यादा का कर्जा कर लिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बजट का आकार कितना बढ़ा ?

श्री चन्दनमल बैद : सुनिये, सुनिये उतावले मत होइये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर इस बात को कहता हूं कि यह 16 हजार पर नहीं होगा,यह 20 हजार पर पहुंचेगा। यह कर्जा 20 हजार पर पहुंचेगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, 1995-96 के और 1996-97 के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का सबवेंशन एड जो है, उसको आपने अभी तक कहीं नहीं दिखाया है। 1995-96 और 1996-97 का सबवेंशन एड टू दी आरएसईबी. वह करीब होगा 9900 करोड़ रुपये जो आपने नहीं दिखाये हैं कहीं। उसके अलावा आपने प्लान में विदेशों से प्राप्त की जाने वाली राशि का कर्पन 1664 करोड़ का किया है और तीन साल में वह राशि 416 करोड़ आयी है। इस साल आपने उसका लिया है, मतलब आपने जो सोचा है कि 350 करोड़ रुपये हमको मिलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 1664 करोड़ के मुकाबले आपको कुल

(श्री चन्दनमल बैद)

766 करोड़ मिलेंगे, 900 करोड़ का घाटा उसमें है। या तो आप अपना प्लान कम करें, जो मुख्य मंत्रीजी कभी नहीं करेंगे क्योंकि यह तो उनकी जिद का सवाल है न कि मेरा प्लान 11500 करोड़ रुपये का। वे कितनी ही बार कह चुके है कि मेरा प्लान 11500 करोड़ का लेकिन जब प्लान कम नहीं करेंगे तो कर्जा लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सर्व्वेशन के 900 करोड़ रुपये और इसके 898 करोड़ रुपये, 1800 करोड़ रुपये का तो कर्जा यहीं आपको लेना पड़ेगा और दूसरी चीजों को जाने दीजिये कि क्या होगा। 16 हजार करोड़ का जो कर्जा है, वह आपका 20 हजार करोड़ तक पहुंचेगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1996-97 में इस कर्जे के ब्याज पेटे हमको 1518.33 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। 1518.33 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। यह आंकड़े मैं आपकी किताबों से ही बोल रहा हूं और कहीं से नहीं बोल रहा हूं। इसी में लिखा हुआ है। सारे स्टेट की टैक्स रेवेन्यू आपकी है, 3276.56 करोड़ रुपये। 3276.56 करोड़ रुपये। यानि आपकी टैक्स रेवेन्यू में से 50 प्रतिशत के करीब आप ब्याज में चुका रहे हैं। मूल तो छोड़िये, मूल तो अलग रह गया। मूल 20 हजार करोड़ तो अलग रह गया। आप केवल ब्याज में अपनी टेक्स रेवेन्यू का 50 प्रतिशत चुका रहे हैं और उपाध्यक्ष महोदय, तीन साल में यह ब्याज की रकम बढ़कर के, अर्थात् पहले 700 करोड़ थी, 900 करोड़ हुई, 1200 करोड़ हुई अब 1500 करोड़ हुई और तीन-चार साल में यह ब्याज की रकम आपके टैक्स रेवेन्यू के बराबर होने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुशल वित्त प्रबन्धन के ठेकेदारों से, शेखी मारने वालों से में मैं पूछना चाहता हूं कि आप राजस्थान को किस दिशा में ले जा रहे हो ? दिवालियेपन के कगार पर आप ले जा रहे हो। मैंने शुरू में इस बात को कहा था और मैं आंकड़ों से साबित भी कर चुका हूं कि आज राजस्थान वित्तीय स्थिति के दिवालियेपन के कगार पर खड़ा हुआ है। मुख्य मंत्रीजी को शेखी बघारने की बड़ी आदत है और इसी वास्ते एक बहुत ही प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार "हिन्दू" ने लिखा है — उनको पदवी दी है - डान क्विकजोट की। डान क्विकजोट की पदवी दी है उनको। एक करेक्टर है डान क्विकजोट अंग्रेजी साहित्य का, जो शेखी बघारने में माहिर था और इसी डान क्विकजोट के कारण से उन्होंने सीधे-सादे अटल बिहारी वाजपेयी को मरवा दिया। क्या बात है, ज्यों ही निमंत्रण मिला, सारे लोग आपके पीछे आकर खड़े हो जाएंगे। वो भूल गये कि लोक सभा में रोहिताश्व कुमार नहीं है, लोक सभा में ज्ञान सिंह नहीं है, लोक सभा में शशी दत्ता नहीं है, लोक सभा में सरदार गुरजन्ट सिंह नहीं है। इसी भुलावे में उन्होंने उनको मरवा दिया। + + + को 13 दिन बाद फिर बेइज्जत होकर बाहर निकलना पड़ा। अब मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि परिसम्पत्तियों का निर्माण कर रहे हैं। इसमें भी देख लें कि कितनी परिसम्पत्तियों का उन्होंने निर्माण किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1991-92 में जितना कर्जा लिया, उससे 365 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियां कम बनायीं, 1992-93 में परिसम्पत्तियां 474 करोड़ की कम बनीं, 1993-94 में 772 करोड़ की परिसम्पत्तियां कम बनीं, 1994-95 आरई में

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री चन्दनमल बैद)

1192 करोड़ की परिसम्पत्तियां कम बनीं और 1995-96 में 2017 करोड़ की परिसम्पत्तियां कम बनीं। मैं चैलेंज करता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने कहा था पिछले बजट में कि मैंने जितना कर्जा लिया है, उससे ज्यादा परिसम्पत्तियां बनायी हैं। उनको चैलेंज करता हूं, यह उनके आंकड़े हैं, उन्हीं के वित्त विभाग के आंकड़े हैं और चैलेंज करता हूं कि वे खड़े होकर कह दें कि मैंने परिसम्पत्तियां ज्यादा बनायी हैं। सदन को गुमराह करना, वे ऐसा समझते हैं कि सदन में तो सारे लकड़ी के कुंदे बैठे हुए हैं, कोई बोलने वाला नहीं हैं, उनके सामने। इस वास्ते वे बैठ करके मर्जी आये सो यहां बात कह देते हैं कि मैंने परिसम्पत्तियां ज्यादा बनायी हैं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, उन्होंने पांच साल में जितनी लायबिलिटी, जितना कर्जा लिया है, उससे परिसम्पत्तियां कम बनायी हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज वे नहीं हैं इसलिये आप बोल रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : बुलाओ न, वे डर के मारे वहां बैठे हुए हैं। मैं जानता हूं इस बात को, डर के बैठे हैं। आ जाओ न, बुलाओ न।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आ रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आ रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : वी.पी. सिंह जी बुलाओ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं। माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं नहीं कह रहा हूं–

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमारा हार्ट सिंक होता जा रहा है कि हम कैसे सुधारेंगे इसको।

श्री उपाध्यक्ष : यह बड़ा अहम विषय है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किसी ने मांग नहीं की कि आयोग बनाया जाए। जांच आयोग। आज नहीं थे, + + + आज मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं, फिर बोलने लग गये, कल आएंगे फिर बैठ जाएंगे।

श्री विष्णु मोदी : मांग आयोग की नहीं है। एफ. आर. आई. दर्ज करवाने की मांग की है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब आज की है सारी। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : एफ.आई. आर. की कि है। इरिगेशन मिनिस्टर, पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर और रिलीफ मिनिस्टर, इन तीनों और इन तीनों सैक्रेटरीज के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज की जाए।

श्री जुबेर खान : हम जानते थे कि आज ही आयोग बनेगा। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : एफ.आई. आर. दर्ज करवाने का आपका खुद का अधिकार है। मांग क्या करते हैं आप ? आप करवाइये दर्ज, पता पड़ जाएंगे परिणाम कि 182 में आते हैं कि नहीं आते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में धरना देने की स्वयं धमकी दी थी। आयोग नहीं बना तो मैं धरना देकर बैठ जाऊंगा। यह कल ही कहा था।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल बैद।

एक माननीय सदस्य : यह तो आप लोगों की कह रहे थे, आप लोगों की।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : हमने यह मांग की थी कि अगर आपने आयोग गठित नहीं किया तो हम धरना देकर बैठेंगे। क्या आपने मांग मान ली ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ आरोप है।

श्री चन्दनमल बैद : 35 साल में कांग्रेस शासन ने जो निर्माण किये हैं, जो परिसम्पत्तियां बनायी हैं, उनकी आज मरम्मत और रख-रखाव तक आप नहीं कर पा रहे हैं। आज सड़कें, स्कूल, हास्पिटल, जल-प्रदाय योजनाएं, सिंचाई के साधन और पावर हाउसेज का हम पूरा रख-रखाव नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारे विकास में इन परिसम्पत्तियों का जो योग होना चाहिये वह पूरा योग नहीं हो रहा है। मैं विस्तार से आपको बताना चाहूंगा कि परिसम्पत्तियों के बारे में आपका क्या रवैया है। कल सिंचाई के बांधों के बारे में, सिंचाई सिस्टम के बारे में यहां चारों तरफ से आरोप लगा था कि सिंचाई के साधनों की मरम्मत, उनका रख-रखाव नहीं किया इस वास्ते, बाढ़ से इतना बड़ा नुकसान हुआ। यह मैं नहीं कह रहा हूं, इस सदन के सारे माननीय सदस्य कह रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, आज सिंचाई मंत्रीजी यहां नहीं है लेकिन मैं साफ बताना चाहता हूं कि सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान केवल एक ही बात की तरफ है किसी तरीके से उनके निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई के साधन बढ़ें बाकी जगह वे हमेशा इस बात की कोशिश में रहते हैं कि उसको किसी तरह से कम कर दिया जाए। नोहर साहवा लिफ्ट योजना जिससे चूरू जिले के 360 गांव में सिंचाई होनी है, उसमें किसी तरह से वह चाहते हैं कि वे चूरू जिले में पहुंचे ही नहीं, वह वहीं रुक जाए। इसलिये मैं कहता हूं कि वह आज चूरू जिले के एक नम्बर के दुश्मन के रूप में उठ कर आ रहे हैं और मुझे दुःख इस बात का है कि मुख्य मंत्रीजी ने उनको चूरू जिले का प्रभारी बना दिया है। अब हमारा तो सत्यानाश ही हो गया क्योंकि वह हमारे दुश्मन हैं और उधर उन्हीं को इन्चार्ज बना दिया। वह नहीं चाहते हैं कि नोहर-साहवा की जो लिफ्ट योजना है वह चूरू जिले के अन्दर आये क्योंकि मैं दो साल से देख रहा हूं कि जहां वह थी वहीं पड़ी है, एक इंच आगे नहीं सरकी। उनकी मंशा ही यह है कि सारा पानी जो इस नहर में आता है, नोहर और भादरा में ही समाप्त हो जाये और चूरू जिले में आये ही नहीं। यह उनकी मंशा है। इसलिये मैं कहता हूं कि सिंचाई मंत्रीजी चूरू जिले के नम्बर एक दुश्मन साबित हो रहे हैं।

श्री किशनाराम नाई : चूरू जिले में कितने ही करोड़ की योजना है पीने के पानी की।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, भंवरलालजी, मेरे प्रिय मित्र, छोटे भाई यहां पर बिराजमान हैं। गंधेली साहवा जल प्रदाय योजना जिसमें सैंकड़ों करोड़ रुपये लगे हैं, जो सैंकड़ों गांवों को पीने का पानी देती है, बड़ी अच्छी तरह चल रही थी उसमें उन्होंने वहां एक ऐसा इंजीनियर भेज दिया जो उसको संभाल नहीं पा रहा है। मैंने चीफ इंजीनियर से कहा कि यह प्रेस्टिजियस योजना है, एशिया की सबसे बड़ी रीजनल योजना है इसको बरबाद मत

(श्री चन्दनमल बैद)

करो। उसने कहा आप ठीक कहते हैं, यह आदमी इसको संभाल नहीं सकता, आप सैक्रेटरी साहब से बात करें। मैंने कृष्णाजी भटनागर से बात की, उन्होंने कहा आप मंत्री महोदय से बात कीजिये। मैंने मंत्री महोदय से बात की, मैंने कहा इस अयोग्य आदमी को हटा कर दूसरे किसी योग्य आदमी को लगाओ, जो इसमें सैंकड़ों रुपये लगे हुए हैं उसको बरबाद होने से बचाओ। नहीं किया इन्होंने। क्यों ? क्यों नहीं किया, क्योंकि उस इंजीनियर में एक खासियत है कि वह उस समय के भूतपूर्व एम.पी. को माहवारी देता है और मैंने यह सुना है कि वह माहवारी जयपुर तक पहुंचती है। अब शक की सुई किधर जाती है ? माननीय मंत्रीजी, किधर जाती है शक की सुई ? आप खुद वहां पर दौरे पर गये थे, आपने खुद ने देखा था कि गांव को पानी नहीं पहुंच रहा है। उसके बावजूद भी उस भ्रष्ट इंजीनियर को आप वहां रखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है?

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय चन्दनमल जी, मैं आपसे इस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं करता हूं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और आप मेरे बड़े भाई के समान हैं। यह मैं आपसे आशा नहीं करता कि इस प्रकार की गैर-जिम्मेदारी की बात करेंगे आप। गलत बात करते हैं आप। क्या है यह ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : सोने में काई लग गयी है।...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : हां है, क्यों नहीं है? सोने के हैं तो क्या दिक्कत है ? कोई माई का लाल खड़ा हो कर कह दे...

श्री हरिसिंह (महुआ) : सोने में काई लग गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, बिलकुल हैं कोई माई का लाल एक पैसे की साबित कर दे। यह कोई जिम्मेदारी की बात है क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : माननीय मंत्री महोदय, मुझे पूरा संदेह है इस बात का।

श्री भंवरलाल शर्मा : होगा, आपका संदेह अपने पास रखिये।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कितनी ही बार कहा, किसी भी योग्य इंजीनियर को लगा दो...

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका संदेह अपने पास रखिये फिर आप।

श्री चन्दनमल बैद : लेकिन आपने उसको नहीं बदला और आज वह सैंकड़ों करोड़ रुपये की योजना, जिसमें आठ सौ करोड़ रुपये जर्मन सरकार लगा रही है, बरबाद हो रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : पॉलिटिकल ट्रांसफर कराना चाहेंगे, नहीं करेंगे हम लोग। सारे पॉलिटिकल ट्रांसफर करवाते हो आप।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय मंत्री महोदय, आप में तो प्रजातंत्र की बू नहीं है। आप तो भाजपातंत्र के सख्त समर्थक हो।

अब तारानगर नगरपालिका में 10 कांग्रेस के सदस्य, 8 बी.जे.पी. के सदस्य, दो स्वतंत्र सदस्य हैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आरोप लगाकर आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : अब वहां कमेटियों का निर्माण नहीं हो पा रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्री चन्दनमल जी, ट्रांसफर के लिये आरोप लगाना आप जैसे आदमी के लिये शोभादायक नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं समझ कर लगा रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप समझ कर नहीं लगा रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : हां, समझ कर लगा रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ट्रांसफर के लिये चार्जेज लगा रहे हो आप।

श्री चन्दनमल बैद : जो सोने का समझते थे वह सोने का नहीं रहा, अब पीतल का हो गया है।

श्री विष्णु मोदी : आप क्या यह कहना चाहते हैं_(व्यवधान)_

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप अपने समान दूसरों को नहीं समझो।

श्री चन्दनमल बैद : हां, मैं लगाऊंगा दूसरा। मैं और लगाऊंगा आरोप, अभी और लगाऊंगा।

श्री विष्णु मोदी : श्री चन्दनमल जी के बारे में तो राजस्थान की जनता जानती है कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं_(व्यवधान)_

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्री भंवरलाल जी शर्मा के बारे में भी जनता जानती है।

श्री विष्णु मोदी : और यह सरकार अकाट रूप से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चारों तरफ से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्री भंवरलाल जी शर्मा के बारे में भी राजस्थान की जनता जानती है इस बात को। श्री भंवर लाल जी शर्मा का चरित्र भी राजस्थान की जनता जानती है।_(व्यवधान)_

एक माननीय सदस्य : +++...(व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : सारी जनता जानती है कि इसीलिये आपको विपक्ष में बैठाया है।_(व्यवधान)_

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : राजस्थान नहर में क्या किया, सारा राजस्थान जानता है।_(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : और नहीं तो राजस्थान पत्रिका ही पढ़ लो।_(व्यवधान)_

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह राजस्थान नहर की जो कोस्ट है वह आपके कारण हुई है_(व्यवधान)_

श्री चन्दनमल बैद : अभी और आयेगा।_(व्यवधान)_ माननीय सदस्य, धीरज रखिये अभी और आयेगा।_(व्यवधान)_

श्री किशन गोपाल कोगटा : 56 हजार करोड़ की थी, जो इतने करोड़ लगे हैं वह इसलिये कि जहां-जहां कमीशन हैं_(व्यवधान)_

श्री चन्दनमल बैद : धीरज रखिये अभी और आयेगा।

श्री किशन गोपाल कोगटा : और भंवरलालजी शर्मा को राजस्थान का बच्चा-बच्चा जानता है।_(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : वह नहीं है, बदल गये।_(व्यवधान)_

श्री किशन गोपाल कोगटा : और आप लोगों को भी जनता जानती है इसीलिये आपको उधर बैठाया है। _(व्यवधान)_

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री चन्दनमल बैद : चूरू, जयपुर के सारे बाजार में किसी से पूछ लीजिये कि श्री भंवर लालजी शर्मा वह श्री भंवर लाल शर्मा नहीं रहे जो 12 महीने पहले थे।...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : जयपुर के बाजार में तो कोई नहीं कहता...(व्यवधान)...

श्री चन्दनमल बैद : खुलेआम यह चर्चा हो रही है।...(व्यवधान)...

श्री किशन गोपाल कोगटा : मैं आपसे कहता हूं कि श्री भंवर लालजी शर्मा के लिये कोई भी उंगली नहीं उठा सकता।...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, सारा राजस्थान जानता है...

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इंदिरा गांधी योजना यदि आज 14 सौ करोड़ रुपये...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतकजी, आसन पैरों पर है।

श्री मोहन मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, श्री भंवर लालजी शर्मा पर जो चार्जेज लगाये हैं वह कार्यवाही से निकाले जाएं।

एक माननीय सदस्य : क्यों निकाले जाएं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।...(व्यवधान)...

मैं आदरणीय चन्दनमल जी बैद से यह निवेदन करूंगा कि यह 1996-97 के बजट पर सामान्य वाद-विवाद है, यह कोई डिमाण्ड पर वाद-विवाद नहीं है। इसलिये कृपया उस पर आप अपना ध्यान आकर्षित कीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य वाद-विवाद की बात कर रहा हूं और सामान्य वाद-विवाद में किस-किस जगह कहां-कहां गड़बड़ हो रही है, उसका मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : यह बिना तथ्यों के आरोप लगाना गलत है। या तो आप तथ्यों के साथ आरोप लगाइये।...

श्री चन्दनमल बैद : तथ्यों पर ही है।

श्री कालीचरण सराफ : और बिना तथ्यों के राजनीतिक ब्लैकमेलिंग करने के लिये आरोप मत लगाइये। आप जैसा सीनियर लीडर इस प्रकार के आरोप लगा कर अपने कपड़े गन्दे कर रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो यह समझते थे कि श्री चन्दनमल जी बैद बहुत विशेषज्ञ हैं पर हम को यह पता नहीं था...

श्री विष्णु मोदी : जिस राजस्थान पत्रिका के आप हुंकारे भरते थे वह राजस्थान पत्रिका ही पढ़ लो।...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन : कि एक आफिसर का ट्रांसफर कराने के लिये इस सदन का दुरुपयोग करेंगे और इन्होंने अपनी जो आदत है उसके अनुसार...

श्री विष्णु मोदी : यह आदत तो आप अपनी पूरी कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारा राजस्थान जानता है कि जो 62 करोड़ रुपये की इंदिरा गांधी योजना थी, आज 14 सौ करोड़ रुपये खर्च कर दिये और जिस प्रकार का गबन और घोटाले हुए हैं, जिस प्रकार का संरक्षण और माहवारियां उन्होंने ली है, आज सारा राजस्थान

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

जानता है तो और मैं यह कहता हूं कि आज उसी का परिणाम है कि यह आदत इस प्रकार की पड़ी हुई है कि आज एक चीफ इंजीनियर शायद—

श्री चन्दनमल बैद : अपने भाषण में सारी बात कह देना आप। 10 साल से आप क्या कर रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनको माहवारी नहीं पहुंचाये उसके ट्रांसफर के लिये इस प्रकार के चार्ज लगा रहे हैं।_(व्यवधान)_

श्री जुबेर खान : आप सरकारी मुख्य सचेतक नहीं हैं आप सरकारी मुख्य + + + हैं। _(व्यवधान)_

श्री शांतिकुमार धारीवाल : श्री महावीर जी, आप अपने गिरेबान में झांक कर देखो, आप इतने-इतने फीट डूबे हुए हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। माननीय मुख्य सचेतक जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज कोई माई का लाल यह कह दे, न तो मैंने किसी के पैर पकड़ कर खान ली है_

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हुजूर आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : न मैंने किसी जमीन पर, होटल पर कब्जा किया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके कच्चे चिट्ठे खोलूं क्या, मुझे बोल लेने दो आज आपके कच्चे चिट्ठे खोलता हूं।_(व्यवधान)_

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि कोई यह कह दे तो मैं जांच करवाने के लिये तैयार हूं और इस सदन की कमेटी _(व्यवधान)_

श्री शांति कुमार धारीवाल : अभी लो।_(व्यवधान)_

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं इसके लिये तैयार हूं। न तो मैं इस दबाव में आने वाला हूं और न मैंने किसी के पैर पकड़ कर खानें अलाट करवायी हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : अभी लो आप_(व्यवधान)_

एक माननीय सदस्य : केवल नाटक कर रहे हो आप।_(व्यवधान)_

श्री शांति कुमार धारीवाल : इतने-इतने डूबे हुए हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और न मैंने कोई जमीन किसी से हाथ जोड़ कर ली है_(व्यवधान)_और न मैंने किसी औरत का अपहरण किया है।_(व्यवधान)_यह अपहरण करने वाले अपना कांच में मूंह देखें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल जी, आप कृपया बोलें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं कोटा जाता हूं, टोंक से निकलता हूं तो इतना-इतना डूब जाता हूं।_(व्यवधान)_

एक माननीय सदस्य : जब बनास नदी पूरी आये तो पूरे डूब जाओगे।

श्री अर्जुन दास मदान (लाडपुरा) : डूबने के लिये तो चुल्लू भर पानी बहुत होता है, भाई_(व्यवधान)_

एक माननीय सदस्य : अब पुलिया बना दी।_(व्यवधान)_

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

(15.00)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है तो फाइलें तो आपके पास में हैं, तंत्र आपके पास में है, मेरे पर मुकदमा चलाओ। आपके मुख्य मंत्री हैं, मेरे मुख्य मंत्री तो हैं नहीं। वह इन्दिरा गांधी नहर की सारी फाइलें आपके कब्जे में है, चलाओ न मुकदमा। चेलेंज करता हूं (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या यह सही नहीं है कि यह प्रोजेक्ट 62 करोड़ रुपये का था ?(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप +++ हैं क्या, जो बीच में स्पष्टीकरण दे रहे हैं ? आप बैठिये। उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दें। (व्यवधान)

श्री टीकमचंद कांत : मुख्य मंत्री तो राजस्थान के होते हैं। हमारा और तुम्हारा क्या होता है। मुख्य मंत्री तो पूरे राजस्थान का है। ....(व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, कांग्रेस और बी.जे.पी. क्या होता है। (व्यवधान) जब तक आप राजस्थान में रह रहे हैं, भैरोंसिंह जी आपके भी मुख्य मंत्री हैं। (व्यवधान) लीडर कह सकते हो। मुख्य मंत्री तो इनके भी हैं वह। लीडर आप कह सकते हो, लीडर इनके नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारे जब माननीय लीडर है तो बीच में बोलते हो। आपके माननीय लीडर जब बोलते हैं तो हम बीच में दखलंदाजी नहीं करते। आप चाहते हैं कि बेईमान और भ्रष्टाचार पर कोई बोले नहीं । (व्यवधान) जो भ्रष्टाचार करता है उनके खिलाफ बोलना ही पड़ेगा और बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अब आप अपने मूल बिन्दु पर आ जाइये।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तारानगर, नगर-पालिका में 10 सदस्य कांग्रेस के हैं, 8 बी.जे.पी. के हैं और दो निर्दलीय हैं। अब लाठी से एक इंडिपेंडेंट आदमी चेयरमैन बन गया। कोई एतराज नहीं है। लेकिन कमेटियों का निर्माण नहीं हो रहा है। क्योंकि 10 वह, और 10 कांग्रेस के और एक वोट मेरा। अगर वह कमेटियों का निर्माण करें तो 11 वोट कांग्रेस के 10 वोट बी.जे.पी. और इंडिपेंडेंट के। इन्होंने क्या किया ? तीन सदस्यों को सस्पैंड कर दिया (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह बजट पर बहस है क्या ? नहीं, यह बजट पर बहस नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : यह क्या बात हुई ? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा: यह कोई नई चीज नहीं है। सदस्य का अधिकार है (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रजातंत्र की जगह वहां भाजपा तंत्र चालू कर रहे हैं और एक अखबार, जो सारे राजस्थान में सबसे ज्यादा बिकता है, उसके संस्थापक ने भंवरलाल जी को क्या कहा (व्यवधान) नहीं, भंवरलाल जी को कहा है कि यह काठ के उल्लू जैसे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यह काठ के हैं क्या ? मुझे तो ये काठ के नहीं लगते। यह अखबार में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस लाइन को पढ़कर सुनायें। उसमें भंवरलाल जी को काठ का उल्लू नहीं कहा है। आप पढ़ लीजिये। (व्यवधान) आप पढ़कर सुनाइये (व्यवधान) आप सुन लीजिये न, यह बहस का विषय नहीं है सुन लीजिये। आप उस लाइन को पढ़िये। (व्यवधान) आप पढ़िये उस लाइन को।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : आई आब्जैक्ट, सर। एक अखबार को कोट करके असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : यह तो आपके नेता कह रहे हैं पढ़ने के लिये।

श्री जगदीप धनखड़ : असंसदीय भाषा कहां है। काठ का उल्लू तो बिलकुल संसदीय भाषा है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : भंवरलालजी के सामने जो आते हैं उनको काठ का उल्लू कहा है।

श्री चन्दनमल बैद : उनको महसूस नहीं होता कि उनके सामने कोई आदमी खड़ा है या काठ का उल्लू है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सामने वाले आदमी को कहा है भंवरलाल जी शर्मा को नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : श्री भंवरलाल जी के लिये नहीं कहा, आदमी के लिये कहा है। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : यही मतलब है उसका। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके लिये कहा है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक जिम्मेदार होकर जो बात लिखी हुई उसको तोड़-मरोड़कर बोल रहे हैं। आप उसको पढ़िये। उसमें लिखा है कि जो दूसरा आदमी है उसको वह काठ का उल्लू समझते हैं। आपने भंवरलालजी को काठ का उल्लू कह दिया। आप पढ़ा करो। पढ़कर बोलिये आप। (व्यवधान) जो चाहे सो बोल देते हैं। लिखा हुआ है उसका विपरीत बोल रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप यह मत समझो कि हम नहीं बोल सकते (व्यवधान) यह मत कहो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बैद जी आपसे यह अपेक्षा नहीं थी। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद: यह सही लिखा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप पढ़िये न उसको। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको सम्मान चाहिये तो सम्मान से बोलो। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अखबार में वह लाइन नहीं है। इसका मतलब उस अखबार को सही मानते हैं। हो सकता है मिस कोट हो (व्यवधान) उस अखबार ने जो "कोल्ड स्टोरेज का आलू" कहा है, उसको स्वीकार करते हो क्या आप ? "कोल्ड स्टोरेज के आलू" को स्वीकार करते हो क्या ? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हम किसी बात को स्वीकार करे न करें यह हमारा काम है। आप जो चाहे सो कहें। यह जरूरी नहीं है कि आप जो कहें उस बात को हम मानें। (व्यवधान) जो लिखा हुआ है वही पढ़ें। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : इन्होंने तो यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार को सहन किया जाता है। (व्यवधान) बी.जे.पी. की सरकार भ्रष्टाचार को सहन करती है।

श्री शिवनाथ सिंह : आपको ज्ञान देने का अधिकार है, क्यों कि आप सरकार में हो और सरकार को जहां ज्ञान नहीं होता है उसको ज्ञान कराने का अधिकार हमारा है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : असत्य बोलने का नहीं है। लिखे हुए तथ्यों को तोड़-मरोड़कर बोलने का नहीं है। जो लिखा हुआ है वही बोलिये, हमें कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : लिखा हुआ बोल रहे हैं। "कोल्ड स्टोरेज का आलू" लिखा हुआ है। उसको तो आप स्वीकार करते हैं न ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : लिखे हुए में यह नहीं है कि भंवरलालजी काठ के उल्लू हैं। भंवरलाल जी के लिये काठ का उल्लू नहीं लिखा है। फिर पढ़ लीजिये उसे आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक अखबार ने माननीय हरिदेव जी जोशी के बारे में कुछ लिखा था (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आपकी बात कर रहे हैं। आप ही का आ रहा है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह 4.4.96 को लिखा है - "राजस्थान में भाजपा., कोल्ड स्टोरेज का आलू", इसके तीसरे कालम में यह लिखा है कि शहर के एक भाजपा. नेता भंवरलाल शर्मा मंत्रिमण्डल में वरिष्ठ सदस्य भी हैं, परन्तु शहर के लोगों के साथ उनका जो व्यवहार है, वह देखने लायक है। कोई नागरिक , जिनमें उनके निजी मित्र भी हो सकते हैं, यदि कोई काम लेकर जाए तो यह महसूस ही नहीं होता कि उनके सामने कोई आदमी खड़ा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह सबने पढ़ रखा है। आप विराजें।

श्री शांतिकुमारधारीवाल : इनको महसूस ही नहीं होता कि सामने कोई आदमी खड़ा है या काठ का उल्लू है। यह लिखा है। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : उस समय चेयरमैन धारीवाल ही थे। इसके लिये कमिट किया है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कहां लिखा है ? भंवरलालजी को काठ का उल्लू कहां कहा है ? इसमें कहां लिखा है ? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह कर्पूर चन्द कुलिश का संघनामा है। (व्यवधान)

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : माननीय सदस्य, यह आपके लिये लिखा है। शांति जी, यह आपके लिये लिखा है। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : क्यों जलील करवा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कर्पूर चन्द कुलिश ने संघनामा के 4 अध्याय लिखे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल जी बैद। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपके पास अपना दिमाग नहीं है जो कर्पूर चन्द कुलिश के दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं आप। आपके पास दिमाग नहीं है, न आपके पास सोच है, न आपके पास विचार है। आप दूसरे के विचारों को रख रहे हो। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने ही, श्री विष्णु जी मोदी के पिताजी ने श्री हरेन्द्र जी मिर्धा के पिताजी ने और मेरे पिताजी ने भी कर्पूर चन्द कुलिश को बर्दाश्त किया। (व्यवधान) लेकिन 40 साल बाद जब उन्होंने हकीकत लिखना चालू किया तो इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कर्पूर चन्द कुलिश का सर्टिफिकेट आप मानते हो क्या ? आज तक कांग्रेस के लिये कर्पूर चन्द कुलिश ने लिखा वह आपके लिये सर्टिफिकेट है न?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमने 40 साल बर्दाश्त किया, हमारे बापों ने बर्दाश्त किया, लेकिन इनको एक बार में बर्दाश्त नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठिये। कृपया बिराजें। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : राजस्थान भर में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनको (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक बार उन्होंने पर्दा हटाया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप चन्दनमल जी को बोलने नहीं देना चाहते क्या ? आप बिराजें

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री पंचायती राज): उपाध्यक्ष जी, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान) एक मिनट।

श्री किशन मोटवानी : मंत्री करता है क्या?

श्री नाथूसिंह : हां, मंत्री भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। कानून में कहीं भी ऐसा नहीं है कि मंत्री पाइंट आफ आर्डर नहीं उठा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय श्री बैदजी जब यहां बोल रहे थे तो उन्होंने अखबार की लाइन को मिस कोट किया है और माननीय मंत्री महोदय के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहे। मैं आपसे इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही जिम्मेदार आदमी है और यह सिद्ध हो गया है कि वह मिस कोट कर रहे थे, सदन को गुमराह कर रहे थे, वह अपने कथन को वापस ले लें या सदन से क्षमा याचना करें या इन शब्दों को आप निकालें। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : (व्यवधान) मैं फिर पढ़कर सुना देता हूं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : क्षमा तो आपको मांगनी चाहिये कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं सुनना चाहते। भ्रष्टाचार की बात को दबाना चाहते हैं। आप इनके हिमायती हैं जो भ्रष्टाचार की बात को दबाना चाहते हैं। सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगा देते हैं सब पर। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मैं बोल रहा हूं न। प्लीज लेट मी फिनिश (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैं फिर पढ़कर सुना देता हूं। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कर्पूर चन्द कुलिश ने कांग्रेस के बारे में जो लिखा है वह सही है ? आज तक कांग्रेस के बारे में कर्पूर चन्द जी कुलिश ने जो लिखा है उसको आप स्वीकार करते हो ? उसको स्वीकार करके फिर उनको कोट करिये तब तो वह बात समझ में आती है। उसको आप स्वीकार नहीं करते तो हम भी उसको स्वीकार नहीं करते। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : कोल्ड स्टोरेज को स्वीकार करते हो क्या ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कांग्रेस का तो जनाजा निकल चुका है यह कहा है कर्पूर चन्दजी कुलिश ने (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : सवाल स्वीकार करने या नहीं करने का नहीं है सवाल इस बात का है (व्यवधान)

(118)

एक माननीय सदस्य : माफी मांगिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कहा है...(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत मंत्रीजी खड़े हुए हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कर्पूर चन्द कुलिश ने कहा है कि कांग्रेस का तो जनाजा निकल चुका है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मंत्रीजी खड़े हुए हैं...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप एक तरफ की बात करते हो।

एक माननीय सदस्य : इसके लिये माफी मांगिये। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष जी, समाप्त करूं मैं...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमने आलू तो नहीं कहा...(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मैंने अभी समाप्त नहीं किया, मेरा सबमिशन है।

कई माननीय सदस्य : माफी मांगिये ...(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा :...(व्यवधान) चुनाव में जिस तरीके से स्टेटमैंट दे रहे थे, उस चुनाव के बाद उन्होंने माफी मांगी है। माफी मांगिये आप तो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यहां माननीय सदस्य जिम्मेदारी से बोलते हैं, अखबारों के आधार पर नहीं श्री बनवारी लाल जी वह अखबारों में क्या-क्या छपा है, कोई दिल्ली की हो, पता नहीं कहां-कहां की...(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : माननीय बैदजी इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं, मैं उनसे ही निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने कोट किया है वह लैंग्वेज उसमें नहीं है...(व्यवधान) अभी पढ़ लिया, सुन लिया सबने...(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : ...(व्यवधान) जो नाथूसिंह जी के लिये लिखा है वह पढ़वाना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : उनके लिये अच्छा होगा कि वे सदन में खड़े होकर कह दें कि मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने गलत कहा है, जिससे आन रिकार्ड वह चीज आ जाए। उन्होंने माननीय मंत्रीजी के बारे में यह शब्द कहे हैं यह उचित नहीं है, एक्सचेंज कर दीजिये, खुद ही खड़े हो गये अच्छा होगा...(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैं कह रहा हूं कि यही लिखा हुआ है, जो मैंने कहा है, मैं फिर पढ़कर सुनाता हूं...(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : पढ़ो, सुनाइये-सुनाइये ...(व्यवधान) आप सुनाइये क्या पढ़कर सुनाएंगे।

श्री चन्दनमल बैद : हां, यही कहा है। पढ़ रहा हूं, आपके कहने से पढूंगा क्या ?

श्री नाथूसिंह : आपके बारे में कहा है क्या उन्होंने ?

श्री चन्दनमल बैद : हां, यही कहा है।

एक माननीय सदस्य : पूरा पढ़िये, जिससे सच्चाई सामने आ जाए...(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : ...(व्यवधान) एक आदमी खड़ा है यह काठ का उल्लू है।

श्री नाथूसिंह : जो आदमी है...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आप राजस्थान की जनता को काठ का उल्लू कहना चाहते हैं क्या? ...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : उपाध्यक्ष महोदय, कुलिश जी के आर्टिकल पर सभी सदस्यों को बहुत रुचि है, कृपया सदन में इस पर अलग से चर्चा करवा ली जाए। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : जो गलत काम के लिये आते हैं उनके लिये कमेंट्स किये हैं। माननीय भंवरलाल जी शर्मा के पास गलत काम के लिये आते हैं उनके लिये कमेंट्स किये हैं इस अखबार में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। श्री चन्दनमल बैद।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मैं यह निवेदन करना चाहता था, उपाध्यक्ष महोदय कि हम तो चालीस साल तक राजस्थान पत्रिका और कुलिश जी को बर्दाश्त करते रहे, उन्होंने जो लिखा वह बर्दाश्त किया और इनको ये तीन आर्टिकल...(व्यवधान) शुरू हो गये। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : आप कुछ भी करते रहे हैं लेकिन गलत बात नहीं सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अब वह चर्चा ही समाप्त हो गयी। चर्चा समाप्त। चन्दनमल जी अब आप बोलें।

श्रीमती बीना काक : कुलिशजी के आर्टिकल पर अलग से चर्चा रखवा ली जाए। ...(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आप नहीं चाहते हैं कि मैं बोलूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ...(व्यवधान) का प्रयोग मत करिये वरना गुलामी समझी जाएगी...(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : अच्छी बात है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कि आप दूसरे के दिमाग के गुलाम हैं, उन्हीं के विचारों को आप मानते हैं, अपने विचार रखिये। आपको किसने रोका है ?...(व्यवधान) आधे चार्ज लगाइये, आप भ्रष्टाचार की बात रखिये, अपने दिमाग से करिये, अपने ज्ञान से करिये आप दूसरों की बात क्यों कर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आयी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप यह कह रहे हैं कि कुलिशजी बुद्धिहीन हैं ?

श्रीमती बीना काक : उपाध्यक्ष महोदय, कुलिशजी के आर्टिकल पर चर्चा रखवा ली जाए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कुलिशजी ने आपकी आलोचनाएं जो आज तक की हैं, उनको आप मंजूर करते हो क्या ? आप उसको मंजूर करने को तैयार नहीं हो तो दूसरों को मंजूर करने के लिये बाध्य करने की कोशिश क्यों कर रहे हो ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे आगे बोलने दिया जाए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप अपनी बात कहिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपका जब समर्थन करते थे तब तो सहन होता था अब आलोचना भी आप सहन करो...(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्व गृह में ब्याज की इतनी बड़ी रकम देने के बाद हमारे दूसरे खर्चों के लिये हमारे पास पैसे नहीं बच रहे हैं और इस वास्ते मैंने कई पंचायत समितियों के प्रधानों से बात की है। कोई कहता है कि हमारी जो मंजूरशुदा अध्यापकों की पोस्ट हैं

उनमें 100 की कमी है, कोई कहता है कि हमारे यहां 60 की कमी है। मैं सारे राजस्थान की तो फिगर ले नहीं सकता लेकिन मेरा अन्दाज ऐसा है कि कुल दो सौ सैंतीस पंचायत समितियों में से दो सौ पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां अध्यापकों की पोस्टें मंजूरशुदा हैं उनमें कम से कम बीस से पच्चीस हजार अध्यापकों की कमी है। माननीय मंत्री महोदय, जब आप जवाब देंगे तो बता देंगे मुझे कि मैं कितना सही हूं और कितना गलत हूं। लेकिन मेरा अन्दाज यह है। उपाध्यक्ष महोदय, ऊपर से तुर्रा यह है कि उन अध्यापकों को हमने पंचायतों के सैक्रेटरीज का काम भी सौंप दिया है। करेला और नीम चढ़ा, पहले ही मास्टर कमती हैं और इसके बाद उनको पंचायत के सैक्रेटरी का काम सौंप दिया। अब वह बाड़े की नपाइश करें या जो काम चल रहा है उसकी ईंटें गिनें या जो काम चल रहा है उसके मस्टर-रोल भरें या स्कूल में बच्चों को पढ़ायें। तो ये सारे जो कार्य हैं, देहात के बच्चों का भविष्य बिगाड़ने का काम जो हमारे पंचायत मंत्रीजी कर रहे हैं, मेहरबानी करे इसको बन्द कीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फायदे की बात है करने दो इनको।

श्री चन्दनमल बैद : ग्राम सेवकों की भी कम से कम पांच-सात हजार पोस्टें खाली पड़ी हैं।

कितने दिनों के बाद माननीय पंचायत मंत्री महोदय ने कल कहा कि हमको 1,700 पोस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मंजूर कर दी हैं, यह नहीं बताया कि कितनी पोस्टों के मुकाबले में मंजूर की हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चन्दन मल जी आप किधर देख रहे हैं ? आसन की तरफ देखें, इधर से कहिये।

श्री चन्दनमल बैद : मेरे पाइंट है तब तक ही बोलूंगा।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज हमारे-

श्री किशन गोपाल कोगटा :फिर वही बात, आसन की तरफ देखो।

श्री चन्दनमल बैद : क्या करूं पंचायत मंत्रीजी को नहीं देखूं, खूबसूरत आदमी को ? खूबसूरत आदमी को नहीं देखूं ? यह क्या बात हुई।

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन की तरफ देखिये।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा था कि आप राजस्व के ऊपर ब्याज का इतना बड़ा बोझ आ गया, जिस कर्जे की आप हिमायत कर रहे थे उसके कारण से राजस्व खर्चे में हमको आज कटौती करनी पड़ रही है, हम मास्टर नहीं रख पा रहे हैं और अस्पतालों में हम डाक्टर नहीं रख पा रहे हैं। मैंने स्वास्थ्य मंत्रीजी को कई बार पत्र लिखे। जब यह डाक्टर मेरा कांस्टीट्यूएंसी में नहीं भेज सके तो मैंने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा। मंत्रीजी को भी दो बार पत्र लिखा, उसका एक बार जवाब आया और आज तक वहां डाक्टर नहीं है। आज सवाई मानसिंह अस्पताल की यह स्थिति है कि वहां पर आपका अगर जरा सा भी आपरेशन किया जाए तो पट्टी, सीजर्स और सारी चीजें बाजार से आप खीदकर लाइये तब आपका आपरेशन होगा। यह सवाई मानसिंह हास्पिटल की व्यवस्था है तो और दूसरे छोटे-छोटे अस्पतालों की तो क्या व्यवस्था होगी। मेरे कहने का

(श्री चन्दनमल बैद)

मतलब यह है कि आज राजस्व खर्चे में ब्याज की रकम बढ़ जाने से हम स्कूलों का, अस्पतालों का, सिंचाई के साधनों का, जल प्रदाय योजनाओं का, किसी का भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और जो 35 साल में कांग्रेस सरकार ने जो सारी सुविधाएं प्राप्त की थीं, आज उनको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बरबाद कर रहे हैं...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली वर्षा में सारी सड़कें धुल गयीं, बह गयीं। बड़ी चर्चा हुई, बड़ी आलोचना हुई...

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सब आपका ही किया हुआ है।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने एक इंजीनियर से पूछा कि आप सड़कें बनाना भूल गये या मैटीरियल खराब आ रहा है। उसने कहा साहब न तो मैटीरियल खराब आ रहा है, न हम सड़कें बनाना भूले हैं...

श्रीमती तारा भण्डारी : इन्दिरा गांधी नहर में पैसा खा गये थे इंजीनियर, सस्पैण्ड करना पड़ा, सबको हमारी सरकार ने नौकरी से निकाला।

श्री चन्दनमल बैद : पंचायत चुनाव आ गये तो ठेकेदारों से चन्दा लो, नगरपालिका के चुनाव आ गये तो ठेकेदारों से चन्दा लो। जब ठेकेदारों से आप चन्दा लोगे तो सड़कें तो ऐसी ही बनेंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है।

श्री टीकम चन्द कान्त : यह ठेकेदारों से चन्दा लेना शायद पुराना अनुभव है आपका (व्यवधान) हमने इसे नहीं दोहराया।

श्री चन्दनमल बैद :...(व्यवधान) वह यह हो रहा है कि 660 करोड़ रुपये की सड़कें हर साल बनती हैं और उसका डामर सरकारी कम्पनियां, इण्डियन आयल कम्पनीज की सब्सिडरीज बड़ौदा से और मथुरा से देती हैं, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि डामर हम नहीं लाएंगे। डामर ठेकेदार ले आए और पांच प्रतिशत बेसी चार्ज कर ले। 660 करोड़ रुपये का पांच परसैंट हुआ 33 करोड़। 33 करोड़ रुपये चूना राजस्थान को लगा दिया। वह 33 करोड़ कहां गया ? मैं जब बताऊंगा तो बड़ा एतराज होगा। ईंधन कम्पनियां, सरकारी कम्पनियां सरकार को डामर दें, सरकार नहीं लेगी। ठेकेदार आप ले आओ, पांच परसैंट ज्यादा चार्ज कर लेना। 660 करोड़ में पांच परसैंट के हिसाब से 33 करोड़ रुपये का घोटाला इन सड़कों में हो रहा है।

श्रीमती तारा भण्डारी : 133 करोड़ रुपये के बारे में क्या हुआ ?

श्री चन्दनमल बैद : एक तरफ तो आपके पास सड़कें मरम्मत करने के लिये पैसा नहीं और फिर यह जो पैसा है उस पैसे में घोटाला हो रहा है तो इन सड़कों का मालिक तो भगवान ही है...(व्यवधाप)...

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा प्लान ले आया...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं करें।

श्री चन्दनमल बैद : 11 हजार 500 करोड़ रुपये का प्लान ले आया। विरोधी दल में बैठते बैठते उनकी यह आदत पड़ गयी कि कोई भी टैक्स लगाये उसका विरोध करो। इस वास्ते उनको टैक्स लगाने में एक फोबिया

(श्री चन्दनमल बैद)

हो गया कि टैक्स लगा दूंगा तो जनता नाराज हो जायगी क्योंकि मैंने टैक्स का तो हमेशा विरोध किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सही वित्तीय तरीका यह है कि प्लान में, टैक्स में और कर्जों में समन्वय हो। इन्होंने समन्वय छोड़ दिया। बड़ा प्लान ले आये, नाम कर लिया, साधन पास में है नहीं, कर्जा ले लिया, कर्जे का तो ब्याज चुकाना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई टैक्स लगाने का बहुत बड़ा समर्थक हूं लेकिन आज राजस्थान में टैक्स लगाये जा सकते हैं। दाल पर टैक्स है, गेहूं पर टैक्स है, चने पर टैक्स है, बाजरी पर टैक्स है, अगर हीरे जवाहरात पर टैक्स नहीं है। क्या मतलब है इसका ? मतलब साफ है कि यह रत्न व्यवसायी इस बी.जे.पी. को मदद कर रहे हैं। गरीब आदमी की बाजरी पर टैक्स, गरीब आदमियों के गेहूं पर टैक्स, गरीब आदमी की दाल पर टैक्स पर इन अरबपतियों, करोड़पतियों के जवाहरात पर टैक्स नहीं है, उस पर राहत है।

श्री कालीचरण सराफ : आपके जमाने में हीरे जवाहरात पर कितना टैक्स था ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं जानता हूं जूता कहां काट रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हीरे जवाहरात और सोने पर आपने ऊपर की कमाई ही तो लिया या टैक्स भी वसूल किया, यह तो बताओ। आप वित्त मंत्री रहे तो कितना टैक्स वसूल किया, वह तो बताओ। आपने तो उनसे पैसे लेने का ही साधन बना रखा था टैक्स को।

श्री कालीचरण सराफ : कितना टैक्स लगाया, बताओ तो सही। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : + + + (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + + यही काम किया है आज तक यह सारे पाप आपने किये हैं जिसके कारण ब्याज के ऊपर लेना पड़ता है और यह स्थिति है कि जिसके कारण आपके प्रधानमंत्रीजी को अन्दर जाना पड़ता है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : जितना मोटा शरीर, उतनी मोटी अक्ल ... (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं, कांग्रेस ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं उधर भी कह रहा हूं, इधर भी कह रहा हूं।

श्री परसराम मोरदिया : यह चाहे जैसे खड़े हो जाते हैं यह क्या तरीका है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात बताइये, किसानों के लिये खाद कितनी आवश्यक है और उस पर चार परसेंट टैक्स है जबकि हरियाणा में टैक्स नहीं है इसलिये राजस्थान के किसानों को हरियाणा में जाना पड़ता है। राजस्थान में किसान सरसों पैदा करता है, पूरे भारत में सरसों और तेल पैदा करता है और उनकी खाद के ऊपर चार परसेंट टैक्स है। उसको हटाया जाना चाहिये। हरियाणा में खाद पर टैक्स नहीं है, इसलिये राजस्थान के किसानों को मजबूर होकर वहां जाना पड़ता है।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना में, जो कांग्रेस सरकार ने चलायी थी हमने 963 मेगावाट बिजली

+ + + अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री चन्दनमल बैद)

एक्स्ट्रा पैदा की, जो आपके आंकड़ों में है, इन किताबों में है जो आपने मुझे दी है। छठी पंचवर्षीय योजना में हमने 711 मेगावाट बिजली पैदा की। आपने आठवीं पंचवर्षीय योजना में 540 मेगावाट बिजली पैदा करने का संकल्प किया था उसमें से 280 मेगावाट बिजली पैदा हुई है यानि हमने जब शासन छोड़ा था उस समय 2711 मेगावाट बिजली आपको सौंपी थी और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में आप इस स्टेट को 2685 मेगावाट बिजली सौंपेंगे अर्थात् 26 मेगावाट बिजली आप कम सौंपेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 11,500 करोड़ रुपये का प्लान, टैथ फाइनेंस कमीशन ने आपको 11,500 करोड़ रुपये दिये। डबल हो गया। अगर किसी दूसरी सरकार को इतना मौका और साधन मिलते तो वह राजस्थान को चमन कर देते, लेकिन आपने क्या किया? आपने कर्जा बढ़ाया, परिसम्पत्तियों को बरबाद कर दिया, सिंचाई साधनों को खत्म कर दिया और जितने भी काम थे, पर कैपिटा आपकी जो इन्कम है वह कम कर दी, विकास दर को खत्म कर दिया और सारे के सारे प्रदेश को आपने बरबाद कर दिया। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके इस चक्कर को नहीं तो आज जो हालत हो रही है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डाक्टर नहीं, सिंचाई साधनों की मरम्मत नहीं, कल प्रथम योजनाओं का रख-रखाव नहीं, बिजली के साधन नहीं है उससे भी खराब हालत होगी। आपने 11500 करोड़ रुपये की योजना लाकर के इस प्रदेश का क्या फायदा किया? कर्जा बढ़ाने के सिवाय आपने क्या किया? इस वास्ते मैं साफ कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जो वित्त मंत्री भी हैं, मेहरबानी करके गंभीरता से सोचें। यह नहीं समझें कि एक आदमी मेरी आलोचना कर गया इसका जवाब देना जरूरी है। जितनी भी बातें मैंने आपसे कहीं हैं, आपकी किताबों से, आपके आंकड़ों से कही हैं। आप कहेंगे तो मैं आपकी किताबें और आंकड़ें बता दूंगा। आपने खुद ने कहा है कि हम परिसम्पत्तियों की पूरी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आपने खुद कहा है कि इर्रिगेशन सिस्टम का हम रख-रखाव नहीं कर पा रहे हैं, आपने खुद कहा है कि हम पावर स्टेशन को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, आपने खुद ने कहा है कि हम स्कूलों की ठीक देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। आपने खुद ने कहा है कि हम सड़कों की मरम्मत ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। इस वास्ते, यह सारी चीजें नहीं होने के कारण हमारी उन्नति में बाधा आ रही हैं, यह आपने खुद ने कहा है।

इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि इन सारी चीजों को, जो आपने कहीं है, जो आपने निष्कर्ष निकाले हैं, जो आपने आंकड़ें पेश किये हैं, उन्हीं आंकड़ों और निष्कर्षों के आधार पर मैं आपको सचेत करता हूं कि राजस्थान को बरबाद मत करिये। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक दिन वह आएगा जब मुख्य मंत्री जी आप राजस्थान के डान क्विक्जोट मुख्य मंत्री के रूप में जाने जाएंगे इसको याद रखिये।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकान्त शर्मा। माननीय भंवरलाल जी।

स्पष्टीकरण

श्री भंवरलाल शर्मा, स्वायत्त शासन मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय चन्दनमल जी ने अपने भाषण के बीच में दो बातें की हैं। एक तो मेरे लिये कहा कि...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : यह कौनसे रूल के तहत अलाउ किया है...(व्यवधान)...

कई माननीय सदस्य : आप बैठिये, आप बैठिये।

श्री उपाध्यक्ष : ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आप बैठिये।...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : नहीं, कौनसा नियम और प्रक्रिया है...(व्यवधान) कौनसे नियम के तहत अलाउ किया है आपने...(व्यवधान)...मैं आसन से पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय चन्दनमल जी ने जो कुछ कहा है उसके बारे में कह रहे हैं।

श्री किशन मोटवानी : या तो कहें कि मैं स्पष्टीकरण दूंगा। आसन कहे कि उनको स्पष्टीकरण करने के लिये मैंने मौका दिया। मान्यवर, आप कहो।

श्री भंवरलाल शर्मा : स्पष्टीकरण दे रहा हूं। अनुमति ली है मैंने।

श्री किशन मोटवानी : अनुमति काहे की, बोलने की नहीं, अनुमति स्पष्टीकरण की कहें मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अनुमति दी है, आप बोलने दीजिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : आसन को बाध्य नहीं कर सकते आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : अनुमति लेने के बाद ही बोल रहा हूं। माननीय चन्दनमल जी मेरे खिलाफ बोल रहे थे तब आपने विरोध नहीं किया कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब जब उन्होंने मेरे पर आरोप लगाया है, हालांकि आरोप कोई बहुत (व्यवधान) कुलिश को, कुलिश को, सब कहता हूं, जरा सुन लो आप...

श्री परसादीलाल मीणा : कुलिश को कहो यह तो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठे-बैठे नहीं बोलें...(व्यवधान)...

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय चन्दनमल जी ने यह कहा कि एक एक्स. ईएन. उनके यहां लगा हुआ था। उसका मैंने ट्रांसफर नहीं किया।

श्री चन्दनमल बैद : लगा हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा : लगा हुआ था, लगा हुआ है और लगा हुआ रहेगा। क्या हो गया उसमें ? वैसे मेरे और आपके बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं पुराने जमाने से। आपने इस एक्स. ईएन. के ट्रांसफर से पहले मेरे ऊपर कभी कोई आरोप नहीं लगाया, आप हमेशा मेरी प्रशंसा करते रहे हैं। अब यह एक्सईएन. आपके और मेरे बीच में आ गया, यह भी तब आया जब चुनाव शुरू होने लगे थे। जब पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले थे तब आपने कहा कि इसको

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हटा दो। मैंने वहां के लोगों से बात की।_(व्यवधान)_

श्री चन्दनमल बैद : मैंने बहुत पहले कहा था।

श्री भंवरलाल शर्मा : सुन लीजिये बात को। तो मैंने वहां पूछा कि यह आदमी काम कर रहा है। माननीय चन्दनमल क्यों हटाना चाहते हैं ? तो मुझे वहां लोगों ने बताया कि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो उनकी मदद करता रहता है और हमेशा करता रहेगा। तो मैंने उसका ट्रांसफर नहीं किया। यह मेरी भूल हो सकती है। उसके कारण आप मुझे यह कहने लग जाएं कि मैं बेईमान हो गया, पैसे खाने लग गया और वह एक्स. ईएन., जिसके आप खिलाफ हो वह जाकर कहता है कि पैसे मुझे पहुंचाता है, जयपुर तक पहुंचाता है। ऐसे क्या सम्बन्ध हैं आपके और उसके ? आप तो उसके विरोधी हो, आपको आकर कहता है वह तो आपको मैं फिर कहता हूं कि आप बहुत ही वयोवृद्ध हैं मेरे बुजुर्ग हैं

आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। यदि आपको यह विश्वास हो और तनिक भी संदेह हो तो आप इस विषय की जांच करा लीजिये और जांच का अधिकार भी आपके ही पास रहेगा। आप ही जांच अधिकारी बन जाइये और दो दिन में, चार दिन में, दस दिन में, साल में, दो साल में कभी भी आप बता दीजिये। एक पैसे का भी आरोप लगा देंगे तो जो सजा देंगे हाउस में, मैं लेने को तैयार हूं और यदि बात असत्य हुई तो आप सोच लो। जयपुर के बाजार में हर व्यक्ति मेरे लिये यह कहता है कि भंवरलाल शर्मा नहीं रहा, कौन मिलने आता है आपसे ? क्या लेना देना है, जयपुर की जनता से आपका ? यदि है तो पांच आदमी खड़े कर दो, एक खड़ा कर दो, जयपुर का एक नागरिक खड़ा कर दो_ (व्यवधान)_ No. This is no way.

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपके बंगले में 100 ले आऊंगा। फालतू बात करते हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह क्या तरीका है ? जब इज्जत है तब इज्जत है और कबड्डी में काकाजी नहीं होते हैं। अब कबड्डी खेल रहे हो तो सुनो मेरे से आप। जयपुर का एक व्यक्ति, मैं तो राजस्थान कहता हूं, आप जयपुर की बात करते हो। जयपुर के लोग आते हैं और आपसे कहते हैं। यह चर्चा आपसे करते हैं भ्रष्टाचार की। आपका क्या लेना-देना है। भ्रष्टाचार से ? फिर भी यदि आपका भ्रष्टाचार से सम्बन्ध है तो किसी एक व्यक्ति को जयपुर में कह दो जो मेरे पर एक पैसे का चार्ज लगा दे (व्यवधान)_ आई चैलेंज यू। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केवल इसलिये कि मैंने ट्रांसफर नहीं किया और यह बात कह दी हो तो बात खतम हो गयी, पर यदि आपको वास्तव में ऐसा लगता है कि मैंने कोई बेईमानी की है, कोई आपको गुंजाइश है, तो आप खुद जांच कर लीजिये, और किसी को, जो इसमें तेज तर्रार हो, उसको ले लीजिये, पता कर लीजिये, और आप 10 दिन में ,5 दिन में ले आइये। यदि आप नहीं करते हैं तो आपने जो वक्तव्य दिया है उसकी खुद ही आलोचना , आप समझ लेना कि आपने किस तरह से बात की है।

दूसरा सवाल, आपने कहा राजस्थान पत्रिका

(श्री भंवरलाल शर्मा)

के हवाले से। राजस्थान पत्रिका हमको सावधान करता होगा या लिखता होगा। आपने मुझ से कहा कि "काठ का उल्लू" लोग जो मेरे सामने आते हैं उनको काठ का उल्लू समझता हूं, यह उस अखबार में लिखा हुआ है। इतने सारे माननीय सदस्य मौजूद हैं, मुझसे मिलते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। आप में से किसी का अनुभव यह है कि क्या आप मेरे सामने आते हो तो मैं आपको काठ का उल्लू समझता हूं ? Anybody from you. बताओ कोई हो तो। (व्यवधान) अखबार में क्या लेना देना।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकान्त जी।

श्री चन्दनमल बैद : भ्रष्टाचार के विरुद्ध चिट नहीं मिल गयी आपको...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह चर्चा समाप्त ।

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि मैं काठ का उल्लू समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिना आज्ञा के बोल रहे हो। माननीय सदस्य यह अंकित नहीं होगा।

श्री शांति कुमार धारीवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : यह अंकित नहीं हो रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अंकित नहीं हो रहा है। श्री रमाकान्त जी शर्मा।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर सामान्य...

श्री कालीचरण सराफ : माननीय भंवरलालजी कह रहे हैं...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य चर्चा समाप्त। आप विराजें।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने लोकसभा चुनाव के वक्त यह कहा, मैं कोई 12 महीने पहले से कह रहा हूं। यह असत्य बोलते हैं...(व्यवधान)...

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : आप चुनौती स्वीकार करिये, सदन में घोषणा करिये आप जांच करिये और उसके बाद इस्तीफा दीजिये या माफी मांगिये।

श्री नरपतसिंह राजवी : यह एक्सपोज होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : इस प्रकार की बात कह कर सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं भ्रष्टाचारियों से माफी नहीं मांगता...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ : यह नहीं चलेगा। भ्रष्टाचारी आप स्वयं हैं, आप भ्रष्ट हैं। सदन को गुमराह कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : तो केस चलाओ न मेरे पर। आपके पास फाइलें हैं केस चलाओ न मेरे ऊपर। चैलेंज कर रहा हूं, केस चलाओ अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो। हमारे ऊपर केस चलाओ। हमारा राज आएगा...(व्यवधान) हम चलाएंगे केस।

श्री कालीचरण सराफ : अगर आपमें थोड़ा सा भी दमखम है, थोड़ी सी भी बाकी है तो उन्होंने जो चुनौती दी वह स्वीकार करिये, नहीं तो माफी मांगिये।

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री चन्दनमल वैद : आज आपका राज है, अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो आप मेरे ऊपर केस चलाओ। हमारा राज आएगा तो हम चलाएंगे केस। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या व्यवस्था का सवाल है ?

श्री नरपतसिंह राजवी : हां, व्यवस्था के लिये कह रहा हूं, मैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी आरोप-प्रत्यारोप लगे हैं, कोई नोटिस दिया नहीं और यदि उसको एक्सपंज नहीं किया जाएगा तो क्या आप यही परिपाटी चलाना चाहते हैं ? आप चुनौती देना चाहते हैं , जो आरोप लगाना चाहें, लगायें, व्यक्तिगत लगाना चाहें तब भी लगायें लेकिन माननीय चन्दनमल वैद साहब से इतना सा निवेदन है, हम तो अभी आये हैं, पहला सैशन है और कई बार स्पष्टीकरण दे दिया तब भी वह चीज अंकित है, स्पष्टीकरण से खतम नहीं हो जाएगी। हाउस का रिकार्ड इस प्रकार से नहीं रखना चाहेंगे। मेरे ख्याल से आरोप हम लोगों ने लगाये हैं आप लोगों ने कभी लगाने की सोची भी नहीं होगी। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि अगर कोई तथ्य इसमें दें तब तो यह अंकित रह सकता है। बिना तथ्य के आधार पर इस चीज को अंकित करेंगे तो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य चुप नहीं रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसको देख लिया जाएगा। श्री रमाकान्तजी।

श्री जुबेर खान : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय चन्दनमल जी ने किसी का नाम नहीं लिया था यह कहा था कि भ्रष्टाचार का पैसा जयपुर तक आता है। अनेक बार इस सदन में यह बात कही गयी है। विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों द्वारा अनेक वार सदन में कहा गया है कि भ्रष्टाचार का पैसा जयपुर तक आता है। आज तक कभी किसी माननीय सदस्य ने खड़े होकर व्यवस्था का सवाल नहीं किया। (व्यवधान) कौनसा सत्र विधान सभा का चला है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं और यह नहीं कहा गया, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा है कि भ्रष्टाचार का पैसा नीचे से ऊपर तक आता है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी का नाम लिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मेरी सुनिये।

श्री जुबेर खान : इसलिये कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर यही परम्परा डालनी है तो आगे से कोई भी सदस्य भ्रष्टाचार का मामला इस सदन में नहीं उठा सकेगा। माननीय श्री चन्दनमल जी वैद ने किसी का नाम नहीं लिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान : सिर्फ यह कहा था कि जानकारी आयी है कि पैसा जयपुर तक आता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि किसके पास आता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री जुबेर खान : पतंगे लड़े तो लड़े इन लोगों के।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। श्री रमाकान्त जी।

आय-व्ययक 1996-97 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है कि बजट पर सामान्य वाद-विवाद होना था कहां ट्रांसफर की बात आ गयी, और ट्रांसफर से कहां पहुंच गयी। मैं प्रयास करूंगा कि सामान्य वाद-विवाद से एक इंच भी इधर-उधर नहीं जाऊं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब भी बजट की बात होती है तो साधारण व्यक्ति यह समझता है कि सरकार क्या खर्च कर रही है, सरकार की क्या आय है, व्यापारी यह पूछता है कि इसमें क्या टैक्स लग गया, सर्वसाधारण व्यक्ति का रूझान यह रहता है कि कौनसे टैक्स का कंसेशन हो गया या कौनसा टैक्स नया लग रहा है, इससे आगे सर्वसाधारण आदमी नहीं जाता परन्तु वास्तव के अन्दर बजट ऐक ऐसी चीज है जो आर्थिक प्रक्रिया का एक तंत्र है, मार्ग है। बजट तो वह सिद्ध करता है कि आर्थिक विकास की गति बढ़ रही है या घट रही है या किस गति से आर्थिक विकास होगा। बजट से प्रतीत होता है कि रोजगार के कितने ज्यादा अवसर मिलने वाले हैं या इस बजट के द्वारा इस साल में कितने रोजगार और मिलेगा या लोगों को किस प्रकार का रोजगार मिलेगा। बजट के अन्दर यह निहित होता है कि गरीबी हटाने का क्या प्रोग्राम चल रहा है और किस प्रकार से हम गरीबी को हटाएंगे। बजट इन्फ्रास्ट्रक्चर की एक तस्वीर पैदा करता है कि हमको क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर पैदा करना है। बजट से ही पता चलता है कि सरकार क्या विनियोजन करने जा रही है और उस विनियोजन से आगे किस प्रकार की आर्थिक गति आने वाली है। उस विनियोजन से ही इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है या घटने वाला है या किस तरह से बहुत सारे रोजगार पैदा होने वाले हैं।

इस बजट के माध्यम से निजी क्षेत्र के लोगों को विनियोजन करने के लिये प्रोत्साहन मिलता है और बाहर के जो लोग-बाग हैं, विदेशी हैं उन लोगों के अंदर प्रोत्साहन पैदा होता है कि वह यहां आकर विनियोजन करें। बजट के माध्यम से ही एक प्रकार से बाहर के लोग या दूसरे लोग सरकार को कर्जा देते हैं। बजट एक इस प्रकार से आर्थिक डाकुमेंट है जिसके आधार पर हमारी जो विकास की दर है, विकास की गति है, विकास की जो प्रक्रिया है उसका हमारे सामने एक चित्रण आता है और उसके आधार पर हम अपना कार्य करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उपरोक्त बातें जो मैंने अभी-अभी कहीं, उन सबका अच्छी तरीके से परीक्षण करने के लिये फिर प्रश्न आता है कि बजट के अन्दर राजस्व आय क्या है ? राजस्व व्यय क्या है ? क्या राजस्व आय बढ़ रही है ? राजस्व आय की गति राजस्व व्यय से ज्यादा बढ़ रही है या राजस्व व्यय की गति राजस्व आय से ज्यादा बढ़ रही है ? हमारा राजस्व व्यय रेगुलेटेड है कि नहीं ? योजनागत व्यय क्या है ? गैर योजनागत व्यय क्या है ? कहीं गैर योजनागत व्यय ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। कभी-कभी गैर योजनागत व्यय भी अत्यन्त आवश्यक होता है, क्योंकि जो योजना से काम बन चुके होते हैं उसको पूरा करके गैर योजनागत के अंदर आगे आने वाले टाइम के अन्दर उस पर एक्सपैंडीचर होता है तो गैर योजनागत खाली व्यय देखकर हम कह दें कि अपने मन में कि

(श्री रमाकान्त शर्मा)

यह तो बड़ी अस्पृश्य चीज है। गैर योजनागत व्यय क्यों बढ़ रहा है।

वह बढ़ना भी अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रदेश का यदि गैर योजना गत व्यय बढ़ रहा है, तो समझ लीजिये कि यहां योजना के अन्तर्गत अच्छा काम हुआ है। हम बजट घाटे को देखते हैं, हम राजस्व घाटे को देखते हैं हम फिस्कल घाटे को देखते हैं। सामाजिक सेवाओं पर क्या एक्सपैंडीचर हुआ है इसको देखते हैं। भारत सरकार से कितनी सहायता मिल रही है, कितनी मिल रही थी कितनी मिलनी चाहिये थी, क्यों कम हो गयी, क्यों ज्यादा हो गयी इन सब चीजों को देखते हैं; और फिर जब इन सब पर आधारित होकर के कह सकते हैं कि हमने हमारे रिसोर्सेज मैनेजमैंट को किस प्रकार से किया और किस प्रकार से करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाषा गलत बोल सकते हैं, भाषा का अर्थ कई तरह से निकाला जा सकता है, परन्तु आंकड़े गलत नहीं बोलते, प्रोवाइडेड आप सही आंकड़े रखें। हां, यदि आप आंकड़े सही नहीं रख रहे तो फिर जो रखा हुआ है वही चीज बोलेगा और सही चीज नहीं होगा। बहुत सारी बातें अभी-अभी यहां पर आयी, उन चीजों के बारे में, आंकड़ों को थोड़ा सा मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। हमारा जो रेवेन्यू रिसिट्स है, यह चार तरह से होता है। हमारे स्टेट में जो होम टैक्स रेवेन्यू है, सैल टैक्स वगैरह लगते है। यहां पर हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू है और सैंट्रल से हमें जो टैक्सेज हैं, जो उनका शेयर मिलता है और सैंट्रल से ग्रांट-इन-एड मिलती है। मैं आंकड़ों से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्रीजी का जो वित्तीय प्रबन्ध है वह इसके अन्दर सीधे-सीधे रिफ्लेक्ट हो रहा है।

हमारी जो अपनी ऑन टैक्स रेवेन्यू, जबकि एक नये पैसे का टैक्स नहीं लगाया, बड़े-बड़े टैक्स कंसेशंस दे दिये और उसके बावजूद हमारी जो स्वयं की टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाती है। 1995-96 के अन्दर, 1994-95 के अन्दर 2307 थी और 1996-97 के अन्दर 3276। एक साल के अन्दर हमारा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है बिना टैक्स लगाये बढ़ जाता है, इससे बढ़िया वित्त प्रबन्ध और क्या हो सकता है। अर्थात् एग्जेस्टिंग रेट्स पर हम जहां-जहां पर टैक्स की लीकेज हो रही थी। जहां हमारे सोर्सेज की लीकेज हो रही थी उन सबका प्रबन्ध करके हमने 2307 करोड़ से 3276 करोड़, एक हजार करोड़ से भी कहीं ज्यादा हमने हमारा टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया है। बिना टैक्स लगाये और इसी चीज के अन्दर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हमको ग्रांट-इन-एड यह जो दिल्ली में बहुत बड़ी सरकार बैठी हुई है वह हमें ग्रांट-इन-एड देती है। 1994-95 में 1427 करोड़ और वहीं 1996-97 के अंदर 1337 करोड़ कर दी। 1427 करोड़ से 1337 करोड़ कर दी। 100 करोड़ रुपया घटा दिया। वह माई-बाप सरकार ने हमारा 100 करोड़ रुपया घटा दिया।

यह हमारी जो इनकम के बारे में बात थी। अन्य बातों में मैं नहीं आऊंगा। मैं एक रिफ्लेक्शन देना चाहता हूं कि भारत सरकार का किस प्रकार से राज्य सरकार के साथ में व्यवहार है और राज्य सरकार का वित्तीय प्रबन्ध

(श्री रमाकान्त शर्मा)

क्या है ? अभी कई बातें आयी यहां पर राजस्व आय की, राजस्व व्यय की, रेवेन्यू एक्सपैंडीचर अभी बताया गया कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो फिगर इनके पास में हैं वहीं फिगर मेरे पास में है। उसी किताब से मैं बोल रहा हूं। यह सारे विधायकों को भी दी गयी है। बजट-एट-ग्लांस 1996-97 इसके अंतर्गत 1995-96 का रिवाइज एस्टीमेट के मुताबिक 8227.55 करोड़ यह रेवेन्यू एक्सपैंडीचर था। 1996-97 के अन्दर 7877 करोड़ रेवेन्यू एक्सपैंडीचर घटा है। मैं तो इसके बात के फेवर में हूं कि रेवेन्यू एक्सपैंडीचर, जब मैं कहीं बढ़ा हुआ देखता हूं तो मुझे खुशी होती है। रेवेन्यू एक्सपैंडीचर तो तभी बढ़ायेंगे जब बहुत सारे स्कूल खोलेंगे, बहुत से डाक्टर्स ज्यादा होंगे। बहुत सारे अस्पताल होंगे जब ही तो रेवेन्यू एक्सपैंडीचर बढ़ेगा अभी बड़ी कंट्राडिक्ट्री बात कही जा रही थी। रेवेन्यू एक्सपैंडीचर बढ़ गया, बड़ा बढ़ गया और फिर साथ के साथ उसी सांस में कहा जा रहा था कि हमारे टीचर्स की बहुत बड़ी कमी है। प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। हमारे यहां एस.एम.एस. में डाक्टर्स नहीं है, कम्पाउण्डर नहीं है। रेवेन्यू एक्सपैंडीचर तो बढ़ गया और पोस्टें खाली पड़ी हुई है। वह पोस्टें भर जाती तो और बढ़ना चाहिये था रेवेन्यू एक्सपैंडीचर। यदि आपने कोई विकास का काम किया है, यदि आपने कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किया है, यदि आपने कोई सामाजिक सेवाएं पैदा की हैं और उन सामाजिक सेवाओं के अन्दर आदमी जो लगेंगे वही तो रेवेन्यू एक्सपैंडीचर है। परन्तु उसके बावजूद भी कभी-कभी रेवेन्यू एक्सपैंडीचर के अन्दर ऐसा एक्सपैंडीचर भी होता है जो कि स्टेट को नहीं करना चाहिये। अपव्यय भी होता है। उस अपव्यय को जहां पर कंट्रोल किया जाता है उसे वित्तीय प्रबन्ध अच्छा कहा जाता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो वित्त मंत्री भी हैं उन्होंने जहां जो अपव्यय है उसके ऊपर लगाम लगायी है। रिसोर्सेज के अन्दर जो लीकेज था उसको रोका है और साथ के साथ जो हमारे प्लान के कारण से जो बढ़ोतरी हो रही है उसके अन्दर जो वाजिब रेवेन्यू एक्सपैंडीचर बढ़ना चाहिये वह रेवेन्यू एक्सपैंडीचर बढ़ा है।

राजस्व घाटे की बात की गयी कि राजस्व घाटा यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यद्यपि 1994-95 में 424.75 करोड़ आंका गया था वह फिर 824.93 करोड़ हो गया और 1995-96 के अन्दर उसको घटाया गया। उसमें आपत्ति है कुछ लोगों को, परन्तु यह घटने के बावजूद भी देखने की बात यह है कि यह बहुत ज्यादा हो सकता था, क्योंकि दसवें वित्त आयोग के कारण जो हमें रेवेन्यू डेफिसिट की ग्रांट मिलती थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें से 306.73 करोड़ रुपये की ग्रांट घट गयी। दसवें वित्त आयोग का हमको भारत सरकार ने यह फल दिया। हमें 306.73 करोड़ की जो ग्रांट-इन-एड होती थी रेवेन्यू डेफिसिट के अन्दर, वह नहीं मिली। उसी वित्त आयोग की सिफारिश के कारण से हमको जो ग्रांट थी वह 98.37 करोड़ रुपये घट गयी, खाली 33.45 करोड़ रुपये रह गयी। नान प्लान रेवेन्यू, ऊपर वाली बात बतायी है मैंने जो प्लान रेवेन्यू की थी, 306 करोड़ रुपये और जो 98 करोड़ है वह नान प्लान रेवेन्यू

(श्री रमाकान्त शर्मा)

है। 1994-95 में 2450 करोड़ रुपये की योजना में केन्द्रीय अनुदान 492.67 करोड़ था जबकि वह 1995-96 के अन्दर कहां तो हमारी योजना 3200 करोड़ की हो गयी और वह 492 से घटकर के 241.36 हो

(15.50)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

गया। बड़ी मिथ है यह। बड़ा कहा जाता है कि यहां का जो योजना का आकार है वह भारत सरकार की मेहरबानी से बढ़ रहा है। भारत सरकार से जो ग्रांट दी जा रही है और सहायता दी जा रही है उससे इस मिथ को मैं आज एक्सप्लोड करना चाहता हूं। अभी मैं आगे फिगर दूंगा कि जहां हमको वहां से सहायता मिलती थी, जहां हमको लोन मिलता था। जहां हमको वहां से ग्रांट मिलती थी। उस सबमें भारी कमी हुई है। और उसके बावजूद हमारी योजना का आकार बढ़ा है। कितना बढ़ा है, यह अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा , परन्तु यह देखने की बात है कि 2450 करोड़ के अन्दर भारत सरकार से केन्द्रीय अनुदान जो मिलता था 492 करोड़ रुपया वह आज 3200 करोड़ के अन्दर केवल मात्र 241 करोड़ रह गया है।

यह बात बहुत सोचने से ताल्लुक रखती है। केन्द्र से कम अनुदान मिलने के कारण से हम अपने आकार को तो घटा नहीं सकते , क्योंकि जनता के प्रति कमिटेड थे, हमने जनता से कहा था कि आपके इतने अस्पताल खोलेंगे, आपके इतनी स्कूल खोलेंगे, आपकी इतनी सड़कें बनाएंगे, आपके लिये इतना सारा का सारा विकास का कार्य करेंगे। हमने अपना एक दृढ़ निश्चय करके तय किया था कि हम अपनी योजना को इस प्रकार से बड़ी बनाने वाले हैं। जब योजना है तो उसके लिये नेचूरली फिर लोन तो लेना ही पड़ेगा और ऋण लिया जाएगा तो उसकी ब्याज की अदायगी बढ़ेगी और ब्याज की अदायगी बढ़ेगी, डेफिसिट फाइनेंसिग की बात करते हैं, वित्तीय कोष घाटे की बात करते हैं वह क्यों बढ़ता है , इसका मैं आगे आपसे निवेदन करूंगा। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि जहां हमको इस सारे चक्कर के कारण से 1994-95 के अन्दर ब्याज का 1035 करोड़ रुपया देना था वहां वर्ष 1995-96 के अन्दर 1240 करोड़ रुपये हो गये। 205 करोड़ बढ़ गया। यदि हमको दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों से पहले जो सहायता मिलती थी, जो हमको अनुदान मिलता था, जो हमको ग्रांट मिलती थी उसके अन्दर कमी के कारण से ऋण लिया और ऋण लिया तो ब्याज की हमको अदायगी ज्यादा देनी पड़ी।

अभी कल-परसों का ही जिक्र है, हमारे सामने ही आया था, भारत सरकार ने कहा कि बाद के अन्दर हम इतना रुपया देंगे। कह दिया उसके बाद में 21 भी करोड़ रुपये नहीं दिये। आज तक वह 21 करोड़ रुपये नहीं आये।

सभापति महोदया, राजस्व व्यय बढ़ा है, परन्तु किन चीजों पर बढ़ा है। मैंने थोड़ी देर पहले अपसे कहा था कि यदि अपव्यय पर बढ़ा है, तो हमको सतर्क होना चाहिये, हमको देखना चाहिये। पर राजस्व व्यय किस चीज में बढ़ा है कि जहां 1990-91 के अन्दर राजस्थान सरकार शिक्षा, खेल-कूद के अन्दर

(श्री रमाकान्त शर्मा)

808 करोड़ खर्च करती थी वहां 1995-96 के अन्दर 1689 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जो डबल हो गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखा है, शिक्षा और संस्कृति का ख्याल रखा है, शिक्षा और खेल-कूद का ख्याल रखा है, 808 करोड़ रुपये से 1689 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। चिकित्सा के अंदर जहां राजस्व व्यय 1990-91 के अन्दर 250 करोड़ रुपया हुआ करता था वहां 1995-96 के अन्दर 509 करोड़ रुपया हो गया। हमने चिकित्सा अलोन के अन्दर 250 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च किया है। छोटी-मोटी रकम नहीं होती है 250 करोड़ रुपये। पेयजल के अन्दर जहां 178.63 करोड़ था 1990-91 के अन्दर वह 1995-96 के अन्दर 402.81 खर्च किया है, आलमोस्ट ढाई गुना। तो जहां हम शिक्षा के बारे में चिन्ता करें, जहां चिकित्सा के बारे में चिन्ता करें, जहां पेयजल के बारे में चिन्ता करें और जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं हमारे गांवों के लोगों की, हमारी जनता की, हमारे प्रदेश की और उसके अन्दर हम दुगना-दुगना जब खर्च करें और उसके बाद में फिर यह बात कही जाए कि राजस्व व्यय बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि यह जनता के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है।

अभी कहा गया कि हमारा जो जीडीपी. है, स्टेट जीडीपी. का जो हमारा एक्सपेंडीचर है, फिस्कल डेफिसिट है। यह सही बात है कि फिस्कल डेफिसिट का जीडीपी. के साथ में एक रिलेशनशिप है और वह रिलेशनशिप इसलिये कायम किया गया है कि सारे संसार में है रिलेशनशिप और उस रिलेशनशिप से आपकी इनफ्लेशन सम्बन्धित होती है। एक प्रकार का इनफ्लेशन के अन्दर वह फैक्टर है और साथ-साथ जो भाव बढ़ते हैं बाजार के अन्दर वस्तुओं के उसका भी वह फैक्टर है। हमारी सारी की सारी परिसम्पत्तियों का निर्माण और हमारा जो आर्थिक क्लाइमेट बनता है, ग्रोथ रेट, उन सबका एक फैक्टर है इसलिये यह रखा गया है। सारे संसार के अन्दर एक नियम है जो भी आपका जीडीपी. हो उसका 5 पर्सेंट से ज्यादा आपका राजकीय कोष घाटा, जिसे फिस्कल डेफिसिट करते हैं, वह नहीं होना चाहिये।

सभापति महोदय, हमारा 1994-95 का बताया, इन्होंने मुंह से तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, मेरे पास में कापी रखी हुई है। पिछली बार वाद-विवाद के अन्दर उन्होंने 11 पर्सेंट फरमाया था। बड़ी कृपा की आज 11 पर्सेंट पर उन्होंने साढ़े नौ पर्सेंट कर दिया कि साढ़े नौ पर्सेंट हुआ है। सच बात तो यह है कि हमारा जो राजकीय कोष घाटा है वह 1994-95 के अन्दर केवल मात्र 5.10 पर्सेंट था जीडीपी. का सकल घरेलू उत्पादन का, जो फिस्कल डेफिसिट है वह 1994-95 के अन्दर राजस्थान का 5.10 था और अब हो गया 1996-97 के अन्दर 5.79, 5.10, 5.79 पर इसके खिलाफ के अन्दर भारत सरकार को देखें, राज्य सरकार का जीडीपी. से जो फिस्कल डेफिसिट का सम्बन्ध है वह निश्चय ही राज्य के इनफ्लेशन से सम्बन्धित है, पर इतना नहीं। भारत सरकार का जो सम्बन्ध है, भारत सरकार का सकल घरेलू उत्पादन का और जो फिस्कल डेफिसिट है वह अत्यन्त परमानेंट, बहुत महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है उसके ऊपर सारे के सारे हिन्दुस्तान की जो वित्तीय घटत या बढ़त है, जो भी कुछ है वह उसके ऊपर आधारित है। उनकी हालत देखिये

(श्री रमाकान्त शर्मा)

आप, 1994-95 के अन्दर 6.1 पर्सेंट था, सकल घरेलू उत्पादन का जो भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट है वह 1994-95 के अन्दर 6.1 पर्सेंट था, 1995-96 के अंदर 5.9 पर्सेंट था जो वास्तव में सम्बन्ध रखता है भारत सरकार का उसकी तो यह स्थिति है और हमारी पार्टली जो बड़ी फीवली सम्बन्ध रखता है।

उसके अन्दर 5.10 पर्सेंट है और फिर इतनी बात कही जाए कि फिस्कल, वास्तव में बजट के बारे में बजट घाटा कोई मायना नहीं रखता है, राजस्व घाटा कोई मायना नहीं रखता है, मायना तो फिस्कल घाटा रखता है। हम भी जानते हैं कि फिस्कल घाटा रखता है। परन्तु फिस्कल घाटा भी हमारी जो वित्तीय शक्ति हमारी आर्थिक विकास की शक्ति, हमारी क्रेडिबलिटी, हमारा सारी की सारी विकास का कार्यक्रम है, हमारी जो योजनाएं हैं उन सब से उसका सम्बन्ध है। सभापति महोदया, साधारण आदमी यदि कोई एक करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट लगाता है तो वह राजस्थान वित्त निगम हो, चाहे बैंक हो, चाहे रीको हो वे 1X1.5 पर्सेंट का रेश्यो रखते हैं अर्थात् वह अपना पैसा यदि 100 रुपये लगाएगा तो उसको कर्जा, 150 रुपये मिलेगा, एक लाख लगायेगा तो डेढ़ लाख मिलेगा, परन्तु यदि 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 1X2 हो जाता है। एक लाख आप लगाएंगे तो रीको आपको दो लाख देगा, यदि आप दो हजार करोड़ का प्रोजेक्ट लगाएंगे, आप कोई स्टील मिल लगाने जा रहे हैं, कोई पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं तो संसार भर की वित्तीय संस्थाएं आपका जो रेश्यो है वह 1 X 4 , 1 X 5 तक पहुंचा देते हैं। आप एक हजार करोड़ लगाएंगे तो वह आपको 5 हजार करोड़ का कर्जा देंगे। आकार के हिसाब से लोन मिलता है। आपका आकार क्या है उस आकार पर आपको लोन मिलता है। यदि राजस्थान सरकार का वित्तीय आकार बढ़ रहा है आर्थिक प्रगति बढ़ रही है जो दूसरे प्रदेशों के मुकाबले, जहां पहले 12 वें स्थान पर था आज चौथे स्थान पर आ गया है। तो उसके अन्दर हमारी लोन लेने की है। जो कैपेसिटी है वह बढ़ रही है और लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ रही है तो टाइम बिइंग आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वह बढ़ेगा। परन्तु सुदूर भविष्य के अन्दर आज का जो फिस्कल डेफिसिट है वह आपके लिये बड़े रिटर्न का एक द्योतक है और उसके अन्दर आपकी टैक्स रेवेन्यू जो आने वाली है आज के फिस्कल डेफिसिट आज से 5 साल के अन्दर, उस समय राजस्थान अपनी एक वित्तीय भविष्य की कल्पना कर सकता है। यह कल्पना साधारण लोग नहीं कर पाते और केवल मात्र खिलाफत करने के लिये खिलाफत की बात कह देते हैं।

राजस्थान सरकार का भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 1995-96 के अन्दर जो फिस्कल डेफिसिट था वह 19.92 था और 1996-97 में 20.76 कुल बजट का पर्सेंटेज है और यदि इसी अवधि के अन्दर भारत सरकार का देखें तो वही फिस्कल डेफिसिट बात है और उनके लिये फिस्कल डेफिसिट बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हिन्दुस्तान का फिस्कल डेफिसिट होता है यह बात तो दोनों के लिये कामन है कि फिस्कल डेफिसिट से आगे भविष्य का निर्माण होता है, भविष्य के अन्दर रिटर्न की एक आशा बनती है परन्तु एट द सेम

(134)

(श्री रमाकान्त शर्मा)

टाइम फिस्कल डेफिसिट से हमारी कीमतों में जो वृद्धि होती है बाजार के अन्दर, कीमतों में वृद्धि पर भी असर होता है। मैं दुबारा कह रहा हूं कि वहां के फिस्कल डेफिसिट की कीमतें बहुत ज्यादा शूट-अप करती हैं एक स्टेट को फिस्कल डेफिसिट से असर तो पड़ता है पर इतना असर नहीं पड़ता है। उनका 1995-96 के अंदर 34.98 प्रतिशत, हमारे 19.12 प्रतिशत के कम्पेरीजन में था। 1996-97 में 20.76 प्रतिशत के मुकाबले में 30.39 प्रतिशत है। कहां का वित्तीय प्रबंध अच्छा है, राजस्थान सरकार का या भारत सरकार का ? यह साफ देखने की बात है कि भारत सरकार का यह इम्पोर्टेड फैक्टर है, राजस्थान सरकार का इतना इम्पोर्टेड नहीं है, नीचे की म्युनिसिपैलिटी के लिये और भी कम इम्पोर्टेड है।

माननीय सभापति महोदय, फिस्कल घाटे के बारे में एक और निवेदन करना चाहूंगा। हम लोग जो ऋण लेते हैं उस ऋण का रिफ्लेक्शन है, वही ऋण एक तरीके से फिस्कल घाटे में प्रदर्शित होता है। उसका मेन फैक्टर लायबिलिटी है, यानी हमने ऋण कितना लिया है। ऋण लेकर के "ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत" मौज मस्ती कर रहे हैं, आनन्द कर रहे हैं तब तो नुकसान का सौदा है, उसके ऊपर नजर होनी चाहिये। लेकिन यदि हमारा फिस्कल घाटा हमारी परिसम्पत्तियों में लगता है, यदि हमारे यहां विनियोजन होता है, ऐसे कामों में लगता है जिनका भविष्य में रिटर्न मिलने वाला है तो उसकी तारीफ होनी चाहिये।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में 1994-95 में पूंजी खाते का 60.17 प्रतिशत पूंजी निर्माण में खर्च हुआ है।

श्री रामनारायण चौधरी : इजराइल और थाइलैंड से कितना धन आया ?

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय वह भी बता दूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिये। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि 1994-95 के राज कोषीय घाटे में 1762.73 करोड़ रुपयों में से 60.17 प्रतिशत हमारे पूंजी खाते में लगा है। 15.73 हमने को-आपरेटिव संस्थाओं और अन्य संस्थाओं को ऋण दिया है जिनमें किसी न किसी प्रकार का विनियोजन हुआ है। 15.73 और 60.7, यदि 77 प्रतिशत आपका एक प्रकार से भविष्य में पूंजी निर्माण के लिये खर्च होता है और फिस्कल डेफिसिट की चर्चा की जाती है तो मैं समझता हूं कि यह हमारे दिमाग की दरिद्रता है और इसमें बढ़ोतरी है 1995-96 में राजस्थान सरकार का राजकोषीय घाटा 2476.10 था इनमें से पूंजीगत व्यय 1789.52 था, जो होता है 72.27 प्रतिशत। इसे केवल मात्र पूंजी खाते में व्यय किया है। इसके साथ साथ हमने 139 करोड़ रुपये दूसरी संस्थाओं को ऋण दिया है, प्राइवेट संस्थाओं को नहीं निगमों और को-ऑपरेटिव सोसायटीज को दिया है। इस प्रकार से 1996-97 में फिस्कल घाटे की उम्मीद 2372 करोड़ की है उसमें 70.24 खर्च कर लिये हैं पूंजी खाते में। जब हमारा वित्तीय प्रबन्ध इतना अच्छा हो उसके बावजूद वित्तीय घाटे को लेकर सर्व साधारण को डराया जाए तो मैं समझता हूं कि जो एक अच्छा क्लाइमेट राजस्थान का बनने वाला है, हिन्दुस्तान में सारे के सारे लोग कहते हैं कि राजस्थान

(श्री रमाकान्त शर्मा)

का वित्तीय प्रबन्ध-सुप्रबन्ध हैं और उसकी नकल के लिये तैयार है। हिन्दुस्तान के सारे के सारे प्रदेश पूछ रहे हैं कि यहां इतना अच्छा वित्तीय प्रबन्ध कैसे किया जा रहा है और उसके बारे में यहां यह कहा जाये कि इसमें गड़बड़ी हो रही है बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, राज कोष खर्च हो रहा है।

सभापति महोदया, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो योजनागत विनियोजन है उस पर आज के संदर्भ में मुझे कहना पड़ रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना, पांचवीं पंचवर्षीय योजना से 139 प्रतिशत अधिक थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना छठी पंचवर्षीय योजना से केवल 48 प्रतिशत अधिक थी, परंतु आठवीं पंचवर्षीय योजना जो इस सरकार ने बनायी है, उसकी क्रियान्विति कर दी है, केवल मात्र यूटोपिया नहीं है, किताबी चीज नहीं है। आठवीं योजना करीब-करीब समाप्ति पर आ चुकी है वह हमने 283 प्रतिशत अधिक बनायी है, हिन्दुस्तान में कहीं नहीं बनी है। प्रति व्यक्ति योजनागत व्यय अच्छे-अच्छे प्रदेशों का तमिलनाडु जो मालदार प्रदेश गिना जाता है 573 रुपये है, उत्तर प्रदेश में 410 रुपये है, पश्चिम बंगाल में 503 रुपये है, उन सबके मुकाबले राजस्थान में 727 रुपये हुआ है। 727 रुपये प्रति व्यक्ति योजनागत व्यय हो, योजना कार्य पूरा हो चुका है। केवल मात्र एस्टीमेट नहीं है।

यह बड़ी कल्पना है और उसके बाद में इतना बड़ा जम्प लगाया जाए। लोगों में कि भारत सरकार ने 2553 करोड़ रुपये की योजना बना दी इसमें भारत सरकार से बहुत पैसा आ गया होगा, भारत सरकार 1980-85 में जितना प्रतिशत पैसा देती थी या 1975-80 में जितना प्रतिशत देती थी वह सिर्फ आधा पर्सेंटेज रह गया है।

श्री रामनारायण चौधरी : फिर कहां से ले आये ये सब पैसे जब भारत सरकार ने नहीं दिये तो ?

श्री रमाकान्त शर्मा : यह रिजर्व बैंक के आंकड़ें हैं, आप लेंगे तो मैं दे दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : कहां से आ गये, खाचरियावास से आ गये क्या ?

श्री रमाकान्त शर्मा : कहां से आया, वित्तीय प्रबन्ध बताया न आपको। राजस्व आय बतायी, सारे आंकड़े तो दे दिये। सारी रामायण कहने के बाद आप पूछ रहे हैं कि सीता कौन थी। एक और निवेदन करना चाहता हूं, इससे प्रतीत होता है कि राजस्थान की एफिसिएंशी क्या है। पिछले 45 सालों में एक साल भी ऐसा नहीं है जिसमें जितने की योजना बनायी उतने ही रुपये खर्च हुए हो। हमेशा योजना के अन्तर्गत् बचत होती रही है। हमने वह जमाना देखा है जब यह कहा जाता था-

श्री रामनारायण चौधरी : आपने दूसरी राजस्थान कैनाल और पेरेलल बना दी।

श्री रमाकान्त शर्मा : बिराजिये। परंतु यह पहली दफा होगा जब आठवीं पंचवर्षीय योजना में चार सौ करोड़ रुपये की योजना के एस्टीमेट से ज्यादा खर्च होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : यह भारत सरकार की योजना का ही भाग है, आपका कुछ नहीं है।

श्री पूनमचंद विश्नोई (फलौदी) : पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य सदा कहते रहते हैं कि 68 करोड़ रुपये में बननी थी और 12 साल में बननी थी हुजूर, हम तो बेवकूफ थे जो नहीं बना सके लेकिन आप ऐसा क्यों करते हो ? दो सौ करोड़ रुपये और लेकर पूरी कर दो। आपने सात साल अब राज में बिता दिये तो सात साल में आपने कितनी प्रगति कर दी। वे कहते हैं इसलिये मैं कह रहा हूं और मेरा कोई मतलब नहीं है। 68 करोड़ की थी और 12 साल में बननी थी, उसमें 16 करोड़ सात साल तो आपने राज किया है चार-पांच सौ करोड़ का नहीं तो, 70-80 करोड़ रुपये का बजट तो हर साल ही होता है फिर आपके यहां क्या हो रहा है ?

श्री रामनारायण चौधरी : कल कह रहे थे बाढ़ की वजह से जो लिफ्ट योजना जोधपुर में आ रही थी वह भी 2-3 साल पिछड़ गयी है।

श्री जगदीप धनखड़ : दो-तीन साल नहीं, पता नहीं कितने साल।

श्री रामनारायण चौधरी : आप तीसरी बार मुख्य मंत्री बने, चौथी बार बनेंगे या नहीं इसका पता नहीं। आप कोई ऐसा निशान छोड़ों जिससे लोग यह कह सके कि यह चीज श्री भैरोंसिंह जी के जमाने में बनी थी। राजस्थान कैनाल को आप पूरा नहीं कर सके। उसके पेरेलल आप कोई अन्य योजना चालू नहीं कर सके। क्या किया है आपने ? पुरानी गाथा गा रहे हैं। कहते हैं कि हमने योजना का यह प्लान बना दिया यह तो भारत सरकार की प्लानिंग है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का पार्ट है, इसमें आपकी क्या शेखी है ?..(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : सफेद टोपी लगाने के बाद हिसाब-किताब ज्यादा बढ़ा है, यह मुझे मालूम पड़ गया है।

श्री रमाकान्त शर्मा : सभापति महोदया, माननीय सदस्य यह थोड़ा सा भूल जाते हैं कि यह पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के अन्दर हमने राजस्थान के सर्वांगीण विकास की बात की है। ऐसा नहीं किया है कि सारा का सारा पैसा एक इर्रिगेशन में ही चला जाए, इन्दिरा गांधी कैनाल में ही चला जाए और स्कूल खुलें नहीं, कहीं पर मास्टर लगे नहीं, कहीं पर पेयजल की बात ही नहीं। सोचा यह गया है कि किसानों को भी लाभ मिले, मजदूरों को भी लाभ मिले, गरीब को भी लाभ मिले, गांव के आदमी को भी लाभ मिले, महिलाओं को भी लाभ मिले और प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले। यह है योजना भारतीय जनता पार्टी की। इसलिये उस योजना के तहत हम हैप्हेजर्ड प्लानिंग करें कि हम कोई दस साल में, पांच साल में योजना बनाने वाले हैं और हम उसी में सारा पैसा लगा दें। इससे देश की, इससे प्रान्त की प्रगति सिस्टेमेटिक तरीके से, गतिमान तरीके से आगे बढ़े उसको रोक दें यह मैं समझता हूं कि अच्छा वित्तीय प्रबंध नहीं है। इसलिये ठीक है आपके ख्याल के अन्दर, इसी तरीके से पिछले 45 साल में जो योजना चलती रही..

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय सभापति महोदया, रामनारायणजी चौधरी ने मेरी तरफ इशारा करके जो बात कही और वह भी बैठे-बैठे मुझे शर्म आती है उसे रिपीट करते हुए और मैं क्षमा चाहता हूं कि आयन्दा ऐसी बात नहीं करें। धन्यवाद।..(व्यवधान)..

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी ? (व्यवधान)

श्री सभापति : शांति रखें।

श्री रमाकान्त शर्मा : सभापति महोदया, प्लान के लिये जो सैंट्रल सपोर्ट आता है उसके चार हिस्से होते हैं। हम मार्केट से उनकी इजाजत से बोराइंग करते हैं। हर साल योजना आयोग बताता है कि इतना आप मार्केट से बोराइंग कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ सर्टेन नेगोशियेटेड लोन होते हैं। इसी प्रकार से प्लान के अन्दर जो डेफिसिट की ग्रांट होती है कि जो मैंने बताया कि अब घटाते चले गये हैं बहुत ज्यादा। इस तरह से कुछ सैंट्रल असिस्टेंस होती है जिसके अंदर 70 पर्सेंट लोन होता है और 30 पर्सेंट ग्रांट होती है। इसी प्रकार से एक्सटरनल प्रोजेक्ट्स होते हैं और सैंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम होती है। यह सारी की सारी जो हमारी योजनाएं है उसका पार्ट बनती है। मैं यह सारी बात इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि भारत सरकार ने जहां 1990-91 के अंदर जो कुछ सैंटर सपोर्ट देती थी वह सैंट्रल सपोर्ट 72.02 पर्सेंट थी जो 1995-96 में घटकर 43.13 हो गयी। सैंट्रल सपोर्ट तो 43.13 हो गया और हमारी योजना का आकार 3200 करोड़ हो गया। यह देखने की बात है। इससे ज्यादा वित्तीय प्रबंध दूसरा बढ़िया इंडिकेशन नहीं हो सकता।

सभापति महोदया, यह तो मैंने कुछ आपको आंकड़े दिये हैं, परन्तु मैं केवल मात्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से रूरल डवलपमैंट, शिक्षा, रूरल हैल्थ, एम्पलायमैंट जनेरशन, इन सब के अंदर जो हमने इन सालों में गांव-गांव के अन्दर जो कार्य किये हैं मैं समझता हूं कि लोग आंख मींचकर किसी भी गांव के अन्दर निकल जाएं पूरे राजस्थान के अन्दर और चाहे वह सड़कों का मामला हो, चाहे वह अस्पताल का मामला हो, तो पता चल जाएगा कि यहां पर काम चल रहे हैं। यहां पर पहले कच्ची डंडी थी आज यहां पर सड़क है। आज ऐसा कोई गांव नहीं है पूरे राजस्थान के अन्दर कि जिस में किसी न किसी प्रकार का डवलपमैंट का, विकास का काम नहीं चल रहा हो और फिर यह लोग कहते हैं कि हमने यह कर दिया था, हमने वह कर दिया था। बड़े दुःख की बात है कि अलवर...

श्री कुबेर खान : आप मीटिंग में तो यह कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है।

श्री रमाकान्त शर्मा : विराजो। विराजो। माननीय सदस्य जो भीलवाड़ा से आये हैं, भीलवाड़ा के अन्दर, 25 साल पहले शायद मैं वहां कलक्टर था, 25 साल पहले भी एक लाख मजदूर लगते थे और अब भी एक लाख मजदूर लगे हैं वहां। अब की बार पचास हजार सही...

श्री रतनलाल ताम्बी : कहां लगे। आंकड़े देखिये।

श्री रमाकान्त शर्मा : फिर भी आपका पेट नहीं भरा। हमारे अलवर में तो 5 हजार लगते हैं और अलवर आपसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। पर हम उससे भी खुश हैं। क्योंकि सही काम हो रहे हैं वहां पर जो भी काम हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बातचीत नहीं करें। डिबेट में आपस में बात नहीं करें। आसन की ओर देखकर बात करें और बिना अनुमति नहीं बोलें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप इतना डांटकर क्यों बोल रही हैं ?

श्री सभापति : मैं प्यार से कह रही हूं।

श्री रमाकान्त शर्मा : अब मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं आपसे यह और निवेदन कर रहा था कि जहां एक ओर विकास की बात है, जहां हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्दर हम दूसरे देशों के मुकाबले बहुत आगे आ गये हैं, हमारा पूंजीगत विनियोजन जो बाहर के देशों से और वाहर के लोगों से हो रहा है उसके अन्दर बहुत बड़ा क्वेंटम जम्प लगाया है। वहीं हम देश के किसानों को भी नहीं भूले हैं। उनके ऋण माफ किये हैं, उनकी तकावी माफ की है, उनका जो लैंड रेवेन्यू होता है वह माफ किया है। यहां तक कि जो सिंचित भूमि है, जो भी मार्जिनल फार्मर्स हैं और छोटे फार्मर्स हैं उनका भी माफ किया है। तो केवल सेल्स टैक्स के अन्दर ही कंसेशंस नहीं दिये हैं बल्कि किसानों को भी कंसेशंस दिया है और उसके बाद के अन्दर जो वित्तीय प्रबंध चल रहा है, वित्तीय प्रगति चल रही है, मैं समझता हूं कि किसी के पास भी किसी प्रकार का क्रिटिसाइज करने के लिये कोई मसाला नहीं हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बात बिजली की आ गयी थी इसलिये मैं एक शब्द बिजली की बात कहकर समाप्त करूंगा क्योंकि मुझे भी घड़ी दिखाई दे रही है।

सभापति महोदया, बिजली के लिये कहा है कि हमने 930 तक इतनी जनरेट कर दी थी, इतनी ज्यादा कर दी थी। यह क्यों भूल जाते हैं कि हमने बिजली बनाने के लिये, जिस समय के अन्दर पावर हाउस की स्वीकृति लेनी चाही तो कांग्रेस की भारत सरकार ने स्वीकृति नहीं दी । 962 तक। 1990 से 1992 तक ढाई वर्ष का समय बरबाद कर दिया और यदि वह ढाई वर्ष के अन्दर स्वीकृति मिल गयी होती तो हम बता देते कि जो आपने 25 वर्ष में किया है वह हम ढाई वर्ष में कर सकते हैं।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदया, एक जानकारी के लिये पूछना चाहता हूं कि कौन से पावर हाउस की स्वीकृति नहीं मिली ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजें। आपकी जानकारी नहीं चाहिये।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं किसी के बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। किसी के भी बीच में नहीं बोला। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि मैं कभी नहीं बोलता हूं बीच में फिर आप क्यों बोलते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : बोलना आता ही नहीं है।

श्री रमाकान्त शर्मा : हां, नहीं आता है बोलना।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शांति रखें।

श्री रमाकान्त शर्मा : केवल मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हमारा प्रयास है कि हम डीजल से बिजली बनाए, नेफ्था से बिजली बनाने की बात है, कोयले से बनाएंगे, भूरे कोयले से, लिग्नाइट से बनाएंगे, परन्तु जो काम सौर ऊर्जा का चल रहा है राजस्थान के अन्दर उसके लिये राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को आज सिर ऊंचा कर लेना चाहिये कि संसार भर के अन्दर इस प्रकार का कहीं प्रयोग नहीं चल रहा है जो कि

(श्री रमाकान्त शर्मा)

जैसलमेर और बाड़मेर के अन्दर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा यदि कहीं पर पावर हाउस है तो 12 मेगावाट का पावर हाउस है और 50 मेगावाट का पहला प्रयोग करने जा रहे हैं। आज अमेरिका के अन्दर जगह-जगह पर यदि कहीं चर्चा है तो राजस्थान की ही चर्चा है। यह चर्चा है कि राजस्थान के अन्दर एक ऐसी जगह है जहां सोलर एनर्जी की इन्टेन्सिटी सबसे ज्यादा है और यह हमारे लिए एक बहुत बड़े चैलेंज की बात है और हमें प्रसन्न होना चाहिये। यह सारा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि कितने मेगावाट कब बन जाएगी, कितने मेगावाट कहां बन जाएगी, यह सारा का सारा तो बाद में बताया जाएगा। आपने मुझे समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रश्न पूछिये मैं सारे का जवाब दूंगा।

श्री सभापति : श्री चेनाराम जी (अनुपस्थित)। श्री जगदीप जी धनखड़।

श्री रमाकान्त शर्मा : सोलर से बिजली अवश्य बनेगी, बन रही है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : मैडम, चेनाराम जी नहीं है तो दूसरे को बुलवा लीजिये। हमारा नम्बर है।

श्री सभापति : अब उनका नाम पुकार लिया है।

श्री रमाकान्त शर्मा : दुनिया में जो इन्टेन्सिटी नहीं है, जो हमारे यहीं है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदया, पिछले पांच वर्षों में देश के हालात बहुत सुधरे हैं। आर्थिक स्थिति जो देश की 1990 में थी उसमें बड़ा इम्प्रूवमेंट है। हमारे फारेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े हैं, इन्फ्लेशन की रेट कम आयी है और देश में एक नयी संस्कृति इकानामिक लिब्रेलाइजेशन की चालू की गयी पूरे देश में इसका असर अच्छा हुआ है। पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि राजस्थान में राजस्थान की सरकार इसका फायदा नहीं उठा पायी। उसका नतीजा यह है कि केन्द्र का जो इतना बढ़िया योगदान रहा उसका फायदा राजस्थान की जनता को नहीं मिल पाया। यहां पर एक संस्कृति की शुरूआत कर दी गयी कि 1985 से 1990 तक के आंकड़े तो यह है और उसके बाद के आंकड़ों को देखें कि कितना भारी जम्प आ गया है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहलवाया गया कि 1980 से 1985 में वैरियस आइटम्स में अचीवमेंट यह था और अचीवमेंट कई गुना हो गया।

माननीय सभापति महोदया, जब इनके वित्तीय प्रबन्ध की जांच कोई एजेंसी करती है, तो स्थिति बिलकुल दूसरी सामने आती है। हाल ही में कल सी.ए.जी. की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गयी। इसका जब मैंने अध्ययन किया तो इसमें लिखा हुआ है -"It relates mainly to the matters arising from Appropriation Accounts for the year 1994-95."

आपकी ताजा गतिविधियों के बारे में विवरण है। मैं समझता हूं कि इसमें जो विश्लेषण किया गया है उसको आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें विश्लेषण यह है कि राजस्थान में के जो असैट्स है, उस ईयर की बात कर रहा हूं, 10,671.36 करोड़ एट द

(श्री जगदीप धनखड़)

एण्ड ऑफ 1994-95 और लाइबिलीटीज क्या है ? लाइबिलिटीज है 11,868.24 करोड़। मतलब आपके टोटल असैट्स हैं वह लाइबिलिटीज के मुकाबले कितने कम हैं इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। माननीय सभापति महोदया, इससे भी ज्यादा चिन्ता का विषय क्या है जो हम ट्रैंड रिफलेक्ट कर रहे हैं वह ट्रैंड्स सी. ए.जी. के अनुसार क्या हैं, असैट्स की जो ग्रोथ है वह 73 पर्सेंट है एट द एण्ड आफ 1994-95 और जो लाइबिलिटीज है, this is at the level of 1990-91, liabilities have grown by 80 per cent. सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन से राजस्थान की जतना को एक बात बताना चाहता हूं। यदि अगर राजस्थान की जनता को कहीं पर धक्का लग सकता है तो उसमें भी इनकी स्पीड बड़ी तेज मिलेगी जैसे लाइबिलिटीज़ हैं या ऐसा खर्चा है जो फालतू है।

माननीय सभापति महोदया, रेवेन्यू एक्सपैंडीचर 1994-95 में इनका 6746.48 करोड़ था और रेवेन्यू रिसीट्स थी 6321.73 करोड़। 1990-95 के दौरान इनकी जो रेवेन्यू रिसीट्स की ग्रोथ थी वह तो 23 पर्सेंट थी और रेवेन्यू एक्सपैंडीचर भागता गया, जैसे लाइबिलिटीज की रफ्तार असैट्स के मुकाबले तेज हुई और वह है 94 पर्सेंट। माननीय सभापति महोदया, सी.ए.जी. के हिसाब से, वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री बैद जी ने बड़े विस्तार से आंकड़ों के बारे बताया पर सी.ए.जी. ने जो कहा है - "The debt and other obligations of State increased by 73% from 5,888.42 crore in 1990-91 to 10,198.10 crore." अब ताजा स्थिति देखेंगे तो जितना 33 साल में कांग्रेस की सरकार ने कर्जा इकट्ठा कर - करके किया था उतना कर्जा इस सी.ए.जी. की रिपोर्ट से लेकर अब तक उतना 5-6 हजार करोड़ का बढ़ा दिया गया है। यह इनकी लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स है। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है और जिसका अंदाजा एक निष्पक्ष एजेंसी ने लगाया है। This is Report to be submitted under the constitution to the Hon'ble Governor तब यह विधान सभा के समक्ष आयी है। इसमें जो राजस्थान की जनता का धन है उसमें आपका क्या अचीवमेंट है वह देखिये -"Government investment in share capital and debentures of various statutory corporations," सभापति महोदया, 1994-95 के अंत में 1,254.72 करोड़ था।

कोई आदमी 100 रुपये कहीं लगाता है तो सोचता है कि साल के आखिर में दो रुपये मिलेंगे, पांच रुपये मिलेंगे, 10 रुपये मिलेंगे, फिर अच्छा रिटर्न है तो 15 रुपये मिलेंगे, 20 रुपये मिलेंगे। पर यह राजस्थान की जनता का जो सरकार ने गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 1200 करोड़ से ज्यादा, उसका रिटर्न क्या आया ? उसका रिटर्न आया 0.07 पर्सेंट। सभापति महोदया, बोलते हुए भी कष्ट हो रहा है। जहां 15 पर्सेंट होना चाहिये था वह एक पर्सेंट भी नहीं है, 0.1 पर्सेंट भी नहीं है, 0.07 पर्सेंट है। ऐसी भयानक स्थिति क्यों हुई ? क्या यह कुशल वित्तीय प्रबन्ध है ? यही स्थिति नहीं है सभापति महोदया, अब आप आगे देखिये, जो 32 कम्पनी स्टेटच्यूटरी

(श्री जगदीप धनखड़)

कारपोरेशंस हैं जिनमें सरकार ने लगा रखा है 733.60 करोड़ रुपये और इन 32 कम्पनीज में एक्युमुलेटेड लोसेज कितने हैं ? 759.22 करोड़। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है 733 करोड़ का, वह तो गया और जाने के बाद एक्स्ट्रा है। माननीय सभापति महोदया, यह स्थिति इसलिये हैं कि सब्जी के चाकू से अगर बाई-पास सर्जरी करेंगे तो मैं समझता हूं कि दुष्परिणाम तो निकलेंगे ही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जोर से बोलें।

श्री जगदीप धनखड़ : घनश्याम जी, मैं बात बहुत संजीदगी से कर रहा था कि सब्जी काटने के चाकू का उपयोग यदि आप आपरेशन टेबल पर करेंगे तो दुष्परिणाम निकलेंगे और डाक्टर अगर आर.एम.पी. है तो आपका बचाव हो ही नहीं सकता। मेरा दावा है कि पूरे देश में यदि राजस्थान की जनता किसी चीज की प्राइड ले सकती है तो हमारी ब्यूरोक्रेसी, पर ब्यूरोक्रेसी करे क्या ? आवश्यकता है पोलिटिकल नियंत्रण की। वह पोलिटिकल नियंत्रण एक आदमी का नहीं हो सकता, वह पोलिटिकल नियंत्रण होगा इस विधान सभा का और यहां अकांउटेबिलिटी है काउंसिल आफ मिनिस्टर्स की। पर यदि मंत्रीगण के पास ही कोई अधिकार नहीं है और वह ही यह कहें कि हमारा तो नियंत्रण कहीं है ही नहीं, तो फिर ब्यूरोक्रेसी का घोड़ा बहुत तेज चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको किस मंत्री ने कह दिया कि मेरा नहीं है ?

श्री शिवनाथ सिंह : यह कौन कहता है कि मेरा है ?

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, अनुभव के आधार पर नहीं कहूंगा। माननीय सभापति महोदया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जो कुछ हमने कहा है या जो कुछ लिखा है उसको ऐसा का ऐसा पढ़ सकते हैं आप, इसमें कोई आपत्ति नहीं हैं। वह विद्वान हैं, विचारक हैं, उनकी बात की इज्जत करता हूं और उसी की अनुपालना में यह लिखा है —

"The party workers were unhappy with the Government's performance and there was lot of resentment in the Council of Minister against Mr. Shekhawat's style of functioning mainly because they felt marginalised as the Chief Minister was in the habit of dealing with senior bureaucrats directly by passing the ministers concerned."

आगे लिखा है —

"As a result, the party workers feel ignored. In a democracy, it is, in fact, the party which should rule instead of individuals or bureaucracy."

आगे लिखा है, बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। यह किसी के विचार नहीं है, यह डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा है। यह एक इंटरव्यू दिया इन्होंने, in an exclusive interview with Sudhanshu Mishra. आब्जर्वर में यह 24 जून, 1996 को प्रकाशित हुआ है। मैंने पूरी जानकारी करने की चेष्टा की कि विद्वान आदमी हैं उन्होंने

(श्री जगदीप धनखड़)

पढ़कर जरूर, यदि अगर रिजर्वेशन होंगे या इसके बारे में कोई ऐसी बात छप गयी जिसमें he doesn't subscribe to it. वे निश्चित रूप से कहेंगे , ऐसा नहीं कहा, I checked it with the library. We have very efficient service here.

तो सभापति महोदया, यह वित्तीय प्रबन्ध की बात तो छोड़िये। मंत्रियों का क्या हाल है? वरिष्ठ मंत्री हैं, केपेबल मंत्री है, अनुभवी मंत्री हैं, मुख्य मंत्री बनने की लाइन में लगे हुए हैं। एक नहीं, दो-दो, तीन-तीन, चार-चार लगे हुए हैं। जब यह हाल होगा, अब मुझे बताइये क्या फायदा मुख्य मंत्री का, अपने आपको एक डिप्टी दे दिया और चीफ सैक्रेटरी को एक एडिशनल दे दिया। दोनों जगह समस्या खड़ी कर दी। दोनों जगह समस्या इसलिये खड़ी कर दी कि यहां पर तो फ्रंट रो है, there is no political homogeneity. माननीय सभापति महोदया, इस सदन का सदस्य होकर मैं यह नहीं कह सकता कि किसी राजनीतिक दल में क्या होता है। मेरा सरोकार नहीं है। वह बात मैं बाहर करूंगा। I am concerned कि लेजिस्लेचर पार्टियों में क्या होता है। मंत्रियों की जो बात कही है_

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह इन्टरव्यू उन्होंने कन्फर्म किया है क्या ? आप पढ़े जा रहे हो, आप कहे जा रहे हो मंत्रियों के बारे में, सबके बारे में आप कह रहे हो।

(16.31)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री जगदीप धनखड़ : आप कंट्राडिक्ट कर दें यदि आप उनके स्पोक्समैन हो तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने देखा नहीं, इसलिये _

श्री जगदीप धनखड़ : मैं आपको दे दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, श्री भाभड़ा जी नहीं हैं। हों तो आप उनके सामने कहें इस बात को।

श्री जगदीप धनखड़ : श्री भाभड़ा जी अनुभवी आदमी हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं विधान सभा के, वे अपना एक्सप्लेनेशन चाहेंगे तो दे देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कुछ हकीकत तो है, साहब।

श्री जगदीप धनखड़ : कुछ नहीं, सत्य है माननीय।

श्री चन्द्रमल बैद : श्री घनश्यामजी, आप मिनिस्टर बनकर क्या करोगे ? मिनिस्टर की हालत तो यह है।

श्री हरजीराम बुरड़क : श्री घनश्यामजी के सामने तो यह सारा हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिये आपको वितृष्णा हो गयी है। खैर, मैं तो नहीं बनूंगा।

श्री चन्द्रमल बैद : ऐसी स्थिति में नहीं बनना चाहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, मैं बनूं भी नहीं और मुझे बनाये भी नहीं, इसलिये इसकी चिन्ता छोड़ दो।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, नहीं, बनाये तो भी मत बनना। ऐसी स्थिति में मिनिस्टर बनकर क्या करना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह स्थिति हो या नहीं हो, न तो मैं बनूं और न वे मुझे बनाये इसलिये यह चिन्ता तो आप छोड़ दो। आगे की कोई चर्चा करो। (व्यवधान) अब आप यह समझ लो फिर। आगे चलो। इस एक में ही क्यों उलझ रहे हो आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो भाग्य की रेखाएं हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पता नहीं, कौन क्या बन जाए ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : श्री भाभड़ा जी ने तो आपको मुख्य मंत्री बनाने की (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बजट का अत्यन्त महत्व है और यदि वह बजट किसी सरकार का नहीं है, वह बजट काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स के द्वारा कंसीडर नहीं है, वह बजट एक व्यक्ति का है और ऐसे ढांचे के द्वारा निर्मित किया हुआ है जिसके सदस्य कहते हैं कि हमारी तो कोई पूछताछ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हमारे काबू में नहीं है। मुख्य मंत्री सीधे अधिकारियों से बात करते हैं, हम बिलकुल मार्जिनलाइज्ड हैं। और वह कौन कहता है ? नम्बर दो आदमी In an exclusive interview. He has not been misquoted.

श्री उपाध्यक्ष : नम्बर दो क्या होता है ?

श्री जगदीप धनखड़ : डिप्टी चीफ मिनिस्टर। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो कहा —"Party workers were unhappy with the Government's performance and there was a lot of resentment in the Council of Ministers against Mr. Shekhawat's style of functioning mainly because they felt marginalised..." Why ? "as the Chief Minister was in the habit of dealing with senior bureaucrats directly by passing the ministers concerned."

उपाध्यक्ष महोदय, दो साल पहले मैंने इस विधान सभा में कहा था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, सदन के नेता की एक आदत है कि 10-5 अधिकारियों को पकड़ लेना और उनके माध्यम से राज करना। मेरे लिए कितना सुखद अवसर है, डिप्टी सी.एम. मेरे से एग्री करते हैं आज, Of course, after bitter experience. अब ऐसी सरकार का बजट कैसे दुष्परिणाम लाएगा, यह आप देखिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट के साथ समीक्षा जो प्रस्तुत की गयी है 1995-96 की, उससे प्रकट होता है कि आर्थिक दृष्टि से राजस्थान कम्पेरेटिवली नीचे खिसकता जा रहा है और अगर कुछ ऐसे पैरामीटर्स के कंसीडरेशन को आप और हम सामने रखें तो स्थिति अत्यन्त भयानक है। I am not giving these figures. समीक्षा है इनकी। मैं आपके माध्यम से अधिकारी वर्ग से अनुरोध करूंगा कि समीक्षा की क्वालिटी को थोड़ा सा वे एनालाइटिकल करें, वे उसमें उन डाइमेंशंस को इम्पार्ट करें जिससे एक पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव आसानी से

(श्री जगदीप धनखड़)

एनेलाइज कर सके। मुख्य मंत्रीजी की जो शैली है ढकने की, लीपने की, पोतने की, उखाड़ने की नहीं, सिर्फ नापने की , उसका उपयोग वे उसमें नहीं करें। इसमें देखिये मान्यवर, राजस्थान के अन्दर विकास दर 3.9 प्रतिशत थी जबकि अखिल भारतीय विकास दर 6.2 प्रतिशत थी। Where are we ? इस अखिल भारतीय में बिहार भी आ गया जो कहते हैं ना बीमारू, जिसमें राजस्थान एक है, सब आ गये We are nowhere. आगे देखिये, इसी तरह उक्त वर्ष में प्रति व्यक्ति औसत आय में केवल 1.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। श्री वैदजी इस बारे में बहुत विस्तार से कह चुके हैं और पूरे देश में 4.8 प्रतिशत है। We are nowhere. अब यदि उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बेसिक चीजों पर जाए कि हम खर्चा किधर कर रहे हैं, हमारा खर्चा ज्यादा हो किधर रहा है तो पता लगेगा कि जहां हमारा खर्चा नहीं होना चाहिये, वहां हमारा खर्चा हो रहा है और जहां हमारा खर्चा होना चाहिये वहां नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, राय देना कहां तक उचित है। मेरा तो इतना ज्यादा अनुभव सदन के नेता से नहीं है पर जिन्होंने उनको 40-50 साल से देखा है, राजस्थान का हर आदमी जानता है कि उनके कितने अटूट सम्बन्ध है। मेरा इशारा राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्री कर्पूर चन्द कुलिश की ओर है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत आदर करता हूं। I hold him in high esteem. He is an institution.

सेल्फ जनरेशन के अन्दर उन्होंने इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न किया है। वे सड़क से ऊपर उठे हैं। उनकी एक-एक बात को मैंने ध्यान से पढ़ा है और मुझे एक जन प्रतिनिधि के नाते बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने जब यह कहा कि यह मैं जानता हूं कि राजस्थान का कोई माई का लाल यह नहीं कह सकता कि वह नहीं जानते श्री कर्पूर चन्दजी कुलिश जितना जानते हैं, उतना कोई यहां पर नहीं जानता और वे कहते हैं, मैं जानता हूं कि मुख्य मंत्री भ्रष्टाचार को कतई पसन्द नहीं करते, परन्तु सहन करते हैं। हिन्दु संस्कृति आप देख लीजिये, जिसकी इतनी दुहाई आप देते हो, सहन करने वाला ज्यादा दोषी है। यह बात होती ही नहीं यदि सहन करने की प्रवृत्ति नहीं होती तो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन आर्टिकल्स को कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहूंगा, इस पर चर्चा बाहर होगी, बहुत बड़ी अदालत है। पर एक बात चिन्ता का विषय है कि क्या सब के सब इकट्ठे होकर जिस इमरजेंसी को कंडेम किया, उस प्रकार की प्रवृत्ति से कह दोगे कि नहीं छपना चाहिये था। 40 साल तक आपके पक्ष में कुछ कहते रहे , हमारी छाती पर चाहे सांप लौटता रहा, हम बर्दाश्त करते रहे पर आप नहीं बोल पाये। अब बोलें आप (व्यवधान) इस संस्कृति के बारे में।

दूसरा, इसमें जो चित्रण किया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह ताजा हालात से सम्बन्धित है। बजट प्रस्तुत किया है तब से अब तक यह कहा गया कि इनको राय देने से कोई मतलब नहीं है। ये तो बिलकुल कंडम हो गये । अब इनको तो consigned to the dust वाली बात है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आपको भी दूसरों को राय देने का क्या अधिकार है ?

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, मैं तो आपके माध्यम से इनको दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बजट पर कब बोलेंगे ?

श्री जगदीप धनखड़ : यह मेरा उत्तरदायित्व है।

श्री उपाध्यक्ष : बजट पर कब बोलेंगे आप?

श्री जगदीप धनखड़ : बजट पर ही बोल रहा हूं। नहीं-नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर इसलिये बोल रहा हूं कि यह इतना खराब बजट क्यों बना, इतना खराब बजट इसलिये बना कि ललित किशोर चतुर्वेदी की नहीं चली। क्यों नहीं चली ? श्री भाभड़ाजी कहते हैं, उनकी खुद की तो चली नहीं होगी, ब्यूरोक्रेसी हावी हो गयी। इसका भुक्तभोगी मैं हूं, राजस्थान की जनता है। नतीजा देखिये उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज एक्ट दो साल पहले निकला। धारा 121 देखिये। धारा 121 में कितना साफ लिखा हुआ है। ताजा-ताजा सब ने फ्लड को डिस्कस किया है। जिला आयोजना के लिये समिति, यह कहां है ? और यह इसलिये नहीं है कि यह राजस्थान पंचायती राज एक्ट में हैं, भारत का संविधान जब संशोधित हुआ, भारत के संविधान में कहा गया कि इस प्रकार की व्यवस्था होगी। कांस्टीट्यूशनल प्रोवीजन है। अब आप क्या राजस्थान का राज कांस्टीट्यूशन के तहत नहीं करेंगे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सही है भई, गलत कहां है ?

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, पर आपने किया क्यों नहीं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब यह इनसे पूछो।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक अत्यन्त गम्भीर कांस्टीट्यूशनल क्राइसेस राजस्थान में इसलिये उत्पन्न हो गया क्योंकि आर्टिकल 243 (डी) के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड का होना जरूरी था। क्यों नहीं हुआ ? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड होता, डिस्कस करते। डिस्कर करते, राय देते। आज के दिन प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है कि हम जहां-जहां गये, लोगों ने कहा इधर से पानी आएगा, आपके पास इन्फार्मेशन देरी से आयेगी। यह क्यों नहीं हुआ ? यह इसलिये नहीं हुआ कि जिस सरकार में बजट जैसे अहम् मुद्दे पर भी काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स का बिखराव दिखाई देता हो, वह राजस्थान की समस्याओं का निराकरण क्या कर सकती है ? यह बिलकुल संभव नहीं है और इस चीज को आप यहां से देखते हैं। दो साल हो गये, कानून आ गया, मंत्री महोदय तो पंचायती राज वाले हैं नहीं, क्या हाल है। गांव-गांव जाकर देखो। जो जिला परिषद का सदस्य बन गया, पंचायत समिति का सदस्य बन गया, वह ब्याह-शादी में नहीं जाता। कह देंगे, क्या करें। आपकी संस्कृति क्या है ? आप गांव के खिलाफ इतने ज्यादा हैं कि जिला प्रमुख को तो पन्द्रह सौ रुपये महीने और नगरपालिका के अध्यक्ष को पांच हजार रुपये महीने। क्यों?

श्री रतनलाल ताम्बी : पांच हजार कहां हैं ?

श्री जगदीप धनखड़ : पांच हजार है। उदयपुर में निगम_

श्री रतनलाल ताम्बी : निगम दूसरी बात है।

श्री जगदीप धनखड़ : हां, तो सुनिये। निगम ही कहा है मैंने। अब एक देखिये। वह जिला प्रमुख वहां बैठता है, पूरे जिले का है। एक ऐसी व्यवस्था क्रियेट की गयी है, कांस्टीट्यूशन के तहत क्रियेट की गयी है, पन्द्रह सौ रुपये और उसको पांच हजार। आपकी संस्कृति है कि गांवों के साथ खिलवाड़ करो। गांव का आदमी ऊपर नहीं आ जाए। और इसलिये यदि वह उदयपुर वाला जिला प्रमुख यहां आना चाहेगा और गाड़ी लेकर आना चाहेगा तो उसको स्वीकृति लेनी होगी और उस चेयरमैन को नहीं लेनी होगी। क्यों ? यह षड़यंत्र कर रहे हैं और यह षड़्यंत्र आप सब नहीं कर सकते। एक आदमी कर रहा है। कर रहा है। मेरा यदि कोई विरोध है तो मेरा श्री कुलिशजी से एक विरोध है। मेरा श्री कुलिशजी से विरोध यह है कि उन्होंने पूरा सत्य नहीं कहा। श्री कुलिशजी अगर यह कहते, उन्होंने श्री भवंरलालजी के बारे में कह दिया, औरों के बारे में कह दिया, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर श्री कुलिश जी अगर यह कह देते कि राजस्थान का शेर धौलपुर से विधायक बना था 1990 में और 1993 के चुनाव में धौलपुर सीट गायब हो गयी। चुनाव में उतारा सांसद को, लोकसभा के सांसद को, नदारद हो गयी। वह कहते ऐसा, तो मेरा कुलिशजी के प्रति आदर और बढ़ता। मुझे लगा कि श्री कुलिश जी ने अपने रिश्ते को कहीं न कहीं थोड़ी सी तरजीह दे दी। वरना वह यह भी लिखते कि गंगानगर में तीसरे स्थान पर आये।

श्री रतनलाल ताम्बी : यही तो रोग है सारा।

श्री जगदीप धनखड़ : श्री कुलिशजी यह भी लिखते हैं कि राजस्थान के साथ यह जो खिलवाड़ हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय_

श्री रतनलाल ताम्बी : आपने चेता दिया, अगले मंगलवार को आ जाएगा वह।

श्री जगदीप धनखड़ : बेसिक चीज यह देखिये कि देश के राज्य में भी योगदान देने के लिए जैसे विज्ञप्ति प्रकाशन, नीति निर्धारण, उसी तरीके से कहा, दो व्यक्ति हैं, राजस्थान के मुख्य मंत्री और श्री प्रमोद महाजन, जिन्होंने कहा श्री अटलजी को आप बना लो। पहली बार देश के इतिहास में किसी आदमी ने निमंत्रण स्वीकार किया प्रधानमंत्री बनने का बिना मेजोरिटी होते हुए। श्री चरण सिंह जी ने जब निमंत्रण स्वीकार किया था he had majority. जब श्री चन्द्रशेखर जी ने निमंत्रण स्वीकार किया- he had majority. They did not collapse on the floor of the House. It failed. पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी राज में जाने के लिये_

श्री नन्दलाल मीणा : नरसिंह राव का क्या हुआ था ?

श्री जगदीप धनखड़ : लार टपकने लग गयी। किन के ? राजस्थान के मुख्य मंत्री के। लार टपकते ही वहां चले गये और फिर +++ असली चेहरा आपका सामने आ

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री जगदीप धनखड़)

गया। 370 गायब हो गयी, यूनीफार्म सिविल कोड गायब हो गया, सब गायब हो गया, राम मंदिर गायब हो गया और उपाध्यक्ष महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अनुरोध किया अपने श्री बाल ठाकरे जी को कि श्रीकृष्ण कमीशन को आपने एक साल पहले बंद किया, चालू कर दीजिये, शायद हम बच जाएं। तो मुझे बताइये...

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, आप अप्रसांगिक बातें बोल रहे हैं। बजट से इसका कोई सम्बन्ध नहीं हैं, कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, मैं कह रहा हूं, कुएं में भांग पड़ी हुई है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा किसके ऊपर हो रही है ? रोकिये इनको। यह चर्चा किस के ऊपर कर रहे हैं ? यह तो ठेठ दिल्ली पहुंच गये। क्या बात कर रहे हैं आप, चर्चा किस के ऊपर कर रहे हैं ? श्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर? यह चर्चा किस के ऊपर कर रहे हैं ? यह क्या बात हुई ?

श्री जुबेर खान : जोधपुर में पेयजल योजना के ऊपर।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप अपनी जड़ों से अलग नहीं हो सकते। नाखून अंगुलियों से अलग नहीं हो सकते। क्या आपके मन में पीड़ा नहीं है कि राजस्थान की 20 हजार से ज्यादा सहकारी संस्थाओं में सिर्फ दो ही निर्वाचन है। बाकी में नहीं है। क्यों ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आपकी पोलें खुली हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरा चाहे बजट हो, चाहे पंचायत व्यवस्था को पंगु करने का हो, चाहे सहकारी संस्थाओं को दरकिनार करने का हो, यह एक सोची-समझी, पता नहीं, आप कैसे नहीं देख पा रहे हैं इस बात को, समय रहते मैं समझता हूं कि काफी लोग देखेंगे तो समाज के लिये कुछ न कुछ अच्छा होगा। आज के दिन क्या यह सदन चिंतित नहीं है। कोई भी ग्राम सेवा सहकारी समिति-नो इलेक्शन। अपेक्स बैंक - नो इलेक्शन। मैंने मंत्री महोदय से पूछा, मेरा प्रश्न तो स्थगित हो गया, कि आप यह बता दीजिये कि पूरे प्रांत में जितने को-आपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं- उनमें कितनों में इलेक्शन हैं। बोले-दो में हैं, एक तो प्रिंटिंग प्रेस में, एक कोई को-आपरेटिव यूनियन है। यह चिंता का विषय है।

श्री जुबेर खान : सहकारिता मंत्री तो पूर्व में ही कह चुके हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी विभाग में है, फिर काहे की चर्चा।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्यों कह रहा हूं ...

श्री भंवरसिंह डांगावास : अभी तो पंचायतों के चुनाव भी करवाये हैं, सोसायटीज की बातें कर रहे हैं, पन्द्रह साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं करवाये आप लोगों ने। कहां हिस्ट्री कर रहे हैं आप इसकी।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यदि सदन के नेता कोल्ड स्टोरेज समझ लेंगे इस सदन को तो राजस्थान की जनता का विकास क्या सम्भव है ? नहीं है। Mr. Chaturvediji would agree. Mr. Chaturvediji is a reasonable man.

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक ऐसी दिशा में जा रहा है जहां हमारा कर्ज बढ़ेगा, हमारी

(श्री जगदीप धनखड़)

लायबिलिटीज बढ़ेंगी, हमारे सर्विसेज के खर्चे बढ़ेंगे, हमारे डवलपमेंट के खर्चे कम होंगे, हमारा फिस्क्ल डेफिसिट एक्सप्लोजिव लेवल तक जाएगा पर जनता का कल्याण नहीं होगा। पहली बार उपाध्यक्ष महोदय, राजनीतिकरण विकास में कर दिया, वरना अब तक राजनीतिकरण नहीं हुआ था। स्कूल खुलेंगे-राजनीति के आधार पर, विकास होगा-राजनीति के आधार पर। ऐसी परिस्थितियों में जब महायुद्ध हो रहा है आपके बीच में और जन-जन में चर्चा है कि आप महायुद्ध में लिप्त हैं, महायुद्ध के अन्दर पता नहीं कब कौन सा लंका काण्ड हो जाए, मैं तो कहता हूं...

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : श्री करूणाकरणजी ने क्या कहा कल ?

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, राम को न्याय नहीं मिलता यदि विभीषण भाई का मोह त्याग कर...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्री धनखड़ साहब, एक सैकण्ड रुकिये। उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर ऐसी बातें बोली जा सकती हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि श्री धनखड़ साहब को यह बोलने दें ताकि श्री करूणाकरण जी क्या कह रहे हैं, श्री पायलट साहब क्या कह रहे हैं, यूरिया स्कैण्डल में क्या हो रहा है, श्री प्रभाकर रावजी क्या कर रहे हैं, वह सब बोलने का कल हमें भी अवसर मिले। आप इनको पूरा अवसर दीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राम को न्याय नहीं मिलता, सीता माता को मुक्ति नहीं मिलती, अगर विभीषण भाई का मोह त्याग कर न्याय के पक्ष में नहीं आते। श्री कुलिशजी ने भी मोह त्यागा है और अचानक लिखी हुई बातें नहीं है। श्री कुलिश जी की पीड़ा मैं समझता हूं। उन्होंने चुनौती भरे शब्द उपयोग किये हैं और उसके बाद बिलकुल चुप्पी छा गयी है, कोई नहीं बोला है। कारण, उन्होंने जो कुछ कहा है उसको आप स्वीकार कतरे हो या आप आवश्यकता महसूस करते हो। दोनों में ही आपका नैतिक पतन...(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी दे दूं कि इसका बराबर प्रतिवाद किया गया है और वो प्रतिवाद पूरी बी.जे.पी. की कार्यकारिणी द्वारा किया गया है। अखबार नहीं पढ़ते, जानकारी नहीं है तो कम से कम असत्य तो नहीं बोलें।

श्री कालीचरण सराफ :ऐसा लगता है कि आप अखबार नहीं पढ़ते। पदाधिकारियों की मीटिंग में उनके स्टैटमैंट पर बड़ी आपत्ति की गयी है। कंडेम किया गया है और आप कहते हो कि हमने कुछ कहा ही नहीं। जय हो, धन्य है ?

श्री जगदीप धनखड़ : श्री कालीचरण जी का मैं आभारी हूं...

श्री जुबेर खान : इसका प्रतिवाद कर दें।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो विश्वविद्यालय के ये अध्यक्ष थे। वर्षों से मैं इनका सम्मान करता हूं। इनके अनुरोध पर मैंने वो आर्टिकल मेरे सामने हैं जिसमें इनकी पूरी विज्ञप्ति छपी है। चूंकि इनके आर्गेनाइजेशन से सम्बन्धित था मैं नहीं पढ़ना चाहता था। उस विज्ञप्ति के अन्दर दस्तखतों के बाद लिखा है। श्री कुलिश जी लिखते हैं कि -"विज्ञप्ति की ध्वनि से साफ

(श्री जगदीप धनखड़)

जाहिर है कि मैंने जो कुछ कहा है वह अक्षरश: सत्य है। भाजपा. की ऐसी कोई तैयारी नहीं है कि वह अपने तौर-तरीकों में सुधार कर ले बल्कि उसे आलोचकों का मुंह बंद करने की तालबन्दी करने का ही एकमात्र उपाय दिखायी देता है। इस विज्ञप्ति से साफ जाहिर है कि भाजपा. नेताओं को सुनना पसन्द नहीं है। ये किसी का बोलना बर्दाश्त नहीं करते। आपातकाल इसी मनोवृत्ति का परिणाम था और मैं सीमा पर नहीं करना चाहता।"

श्री कालीचरण सराफ : श्री धनखड़ साहब आपातकाल किसने लगाया था ?

श्रीमतीबीना काक : आज का दिन श्री कुलिश जी को समर्पित। आज की प्रोसीडिंग श्री कुलिश जी को समर्पित।

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा का अमूल्य समय बजट के ऊपर नहीं बोलकर इधर-उधर की बातें करके, इनके पास बजट पर बोलने को कोई शब्द नहीं है, कोई इनके पास तथ्य नहीं है, एक अखबार की बातों को लेकर इतना समय व्यतीत किया जा रहा है। यह मैं समझता हूं ये विषय के बिलकुल परे बोल रहे हैं, कृपया लिबरल करें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। आंकड़े बहुत जरूरी होते हैं। यद्यपि मैंने पहले आंकड़ों का सहारा लेकर अपनी बात को ताइद की है। मैं कुछ बातें आंकडों के आधार पर बताना चाहता हूं-ताकि मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य को भी संतुष्टि मिले।

जनरल सर्विसेज में मैं पर्सेंटेज के आधार पर चलूंगा। जनरल सर्विसेज के अन्दर 1992-93 में जहां 33.05 पर्सेंट था, इसकी बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। पर जब आपको कहा जाता है, रिवाइज्ड एस्टीमेट में 1995-96 में 41.7 पर्सेंट, किधर जा रहे हैं? आप तो पुलिस में रहे हुए हैं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मुझे अंकित करके बात कही है। मुझे इजाजत हो तो मैं इस बात का उत्तर दे सकूं। करीबन 20-25 मिनट बोलने में सिर्फ एक दफा बजट की बात कही वो भी तथ्यों को तोड़-मरोड़कर।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : माननीय सदस्य आज अनर्गल बातों का कोई उत्तर नहीं दे। यह केवल अनर्गल बात है।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मैं दीदी का कहना मानकर बैठ जाता हूं।

श्री जुबेर खान : इसका मतलब पत्रिका में जो कुछ छपा वह अनर्गल है ? श्री कुलिश जी आज तक जितना भी लिखते आये हैं क्या वह सारा अनर्गल था ?

श्रीमती बीना काक : श्री कुलिश जी ने जो लिखा है वह अनर्गल है ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : श्री धनखड़ जी जो बोल रहे हैं वो अनर्गल है ?

श्रीमती बीना काक : आज की कार्यवाही उनको समर्पित है।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : सुनो, मैं आपकी बात का जवाब देती हूं। श्री कुलिश जी का यह हमारा अखबार है हम चाहें जो कुछ भी लिखें आपको क्या मतलब ? आज तक आप कहते आए हो कि पत्रिका हमारा अखबार है।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हमारे व्यूज कुछ भी हों, हम आपस में कुछ भी कह सकते हैं लेकिन ये जो बोल रहे हैं वे अनर्गल बातें हैं। (व्यवधान) इस लाइन पर आप आती हैं तो आपको भी जवाब दे दूंगी। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : तभी आपकी मिट्टी पलीत कर रहे हैं वे। अब मोह-भंग हो गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्री कुलिश जो आपके लिये लिखते हैं, वह सही हैं और हमारे लिये जो लिखते हैं वह अनर्गल है।

श्री पूनमचंद विश्नोई: हम उसके पाठक हैं। उसको पढ़ने वाले हैं इसलिये हमको अधिकार है उसका मूल्यांकन करने का।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय सदन की आज्ञा से श्री धनखड़ जी के बोलने के समय तक के लिये बढ़ाया जाता है।

श्रीमती बीना काक : श्री धनखड़ जी बोले जाइये। कुलिश जी चारों आर्टिकल कवर करो आज आप।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 5-7 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरे में इतना कांफिडेंस रिपोर्ट किया है।

श्रीमती बीना काक : श्री कुलिश जी के चार आर्टिकल बाकी हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : मुझे यह जानकर प्रसन्नता है, श्री कुलिशजी कहते हैं कि -"भाजपा में अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। अब राजस्थान की जनता का कल्याण कौन करेगा? राजस्थान की जनता की कल्याण करने के लिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामने वाले संसदीय दल में प्रजातांत्रिक व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है और इसका पूर्ण अभाव हैं। रोज हम गलियारों में चर्चा सुनते हैं कि आज वह लीडर बनेगा, आज मीटिंग होगी, आज नहीं होगी। इससे एक चीज साफ झलकती है कि राजस्थान का प्रशासन प्रजातांत्रिक ढांचे के अनुसार नहीं चल रहा है। राजस्थान का प्रशासन मुख्य मंत्री के हाथ में तो है ही और कुछ अधिकारियों के भी सबल हाथों में है। वे आपस में लड़ रहे हैं, वह अलग बात है। राजस्थान की जनता का कल्याण नहीं हो सकता।

चूंकि आंकड़ों के ऊपर विस्तार से श्री बैदजी कह चुके हैं, मैं बहुत ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। (व्यवधान)

मैंने अपने आपको बिलकुल संजीदगी से बिहेव किया है, मैं बहुत सी बातें जो कह सकता था और जो इन आर्टिकल से निकलती हैं, जिन पर बाहर जनता में डिबेट आवश्यक हैं। मैं समझता हूं कि जरूर इनमें से कोई माई का लाल होगा जो बाहर जाकर चौपड़ पर जवाब देगा। धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 3 जुलाई, 1996 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 16.59 बजे बुधवार, दिनांक 3 जुलाई, 1996 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 59 की सूची

क्रम सं.	विद्यालय का नाम	आवंटित राशि	स्वीकृति क्रमांक व दिनांक एवं व्यय मद	व्यय की गयी राशि	निर्माण किसके माध्यम से हुआ
1	2	3	4	5	6
1.	सी. मा. वि., बून्दी	2.00 लाख	क्र. पं. (11) शि/90 दिनांक 4/2/91 भवन निर्माण योजना डीआरडीए	2.00 लाख	विभागीय निर्देशानुसार गठित कमेटी की देखरेख में
2.	बा. सी. मा. वि., बून्दी	1.00 "	-- " " --	1.00 "	उपरोक्तानुसार
3.	मा. वि., मोतीपुरा	1.97 "	-- " " --	1.97 "	-- " --
4.	मा.वि.चौगानगेट,बूंदी	1.30 "	-- " " --	1.30 "	-- " " --
5.	सी. मा. वि., बूंदी	1.30	पं. 9 (13) शिक्षा /3/91 दि. 29-9-91	1.30 "	-- " " --
6.	सी. मा. वि., बूंदी	0.75 "	-- " " --	0.75 "	-- " " --
7.	कार्या. जि. शि. अ. बूंदी (छात्रा)	1.50 "	-- " " --	1.50 "	निर्माण विभाग, बून्दी
8.	सी. मा. वि., लाखेरी	2.25 "	-- " " --	2.25 "	विभागीय निदेशानुसार
9.	सी. मा. वि., बूंदी	0.75 "	-- " " --	48,976	-- " " --

151

1	2	3	4	5	6
10.	सी. मा. वि. बूंदी	0.75 "	पं. 9 (3) शिक्षा/3/91 दि. 29-9-91	90,606	विभागीय निदेशानुसार
11.	सी. मा. वि., बूंदी	0.75 "	– " " –		
12.	सी. मा. वि., नैनवां	0.50 "	नवें वित्त आयोग	0.50 लाख	– " " –
13.	सी. मा. वि., इन्द्रगढ़	1.00 "	– " " –	1.00 "	– " " –
14.	मा. वि., तलवास	1.00 "	– " " –	1.00 "	– " " –
15.	मा. वि., सुमेरगंजमंडी	0.50 "	– " " –	0.50 "	– " " –
16.	मा. वि., डाबी	27,589	भामाशाह योजना (जन सहयोग)	13,992	भवन निर्माण समिति द्वारा
17.	मा. वि., गेण्डोली	0.50 "	सांसद कोष	राशि उपयोग हेतु कार्यवाही चल रही है	भवन निर्माण समिति
		0.50 "	विधायक कोष	– " " –	– " " –
18.	मावि., बसोली	1.00 "	सांसद कोष	– " " –	– " " –
19.	मावि., लक्ष्मीपुरा	0.50 "	डी.आर.डी.ए.	– " " –	– " " –
		1.00 "	सांसद कोष	उपयोग हेतु कार्यवाही चल रही है	
20.	मावि., लबान	0.50 "	सांसद कोष	0.50 लाख	भवन निर्माण समिति
		0.40 "	जन सहयोग	राशि उपयोग हेतु कार्यवाही चल रही है	– " " –

1	2	3	4	5	6
21.	मा. वि., सहण	0.50 "	सांसद कोष	0.24 लाख	भवन निर्माण समिति
22.	सीमावि., कापरेन	0.56 "	डी. आर. डी. ए.	0.56 "	-- " " --
23	सीमावि., तालेडा	0.25 "	सांसद कोष	0.25 "	-- " " --
24	सीमावि. नैनवां	0.50 "	सांसद कोष	0.50 "	-- " " --
25	मावि., अरनेठा	0.20 "	डी. आर. डी. ए.	0.20 "	-- " " --
		0.75 "	सांसद कोष	0.75 "	-- " " --
26	मावि., बामणगांव	1.60 "	सांसद कोष	1.25 "	-- " " --
27	मावि., बडाखेड़ा	12,659	सांसद कोष	3542 / =	-- " " --
28	मावि., औंकारपुरा	49900	सांसद कोष	10 "	-- " " --
29	मावि., गोठडा	62400	विधायक कोष	62400 "	-- " " --
30	मावि., घाटकाबराणा	20 हजार	भामाशाह यो. ज.	20 "	-- " " --
31	मा. वि. , बडोदिया	50 "	सांसद कोष	50 "	-- " " --
		50 "	विधायक कोष	50 "	-- " " --
32	मा. वि. थाना	1.00 लाख	सांसद कोष	75 हजार	-- " " --

परिशिष्ट - 2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जवाहर रोजगार/आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत एनीकट निर्माण प्रकरण

62. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)** : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि अधिकारी जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण उनियारा (जिला टोंक) द्वारा जवाहर रोजगार/आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत एनीकट निर्माण के लिये उप निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, टोंक को पत्र क्रमांक 224-26 दिनांक 7 जून, 1995 लिखा गया है ? यदि हां, तो इस बाबत अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त एनीकट निर्माण हेतु तखमीने बनाकर स्वीकृति के लिये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बून्दी को प्रस्तुत किए जा चुके हैं ? यदि नहीं तो अब कब तक प्रस्तुत कर दिये जावेंगे ?

(3) उपरोक्त वर्णित एनीकट का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। कृषि अधिकारी उनियारा द्वार उपरोक्त एनीकटों के कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के अनुसार निम्नलिखित साइटें एनीकट निर्माण हेतु उपयुक्त पायी गयीं: —

क्र.सं.	नाम एनीकट	पूर्व अनुमानित लागतें
1.	ग्राम खोलड़ा (पं. सुवानिया) पं. स. नैनवां	7.5 लाख रु.
2.	झरण्डा का खाल पीली कराड के पास ग्राम कालानला प. बासी नैनवां	6.0 लाख रु.
3.	कैंत की खरली ग्राम बटावती पं. सूंसा, पं.सं. नैनवां	5.0 लाख रु.
4.	ग्राम माणी में एनीकट निर्माण माणी। पं. सं. नैनवां	7.0 लाख रु.

इन कार्यों के पूर्व अनुमानित लागत (फोरकास्ट) के प्रस्ताव कुल 25.50 लाख रुपयों के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बूंदी को पत्र सं. 855 दिनांक 28.11.95 द्वारा भेजे जा चुके हैं। निम्नलिखित साइट एनीकट निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं पायी गयी : —

1. भाटिया हाली खाली रायथल प. रायथल पं. स. तालेड़ा।

2. रेठोदा एवं करीरी के मध्य नाले पर एनीकट निर्माण पं. कोलाहेड़ा, पं. सं. नैनवा।

(2) पूर्व अनुमानित (फोरकास्ट) तखमीने विभाग द्वारा 28.11.95 को प्रेषित किये जा चुके हैं। परन्तु कार्य मार्गदर्शिका में भारत सरकार द्वारा परिवर्तन के कारण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा उक्त कार्य मंजूर नहीं किये गये। इसलिये एनीकट निर्माण के विस्तृत तखमीने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बूंदी को प्रेषित किये गये हैं।

(3) जलग्रहण कार्य भारत सरकार द्वारा क्रियान्विति हेतु 1994 में पारित कार्य मार्गदर्शिका जो विभाग द्वारा नवम्बर, 1995 से अपनायी गयी है, के अनुसार विभाग का कार्यक्षेत्र केवल जलग्रहण परियोजना में ही

(राज्यमंत्री, कृषि)

सीमित रहेगा। इन दिशा-निर्देशों के तहत इन कार्यों को किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि ये एनीकट कार्यस्थल जलग्रहण क्षेत्र के बाहर आते हैं। अगर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा इन ग्रामों में 2000 है या अधिक के जलग्रहण क्षेत्र स्वीकृत किये जाते हैं तो यह कार्य शीघ्र शुरू किये जा सकते हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या 63

(स्थगित)

उदयपुर डिविजन के आदिवासी आश्रम छात्रावास

64. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर डिवीजन में कितने आदिवासी आश्रम छात्रावास हैं ? छात्र व छात्राओं की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इन छात्रावासों में छात्र-छात्राओं के मुताबिक भवन उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पर्याप्त भवनों के अभाव में आवश्यक बच्चों की भर्ती नहीं हुई है और सरकार ने आदेश दिये हैं कि समुचित व्यवस्था पर बच्चों को भर्ती नहीं किया जाए ?

(4) उदयपुर डिविजन में आदिवासी आश्रम छात्रावास कब कब खोले गये ? जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(5) इन छात्रावासों में बच्चों को खाट, गद्दे, कम्बल व चादरे कब-कब दिये गये ? मय छात्रावास, जिला सामान की संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) उदयपुर डिविजन में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित कुल 70 आदिवासी आश्रम छात्रावास हैं। आश्रम छात्रावासवार छात्र/छात्राओं की संख्या का विवरण परिशिष्ट "अ"पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं।

(4) उदयपुर डिविजन में खोले गए आदिवासी आश्रम छात्रावासों का जिलेवार मय वर्ष ब्यौरा परिशिष्ट "अ"पर उपलब्ध है।

(5) छात्रावासों में उपलब्ध कराई गयी सामग्री का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा अवधि में वृद्धि एवं पुनर्नियुक्ति प्रकरण

65. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में किस-किस सेवा सवंर्ग के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को किन-किन कारणों से कितने-कितने समय के लिये राज्य सेवा में अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर लेने पर सेवा अवधि में वृद्धि की गयी ? नाम, पद, सेवा अवधि के आदि के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्षों में किस-किस संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को किन-किन कारणों से कितने समय के लिये सेवा निवृत्ति के

(8)

(श्री विष्णु मोदी)

पश्चात् पुनर्नियुक्त किया गया ? नाम, पद, सेवा अवधि के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये राज्य कर्मियों की सेवा अवधि में वृद्धि नहीं करने तथा सेवा निवृत्ति व्यक्तियों को पुनर्नियुक्त नहीं करने के सम्बन्ध में आदेश प्रसारित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के आधार पर सूचना परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) उपलब्ध सूचना के आधार पर सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) सामान्यतया राज्य कर्मियों की सेवा अवधि में वृद्धि नहीं की जाती है। बहुत विशिष्ट परिस्थितियों में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं की अनिवार्यता को दृष्टि में रखकर पुनर्नियुक्ति दी जाती है।

परिशिष्ट 'क'

सेवा अवधि में वृद्धि के मामले

	सेवा अवधि में वृद्धि
1. श्री बी.जी. शर्मा शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग	31.5.94 से 31.5.95 01.06.95 से 31.05.96 01.06.96 से 31.05.97
2. श्री आई.जे. चौपड़ा निदेशक, तकनीकी शिक्षा	30.06.96 से 30.05.97
3. श्री चतुर्भुज शारदा मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट	95.96 (एक वर्ष के लिये)
नोट : — उक्त अधिकारियों की सेवा अवधि में वृद्धि अधिकारियों के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुये की गयी है।	
4. श्री विजय कुमार निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग।	30 जून, 1996 से एक माह के लिये।

(15-7)

परिशिष्ट 'ख'

सेवा-निवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्ति

1. श्री एएस. कपूर सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, वर्तमान में अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड।	25.02.92 से निरन्तर 26.02.95 से 25.02.96 26.02.96 से 25.02.97
2. श्री भगवन्त राव दुबे सेवानिवृत्ति निदेशक, मूल्यांकन संगठन (विभागीय) वर्तमान सोशल साइंटिस्ट एवं पदेन उप सचिव, कृषि विशिष्ट परियोजना विभाग।	31.05.95 को सेवा निवृत्त 06.06.95 से पुनर्नियुक्ति 30.06.96 तक।
3. श्री श्रीराम दीक्षित (सेनि.आईएएस) वर्तमान विशेषाधिकारी , मुख्य मंत्री कार्यालय	01.07.95 सये 31.12.95 01.01.96 से 30.06.96 01.07.96 से 31.12.96
4.श्री बी.एल. अग्रवाल (सेनि.आइएएस) वर्तमान विशेषाधिकार, मुख्य मंत्री कार्यालय।	20.01.96 से 6 माह के लिये नियुक्त।
5. सुश्री कमल यशवन्त केशकर अतिरिक्त निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा।	वर्ष 1995-1996 के लिये।

मेवात विकास बोर्ड के कार्य-कलाप एवं गवर्निंग काउन्सिल

66.श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर एवं भरतपुर के मेवात क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा मेवात विकास बोर्ड का गठन किया हुआ है ? यदि हां, तो इसका प्रारूप क्या है एवं इसके माध्यम से किस प्रकार का विकास किया जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस मेवात विकास बोर्ड की गवर्निंग काउंसिल में स्थानीय जन प्रतिनिधि भी सदस्य के रूप में सम्मिलित किये हुए हैं ?

(3) उक्त गवर्निंग काउंसिल जिसमें कि जन प्रतिनिधि सदस्य हैं, की अन्तिम बैठक कब हुई ?

(4) क्या यह भी सही है कि मेवात विकास बोर्ड द्वारा क्षेत्र का शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास न किया जाकर सिर्फ सड़कों के ऊपर सारा व्यय किया जा रहा है।

(5) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि मेवात क्षेत्र में शिक्षा का स्तर विशेषकर महिला शिक्षा का स्तर नगण्य है और मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से क्षेत्र में शिक्षा का अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए एवं शिक्षण संस्थाएं खोली जाएं ? यदि हां, तो क्या सरकार

(श्री जुबेर खान)

इस विषय में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(6) मेवात विकास बोर्ड की सम्पूर्ण बैठक सरकार कब बुलाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। मेवात क्षेत्रीय विकास हेतु मंत्री, विशिष्ट योजनाएं एवं एम्प्रा.वि. विभाग की अध्यक्षता में मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल का गठन किया गया है, जिसमें सम्बन्धित क्षेत्र के संसद सदस्य, विधायक, जिला प्रमुख, जिला कलक्टर एवं मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त, जयपुर तथा विभिन्न विभागों के सचिव, सदस्य है। बोर्ड के गठन आदेश परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है।

मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत कृषि, पशुपालन, पेयजल, सिंचाई, सम्पर्क सड़क एवं पुलिया निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि के विकास कार्य अब तक हाथ में लिये गये हैं। वर्ष 1987-88 से विभिन्न मदों पर आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट -2 पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड में सम्बन्धित क्षेत्र के जन प्रतिनिधि भी सदस्य के रूप में सम्मिलित किये गये है।

(3) मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड की अन्तिम बैठक दिनांक 5 जनवरी, 1991 को आयोजित की गयी।

(4) जी, नहीं। मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत सम्पर्क सड़क के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन, पेयजल, सिंचाई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के विकास कार्य भी स्वीकृत किये गये हैं। वर्षवार विभिन्न मदों पर आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट - 2 पर दिया गया है।

(5) जी, हां। वर्ष 1995-96 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कमरा निर्माण, भवन निर्माण आदि के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। मेवात क्षेत्र में चयनित ब्लाकों में सरस्वती योजना प्रारम्भ करने हेतु सचिव, शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है। इसके अतिरिक्त अलवर जिले में एनजीओ. संस्था प्रदान को महिला विकास हेतु वर्ष 1995-96 में 5.55 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(6) सरकार वर्तमान में चल रहे विधान सभा सत्र के पश्चात् मेवात विकास बोर्ड की बैठक आयोजित करने का विचार रखती है।

राजस्थान-सरकार

(अनुभाग -6)

क्रमांक - एफ 3 (5) एस. एम/ग्रुप -6/मेवात/92 जयपुर, दिनांक 22.3.95

आदेश

पूर्व में मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल के गठन के समस्त आदेशों को निरस्त करते हुये राजस्थान के राज्यपाल महोदय की आज्ञा से मेवात क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल का पुनर्गठन किया जाता है। जिसमें जिला अलवर की सात पंचायत समितियों (तिजारा, रामगढ़, मुण्डावर, उमरैन, कठूमर, किशनगढ़वास, गोविन्दगढ़ (मुख्यालय, लक्ष्मणगढ़, तथा जिला भरतपुर की तीन पंचायत समितियां (कामां, नगर, डीग) सम्मिलित है।

राज्य स्तर पर मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल के निम्नांकित सदस्य होंगे :—

1. मंत्री, वि. ग्रा.एवं एग्रा. वि. विभाग अध्यक्ष
2. वित्त राज्य मंत्री सदस्य
3. संसद सदस्य, अलवर/भरतपुर " "
4. विधानसभा सदस्य, विधान सभा क्षेत्र अलवर, रामगढ़, खैरथल, लक्ष्मणगढ़, कठूमर, मुण्डावर, तिजारा (अलवर) नगर, डीग, कामां (भरतपुर) " "
5. जिला प्रमुख अलवर/भरतपुर " "
6. मुख्य सचिव, राजस्थान " "
7. विकास आयुक्त, राजस्थान " "
8. वित्त सचिव " "
9. सचिव, कृषि उत्पादन " "
10. सचिव, आयोजना विभाग " "
11. सचिव , ऊर्जा विभाग " "
12. सचिव, भू जल " "
13. सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग " "
14. सचिव, पशुपालन विभाग " "
15. सचिव, वन विभाग " "
16. सचिव, सिंचाई विभाग " "
17. सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग " "
18. सचिव, विशिष्ठ योजनाएं एवं एग्रावि. विभाग " "
19. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग " "
20. जिला कलक्टर, अलवर/ भरतपुर " "
21. विशिष्ठ शासन सचिव, विग्रो. एव एग्रावि. विभाग सदस्य सचिव

मण्डल मेवात क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाओं का पर्यवेक्षण करेगा तथा उनके क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा व उसमें सुधार हेतु मार्गदर्शन देगा। सामाजिक एवं आर्थिक विकास के सम्बन्ध में नई योजनाओं के लिये भी सुझाव देगा। मण्डल अपने किसी भी कार्य के लिये उप समितियों का गठन कर सकेगा एवं आवश्यकतानुसार किसी व्यक्ति विशेष को विशेष रूप से आमंत्रित अथवा मनोनीत भी कर सकेगा। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की कार्यकारी समितियों द्वारा अनुमोदित योजना के प्रस्ताव जो मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यकारी समिति की बैठक में अग्रिम अनुमोदित कर दिये गये हैं, की पुष्टि करेगा एवं नवीन कार्यों का अनुमोदन करेगा।

मण्डल का कार्यकाल इसकी स्थापना की तिथि से तीन वर्ष का होगा। मण्डल की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी। मण्डल का मुख्यालय जयपुर होगा लेकिन इसकी बैठक मेवात क्षेत्र में किसी भी स्थान पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आयोजित की जायेगी।

राज्य स्तर पर विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग का मेवात क्षेत्रीय विकास परियोजना के कार्यों पर वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा। ह.

(परमेश चन्द्र)

शासन सचिव,

वि.यो. एवं. ए. ग्रा. वि. विभाग

मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की मदवार आबंटन

क्र.सं. मद	आबंटन (वर्ष 1987-88 से 1995-96 तक)
1. कृषि	19.48
2. पशुपालन	30.50
3. पेयजल	62.35

4.	सिंचाई	50.70
5.	चिकित्सा स्वास्थ्य	94.20
6.	सड़क निर्माण	733.70
7.	शिक्षा	12.10
8.	प्रावेधिक शिक्षा	10.00
9.	संस्थापन	10.05
	कुल योग :	1023.08

बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान के पंजीयन कार्यों में अनियमितता प्रकरण

67.श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर), श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) एवं श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान के 4794/- एवं 16025/- रुपये बोर्ड के खाते में विगत कई वर्षों से जमा नहीं हुए हैं जिसके लिए अनेक बार स्पष्टीकरण आदि भी मांगे गए हैं ? यदि हां, तो क्या और कब-कब तथा इसके लिये कौन दोषी है और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या यह सही है कि अप्रेल, 1994 से अक्टूबर, 1994 तक आयुर्वेद रत्न एवं वैद्य विशारद की उपाधियों के आधार पर नवीन-पंजीयन, श्रेणी, परिवर्तन, स्थायीकरण/नवीनीकरण आदि किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस के और क्या ये वरीयतानुसार सही है ?

(3) क्या उक्त पंजीयनों में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या और उसके लिये कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकार के पंजीयन कार्य करने वाले बोर्ड के चार लिपिकों को निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त अवधि में पंजीयन कार्य करने वाले लिपिक जिसने बोर्ड के स्टोर में पोस्टल आर्डरों/डीडी. एवं अन्य मामलों में गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं भी की हैं, को निलम्बित क्यों नहीं किया गया जबकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन विशिष्ट शासन सचिव श्री तपेन्द्र कुमार जो बोर्ड के प्रशासक भी थे ने उसे पब्लिक डिलिंग का कार्य नहीं देने एवं निलम्बित करने के लिये लिखा था ?

(5) क्या उक्त क्रम में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किस से कब और क्या तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। श्री रामशरण शर्मा, कनिष्ठ लिपिक से इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये दिनांक 19.9.95 को पत्र दिया गया था। इस विलम्ब के लिये तत्कालीन कैशियर श्री रामशरण शर्मा, कलि. (निलम्बित) दोषी है। इसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी, हां। सूची संलग्न है। उक्त अवधि में किये गये पंजीयन वरीयतानुसार एवं सही नहीं हैं।

(3) जी, हां। पंजीयन वरीयतानुसार एवं मान्य उपाधियों के आधार पर नहीं किये गये

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

हैं। इसके लिये तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी/रजिस्ट्रार/कार्यालय अधीक्षक एवं कनिष्ठ लिपिक दोषी हैं। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। एवं इनको निलम्बित कर दिया गया है।

(4) जी, हां। बोर्ड के 4 लिपिकों को निलम्बित किया गया है। उक्त अवधि में श्री रामनारायण शर्मा को, जो उपरोक्त पंजीयन अवधि में कार्य कर रहा था को स्टोर में पोस्टल आर्डरों/डीडी. एवं अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राथमिक जांच में दोषी पाया गया है, परन्तु गंभीर आरोप नहीं पाये जाने के कारण उसको निलम्बित नहीं किया गया है। इनके पास कोई पब्लिक डिलिंग कार्य नहीं हैं।

(5) जन अभियोग निराकरण विभाग ने राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी टाइगर्स संस्था, जयपुर द्वारा प्रेषित शिकायत की प्रति इस विभाग द्वारा प्रेषित कर जांच कार्यवाही के निर्देश दिये थे। भारतीय जनता पार्टी, जिला बीकानेर देहात से भी श्री रामनारायण शर्मा के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है। उक्त दोनों शिकयतों की जांच करने हेतु रजिस्ट्रार, बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन, जयपुर को निर्देशित किया जा चुका है। जांच प्रत्यावेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला डूंगरपुर की भूमि पर काबिज काश्तकारों से पैनल्टी वसूली प्रकरण

68. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में काबित काश्त पड़त भूमि, चरागाह आदि पर लम्बे समय से कृषक काश्त करते आ रहे हैं? क्या उक्त भूमि पर सरकार ने किसानों से पैनल्टी वसूल की है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को काबिज कृषकों के नाम से नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां। डूंगरपुर जिले में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के रूप में काश्त की जाती है और नियमानुसार राजकीय भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति होने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर पैनल्टी वसूल की जाती है। नियमों के अंतर्गत पात्रता रखने वाले प्रकरणों में वर्तमान नियमों के अधीन नियमन की कार्यवाही की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के पशु चिकित्सालय/औषधालय

69. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कितने पशु चिकित्सालय एवं औषधालय कहां-कहां संचालित हैं ? क्या सरकार इस क्षेत्र में और नए चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व कहां-कहां ?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम चिमनपुरा जो ग्रामीण विकास केन्द्र ग्राम में आता है, के पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय एवं सब सेंटर खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

162

(श्री रामचन्द्र रावत)

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में निम्नलिखित पशु चिकित्सा संस्था कार्यरत हैं:—

सब डिविजनल मोबाइल यूनिट, कोटपूतली

पशु चिकित्सालय -4	पशु औषधालय -2
(1) कोटपूतली	(1) गोवर्धनपुरा
(2) बनेठी	(2) दांतिल
(3) राजनोता	
(4) गोनेड़ा	

वर्तमान में इस क्षेत्र में और नये पशु चिकित्सालय खोलने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्ष 95-96 एवं 96-97 में 127 नये पशु चिकित्सालय ग्रामीण विकास केन्द्र की आधारभूत संरचना के अन्तर्गत खोले गये हैं, इनका चयन विशिष्ट योजना संगठन द्वारा ही किया गया है एवं विभाग को जो सूची वहां से प्राप्त हुई है उन्हीं स्थानों पर यह संस्थाएं खोली गयी हैं। यदि विशिष्ट योजना संगठन द्वारा ग्राम चिमनपुरा में ग्रामीण विकास केन्द्र पर पशु चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तो विभाग इस पर शीघ्र विचार करेगा।

पिछड़े क्षेत्र के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

70. **श्री मदन मोहन** (खैरथल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर के अलावा बड़े गांवों में भी मिडल स्कूल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा किस आधार पर ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या सरकार सीमांत राज्यों के गांवों में जो कि पिछड़े हुए हैं, संचालित विद्यालयों को 10 + 2 सैकण्डरी आदि में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित वित्तीय साधनों के तहत निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करने वाले विद्यालयों को गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत करती है। अधिकांश बड़े गांवों में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध है। शेष रहे बड़े गांवों में विद्यालयों को क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर सीमित वित्तीय साधनों के तहत गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत किया जाने पर विचार किया जाएगा।

(2) राज्य के सीमान्त एवं पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार हेतु सभी स्तर के विद्यालय जिसमें 10+2 के भी सम्मिलित है को सीमित वित्तीय साधनों के तहत मापदण्ड की पूर्ति करने वाले विद्यालयों को गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत किया जाने पर विचार किया जाएगा।

हेरिटेज होटल्स एवं अन्य योजनाओं को आर्थिक सहायता

71. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थानी संस्कृति को जीवित रखने के लिये हैरिटेज होटल्स या अन्य नामों से कई योजनाएं चालू की गयी थीं जिनमें ऐसे पुराने स्थानों को सरकारी तौर पर विभिन्न योजनाओं में वित्तीय एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान

(श्री भीमराज भाटी)

था ? यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ऐसी योजनाओं में अब तक किसी आवेदक को कोई लाभ नहीं पहुंचाया गया है ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो लाभान्वित स्थानों एवं प्रतिष्ठानों के मालिकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसे लाभान्वित प्रतिष्ठानों या उनके समूहों को कौन-कौन से मद से कितनी-कितनी सहायता या ऋण उपलब्ध करवाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। पर्यटन उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्न योजनाएं है : —

1. राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1993, जिसे लागू करने की प्रक्रिया अधिसूचना दिनांक 6 जून, 1994 से निश्चित की गई। इस योजना के तहत हेरिटेज होटल के निर्माण के लिये मान्य विनियोजन का 20 प्रतिशत तक अथवा रु. 20.00 लाख , जो भी कम हो अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।

2. डीजल जनरेटिंग क्रय अनुदान योजना 1994। इस योजना के तहत होटल इकाइयों को जनरेटिंग सेट्स क्रय करने के लिये मान्य विनियोजन का 25 प्रतिशत तक अथवा रु. 0.50 लाख जो भी कम हो अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।

3. राजस्थान आबकारी (होटल बार लाइसेंस) नियम, 1973 के अधीन हेरिटेज होटलों को रियायती दरों पर बार लाइसेंस।

4. पर्यटन विभाग भारत सरकार द्वारा हेरिटेज होटलों के निर्माण हेतु ऋण ब्याज दर पर 5% अनुदान।

5. आयकर अधिनियम की धारा 80 एच.एच. डी. के अधीन विदेशी मुद्रा के रूप में आय पर हेरिटेज होटलों को आयकर में छूट।

6. राजस्थान वित्त निगम एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा पर्यटन इकाइयों की स्थापना हेतु ऋण।

(2) जी, नहीं। लाभान्वित मालिकों एवं प्रतिष्ठानों की सूची परिशिष्ट -"क" संलग्न है।

(3) लाभान्वित प्रतिष्ठानों को स्वीकृत अनुदान एवं ऋण का विवरण परिशिष्ट "क"पर उल्लेखित है।

परिशिष्ट "क"

(1) राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1993 जिसे लागू करने की प्रक्रिया अधिसूचना दिनांक 6 जून, 1994 से निश्चित की गयी है के तहत अब तक हेरिटेज होटल्स के निम्न तीन आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये है:—

	स्वीकृति अनुदान राशि (लाखों में)
1. मै. बैलकम ग्रुप, होटल खींवसर फोर्ट, खींवसर जिला नागौर।	15.25
2. राव नरेन्द्र सिंह,	01.15

164

होटल बीजापुर कैसल, बीजापुर जिला चित्तोड़गढ़।

3. मै. शिवदीप होटल्स् (प्रा.) लि. 03.22

शिवदीप होटल, भरतपुर।

दो आवेदन पत्र और हाल ही में प्राप्त हुये हैं, जिन्हें राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति के सम्मुख दिनांक 11-7-1996 की बैठक में रखा जा रहा है : —

1. मैं. क्रॉम कन्दी होटल्स लि.

होटल मुकन्दगढ़ फोर्ट, मुकन्दगढ़, जिला झुंझुनूं।

2. मै. कामा होटल्स (प्रा.) लि.

कामा राजपूताना कल्ब रिजोर्ट, मा. आबू।

(2) उपलब्ध सूचनानुसार निम्न हैरिटेज होटल्स को रियायती दरों पर बार लाइसेंस के लिये अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये हैं:—

1. राजमहल पैलेस होटल, जयपुर।
2. सामोद पैलेस, सामोद (चौमूं) जयपुर।
3. अजीत भवन पैलेस होटल, जोधपुर।
4. नारायण निवास पैलेस होटल, जयपुर।
5. होटल करणी भवन, जोधपुर।
6. रॉयल कैसल होटल, खींवसर, नागौर।
7. रामगढ़ लॉज, रामगढ़ झील, जमुवारामगढ़, जयपुर।
8. होटल कैसल मण्डावा, झुन्झुनूं।
9. होटल सरिस्का पैलेस, अलवर।
10. होटल सामोद हवेली, जयपुर।
11. होटल लालगढ़ पैलेस, बीकानेर।
12. सवाई माधोपुर लॉज, सवाईमाधोपुर।

(3) उपलब्ध सूचनानुसार निम्नलिखित होटलों को राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है : —

	स्वीकृत ऋण राशि (लाखों में)
1. होटल नारायण निवास, जयपुर।	07.50
2. डून्डलोद कैसल, डून्डलोद, जिला झुंन्झुनूं।	09.95
3. होटल रॉयल कैसल, खींवसर, जिला नागौर।	16.45

4. कोठारिया पैलेस, जिला नागौर।	02.00
5. कैसल बीजापुर, बीजापुर जिला चित्तौड़गढ़।	06.74
6. शिवदीप होटल प्रा. लि., रघुनाथ निवास, भरतपुर।	30.00
7. होटल रोहितगढ़, रोहितगढ़, जिला पाली।	22.12
8. भद्रावती कैसल प्रा. लि., भण्डारेज जिला दौसा।	10.00
9. होटल मारवा फोर्ट, मारवा, जिला जयपुर।	13.70
10. बिचून कैसल प्रा. लि., बिचून, जिला जयपुर।	40.00
11. बस्सी फोर्ट होटल एण्ड रिजोर्ट बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़।	10.00

श्रीगंगानगर के अविद्युतीकृत ग्राम

72. श्री अमरचन्द मिढ्ढा (सूरतगढ़) - क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार श्रीगंगानगर जिले के अविद्युतीकृत गांवों को पंचायत समितिवार प्रतिशत के आधार पर विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) जिला श्रीगंगानगर के अविद्युतीकृत गांवों की सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार पूरे राज्य को कब तक विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? इसकी योजना वर्षवार व पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। फिर भी श्री गंगानगर जिले के विद्युतीकरण का स्तर बनाने के लिये चालू वर्ष में ज्यादा से ज्यादा गांव विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है। मई, 1996 के अन्त तक 100 ग्रामों को विद्युतीकरण हेतु चयनित किया जा चुका है।

(2) श्री गंगानगर जिले में 1991 की जनगणना पुस्तिका के अनुसार 3014 ग्राम हैं, जिनमें से माह मार्च, 1996 के अन्त तक 1393 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष हैं। पंचायत समितिवार अविद्युतीकृत ग्रामों का ब्यौरा निम्न प्रकार है: —

नाम पंचायत समिति	कुल ग्राम	अविद्युतीकृत ग्राम
करणपुर	237	6
पदमपुर	247	33
सादुल शहर	252	75
रायसिंहनगर	407	156
सूरतगढ़	466	339
अनूपगढ़	1132	784
		1393

(3) राज्य में जनगणना 1991 के अनुसार 39810 ग्रामों में से मार्च, 1996 तक 33828 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। शेष रहे 5982 ग्रामों का विद्युतीकरण

(ऊर्जा मन्त्री)

योजना मद में आबंटित वित्त व विद्युत की उपलब्धत के अनुसार हों निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार शनैः शनैः ही किया जाना संभव हो सकेगा। अतः निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में आवश्यकता विस्तार को अपेक्षा सुदृढ़िकरण को है ताकि राज्य के मौजूदा 43 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के सेवा स्तर में गिरावट नहीं आवे।

कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव

73. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या सरकार कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

सरकार का कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव शीघ्र करवाने का विचार है। वर्तमान में मण्डी समितियों की चुनाव प्रक्रिया के सरलीकरण एवं भविष्य में चुनाव समय पर सुनिश्चित करने के लिये मण्डी कानून में समुचित संशोधन किया जाना विचाराधीन/प्रक्रियाधीन है। मण्डी कानून में उपयुक्त संशोधन हो जाने के पश्चात् मण्डी समितियों के चुनाव बिना विलम्ब के सम्पन्न करा दिये जायेगे।

तिलम संघ की तेल इकाइयों द्वारा मशीनों की खरीद

74. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : - क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) तिलम संघ, राजस्थान की कोटा, बीकानेर, फतेहनगर, श्रीगंगानगर, जालौर, मेड़ता सिटी, झुंझुनूं एवं गंगापुर सिटी में स्थापित तेल निकालने की विभिन्न इकाइयों के लिये कब-कब, कितनी-कितनी राशि की मशीनें खरीदी गयीं ?

(2) क्या यह सही है कि इन खरीदी गयी मशीनों में से अधिकांश बेकार पड़ी है तथा उपयोग में नहीं ली गयीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बेकार पड़ी मशीनों को खरीदने का कोई औचित्य नहीं था तथा तकनीकी एवं विशेषज्ञ रिपोर्ट इन मशीनों को खरीद के पक्ष में नहीं हैं ?

(4) मशीनों के खरीद करने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया और किस-किस आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया ?

उत्तर

(1) तिलम संघ की स्थापित तेल निकालने की विभिन्न इकाइयों के स्थापना के समय निम्न राशि की मशीनें खरीदी गयी। प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग अन्य अचल सम्पत्तियां, प्री-ऑपरेटिव कोस्ट : —

परियोजना	राशि (लाख रुपये में)	अवधि जिसके अन्तर्गत मशीनें खरीदी गयीं
1. कोटा सोलवेंट प्लांट	1483.40	मार्च, 85 से अगस्त, 88
2. आयल मिल	688.85	मई, 91 से जून, 93
रिफाइनरी	740.23	मार्च, 89 से अप्रेल, 93

(सहकारिता मंत्री)

3. बीकानेर	1652.65	फरवरी, 89 से मार्च, 92
4. फतेहनगर	726.06	सितम्बर, 91 से मई, 94
5. श्रीगंगानगर	674.83	जुलाई, 87 से दिसम्बर, 92
6. जालोर	542.87	अगस्त, 87 से मई, 91
7. मेड़ता सिटी	644.61	जनवरी, 88 से दिसम्बर, 91
8. झुन्झुनूं	322.51	जुलाई, 87 से सितम्बर, 91
9. गंगापुर सिटी	393.62	जनवरी, 88 से फरवरी, 93

(2) जी, नहीं।

(3) मशीनें आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही खरीदी गयी थी एवं स्थापित मशीनें कार्य में ली जा रही है एवं बेकार नहीं है।

(4) विश्व बैंक, ई.ई.सी. एवं एन.सी.डी.सी. के सुझावानुसार नेशनल हैवी इंजीनियरिंग (एन.एच.ई.सी.) को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया गया जिन्होंने इन परियोजनाओं की क्रियान्विति करवाई है। कोटा रिफाइनरी के लिये मैसर्स श्री राम प्रोजेक्टस एवं इंजीनियरिंग लि., नई दिल्ली को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट कोटा आयल मिल के लिए मैसर्स इकोटेक लि. अहमदाबाद तथा फतेहनगर आयल मिल के लिये मैसर्स दलाल कंसल्टेंट एवं इंजीनियर्स, अहमदाबाद को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। परियोजना सलाहकार के कार्य क्षेत्र में प्लांट एवं मशीनरी की डिजाइन तैयार करना, टेंडर डाकुमेंट तैयार कर फ्लोट करना, तुलनात्मक विवरण प्रपत्र बनाना तथा पोस्ट क्वालिफिकेशन करना कांट्रेक्टर के साथ एग्रीमेंट करना, क्रय की गयी मशीनरी का सप्लायर्स के वर्कशाप पर इंस्पेक्शन करना तथा बाद में प्लांट पर आयी मशीन का इंस्पेक्शन करना तथा मशीनरी को ड्राइंग के अनुसार स्थापित करवाना, भुगतान करना, स्थापित मशीनरी को अनुबंध के अनुसार चालू करवाना।

सभी परियोजनाओं की मशीनरी खरीद को अलग-अलग मोडयूल्स में विभाजित किया गया। विश्व बैंक, ई.ई.सी. की गाइड लाइन के अनुसार टेंडर डाकुमेंट्स परियोजना सलाहकार द्वारा तैयार किये गये जिनकी स्वीकृति एन.सी.डी.सी. एवं विश्व बैंक तक ली गयी। टेंडर परियोजना सलाहकार द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जारी किये गये। प्राप्त टेंडर्स का सलाहकार द्वारा तुलनात्मक विवरण-पत्र बनाया गया। एन.सी.डी.सी. राजफैड/तिलम संघ और परियोजना सलाहकार द्वारा गठित कमेटी से विश्लेषण किया गया एवं सप्लायर्स का चयन हेतु रिकमण्ड किया गया। प्रत्येक मोड्यूल की विस्तृत एजेंडा नोट तैयार कर प्रबंध संचालक और प्रशासन/संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृति प्राप्त की गयी। इस स्वीकृति के उपरांत परियोजना सलाहकार द्वारा अनुबंध किया गया।

प्रदेश के शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगार

75. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर): क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रदेश में शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या है ? जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

(2) उपरोक्त बेरोजगारों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों, महिलाओं की संख्या कितनी-कितनी हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1990 से 1996 तक कितने बेरोजगारों को सरकारी नौकरी में अवसर मिला ? इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति व अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं की संख्या क्या है ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर दिनांक 31.5.96 को कुल 835264 बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत थे, इनमें से 534066 शिक्षित एवं 301198 अशिक्षित थे (जिलेवार ब्यौरा परिशिष्ट 1 पर है)

(2) उपरोक्त बेरोजगारों में 131933 अनुसूचित जाति, 63964 जनजाति, 29297 अन्य पिछड़ा वर्ग, 57001 अल्पसंख्यक एवं 86917 महिलाएं थीं। (जिलेवार ब्यौरा परिशिष्ट-2 पर है)

(3) वर्ष 1990-96 (जनवरी 90 से मई 96) तक राज्य के रोजगार कार्यालयों द्वारा 983616 बेरोजगार आशार्थियों के नाम नौकरियों हेतु भेजे गये, जिनमें से 64065 को नौकरियां मिलीं। कुल नियुक्त आशार्थियों में से 9626 अनुसूचित जाति, 5661 जनजाति, 1473 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 2761 अल्पसंख्यक तथा 15947 महिलाएं थीं। (जिलेवार ब्यौरा परिशिष्ट - 3 पर है)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

पूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ योजनाएं

76.श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या मुख्य (सैनिक कल्याण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले तीन वर्षों में पूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया तथा क्या-क्या योजनाएं बनायीं गयीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भविष्य में सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ क्या-क्या ठोस कदम उठाने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) पिछले तीन वर्षों में पूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ बजट में निम्नानुसार प्रावधान किया गया तथा निम्नांकित योजनाएं बनायी गयीं :—

1. पैक्सम योजना

वर्ष 93-94 10.00 लाख

वर्ष 94-95 10.40 लाख

वर्ष 95-96 47.20 लाख

2. किल्ड इन एक्शन धारकों के लिये

वर्ष 93-94	0.25 लाख
वर्ष 94-95	0.25 लाख
वर्ष 95-96	0.25 लाख

3. गैलेंट्री अवार्ड धारकों को नकद पारितोषिक

वर्ष 93-94	0.25 लाख
वर्ष 94-95	0.40 लाख
वर्ष 95-96	0.60 लाख

(2) भविष्य में सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ ठोस कदम उठाये जाने हेतु

(मुख्य (सैनिक कल्याण) मंत्री)

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है:—

1. पूर्व सैनिकों को पुनः नियोजन दिलाने के उद्देश्य से नियमों का सरलीकरण।
2. पूर्व सैनिकों की 1000 प्रतिभावान छात्राओं को अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति।
3. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों/विधवाओं को पेंशन/मासिक सहायता।
4. पूर्व सैनिकों को अस्थाई आवास सुविधा हेतु विश्राम गृह निर्माण।

जिला विकास अभिकरण डूंगरपुर द्वारा निर्माण कार्यों का आवंटन

77.श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला विकास अभिकरण, डूंगरपुर द्वारा पंचायत समितियों /निर्वाचन क्षेत्रों/पंचायतों को निर्माण कार्यों का आबंटन पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जयपुर स्थित किसी एजेन्सी द्वारा उक्त प्रकरण की जांच करवाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि जिले की विभिन्न पंचायत समितियों/पंचायतों के समान रूप से जनसंख्या के अनुपात से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है ?

(3) इन अनियमितताओं के लिये कौन-अधिकारी दोषी है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, डूंगरपुर द्वारा पंचायत समितियों/निर्वाचन क्षेत्रों/पंचायतों को निर्माण कार्यों का आबंटन भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों एवम् क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप नियमानुसार किया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है।

(2) जी, नहीं। भारत सरकार के निर्देशानुसार जवाहर रोजगार योजना की 80 प्रतिशत राशि निर्धारित सूत्र के अनुसार ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत को आबंटित की जाती है। जवाहर रोजगार योजना की अंशदान राशि जनसंख्या के आधार पर ही विभिन्न पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जाती है।

(3) राशि हस्तांतरण में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं वरती गयी है।

राजस्व मण्डल में विचाराधीन प्रकरण

78. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्व मण्डल में 31 मई, 1996 तक विभिन्न अधिनियमों के तहत कुल कितने प्रकरण लम्बित चल रहे हैं ?

(2) क्या सरकार राजस्व मण्डल में प्रकरणों का निपटारा शीघ्र हो सके इस हेतु कोई मुकम्मल ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दिनांक 31 मार्च, 1996 तक विभिन्न

(170)

(राजस्व मंत्री)

अधिनियमों के तहत कुल 14,165 प्रकरण लम्बित चल रहे हैं। विवरण इस प्रकार है: —

1.	भू-राजस्व अधिनियम	4408
2.	रेफरेंस निदेशक भू-अभिलेख	194
3.	राजकोलो. अधिनियम	789
4.	राज. टीनेंसी/द्वितीय अपील	7773
5.	राजसीलिंग अधिनियम	341
6.	राज. जागीर अधिनियम	15
7.	राज. भू रूपान्तरण	7
8.	राजस्टाम्प अधिनियम	548
9.	विविध	93
	योग : —	14,165

(2) राजस्व मण्डल में लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निपटाने हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश दिये जाते हैं।

जिला टोंक का "सम्पूर्ण साक्षरता" अभियान

79. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) एवं श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान "सम्पूर्ण साक्षरता समिति" द्वारा चलाया गया है ? यदि हां, तो कब से और उसका कुल बजट कितना है, जिसमें से कितने प्रतिशत राशि व्यय हो चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का बाह्य मूल्यांकन किया गया है ? यदि हां, तो किन इकाइयों तथा अधिकारियों द्वारा एवं कब ? विवरण मय मूल्यांकन रपट के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त बाह्य मूल्यांकन कार्यवाही से ठोस परिणाम सामने आए हैं ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत नव साक्षर हो पाए हैं ? क्या समूचे लक्ष्यों की प्राप्ति हो गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सम्पूर्ण साक्षरता हेतु 55 प्रतिशत साक्षर होना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या टोंक जिले की साक्षरता उपलब्धि मात्र 15.8 प्रतिशत ही रही है ? अब सरकार इस सम्बन्ध में क्या गम्भीर कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि टोंक जिले में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान जिला साक्षरता समिति द्वारा चलाया जा रहा है। अभियान का प्रारम्भ सितम्बर, 1993 में बजट स्वीकृति के साथ हुआ। अब तक व्यय हुई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 में उपलब्ध है।

(2) यह सही है कि अभियान का बाह्य मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा अधिकृत दल जिसके अध्यक्ष श्री मुस्ताक अहमद, चेयरमैन राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली एवं सदस्य राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 13.9.95 से 23.9.95 तक किया गया। दल के सदस्यों की सूची एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन क्रमशः परिशिष्ट - 2 व 3 में उपलब्ध है।

(3) बाह्य मूल्यांकन समिति द्वारा लक्ष्य समूह दो लाख निरक्षरों में से तृतीय प्राइमरी पूर्ण कर चुके 64935 (32.5%) नवसाक्षरों को उत्तर साक्षरता हेतु योग्य माना गया तथा

(शिक्षा मंत्री)

शेष निरक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के साथ साथ साक्षरता के प्रयास जारी रखने की सिफारिश की गयी।

(4) मूल्यांकन पर गठित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा घोष समिति की रिपोर्ट के अनुसार 55 प्रतिशत निरक्षरों को साक्षर होने पर सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य अर्जित माना जाता है। टोंक-जिले में बाह्य मूल्यांकन समिति द्वारा सितम्बर, 1995 में सेम्पल परीक्षा पर आधारित सांख्यिकी गणना के अनुसार कुल 64935 नव साक्षरों का अर्थात् मूल्यांकन के लिये योग्य व्यक्तियों (110000) में से 58.5% मापदण्डों के अनुरूप साक्षर होना पाया गया अर्थात् सितम्बर, 1995 तक कुल लक्ष्य समूह का लगभग 15.8% प्रतिशत साक्षर होना माना गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने उक्त बाह्य मूल्यांकन के आधार पर टोंक जिले के 64933 नव साक्षरों के लिये उत्तर साक्षरता कार्यक्रम जनवरी, 96 में स्वीकृत की तथा लक्ष्य समूह के बचे हुए निरक्षरों को साक्षर बनाने के प्रयास जारी रखने की अपेक्षा की जिसकी क्रियान्विति जारी है। जिला साक्षरता समिति से प्राप्त अवगत प्रतिवेदन के अनुसार मई, 96 तक कुल 2 लाख निरक्षरों में से एक लाख सात हजार व्यक्ति नव साक्षर हो चुके हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

समाचार पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन देने के मानदण्ड

80. श्री रूपाराम (मकराना) एवं

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाचार पत्र-पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन देने के मानदण्ड क्या हैं ?

(2) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 एवं मई, 1996 तक किन-किन पत्र-पत्रिकाओं को कितनी-कितनी राशि के विज्ञापन दिये गये ? विज्ञापनों का विषय क्या था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समाचार पत्र-पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन "राजकीय विज्ञापन नियम-1962" के प्रावधानों के अनुसार दिये जाते हैं।

(2) वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं मई, 1996 तक जिन पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी किये गये हैं उनका माहवार विवरण सहित संलग्न है। इनका विषय वर्गीकृत एवं सजावटी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पर्यावरण संरक्षण हेतु विचाराधीन योजनाएं

81. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिये क्या-क्या कार्य करवाए गये ?

(2) क्या यह सही है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया है ? यदि हां, तो उक्त वृक्षों के संरक्षण की क्या व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार भविष्य में इनके संरक्षण हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पर्यावरण संरक्षण के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निम्न कार्य करवाये जा रहे हैं :—

1. प्राकृतिक वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा।
2. वृक्ष विहीन क्षेत्रों में संघन वृक्षारोपण कार्य।
3. धार्मिक ऐतिहासिक, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वृक्षारोपण ।
4. पर्यावरण वाहिनी का गठन।
5. जिला पर्यावरण समितियों का गठन।
6. पारिस्थितिक विकास शिविर तथा पर्यावरण चेतना हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन।
7. पर्यावरणीय प्रचार-प्रसार कार्य ।

(2) जी, हां। विभाग द्वारा शहरों एंव ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो वृक्षारोपण कार्य कराये गये हैं, उनके रख-रखाव व संरक्षण की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे वृक्षारोपण क्षेत्रों में फेंसिंग केटल गार्ड को तैनाती तथा निराई व गुड़ाई आदि की गयी है। इसके अतिरिक्त वृक्षों के संरक्षण के लिए वन संरक्षण समितियों का भी गठन किया गया है।

(3) विभिन्न वृक्षारोपण क्षेत्रों में रख-रखाव व संरक्षण हेतु योजनाबद्ध रूप से आवश्यक व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है। राज्य सरकार जन सहभागिता के माध्यम से इस व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने का विचार रखती है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्रीय विकास में खालों के निर्माण के लक्ष्य व नीतियां

82.श्री हरेन्द्र मिर्धा (नागौर) एवं

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत(श्री माधोपुर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्रीय विकास में वर्ष 1992-93 से 1995-96 में खाले बनाने के लक्ष्य पूरे नहीं हो सके ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उपरोक्त अवधि में प्रतिवर्ष खाले बनाने का लक्ष्य क्या था और लक्ष्यों की पूर्ति कितनी हुई ?

(3) इस अवधि में खालों के निर्माण में लक्ष्य से कितनी कमी रही ? क्या इससे क्षेत्र के किसानों को नुकसान, राजस्व हानि एवं अनाज उत्पादन में कमी हुई ? यदि हां, तो अनुमानतः कितनी ?

(4) क्या यह सही है कि लक्ष्य की कमी विभाग की गलत नीतियों के कारण हुई तथा काम ठप्प हुआ और केन्द्र से मिलने वाली सहायता में कमी हुई ?

(5) क्या इन लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई कमी के कारणों की जांच करवाई गई और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या इस प्रकरण में जांच करवाने हेतु सरकार को शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1992-93 से 93-94 में शहीद बीरबल शाखा सिस्टम एवं सागरमल गोपा शाखा सिस्टम में सैटलमेंट कम होने से कार्य स्वीकृत नहीं किये गये अथवा रोक दिये

(राज्य मंत्री सिंचित क्षेत्रीय विकास)

गये। 1993 में पूर्व प्रचलित पद्धति के स्थान पर "न्यू रेट सिस्टम" प्रणाली लागू करना एवं चालू ईंट भट्टों को बन्द करने का निर्णय लिया गया था जिससे कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव 1995-96 तक जारी था। साथ ही वर्ष 1995-96 में पूर्व में लक्ष्य 60,000 हैक्टेयर रखे गये थे व उसी के अनुरूप धनराशि का प्रावधान किया गया लेकिन बजट योजना के अनुरूप लक्ष्य बढ़ाने के अनुपात में पदों व वाहनों का सृजन तो हुआ लेकिन उन पर पदस्थापन न हो सका, न वाहन खरीदे जा सके।

(2) वर्षवार लक्ष्य व उनकी प्राप्ति निम्न तालिका के अनुसार रही :—

वर्ष	लक्ष्य (हैक्टे. में)	लक्ष्यों की प्राप्ति (हैक्टे. में)
1992-93	40,000	36,656
1993-94	30,000	18,144
1994-95	40,000	31,316
1995-96	80,000	47,807

(प्रारम्भिक लक्ष्य 60,000 हैक्टेयर था जिसे बाद में बढ़ाया गया था)

(3) वर्ष 1992-93 में 8.4 प्रतिशत, वर्ष 1993-94 में 40 प्रतिशत, वर्ष 1994-95 में 22 प्रतिशत एवं वर्ष 1995-96 में प्रारम्भिक लक्ष्य के विरुद्ध 20.30 प्रतिशत एवं बढ़े हुए लक्ष्य के 30.3 प्रतिशत की कमी रही।

(4) परियोजना क्षेत्र गैर आबाद क्षेत्र होने के कारण व खालों के निर्माण पूर्ण होने के 8 से 15 वर्ष पश्चात् तक पूर्ण उत्पादन क्षमता प्राप्त होने के कारण यह आकलन सम्भव नहीं है।

विभाग ने काम की गति देने व राज्य व्यय में कमी करने को ध्यान में रखते हुये नई "न्यू रेट प्रणाली" पर कार्य प्रारंभ किये लेकिन ठेकेदारों द्वारा असहयोग व पुरानी पद्धति के स्थान पर नई पद्धति को अपनाने एवं चालू ईंट भट्टों को बन्द करने के विरोध में वैधानिक व्यवधान उत्पन्न करने से कार्यों की प्रगति में अवरोध उत्पन्न हुआ। वर्तमान में दोनों ही पद्धति से कार्य कराये जा रहे हैं।

केन्द्रीय सहायता खाले निर्माण पर कुल व्यय का 50 प्रतिशत प्राप्त होती है व जब भी ओ.एफ.डी. के कार्य कराये जाते हैं खर्च के अनुपात में केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है।

(5) जी, नहीं। समय-समय पर खाले बनाने के कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाती रही थी और कार्यों में गति लाने के प्रयास किये गये।

(6) जी, हां। 14.1.93 से 17.11.1993 के बीच किये गये निर्णयों के कारण प्रगति में कमी के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसका परीक्षण करवाया जा रहा है।

सहकारी भूमि विकास बैंक बालोतरा द्वारा फव्वारा सैट्स हेतु स्वीकृत ऋण

83. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा वर्ष 1995-96 में फव्वारा सैट्स हेतु ऋण स्वीकृत किये गये हैं यदि हाँ, तो किन-किन को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमराराम चौधरी)

(2) जिला बाड़मेर में इस बैंक द्वारा कुल कितनी राशि फव्वारों के लिए दी गई ? इस राशि में कुल कितनी व किन लोगों को सब्सिडी (अनुदान) दी गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सूची सदन की मेज पर रखी दी गयी है। (परिशिष्ट-1 के अनुसार)

(2) वर्ष 1995-96 में 910 ऋणियों को 286.05 लाख की राशि फव्वारों के लिए वितरित की गयी। इस राशि में से 215 ऋणियों को 25.74 लाख की राशि का अनुदान दिया गया, सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट - 1 के अनुसार)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला कलक्टर्स की अध्यक्षता में गठित जन अभाव अभियोग निराकरण सतर्कता समितियां

84. **श्री रामनारायण चौधरी(मण्डावा) :** क्या मुख्य (जन अभियोग निराकरण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जिलों में जिला कलक्टरों की अध्यक्षता में सतर्कता एवं जन-अभाव अभियोग निराकरण समितियां गठित कर रखी हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या इन समितियों में अभाव अभियोग मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि ने कभी भी किसी जिले की बैठकों में भाग लेकर उन्हें उचित परामर्श एवं मार्गदर्शन दिया है, तथा उन समितियों के सामने आने वाली कठिनाइयों के निवारणार्थ कुछ किया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस विभाग के प्रभारी मंत्री खुद माननीय मुख्य मंत्री है ? यदि हां, तो क्या वे कभी खुद अथवा उनके प्रतिनिधि राज्य मंत्री ने इन कमेटियों की बैठकों में भाग लेकर अपना उचित परामर्श एवं मार्गदर्शन दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) शासन स्तर पर समय-समय पर जिला कलक्टरों की बैठक के दौरान इस संबंध में उचित परामर्श एवं मार्गदर्शन दिया जाता रहा है, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से जब कभी भी आवश्यकता हो, आयुक्त जन-अभियोग निराकरण विभाग या उसका नाम निर्देशित जो उपायुक्त से नीचे के स्तर का न हो, जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों की बैठक में भाग लेने हेतु प्राधिकृत कर रखा है।

(3) जी, हां। यह भी सही है कि इस विभाग के प्रभारी मंत्री स्वयं माननीय मुख्य मंत्री हैं तथा जन अभियोग निराकरण विभाग, जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों का प्रशासनिक विभाग है। राज्य सरकार की ओर से जब कभी भी आवश्यकता हो, आयुक्त, जन-अभियोग निराकरण विभाग को सतर्कता समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु प्राधिकृत कर रखा है।

डी.आर.डी.ए. जोधपुर को निर्माण कार्यों के संबंध में प्राप्त शिकायतें

85. **श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)** : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जोधपुर जिले में गत 3 वर्षों में किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य कब-कब स्वीकृत किये गये ? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या डी.आरडी.ए. द्वारा स्वीकृत कार्यों के निर्माण के दौरान निर्माण कार्यों की देखरेख की व्यवस्था है ?

(3) यदि हां, तो क्या डी.आरडी.ए. जोधपुर को निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त हुई ?

(4) गत तीन वर्षों में प्राप्त शिकायतों पर डी.आरडी.ए. ने कहां-कहां पर जांच की एवं जांच में क्या-क्या तथ्य सामने आये ? क्या दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचियां संलग्न है। परिशिष्ट-"अ"

(2) निर्माण कार्यों की देखरेख पंचायत समिति स्तर/सम्बन्धित एजेंसी स्तर पर की जाती है तथा समय-समय पर परीक्षण जांच के रूप में डी.आरडी.ए. अधिकारी जांच करते हैं एवं अन्तिम भुगतान से पूर्व कार्यों की जांच साथ तकनीकी अधिकारी द्वारा की जाती है।

(3) सूची संलग्न है परिशिष्ट "ब"।

(4) दो प्रकरणों में जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से एक प्रकरण में सरपंच जैसला को निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग करने का दोषी पाया गया है, जिसके विरुद्ध पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है।

दूसरे प्रकरण में सरपंच भोपालगढ़ भी घटिया स्तर के निर्माण कार्यों के दोषी पाये गये हैं, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को प्रकरण भेज दिया गया है। शेष प्रकरणों की जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उपनिदेशक एवं आयुर्वेद अधिकारियों के रिक्त पद

86. **श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा)**: क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विभाग में उपनिदेशक तथा जिला आयुर्वेद अधिकारी श्रेणी के कुल कितने पद कहां-कहां पर, कब-कब से रिक्त हैं ? विवरण मय कारण के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभाग में वर्तमान उप निदेशक एवं इसके समकक्ष श्रेणी के 7 पद तथा जिला आयुर्वेद अधिकारी एंव इसके समकक्ष श्रेणी के 16 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) यदि कोई कानूनी अड़चन नहीं आई तो अगले 3 माह में पद भर दिये जायेंगे।

आयुर्वेद विभाग में उप निदेशक, जिला आयुर्वेद अधिकारी एवं इनके समकक्ष श्रेणी के रिक्त पदों का विवरण : –

उप निदेशक एवं इसके समकक्ष श्रेणी के पद	दिनांक जबसे पद रिक्त है
1. उप निदेशक (आयुर्वेद) जयपुर	1.7.93
2. उप निदेशक (आयुर्वेद) अजमेर	24.8.94
3. उप निदेशक (आयुर्वेद) जोधपुर	31.7.94
4. उप निदेशक (आयुर्वेद) बीकानेर	8.7.94
5. उप निदेशक (आयुर्वेद) कोटा	31.10.95
6. व्यवस्थापक, राजकीय आयुर्वेद रसायनशालाएं, अजमेर.	30.11.95
7. विशेषाधिकारी, शासन सचिवालय , जयपुर	1994-95(नवीन सृजित)

उक्त रिक्त 7 पदों में से 4 पद सेवानिवृत्ति के कारण, एक पद उच्च पद पर पदोन्नति के कारण, एक पद नवीन सृजित होने से तथा एक पद डी.पी. सी. निर्णयानुसार लिफाफा बन्द रखे जाने से रिक्त रहे हैं।

जिला आयुर्वेद अधिकारी एवं इसके समकक्ष श्रेणी के पद	दिनांक जब से पद रिक्त है
1. जिला आयुर्वेद अधिकारी, हनुमानगढ़	8.6.95
2. जिला आयुर्वेद अधिकारी, बाड़मेर	25.2.95
3. जिला आयुर्वेद अधिकारी, जैसलमेर	1.2.96
4. जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर (अ)	24.1.96
5. जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर (ब)	25.2.95
6. जिला आयुर्वेद अधिकारी, पाली	1.8.94
7. जिला आयुर्वेद अधिकारी, भीलवाड़ा	9.1.95
8. जिला आयुर्वेद अधिकारी, डूंगरपुर	22.7.95
9. जिला आयुर्वेद अधिकारी, राजसमन्द	नवम्बर, 95
10. जिला आयुर्वेद अधिकारी, श्रीगंगानगर	29.2.96
11. जिला आयुर्वेद अधिकारी, बीकानेर	1.12.95
12. जिला आयुर्वेद अधिकारी, चूरू	20.9.95
13. प्रभारी आयुर्वेद रसायनशाला, उदयपुर	16.8.93

14.	प्रभारी, आयुर्वेद रसायनशाला, भरतपुर	नवम्बर/ 95
15.	प्रभारी, आयुर्वेद रसायनशाला, अजमेर	फरवरी/96
16.	सहायक निदेशक (यूनानी) , अजमेर	1.2.96

उक्त पदों में से 7 पद सेवानिवृत्ति के कारण, 5 पद निलम्बन के कारण, एक पद वर्ष 1995-96 में नवीन सृजित होने से, एक पद प्रतिनियुक्ति के कारण अन्यत्र पदस्थापन से तथा 2 पद पदोन्नत किये गये अधिकारियों द्वारा पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं करने के कारण वर्तमान में पद रिक्त हैं।

परिशिष्ट -3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 80 की सूची)

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(प्रशासनिक सुधार ग्रुप -3)

क्रमांक प. 8 (2) प्रसु3/83 जयपुर, दिनांक अक्टूबर 20,1983

आदेश

विषय :— जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों का गठन।

राज्यपाल राजस्थान राज्य के प्रत्येक जिले में, जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस समिति के निम्न सदस्य होंगे —

1.	कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	जिले के समस्त संसद-सदस्य और विधान सभा सदस्य	सदस्य
4.	जिला प्रमुख	सदस्य
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में से प्रत्येक का एक व्यक्ति जिले से जिसे राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा	सदस्य
6.	क्षेत्रीय/ जोनल अधिकारी, जिन्हें जब भी आवश्यक होगा, अध्यक्ष द्वारा सहयोजित किया जायेगा	सदस्य
7.	सहकारी बैंक/भूमि वन्धक बैंक/भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि, जिसे जब आवश्यक होगा अध्यक्ष द्वारा सहवृत किया जायेगा	सदस्य
8.	एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता जिसे राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा	सदस्य

178

9.	सचिव नगर सुधार न्यास (यदि कोई हो)	सदस्य
10.	प्रशासक/अध्यक्ष, नगर परिषद/बोर्ड	सदस्य
11.	सम्बन्धित विभाग/स्वशासी निकाय का जिला स्तरीय अधिकारी, जिसे अध्यक्ष द्वारा सहवृत किया जायेगा।	सदस्य
12.	अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर (जब कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट नहीं हो तो अपर जिला विकास अधिकारी) जिसे अध्यक्ष द्वारा सहवृत किया जायेगा।	सदस्य सचिव

2. जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर और भरतपुर जिले में पंचायत समिति के अध्यक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों पर की ज्यादतियों की समस्या के संबंध में कार्यवाही करने के लिये उप समितियों का गठन कर सकेंगे।

3. आयुक्त, जन अभियोग निराकरण या उसका नाम-निर्देशिती (nominee) जो उपायुक्त से नीचे स्तर का कानून हो, जब कभी भी आवश्यकता हो तो जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों की बैठकों में उपस्थित हो सकेगा किन्तु आयुक्त (जन अभियोग निराकरण) के बैठक में उपस्थित होने की दशा में वे ही समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

4. इस समिति के निम्न कृत्य होंगे, भ्रष्टाचार और जन अभियोगों जैसे-विद्युत कनेक्शनों की मंजूरी में और विद्युत वितरण में विलम्ब, अपराधिक मामलों के पंजीकरण तथा उनके अन्वेषण, पुलिस स्टेशनों में मामलों को रजिस्टर नहीं करने, नामान्तरकरणों व जल - वितरण में अनियमितताओं, अन्वेषण प्राधिकारियों द्वारा वाहनों के अधिकथित दुरूपयोग और विभिन्न विभागों द्वारा ठेके देने में और उनके निष्पादन में अनियमितताओं, महिलाओं पर ज्यादत्तियों आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय और वितरण तथा विभिन्न विभागों द्वारा ऋण मंजूर किये जाने और उसके वितरण में अनियमितताओं से सम्बन्धित शिकायतों के संबंध में कार्यवाही करना। उपर्युक्त कृत्य सूची सम्पूर्ण नहीं है अतः समिति स्वविवेकानुसार, ऐसे समस्त अभियोगों की जांच पड़ताल कर सकेगी जिनमें भ्रष्टाचार, दुराचरण और विभिन्न विभागों द्वारा समस्त जन अभियोगों के संबंध में कार्यवाही किये जाने और उन्हें निपटाने में विलम्ब आलिप्त हो।

5. समिति निम्न प्रकार कार्य सम्पादन करेगी :

(क) (I) प्रत्येक माह में कम से कम एक बार यह समिति किसी ऐसी नियत तारीख पर, जो पर्याप्त समय पूर्व निर्धारित की जायेगी, शिकायतकर्ताओं को सूचित करते हुए बैठकें आयोजित करेंगी। ये बैठकें जिला मुख्यालय या जिले के भीतर किसी भी अन्य स्थान पर, आयोजित की जायेगी ताकि जनता और अन्य समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर मिल सके।

(II) यह समिति अपराधों, कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा जिले के यातायात नियंत्रण से संबंधित समस्याओं का पुनर्विलोकन करेगी। वैयक्तिक या जन अभियोगों में विलम्ब पुलिस स्टेशनों में मामले रजिस्टर नहीं करने, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों, समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं पर ज्यादतियों सहित उपर्युक्त विभागों के संबंध में विचारक और सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिये सक्षम होगी।

(ख) जहां शिकायत ऐसी प्रकृति की हो कि उससे कई विभाग संबंधित हों तथा उसके निराकरण हेतु यदि व विभाग आपस में सहमत नही हों, यहां यह समिति समस्त जिला स्तरीय विभागों के क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिये उत्तरदायी होगी।

(ग) यह समिति ऐसी शिकायतों की जांच पड़ताल करने में समक्ष होगी जिनमें वैयक्तिक या जन अभियोगों के निराकरण में विलम्ब का विर्निदिष्ट अभिकयन किया गया हो। इस हेतु समिति संबंधित मामले का अभिलेख, जहां कही भी हो, मंगाने और सम्यक् विचार विमर्श के पश्चात संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी या उसके अधीनस्थ द्वारा शीघ्र ही विधिवत निराकरण किये जाने के लिये निर्देश देने हेतु सक्षम होगी। ऐसे अभियोगों के निराकरण हेतु समय सीमा निर्धारित करने के लिये भी यह समिति सक्षम होगी। निर्धारित कालावधि में ऐसे निर्देशों की अनुपालना जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा नहीं किये जाने की स्थिति में, समिति सम्पूर्ण मामले को संबंधित जिला स्तरीय अधिकार की प्रशासनिक विभाग व जन अभियोग निराकरण का विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेसित करेगी।

(घ) भ्रष्टाचार, असद्भावपूर्ण आचरण, पद या परिस्थिति के दुरूपयोग निष्क्रियता अथवा अधिकार से परे कार्य करने के विर्निदिष्ट अभिकथनों के मामले में, समिति जिला स्तरीय अधिकारी के सुसंगत अभिलेख को परीक्षा करने के लिये सक्षम होगी और यदि समुचित आधार हो तो आगे और जांच कर सकेगी और ऐसे असद्भाव पूर्ण आचरण या भ्रष्ट आचरण / कार्यवाही के बारे में अपने विर्निष्ट को निष्क्रमों के साथ, जन अभियोग निराकरण विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग को सूचित कर सकेगी।

(ङ) यह समिति, राज्य सरकार/जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा उसे सौंपी गयी किसी विर्निदिष्ट शिकायत का अन्वेषण करने के लिये भी सक्षम होगी और उस पर अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट उन्हें अपने निष्कर्षों एवं उसके निराकरण के लिये सुझावों के साथ करेगी।

(च) अभियोगों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में कार्यवाही करने के लिये समिति को समर्थ बनाने की दृष्टि से जिला प्रशासन तथा अन्य विभागों के संबंध में उन अभियोगों/शिकायतों के बारे में दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्रों से लिये गये उद्धरण/कतरने संबंधित जिला सम्पर्क अधिकारी अध्यक्ष को नियमित रूप से प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

(छ) जिले में पदस्थापित जन सम्पर्क अधिकारी जन तथा वैयक्तिक अभियोगों और अन्य दुराचरणों के संबंध में कार्यवाही करने वाले जिला प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना के प्रसारण में सहायता देने हेतु समिति के लिये उपलब्ध होंगे।

(ज) समिति ऐसे व्यक्तियों/संगठनों का भी पता लगायेगी जो सरकारी कर्मचारियों/लोक सेवकों पर कोई भ्रष्टाचारी प्रभाव रखते हों व उसकी रिपोर्ट सरकार को करेगी। इसी प्रकार इस समिति को ऐसे समाचार पत्रों का भी पता लगायेगी जो सरकारी पदाधिकारियों को (ब्लेकमेल) करने में लगे हों और तथा उन्हें अपने विधि संगत कृत्य करने से रोकते हों इनकी रिपोर्ट समुचित कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी। ऐसे समाचार पत्रों को दिये जाने वाले सरकारी विज्ञापन रोकने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिये गृह विभाग द्वारा विचार किया जायेगा।

(झ) यह समिति जिला अधिकारियों के अपने क्षेत्र में सावधिक दौरों, तहसीलों, स्टेशनों आदि के निरीक्षणों के संबंध में सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों की अनुपालना का पुनर्विलोकन भी करेगी ताकि जन अभाव अभियोगों का समुचित निराकरण हो सके।

(झ) समिति अपने उपर्युक्त पुनर्विलोकन में प्रत्येक क्षेत्रीय/जिला स्तरीय अधिकारी / अन्य अधिकारी के लिये उनके मुख्यालय अधीनस्थ कार्यालय में जन अभियोगों की सुनवाई हेतु पर्याप्त प्रचार करते हुये दिन/तारीख और समय नियत कर सकती है।

(ट) समिति के द्वारा किये गये कार्य का एक त्रैमासिक पुनर्विलोकन मुख्य सचिव और मुख्य मंत्री की सूचना के लिये आयुक्त, जन अभियोग निराकरण और मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री को प्रस्तुत किये जायेंगे। जन अभियोग निराकरण विभाग इस समिति का प्रशासनिक विभाग होगा।

आदेश से

उप शासन सचिव

परिशिष्ट -4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 82 की प्रति)

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक एफ 1 (7) कार्मिक/क-4/91 जयपुर, दिनांक 26.6.96

निबन्धक,

राजस्व मण्डल,

राज. अजमेर।

विषय :— राज्य में अतिरिक्त जिला कलक्टर, उप खण्ड अधिकारी एवं सहायक जिला कलक्टरों के पद सृजन बाबत।

संदर्भ :— राजस्व विभाग का अ. शा. टीम संख्या प. 9(7) राज/ग्रुप -1/95 दिनांक 12.1.96

महोदय,

निदेशानुसार राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में 5 पद अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डनायक कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में 7 पद उप खण्ड अधिकारी व 17 पद सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पदों की अस्थायी रूप से दिनांक 28.2.97 तक एतद् द्वारा निम्नानुसार सृजित किये जाते हैं : —

(1) अतिरिक्त जिला कलक्टर (वरिष्ठ वेतन श्रृंखला)

जिला	मुख्यालय	भवन व्यवस्था तक अस्थायी मुख्यालय
जयपुर	जयपुर	
भरतपुर	डीग	भरतपुर
गंगानगर	सूरतगढ़	गंगानगर
नागौर	डीडवाना	नागौर
हनुमानगढ़	नोहर	हनुमानगढ़

(2) उप खण्ड अधिकारी (कनिष्ठ वेतन श्रृंखला)

जिला	मुख्यालय	
बाड़मेर	गुढ़ामालानी	(मुख्यालय बाड़मेर)
दौसा	बांदीकुई	
बीकानेर	खाजूवाला	

182

अलवर	लक्ष्मणगढ़
गंगानगर	अनूपगढ़
हनुमानगढ़	सांगरिया
चित्तौड़गढ़	बड़ी सादड़ी

(3) सहायक जिला कलक्टर (कनिष्ठ वेतन श्रृंखला)

जिला	मुख्यालय
अजमेर	ब्यावर
अलवर	मुंडावर, बहरोड
भरतपुर	नगर बयाना (रूपवास) मुख्यालय बयाना
बूंदी	बूंदी
हनुमानगढ़	रावतसर
धौलपुर	बाडी
जयपुर	फागी
जोधपुर	पीपाड़ शहर
सीकर	सीकर
टोंक	टोडारायसिंह देवली
दौसा	दौसा
कोटा	सांगोद
उदयपुर	धारियावाद
बारां	बारां

यह व्यय बचत निम्नानुसार जिलाधीश कार्यालय आयोजित भिन्न से प्रभार्य होगा :—

(I) अतिरिक्त जिला कलक्टर-	शीर्षक- 033 जिला प्रशासन 093 जिला स्थापन
(II) उप खण्ड अधिकारी -	शीर्षक - 2059 जिला प्रशासन 094 अन्य स्थापन अधिकारी आयोजना भिन्न
(III) सहायक जिला कलक्टर-	शीर्षक 2053 जिला प्रशासन 093 जिला स्थापन आयोजना भिन्न से

यह स्वीकृति वित्त व्यय-2 विभाग की आई. डी. सं. 595/वित्त/व्यय 96 दिनांक 27.5.96 की सहमति से जारी की जाती है।

भवदीय

ह.

सहायक शासन सचिव

परिशिष्ट - 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 86 की सूची)

वन विभाग से पोंग बांध आरक्षित रकबा के आवंटित काश्तकारों की सूची

1. तहसील घड़साना

चक	मु.नं.	कि. नं.	आवंटी का नाम
3 एमएलके (सी)	91/40	1 ता 25	श्री मालीराम पुत्र पेन्दू
3 एमएलके	91/57	1 ता 18	श्री घनीराम पुत्र कृपा

नोट : — वर्तमान में रकबा वन विभाग है।

2. तहसील अनूपगढ़

30 ए	340/441	1 ता 25 24.10 बीघा	श्री बंशीलाल पुत्र झोगर
30 ए	340/442	1 ता 25 25 बीघा	श्री प्रधान चन्द पुत्र हीरा
30 ए	341/443	1 ता 25 25 बीघा	श्री लालीराम पुत्र रसीला

परिशिष्ट - 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 102 का विवरण)

क्र. सं. कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	वर्ष वार खर्च की गई राशि 93-94	94-95	95-96	विशेष विवरण
डी. पी. ए. पी. योजना	(राशि रुपये लाखों में)				
1. आनन्दपुरा एनीकट	4.94	2.83	2.19	0.19	पूर्ण
2. निपानिया एनीकट	4.18	3.13	-	-	पूर्ण
3. नाथूखेडी एनीकट	4.34	3.15	0.94	0.17	पूर्ण
4. भड़का एनीकट	4.61	3.14	1.10	0.28	पूर्ण
5. चौकड़ी कला वाटरशैड	24.52	-	13.45	12.69	पूर्ण
6. भैसानी वाटरशैड	50.56	-	6.23	10.62	पूर्ण
7. मंगवालिया वाटरशैड	6.95	-	2.81	2.86	पूर्ण
योग : -	100.10	12.25	26.72	26.81	
30 जिले 30 कार्य योजना					
1. कोलवी एनीकट	4.50	3.71	0.83	0.1	7
योग : -	4.50	3.17	0.83	0.17	
बंजड भूमि विकास परियोजना डग	103.01	15.15	34.72	15.52	
ई. ए. एस. योजना					
1. मंगवालिया वाटरशैड	36.92	-	-	23.92	
2. गुराड़िया जोगा वाटरशैड	6.89	-	3.64	4.32	
योग :-	43.81	-	3.64	28.24	
एन. डब्ल्यू. डी. पी. आर. ए.					
1. देवरिया वाटरशैड	86.85	9.61	15.04	19.31	
2. धतुरिया वाटरशैड	155.97	8.94	28.72	31.07	
योग : -	242.32	18.55	43.76	50.38	

क्र. सं. कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	वर्ष 96-97 में माह मई, 96 तक व्यय (राशि लाखों में)	विशेष विवरण
डी. पी. ए. पी. योजना			
1. चादर्नी वाटरशैड	72.28	शून्य	
2. मेरू खेड़ी वाटर शैड	106.96	शून्य	
योग :-	189.24		
ई. ए. एस. योजना			
1. माण्डवी	87.08	-	
बंजड़ भूमि परियोजना डग	103.01	शून्य	
एन. डब्ल्यू. डी. पी. आर. ए.			
1. धतूरिया वाटरशैड	155.97	शून्य	
2. देवरिया वाटरशैड	86.85	शून्य	

(१८६)

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या - 110 का विवरण)

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय

इस विभाग के अधीन मृत अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को दी गयी नियुक्तियां

क्र.सं.	मृतक अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम व पद	नियुक्त किये गये आश्रित का नाम	नियुक्ति का पद	नियुक्ति तिथि	नियुक्त कर्मचारी की योग्यता	पद के लिए वांछित योग्यता	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	स्व. टीकमचन्द पाटनी, ज. स. अ.	श्रीमती कांता पाटनी	क. लि.	06-12-80	हा. सैकण्डरी	सै. उत्तीर्ण	
2.	स्व. लक्ष्मण सिंह सैनी, सहा. ज.स.अ.	श्री प्रमेश कुमार सैनी	-- " "--	15-12-80	-- " "	-- " --	
3.	स्व. मुरली मनोहर शर्मा. क. लि.	श्री सुरेश गोस्वामी	-- " --	18-04-81	सैकण्ड्री	-- " --	
4.	स्व. सोहनलाल, च. श्रे. क.	श्री हनुमान सिंह चौहान	-- " --	18-08-82	बी. ए.	-- " --	
5.	स्व. बाबूलाल व्यास, वाहन चालक	श्री महेन्द्र कुमार व्यास	-- " --	21-12-84	सैकण्ड्री	-- " --	
6.	स्व. के. पी. करोड़ा. उपनिदेशक	श्रीमती आशा अरोड़ा	-- " --	20-03-87	हा. सैकण्ड्री	-- " --	
7.	स्व. शिवरतन पुरोहित, छायाकार	श्रीमती गीता पुरोहित	-- " --	01-04-87	एम. ए.	-- " --	
8.	स्व. नरेन्द्र गंगवानी, व. लिपिक	श्री जितेन्द्र गंगवानी	-- " --	05-11-88	सैकण्ड्री	-- " --	
9.	स्व. अब्दुल मजीद, च.श्रे.क.	श्री सालीम खान	-- " --	30-11-88	इंटरमीडियट	-- " --	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	स्व. बाल किशन माथुर, प. सहा०	सुश्री सरोज माथुर	क. लि	08-06-82	सैकण्ड्री	इंटरमीडियट	नोट : मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने के नियम 1975 के उपनियम (5) के अन्तंगत नियुक्त
11.	स्व. मघदत्त त्रिवेदी, आपरेटर	श्री सुनिल त्रिवेदी	- " -	17-03-81	सैकण्ड्री	-- " --	
12.	स्व. बहादुर सिंह आपरेटर	श्रीमती सरस्वती देवी	च. श्रे. क.	01-10-80	साक्षर	पांचवीं क. उ.	
13.	स्व. अब्दुल लतीफ, वाहन चालक	श्री शाहिद खान	- " -	19-04-85	नवीं पास	-- " --	
14.	स्व. निरंजन सिंह, च. श्रे. क.	श्री सुरेश चंद	- " -	05-06-86	नॉन मैट्रिक	-- " --	
15.	स्व. हीरावल हुसैन च. श्रे. क.	श्री दिलावर हुसैन	- " -	04-11-88	आठवीं पास	-- " --	
16.	स्व. श्रीराम बैरवा, च. श्रे. क.	श्रीमती कमला देवी	- " -	19-03-86	साक्षर	-- " --	
17.	स्व. अब्दुल गफ्फार, च. श्रे. क.	श्री अब्दुल रहमान	- " -	05-07-88	साक्षर	-- " --	
18.	स्व. दीनदयाल, वाहन चालक	श्री अशोक कुमार	- " -	27-12-88	साक्षर	-- " --	

(187)